सप्तम माला, खंड 22, अंक 12, मंगलवार, 8 दिसम्बर, 1981/17 अग्रहायण, 1903 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(सातवां सत्र)

सत्यमेव जयते

(खंड 22 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय,
नई दिल्ली।

मूल्य : चार रुपए

विषय-सूची

अंक 12, मंगलवार, 8 दिसम्बर, 1981/17 अग्रहायण, 1903 (शक)

विषय		पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख		1
रूस के संसदीय शिष्ट-मण्डल का स्वागत		1–2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		3–24
*तारांकित प्रश्न संख्या	225, 228, 229, 231, 232, 234 और 235.	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		24–237
तारांकित प्रश्न संख्या	227, 230 और 237 से 244.	
अतारांकित प्रश्न संख्या	2542 से 2686 और 2688 से 2776.	
अतारांकित प्रश्न संख्या 4349 दिनांक 15 सितम्बर, 1981 के उत्तर को शुद्ध करने वाला वक्तव्य		237–240
रेलवे के वित्तीय मामलों के बारे में रेल मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के सम्बन्ध में उठाई गई बातों पर विनिर्णय		240–242
सभा पटल पर रखे गए पत्र		242–244
राज्य सभा से सन्देश		244
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		245
दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किये गये भूमि अधिग्रहण पर मुआवजा देने के बारे में बोट क्लब पर कथित रैलियां और प्रदर्शन		
श्री राम स्वरूप राम		245
श्री भीष्म नारायण सिंह		245
संचार मंत्रालय में राज्य-मन्त्री श्री कार्तिक उरांव का निधन		246

किसी नाम पर अंकित यह * चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

लोक सभा वाद-विवाद (हिंदी संस्करण)

लोक सभा

मंगलवार, 8 दिसम्बर, 1981/17 अग्रहायण 1903 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को अपने एक भूतपूर्व साथी श्री छोटू भाई माकन भाई पटेल, जो 1962-67 के दौरान तृतीय लोक सभा के सदस्य थे, के दुःखद निधन की सूचना देनी है ।

इससे पहले, वह 1952-60 के दौरान तात्कालीन बम्बई विधान सभा के सदस्य थे तथा 1960-62 के दौरान गुजरात विधान सभा के सदस्य रहे । उन्होंने तत्कालीन बम्बई राज्य तथा गुजरात राज्य में उप मंत्री के रूप में भी कार्य किया ।

एक कृषक तथा सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने ग्रामीण उत्थान, सहकारी आन्दोलन तथा पिछड़े वर्ग के लोगों के कल्याण में बहुत रुचि ली ।

एक सक्रिय सांसद के रूप में वे लोक सभा की कार्यवाही में बहुत रुचि लेते थे ।

वह 30 नवम्बर, 1981 को बड़ौदा में 76 वर्ष की आयु में स्वर्ग सिधार गये ।

हम अपने इस मित्र को खोकर बहुत शोक सन्तप्त हैं तथा मुझे विश्वास है कि यह सभा मेरे साथ शोक सन्तप्त परिवार के लिए अपनी संवेदनायें प्रकट करेगी ।

सदस्यगण अपना दुःख व्यक्त करने के लिये कुछ देर के लिये मौन खड़े रहें ।

(इसके पश्चात सदस्यगण कुछ क्षण मौन खड़े रहे ।)

रूस के संसदीय शिष्ट-मंडल का स्वागत

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, सर्व प्रथम मुझे एक घोषणा करनी है ।

मुझे अपनी ओर से तथा सभा के माननीय सदस्वों की ओर से, संयुक्त समाजवादी सोवियत गणराज्य की सुप्रीम सोवियत प्रेसिडियम के प्रथम उपाध्यक्ष माननीय श्री वी० वी० कुज़नेत्सोव

और सोवियत संसदीय शिष्ट-मंडल के माननीय सदस्यों का, जो हमारे माननीय अतिथियों के रूप में भारत की यात्रा पर आये हैं, स्वागत करने में अपार हर्ष हो रहा है।

शिष्ट मंडल के दूसरे माननीय सदस्य हैं :—

(1) श्री वाल्दिमिर पावलोविच ओरलोव, संसद् सदस्य;

(2) श्री तुख्ताम्पश बार्यामिरोव, संसद् सदस्य।

(3) डा० (श्रीमती) ईरीना निकोलायेवना ब्लोखिना, संसद् सदस्य;

(4) श्री अनातोले बोमनोविच कोरांटेनकोव, सदस्य;

शिष्ट-मण्डल कल मध्याह्न पश्चात यहां पहुंचा। इस समय वे विशेस कक्ष में बैठे हैं। उनके माध्यम से हम सुप्रीम सोवियत प्रेसिडियम के अध्यक्ष माननीय श्री एल० आई० ब्रेजनेव तथा सोवियत रूस की मंत्रिपरिषद् के अध्यक्ष माननीय श्री एन० ए० टिखोनोव, सुप्रीम सोवियत, सोवियत सरकार तथा सोवियत संघ के मित्रतापूर्ण लोगों को शुभ कामनायें भेजते हैं।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मेम्बर पार्लियामेंट की एक डिग्निटी है। कोई यदि मर जाय तो कम से कम उसके बारे में सूचना आने की कोई टाइम लिमिट तो होनी चाहिये, 2, 3, 4 दिन के अन्दर आ जाय। मरते हैं कब और सुनाया जाता है कब।

अध्यक्ष महोदय : इत्तिला आती है बाद में तब पूरा करते हैं।

——

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

त्रिवेन्द्रम टेलीविजन टावर की प्रगति

***225 श्री ए० ए० रहीम : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम टेलीविजन टावर के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है;

(ख) परियोजना के कब तक पूरा होने की सम्भावना है; और

(ग) क्या त्रिवेन्द्रम टेलीविजन टावर को चालू किये जाने तक बम्बई/मद्रास टेलीविजन केन्द्रों के कार्यक्रमों का माइक्रोवेव की सहायता से रिले करने का कोई प्रस्ताव है, जैसा कि बंगलोर में किया जा रहा है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) स्थान कब्जे में लिया जा चुका है और शिलान्यास 2 जून, 1981 को किया जा चुका है। टावर सप्लाई करने और उसे लगाने के लिए पूर्ति और निपटान महानिदेशालय को इंडेंट भेज दिया

गया है। सिविल निर्माण कार्यों के लिए प्राक्कलन भी मंजूर किए जा चुके हैं तथा सिविल निर्माण कार्यों के लिए टेंडर प्राप्त हो गए हैं।

(ख) परियोजना के 1984-85 के दौरान मुकम्मल हो जाने की उम्मीद है।

(ग) जी, नहीं।

श्री ए० ए० रहीम : महोदय, मेरे प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में मंत्री ने कहा है कि परियोजना 1984-85 के दौरान पूरी होगी। अर्थात 5 वर्ष पश्चात्। प्रश्न के भाग (ग) का, जो त्रिवेन्द्रम टेलीविजन टावर को चालू किये जाने तक टेलीविजन कार्यक्रमों का माइक्रोवेव की सहायता से रिले करने, जैसा कि बंगलौर में किया जा रहा है, से सम्बन्धित है, मंत्री ने स्पष्ट-रूप से नकारात्मक उत्तर दिया है। क्या मैं जान सकता हूं कि मेरे इन सुझावों पर विचार करने में क्या कठिनाई है?

सूचना एवं प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : महोदय, मुख्य कारण यह है कि त्रिवेन्द्रम माइक्रोवेव से सम्बद्ध नहीं है जो टेलीविजन क्षमता या टी० वी० सिगनल्स ले सके। जब ऐसा हो जायेगा तब हम त्रिवेन्द्रम केन्द्र का भी बंगलौर की तरह छोटा रिले ट्रांसमीटर रखकर, मद्रास, बम्बई तथा दूसरे स्थानों से टी० वी० कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

श्री ए० ए० रहीम : माननीय मन्त्री द्वारा पहले की गई घोषणा के अनुसार त्रिवेन्द्रम में प्रथम रंगीन टी० वी० केन्द्र खोला जायेगा। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या रंगीन प्रेषण उपकरणों का प्रबन्ध करने के लिए कदम उठाये गये हैं? क्या उपकरणों का आयात किया जायेगा या भारत में ही निर्माण किया जायेगा? कौनसी रंगीन तकनीक अपनायी जायेगी— संयुक्त राज्य अमेरिका की या जर्मनी की या फ्रांस की? रंगीन टी० वी० ट्यूब कौन बनायेगा?

श्री वसन्त साठे : महोदय, जहां तक रंगीन टी० वी० तकनीक का सम्बन्ध है, देश में रंगीन टी० वी० शुरू करने के बारे में अभी अन्तिम निर्णय लिया जाना है। इसे शीघ्र ही मंत्रिपरिषद् के सामने प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है। यदि सभा की सहायता से हम रंगीन टी० वी० शुरू कर दें तो इन सभी समस्याओं का शीघ्र ही समाधान हो जायेगा।

श्री विजयराघवन : क्या यह सत्य है कि त्रिवेन्द्रम में प्रस्तावित टी० वी० केन्द्र से मलाबार क्षेत्र के लोगों को लाभ नहीं पहुंचेगा? यदि हां, तो इस क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के लिए क्या कदम उठाये जायेंगे?

श्री वसन्त साठे : जैसा कि मैंने कहा है, यदि माइक्रोवेव प्रणाली के माध्यम से हम इस क्षेत्र तक पहुंच सके तो इस क्षेत्र को भी सम्मिलित किया जा सकता है। आशा है कि सम्भवतः आर० एम० एस० ए० टी० उपग्रह के द्वारा जो कि अप्रैल, 1982 में छोड़ा जा रहा है देश के कुछ अगम्य क्षेत्रों में भी पहुंचा जा सकेगा। हम उस प्रस्ताव का भी अध्ययन कर रहे हैं।

श्री आर० एन० राकेश : मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि टी० वी० एस्टेब्लिश करने के उनके क्या मापदंड हैं? कहीं वह कलर टी० वी० लगा रहे हैं और कहीं कलर-सैंस भी

नहीं । इलाहाबाद प्राइम मिनिस्टर्स सिटी है, 3-3 प्रधान मंत्री वहां से पैदा हो चुके हैं। जहां आप कलरफुल टी॰ वी॰ लगाते हैं, क्या इलाहाबाद कलरलैस टी॰ वी॰ के लिये भी डिजर्व नहीं करता है ?

श्री वसन्त साठे : इलाहाबाद हमारे नुक्ते-नजर में है और जल्दी ही इलाहाबाद का भी इंतजाम हो जायेगा। जैसा मैंने कहा कि दो चीजें हैं······

श्री राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : सिक्स्थ फाइव ईअर प्लान में इसको रख देंगे क्या ?

श्री वसन्त साठे : सिक्स्थ प्लान में तो अभी नहीं। वैसे तो प्लान के आधार पर 1985 में है, लेकिन जैसे मैंने आपको आश्वस्त किया, आप यदि गुमराह न हों, जैसे कुछ सदस्य हैं, इस रंगीन और कलर्ड में खर्चे का कोई सवाल नहीं है। खर्चा ज्यादा नहीं होता है, सवाल है टैक्नोलाजी का। आधुनिक टैक्नोलाजी यदि आप नहीं लेते हैं और पिछड़ी हुई टैक्नोलाजी में फंस जाते हैं तो आगे बढ़ नहीं पाते हैं। इसलिये क्योंकि कैमरा नहीं मिलते, फिल्म नहीं मिलती, कोई चीज नहीं मिल सकती है एक डैड टैक्नोलाजी में, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट अब बन गई है।

अध्यक्ष महोदय : करना है तो अच्छा करना है, नया करना है।

श्री वसन्त साठे : अच्छा ही करना है। जैसा मैंने आपको बताया कि माइक्रोवेव सिस्टम और इनसैट सिस्टम, इन दोनों को हम कर लें तो इलाहाबाद ही क्या, बाकी की जगहों पर भी यह होगा और हम बहुत जल्दी ही टेलीविजन कवर कर लेंगे।

श्री आर॰ एन॰ राकेश : टाइम बता दीजिये।

श्री वसन्त साठे : छठी प्लान में ही हो जायेगा।

श्री आर॰ एन॰ राकेश : छटी प्लान में ही हो जायेगा तो ठीक है। धन्यवाद।

श्री हरिकेश बहादुर : मैं एक छोटा-सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का गोरखपुर में भी एक टेलीविजन केन्द्र स्थापति करने का विचार है, क्योंकि वे आजमगढ़ में टी॰ वी॰ केन्द्र स्थापित करने जा रहे हैं···

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

श्री हरिकेश बहादुर : माननीय मंत्री को कुछ कहने दीजिए। वे कुछ करने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन-ढांचे

***228. श्री पीयूष तिरकी** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए वर्ष 1950 में निर्धारित किए गए वेतन-ढांचे अभी तक जारी हैं;

(ख) क्या गत तीस वर्षों के दौरान उक्त वेतन-ढांचे का पुनरीक्षण किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि करने की कोई मांग की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ग) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के वेतन संविधान की द्वितीय अनुसूची के भाग (घ) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 125 और 221 द्वारा विहित हैं। ये वेतन संविधान के प्रारंभ से लेकर अब तक अपरिर्वातित चले आ रहे हैं। राष्ट्रपति, राज्यपालों तथा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक जैसे अन्य सांविधिक कृत्यकारियों के वेतन भी जो उसी अनुसूची में विहित हैं, इस अवधि के दौरान पुनरीक्षित नहीं किए गए हैं।

यद्यपि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का पुनरीक्षण 1950 से नहीं हुआ है तथापि इस बीच उन्हें अन्य फायदे दिए गए हैं। दिए गए फायदों को बताने वाला एक वितरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(घ) और (ङ) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि करने के अनुरोध हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मद्रास, उड़ीसा, गोहाटी, पटना तथा जम्मू-काश्मीर के उच्च न्यायालयों से प्राप्त हुए हैं। वेतन में वृद्धि के यह अनुरोध सामान्य रूप के हैं और वेतन वृद्धि के लिए कोई ठोस प्रस्ताव उन्होंने नहीं दिए हैं। तथापि मद्रास और गोहाटी उच्च न्यायालयों ने सुझाव दिया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन को आयकर के संदाय से छूट दी जाए। कुछ उच्च न्यायालयों द्वारा कुछ अतिरिक्त फायदों की भी मांग की गई हैं जो मुख्य रूप से सभी उच्च न्यायालल के न्यायाधीशों की पेंशन में वृद्धि, वाहन भत्ते में वृद्धि, सत्कार भत्ते के अनुदान तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की आयु बढ़ाने आदि के संबंध में हैं।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। किन्तु उन्हें मिलने वाले अन्य फायदों जैसे कि सत्कार भत्ता, वाहन भत्ता और कतिपय पेंशन संबंधी फायदों में सुधार के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

विवरण

उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा-शर्तों में 1950 से किए गए सुधार दर्शित करने वाला विवरण

क्र० सं०			उच्च न्यायालय		उच्चतम न्यायालय		टिप्पणियां
			मुख्य न्यायाधिपति	न्यायाधीश	मुख्य न्यायाधिपति	न्यायाधीश	
1.	वाहन भत्ता	1950 में	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
		इस समय	रु० 300.00 प्र० मा०	रु० 300.00 प्र० मा०	रु० 300.00 प्र० मा०	रु० 300.00 प्र० मा०	
2.	सत्कार भत्ता	1950 में	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
		इस समय	रु० 300.00 प्र० मा०	कुछ नहीं	रु० 500.00 प्र० मा०	रु० 300.00 प्र० मा०	
3.	मंहगाई भत्ता	1950 में	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
		इस समय	3.500 रु० और उससे अधिक प्रति मास वेतन प्राप्त करने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्यों को जैसा अनुज्ञेय है।				
4.	वास सुविधा	1950 में	कुछ नहीं	कुछ नहीं	निःशुल्क सुसज्जित वास सुविधा।		
		इस समय	किराया मुक्त सुसज्जित वास-सुविधा तथा जहां वह शासकीय निवास का उपयोग नहीं करता है वहां वेतन के 12½ प्रतिशत की दर से मकान किराए भत्ते के लिए हकदार है।		निःशुल्क सुसज्जित वास सुविधा उपलब्ध की जाती है। इसके अतिरिक्त सरकार प्रति वर्ष 2400 रु० तक के जल और विद्युत प्रभार भी वहन करती है।		
5.	पेंशन	1950 में	(1) अधिकतम रु. 20,000.00 प्रति वर्ष	रु० 16,000.00 प्रति वर्ष	रु० 26,000.00 प्रति वर्ष	रु० 20,000.00 प्रति वर्ष	
			(2) न्यूनतम रु० 6,000.00 प्रति वर्ष	रु० 6,000.00 प्रति वर्ष	रु० 7,500.00 प्रति वर्ष	रु० 7,500 00 प्रति वर्ष	

क्र० सं०		उच्च न्यायालय		उच्चतम न्यायालय		टिप्पणियां
		मुख्य न्यायाधिपति	न्यायाधीश	मुख्य न्यायाधिपति	न्यायाधीश	
	इस समय	(1) अधिकतम रु. 28,000.00 प्रति वर्ष	रु० 22,400 00 प्रति वर्ष	रु० 36,400.00 प्रति वर्ष	रु० 28,000.00 प्रति वर्ष	
		(2) न्यूनतम रु० 8,400.00 प्रति वर्ष	रु० 8,400.00 प्रति वर्ष	रु० 10,500 00 प्रति वर्ष	रु० 10,500.00 प्रति वर्ष	
6. मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान तथा कुटुम्ब पेंशन	1950 में	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
	इस समय	कुटुंब पेंशन उन्हीं आधारों पर अनुज्ञेय है जो केन्द्रीय सरकार के वर्ग 1 के अधिकारियों को लागू हैं। मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान उन्हीं आधारों पर अनुज्ञेय है जो केन्द्रीय सरकार के वर्ग I के अधिकारियों को लागू हैं। किन्तु इसमें उपान्तर यह है कि हकदार होने के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा ढाई वर्ष होगी और यह कि उपदान की संगणना न्यायाधीश के रूप में सेवा के प्रत्येक संपूरित वर्ष के लिए 20 दिन के वेतन की दर से की जाएगी।				
7. सेवा निवृत्त न्यायाधीश के लिए चिकित्सीय सुविधा	1950 में	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
	इस समय	प्रत्येक सेवा निवृत्त न्यायाधीश स्वयं अपने और अपने कुटुंब के लिए उसी चिकित्सीय उपचार का हकदार होगा जो केन्द्रीय सरकार के वर्ग I के सेवा निवृत्त अधिकारियों को उपलब्ध हैं।				
8. छुट्टी यात्रा रियायत	1950 में	कुछ नहीं	कुछ नहीं	उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश दो वर्ष के ब्लाक में एक बार छुट्टी यात्रा रियायत के हकदार थे।		

क्रम सं०	उच्च न्यायालय		उच्चतम न्यायालय		टिप्पणियां
	मुख्य न्यायाधिपति	न्यायाधीश	मुख्य न्यायाधिपति	न्यायाधीश	
२					
इस समय	वह स्वयं अपने और अपने कुटुंब के सदस्यों के लिए अपने राज्य में अपने स्थायी निवास स्थान की यात्रा के लिए दो वर्ष के एक ब्लाक में एक बार अपनी छुट्टियों के दौरान यात्रा रियायत का हकदार होगा।		वह स्वयं अपने और अपने कुटुंब के सदस्यों के लिए अपने राज्य में अपने स्थायी निवास स्थान की यात्रा के लिए एक वर्ष में एक बार अपनी छुट्टियों के दौरान यात्रा रियायत का हकदार होगा। न्यायाधीश और उसकी पत्नी को विमान द्वारा यात्रा करने का विकल्प होगा।		
	उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश स्वयं अपने लिए और अपने कुटुंब के लिए चार वर्ष के एक ब्लाक में एक बार भारत में किसी भी स्थान की यात्रा करने के लिए छुट्टी यात्रा रियायत के हकदार होंगे। वे इस रियायत के उस वर्ष की बाबत जिसमें वह इस रियायत का (भारत में किसी भी स्थान की यात्रा करने की रियायत का) लाभ उठाते हैं, उक्त रियायत के बदले में हकदार होंगे।				

श्री पीयूष तिरकी : क्या मैं माननीय मन्त्री से पूछ सकता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि 1950 में निर्धारित किए गए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के 3,500/- रु० के वेतन का वास्तविक मूल्य इस समय 875/- रु० प्रति माह है ? क्या रुपये के मूल्य में भारी गिरावट को ध्यान में रखते हुए मन्त्री महोदय 1950 में निर्धारित किये गये वेतन को पर्याप्त समझते हैं ?

श्री पी० शिवशंकर : विभिन्न सेवा कर्मचारियों का वेतन, जिनमें न्यायाधीश भी सम्मिलित हैं, विभिन्न सेवाओं के आय ढांचे पर निर्भर करता है, जिसे निर्धारित किया जाना है । वस्तुतः जहां तक फायदों का सम्बन्ध है, मैंने कहा है कि समय-समय पर विभिन्न फायदे दिये गये हैं । हाल ही में 1980 में भी हमने कुछ अन्य फायदे दिये हैं, उदाहरणार्थ मंहगाई भत्ता इत्यादि । अतः अनुषंगी लाभों के प्रश्न पर सरकार का दिमाग खुला हुआ है तथा हम विभिन्न प्रस्तावों पर विचार भी कर रहे हैं।

श्री पीयूष तिरकी : मेरा प्रश्न यह है कि क्या वर्तमान मुद्रा स्फीति की दर पर यह वेतन पर्याप्त है ?

श्री पी० शिवशंकर : मैंने कहा है कि निस्संदेह यह एक विचारणीय प्रश्न है । यदि आप इसको 1950 में रु० के मूल्य के आधार पर देखें तो निश्चित रूप से यह कम है । जैसा कि मैंने कहा है यह विभिन्न सेवाओं के आय ढांचे पर निर्भर करता है ।

श्री पीयूष तिरकी : क्या यह सत्य है कि उच्च न्यायाधीशों में भ्रष्टाचार और दुरव्यवहार का तथा उनके दर्जे, गरिमा, स्वतन्त्रता तथा भ्रष्टाचारहीनता सम्बन्धी उनकी ख्याति मे गिरावट का मुख्य कारण यह है कि न्यायाधीशों का वेतन उतना ही बना हुआ है जो 1950 में निर्धारित किया गया था ?

श्री पी० शिवशंकर : मैं ऐसा नहीं समझता ।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : मन्त्री स्वमं पहले न्यायाधीश थे और उसके बाद वकील बन गये क्योंकि वेतन कम था ।

श्री पी० शिवशंकर : नहीं, बिल्कुल नहीं ।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : ऐसे बहुत से न्यायाधीश हैं जिनकी आय वकालत करते समय 3500/- प्रति माह से अधिक थी, परन्तु न्यायाधीश बनने के बाद उनकी आय कम हो गयी । पहले जब दिल्ली के मजिस्ट्रेट हड़ताल करने जा रहे थे तो मैंने उनका पक्ष लिया था ।

अब मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या न्यायाधीशों का वेतन दुगुना किया जाएगा ताकि बेईमानी को समाप्त किया जा सके । हमारे देश में न्यायाधीश सबसे अधिक निर्धन हैं ।

श्री पी० शिवशंकर : एक वकील की आय को एक न्यायाधीश की आय से सम्बद्ध करना बहुत ही कठिन होगा । इसमें इतनी विषमता है कि एक वकील की आय को एक न्यायाधीश के वेतन के साथ संबद्ध करना कठिन हो जाएगा । किन्तु मुझे न्यायाधीशों के उस वर्ग की सराहना करनी चाहिए जो वकालत के कार्य से उन्नति करके न्यायाधीश बने हैं । बहुत से मामलों में उन्होंने

न्यायाधीश के कार्य को स्वीकार करके निरपवाद रूप से अपने पेशे को न्योछावर कर दिया ताकि इस प्रकार वे राष्ट्र की सेवा कर सकें।

इस प्रकार होता चला आ रहा है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मन्त्रियों सहित ?

श्री पी० शिवशंकर : मैं 'हां' कहने के लिए तैयार हूं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप एक न्यायाधीश थे। इसलिए आपको अवश्य ही जानना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : उन्होंने उच्च न्यायालय से इसलिए त्यागपत्र दिया था क्योंकि वहां वेतन पर्याप्त नहीं था।

श्री पी० शिवशंकर : मैं तो यह समझता हूं कि न्यायाधीश का पद मन्त्री के पद से अधिक लाभप्रद है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : तब आपने त्यागपत्र क्यों दिया ?

श्री पी० शिवशंकर : मैंने आपके प्रश्न के आधार पर न्यायाधीश के पद से त्यागपत्र नहीं दिया था। मेरे मित्र को गलत जानकारी है, क्योंकि मैं जानता था और हर व्यक्ति नियुक्ति के समय यह जानता है कि उसे क्या वेतन मिलेगा और यदि मैं यह कहता हूं कि मैं तब नहीं जानता था, तो मैं उन तथ्यों से अनभिज्ञ था जिन्हें मुझे जानना अपेक्षित है। वह बात नहीं है।

वेतन के दुगने किये जाने के प्रश्न के संबंध में, मेरे विचार में देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति में इस समय वेतन को दुगुना करना कठिन है किन्तु मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि अनुषंगी लाभों के प्रश्न के सम्बन्ध में सरकार बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाती रही है और वह ऐसा करती रहेगी।

श्री चन्द्रजीत यादव : जैसा कि मंत्री महोदय ने ठीक ही कहा है, अभी भी उच्च न्यायालय के अधिकांश न्यायाधीशों को वकीलों में से ही नियुक्त किया जा रहा है और वास्तव में अधिकांश मामलों में प्रमुख वकीलों को ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता हैं। यह न्यायाधीशों को दिये जा रहे कुछ लाभों तथा सुविधाओं का ही प्रश्न तो नहीं है। भारत सरकार तथा राज्य सरकारों ने बहुत से वेतन आयोगों तथा मजूरी आयोगों का गठन किया हैं और अधिकांश अन्य वर्गों के—सरकारी कर्मचारियों तथा दूसरे कर्मचारियों के भी—सम्बन्ध में मूल वेतन में संशोधन किये गये हैं। अन्य वर्गों के वेतन ढांचों में संशोधन किया गया है और उनमें वृद्धि की गई है। वास्तव में कई उच्च न्यायालयों ने विशेष रूप से यह सिफारिश की है कि उनके वेतन को बढ़ाया जाना चाहिये और उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास भी अपनी बात को पहुंचाया है। मैं अपनी व्यक्तिगत जानकारी से यह कहता हूं कि जब भारत के मुख्य न्यायाधीश कुछ न्यायालयों में गये थे, तो इस प्रश्न को उनके समक्ष भी उठाया गया था।

क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले को विधि मंत्रालय अथवा भारत सरकार के साथ उठाया है और इस बात को देखते हुए कि उनके मूल वेतन में वृद्धि की मांग की गई है—यह हो सकता है कि न्यायाधीश कुर्बानी कर रहे हों किन्तु वे एक बहुत ही विशेष श्रेणी से सम्बन्धित हैं, हमारे समस्त राजनीतिक ढांचे में यह श्रेणी बहुत ही महत्वपूर्ण है—क्या सरकार उन्हें अन्य लाभों को देने के साथ-साथ उनके वेतन में संशोधन करने के मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी ? चाहे वह दुगना न किया जाये। परन्तु क्या सरकार इस मामले पर गम्भीरता से विचार करेगी ?

प्रो० एन० जी० रंगा : यह इस सभा के सभी वर्गों से की गई आम मांग है।

श्री पी० शिवशंकर : निस्संदेह यह बात सच है, जैसा कि माननीय सदस्य ने बताने का प्रयास किया है, कि विभिन्न सरकारी अधिकारियों के वेतनमानों में संशोधन करने के लिए समय-समय पर वेतन आयोगों का गठन किया गया था। किन्तु यह बात भी सच है कि जहां तक भारत सरकार के सचिवों का सम्बन्ध है, उनके वेतन को, जो 1946-47 में 4,000/- रुपये था तुरन्त बाद ही कम करके 3,000 रुपये कर दिया गया था और केवल 1965 में ही इसका संशोधन करके इसे 3,500 रुपये किया गया था ताकि भारत सरकार के सचिवों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर वेतन मिल सके। अतः, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि निम्न स्तरों पर वेतनमानों का संशोधन वेतन आयोग के प्रतिवेदनों के आधार पर होता रहा है किन्तु ऐसा उच्च स्तर पर नहीं जैसा कि सचिव अथवा उस जैसी कुछ सेवा वाले अधिकारियों का। मैं इसे उचित नहीं समझता हूं कि उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके वेतनों का संशोधन करने हेतु वेतन आयोग के गठित किये जाने के उद्देश्य से सरकारी कर्मचारियों के समान समझा जाये।

एक अन्य प्रश्न जो मेरे मित्र ने उठाया है वह न्यायाधीशों के वेतन के मामले में मेरे साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा बातचीत करने के संदर्भ में है। वह प्रश्न अभी तक उठाया नहीं गया है। किन्तु जैसा कि मैंने कहा है कि भारत सरकार और उन अनुषंगी लाभों की व्यवस्था करने के प्रश्न के सम्बन्ध में पीछे नहीं रहेगी जिन पर सरकार अब विचार कर रही है। कुछ पहलू भारत सरकार के विचाराधीन हैं। अभी हाल ही में महंगाई भत्ता भी दिया गया है और वह भारत सरकार के सचिव को दिये गये महंगाई भत्ते के बराबर है, चाहे यह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो अथवा उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश। अतः, निश्चय ही इन अनुषंगी लाभों के बारे में समय-समय पर विचार किया जायेगा और भारत सरकार इस मामले के सम्बन्ध में उदारता अपनाये हुये है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या न्यायाधीशों के प्रति न्याय-संगत दृष्टिकोण अपनाते हुए सरकार ने भारत सरकार के वरिष्ठतम अधिकारी अथवा प्रोफेसर के वेतन की तुलना में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन का अन्तर्राष्ट्रीय तुलनाओं के रूप में तथा अनुपातिक रूप में यह निश्चित करने के लिए कोई अध्ययन किया है कि भारतीय न्यायाधीशों के वेतन ढांचे की अधिकारियों के वेतन ढांचे की तुलना में अनुपातिक रूप में क्या स्थिति है ?

श्री पी० शिवशंकर : मेरे विचार में शायद इस प्रकार का अध्ययन लाभदायक न हो। विभिन्न देशों के भिन्न-भिन्न आर्थिक ढांचे हैं और उनकी आर्थिक सम्पन्नता की अपनी-अपनी भिन्न स्थिति है। इसलिए हमारे देश के वेतनों का उन देशों के वेतनों से तुलना करना कठिन है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह अध्ययन आनुपातिक रूप में किया जाना चाहिए न कि शुद्ध रूप से।

श्री पी० शिवशंकर : मैं आपकी बात को समझता हूं।

यदि हमारे देश की आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाती है, तो ऐसा इसका कोई कारण नहीं रह जायेगा कि हम इस बारे में फिर से विचार क्यों न करें। मैं तो इस बात को पसंद करूंगा कि हमें अपने कर्मचारियों के वेतनमानों के संशोधन करने के प्रश्न पर अपने देश की आर्थिक सम्पन्नता के आधार पर विचार करना चाहिये। फिर भी जैसा कि मैंने कहा है कि आनुपातिक रूप में कोई अध्ययन नहीं किया गया है और मेरे विचार से इस प्रकार का अध्ययन थोड़ा बहुत भ्रामक भी रहेगा।

श्री बापू साहिब परूलेकर : मुझे न्यायाधीशों के वेतन को बढ़ाने या उन्हें अधिक लाभ दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह यह नहीं महसूस करते हैं कि 365 में से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के 175 या 185 कार्यदिवस बहुत ही अपर्याप्त हैं? न्यायाधीशों को लाभ देते समय क्या सरकार का विचार कार्यदिवसों को बढ़ाने का भी है? कार्यदिवसों की तुलना में कार्य न करने के दिवसों की संख्या बहुत अधिक है। सरकार इस मामले में क्या कदम उठायेगी ताकि हम न्यायालयों में बकाया कार्य को निपटा सकें?

श्री पी० शिवशंकर : मैं चाहता हूं कि विपक्ष में बैठे मेरे मित्र भारत के मुख्य न्यायाधीश को यह प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए राजी कर लें और हम अपनी ओर से इसका स्वागत करेंगे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप उन्हें राजी करने वाली अपनी शक्तियों का उपयोग क्यों नहीं करते हैं?

प्रो० के० के० तिवारी : मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ है कि 1950 से उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन ढांचों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और मंत्री महोदय यह कहते हैं कि अनुषंगी लाभों में वृद्धि करके उनकी क्षतिपूर्ति करने का प्रयास किया गया है। यदि आर्थिक रूप से उनके वेतन के संशोधन न करने के लिए उनकी क्षतिपूर्ति की जा रही है, तो मुझे इस बात का कोई कारण दिखायी नहीं दे रहा है कि उनके वेतन ढांचे में संशोधन क्यों न किया जाये। जब सरकार न्यायाधीशों को अनुषंगी लाभ दे करके उनके वेतन का संशोधन न करने के लिए उनकी क्षतिपूर्ति कर रही है, तो ऐसी कौन सी बात है जो उसे उनके वेतन ढांचे में संशोधन करने से रोकती है?

श्री पी० शिवशंकर : यह एक नीति संबंधी प्रश्न है । मैंने पहले ही स्थिति स्पष्ट कर दी है कि यह बात विभिन्न सेवाओं के वेतन ढांचे पर निर्भर करती है । अतः, जब हम अनुषंगी लाभ देने का प्रयास कर रहे हैं, तो यह कहना, कि हमें वेतन बढ़ाना चाहिये था, कोई उत्तर नहीं है । ये दो भिन्न-भिन्न पहलू हैं । ये नीति सम्बन्धी मामले हैं जिनके बारे में सरकार निर्णय करती है । इसी दृष्टिकोण से हमने यह सोचा था कि वेतन बढ़ाने की बजाये अनुषंगी लाभों को ही बढ़ाया जाना चाहिये ।

छठी योजना के दौरान मुख्य डाकघरों तथा अन्य डाकघरों के लिये भवनों के निर्माण हेतु राशि का नियतन

*229. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या संचार मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शानेवाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में मुख्य डाकघरों तथा अन्य डाकघरों के लिये भवनों के निर्माण हेतु कुल कितनी राशि का नियतन किया गया है;

(ख) उपरोक्त योजनावधि में कुल कितने मुख्य डाकघरों तथा अन्य डाकघरों के भवनों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है;

(ग) उड़ीसा में, इस समय कितने ऐसे मुख्य डाकघर तथा अन्य डाकघर किराये के भवनों में काम कर रहे हैं;

(घ) उड़ीसा में डाकघरों के लिये कितने भवन निर्माणाधीन हैं; और

(ङ) उड़ीसा में उक्त डाकघर भवनों के निर्माण कार्य को पूरा करने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) योजना आयोग ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान मुख्य डाकघर तथा अन्य डाकघर के भवनों के निर्माण/पुनर्निर्माण/विस्तार के लिए 47.30 करोड़ रुपये के परिव्यय का अनुमोदन किया है ।

(ख) योजना अवधि के दौरान 655 डाकघर भवनों के निर्माण/पुनर्निर्माण/विस्तार का लक्ष्य रखा गया है ।

(ग) 889.

(घ) 15.

(ङ) हाल ही में 2 निर्माण कार्य सौंपे गए हैं । शेष 13 प्रायोजनाओं के संबंध में निर्माण की प्रगति 10% से लगभग 100% के बीच है ।

श्री लक्ष्मण मलिक : महोदय, मंत्री महोदय ने अभी-अभी अपने उत्तर में कहा है कि योजना आयोग ने देश के विभिन्न भागों में 655 डाकघर के भवनों के निर्माण/पुनर्निर्माण/विस्तार के लिए 47.30 करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं ।

यह बात सच है कि निर्माण की लागत और भवन सामग्री के अन्य खर्च भी हाल में बढ़े हैं । अतः, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या भवन सामग्री की बढ़ी हुई लागत को देखते हुये डाकघर भवनों के निर्माण की राशि को बढ़ाने के इस प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा ?

श्री सी० एम० स्टीफन : महोदय, केवल मात्र भवन सामग्री की लागत में वृद्धि हो जाने के कारण से ही भवन कार्यक्रम में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता । हमारा वास्तविक लक्ष्य होते हैं और उन्हें बनाये रखा जा रहा है । 1980-81 में डाकघर भवनों का वास्तविक लक्ष्य 100 का था, हमने 117 पूरे किये हैं । रेल डाक सेवा भवनों का लक्ष्य 5 का था, हमने चार भवनों को पूरा किया है । प्रशासनिक कार्यालय भवनों का लक्ष्य दो का रखा गया था, हमने पांच भवनों को पूरा किया है । स्टाफ क्वार्टरों का लक्ष्य 700 का था, किंतु हमने 508 क्वार्टरों का निर्माण पूरा किया है ।

1981-82 में डाकघर भवनों का लक्ष्य 150 का था । हमने सितम्बर, 1981 तक 69 भवनों को पूरा किया है । रेल डाक सेवा भवनों का लक्ष्य 25 का था, इस अवधि तक हमने आठ को पूरा किया है । प्रशासनिक भवनों का लक्ष्य तीन का था, हमने छ: भवनों के निर्माण को पूरा किया है । स्टाफ क्वार्टरों का लस्य 1200 का था, हमने 180 को पूरा किया है । शेष निर्माणाधीन हैं । अतः, वास्तविक लक्ष्यों को बनाये रखा जा रहा है और लक्ष्य से अधिक कार्य किया जा रहा है ।

एक माननीय सदस्य : अच्छा, अधिक कार्य किया गया है ?

श्री लक्ष्मण मलिक : महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है :— मंत्री महोदय ने कहा है कि उड़ीसा में 889 डाकघर किराये के भवनों में कार्य कर रहे हैं । 15 डाकघर निर्माणाधीन हैं । इस बात को देखते हुये, क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि उड़ीसा में उन डाकघरों के लिए कुल कितने किराये का भुगतान किया गया है ? राज्य के पिछड़ेपन को देखते हुये मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या छठी योजना की अवधि में प्राथमिकता के आधार पर अधिक डाकघरों का निर्माण किया जायेगा ।

श्री सी० एम० स्टीफन : मुझे माननीय सदस्य को यह सूचित करते हुये प्रसन्नता हो रही है कि उड़ीसा उन राज्यों में से एक राज्य है जहां विभागीय आधार पर बड़ी संख्या में भवनों का निर्माण हुआ है । देश में हमारे विभागीय डाकघर भवनों की कुल संख्या 22,305 है जिसमें से 686 मुख्य डाकघर हैं । इन 22,305 भवनों में से सारे देश में सरकारी भवन केवल 2,725 हैं । 686 मुख्य डाकघरों में से विभागीय भवन केवल 510 हैं । महोदय, उड़ीसा में 35 मुख्य डाकघरों में से 26 विभागीय भवन हैं । अन्य क्षेत्रों के बारे में भी स्थिति को बता दिया गया है । 947 अन्य डाकघरों में से 76 विभागीय डाकघर हैं । निर्माण कार्य अच्छी प्रकार से चल रहा है । जब आप यह सोचते हैं कि सारे देश में कुल 22,305 में से केवल 2,727 विभागीय भवन हैं, तो यह अपेक्षाकृत अधिक अच्छी स्थिति है । इसी कारण से मैंने कहा है कि उड़ीसा के साथ अत्य-

धिक पक्षपातपूर्ण ढंग से व्यवहार किया गया है। मैं इस प्रक्रिया को बदलना नहीं चाहता हूं। यह अनुचित पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता रहेगा।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन्होंने यह कहा है कि छठी पंचवर्षीय योजना में यह डाक घरों के भवन निर्माण करने जा रहे हैं, इसलिए किन-किन स्टेटस में कितनी-कितनी धनराशि रखी गई है और क्या हिमाचल प्रदेश में भी डाकघरों के निर्माण के लिए पैसा दे रहे हैं ?

श्री सी० एम० स्टीफन : महोदय, मैं चाहता हूं कि इस विशेष प्रश्न के लिए पूर्व सूचना दी जाये।

फिर भी मैं यह बताना चाहता हूं कि छठी पंचवर्षीय योजना में कुल आबंटित धनराशि 140 करोड़ रुपया है। इसमें से 68 करोड़ रुपया डाकघरों और अन्य प्रतिष्ठानों के लिए होगा और 172 करोड़ रुपया स्टाफ क्वार्टरों के लिए खर्च किया जायेगा। प्रत्येक राज्य को कुछ राशि मिलेगी।

श्री जमीलुर्रहमान : अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विशेषकर पूर्णिया, किशनगंज जिलों और पूर्वी बंगाल के भागों के महत्व को ध्यान में रखते हुए मैं यह बताना चाहता हूं वही पुराने भवनों को अभी तक काम में लाये जा रहे हैं जिन्हें मैंने अपने स्कूल के दिनों में देखा था। लगभग 34 वर्ष बीत चुके हैं और अभी भी यही पुराने भवन चल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप चाहते हैं कि इन्हें गिरा दिया जाये ?

श्री जमीलुर्रहमान : और मुझे मंत्री महोदय के वक्तव्य से पता चला है कि भवनों के लिए 140 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। महोदय, अब बढ़ी हुई आबादी को लाभ पहुंचाने तथा सभी लोगों की आवश्यकताओं को देखते हुये तथा मैंने जो स्थिति बतायी है उसे भी दृष्टिगत रखते हुये क्या मंत्री महोदय हमें यह बता सकेंगे कि मुख्यालय तथा उप-विभागीय क्षेत्रों में कितने मुख्य डाक घर भवनों का निर्माण शुरू किया गया है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में उत्तरी बंगाल में कितने जिला मुख्यालयों को लिया गया है।

श्री सी० एम० स्टीफन : इसका उत्तर वही है। मैं इस प्रश्न के सम्बन्ध में पृथक सूचना चाहता हूं।

हरियाणा में खाना पकाने की गैस की सुविधा

*231. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा राज्य के कितने कस्बों में अब तक खाना पकाने की गैस की सुविधा प्रदान कर दी गई है; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान यह सुविधा कितने कस्बों में प्रदान की जाएगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) हरियाणा के दस कस्बों में कुकिंग गैस (तरलीकृत पेट्रोलियम गैस) की सुविधायें प्रदान की गई हैं।

(ख) चालू वर्ष के दौरान आठ और कस्बों में यह सुविधा दिये जाने की आशा है।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : मैं उन कस्बों के नाम जानना चाहता हूं जिन्हें ये गैस के कनेक्शन दिये गए हैं और उन कस्बों के नाम भी जानना चाहता हूं जिन्हें अभी तक गैस सुविधाओं की व्यवस्था की जानी है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि कुल कितने गैस कनेक्शन दिये गये हैं और नये गैस कनेक्शनों के लिए कुल कितने प्रार्थना पत्र विचाराधीन पड़े हुये हैं। महोदय, यह मेरा पूरक प्रश्न है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : इस समय यह कुकिंग गैस सुविधाओं की व्यवस्था हरियाणा के दस कस्बों में उपलब्ध है। वे कस्बे ये हैं :—

अम्बाला,
बहादुरगढ़,
फरीदाबाद,
गुड़गांव,
हिसार,
करनाल,
पानीपत,
रोहतक,
सोनीपत,
यमुनानगर।

इसके अतिरिक्त 8 और कस्बों में कुकिंग गैस सुविधाओं तथा गैस कनेक्शनों की व्यवस्था कर दी जायेगी। उनके नाम ये है :—

भिवानी,
बल्लभगढ़,
जगाधरी,
जिंद,
कुरुक्षेत्र,
नारनौल,
थानेश्वर,
सिरसा।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : महोदय, मंत्री महोदय का उत्तर पूरा नहीं है। मैंने पूछा है कि कितने कनेक्शन दिये गये हैं तथा कितने प्रार्थना पत्र विचाराधीन पड़े हुये हैं। यह मेरे प्रश्न का दूसरा भाग है। उन्होंने उसका उत्तर नहीं दिया है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : जहां तक दिये गये कनेक्शनों तथा विचाराधीन प्रार्थना पत्रों की संख्या का सम्बन्ध है, मेरे पास इस समय सूचना नहीं है। मैं इसे एकत्र करके माननीय सदस्य को दे सकता हूं।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : कृपया यह बताइए कि कुकिंग गैस कनेक्शन देने के लिए जो मानदण्ड अपनाये गये हैं उनके सम्बन्ध में तथ्य क्या हैं। सरकार ने किन कारणों से यह निष्कर्ष निकाला कि अमुक आवेदक वास्तविक है जिसे गैस कनेक्शन दिया जा सकता है? और, महोदय, कुकिंग गैस के वितरण के हेतु डीलरशिप के आबंटन के प्रश्न का निर्णय करने वाला सक्षम अधिकारी कौन है? मेरे विचार से मेरी धारणा गलत नहीं है। क्या यह तथ्य नहीं है कि इस संबंध में समस्त शक्ति विभाग के नौकरशाहों को तथा अधिकारियों को दी गई है जो जन प्रतिनिधियों की बात नहीं सुनते?

तीसरे में, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या स्वतन्त्रता सेनानियों, राजनीतिक पीड़ितों, अपंग व्यक्तियों तथा सैनिकों की विधवाओं को डीलरशिप के आबंटन में वरीयता दी जाती है?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : कुकिंग गैस की एजेंसी का आबंटन करने हेतु, इस मंत्रालय द्वारा नये मार्गदर्शक सिद्धान्तों को निर्धारित कर दिया गया है। वे निम्नलिखित है।

> अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 25 प्रतिशत, बेरोजगार इन्जीनियरी स्नातकों के लिए 10 प्रतिशत, बेरोजगार स्नातकों के लिए 10 प्रतिशत, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति, युद्ध में अपंग हुये रक्षा कर्मचारी तथा सैनिक विधवाओं के लिए 15 प्रतिशत प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्त्ता, स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए 10 प्रतिशत, और शेष 30 प्रतिशत एजेंसी वाणिज्यिक आधारों पर दी जाती है।

जहां तक डीलरशिप के दिए जाने का संबंध है, इसे कम्पनी पर छोड़ दिया गया है और इस मन्त्रालय ने कम्पनियों को निर्देश जारी किए हैं कि उन्हें एक चयन समिति गठित करनी चाहिए। जिसमें उन्हें प्रत्येक समिति में मन्त्रालय के प्रतिनिधि को भी लिया जाना चाहिए और जहां कहीं भी डीलरशिप अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की गई है, वहां संबंधित राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को भी इस समिति में लिया जाना चाहिए। अतः, यह समिति इन सभी बातों पर विचार करती है और वह प्रार्थना पत्रों को प्राप्त करती है और उम्मेदवारों का साक्षात्कार करती है और योग्यता के आधार पर उम्मेदवारों का चयन करती है।

श्री रामावतार शास्त्री : क्या यह बात सही है कि सरकारी नियम के अनुसार खाना पकाने की गैस की एजेन्सी स्थानीय लोगों को दी जानी है? यदि यह बात सच है तो क्या यह बात भी सच है कि एक जिले में दूसरे जिले के लोगों को एजेन्सी दी जाती है? यदि ऐसी बात है तो नियम का उल्लंघन क्यों किया जाता है?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैंने अभी बतलाया है कि नियम क्या है, रिजर्वेशन कैसे दिया गया है......

अध्यक्ष महोदय : जिन को एजेन्सी दी जाती है, ये उनकी बात कर रहे हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : मैंने शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के रिजर्वेशन की बात नहीं कही है। मैंने जैनरल कहा है—एक जिले के आदमी को दूसरे जिले में एजेन्सी देते हैं, लोकल को नहीं देते हैं।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मामनीय सदस्य का यह कहना कि एक जिले के एप्लीकेन्ट को अगर दूसरे जिले में एप्लीकेशन देता है तो उसको डीलरशिप या एजेन्सी दी गई है —मुझे ऐसा मालूम नहीं है। मुझे यह भी मालूम नहीं है कि एक जिले का एप्लीकेन्ट अगर दूसरे जिले में एप्लीकेशन देता है तो वह डिसक्वालिफिकेशन होता है या नहीं होता है। ऐसी कोई मिसाल आपके पास है तो मेरी नालिज में लाइये, मैं उसको देख सकता हूं।

श्री जी० एम० बनातवाला : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने मार्गदर्शक सिद्धान्तों को पढ़ने की कृपा की है। उन्हें कुकिंग गैस की डीलरशिप को आवंटित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। यह तथ्य को देखते हुए कि सरकार प्रायः और बार-बार यह आश्वासन देती रही है कि अल्प संख्यकों के कल्याण का ध्यान रखा जायेगा, तो जहां तक कुकिंग गैस के डीलरों की नियुक्ति का संबंध है, क्या सरकार इस सभा को यह आश्वासन देगी कि अल्प संख्यकों, विशेषकर मुसलमानों से प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर उचित ध्यान दिया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न संगत नहीं है। इस प्रश्न का संबंध उस मुद्दे से नहीं है जो उठाया है।

श्री जी० एम० बनातवाला : क्या मैं यह समझ लूं कि मन्त्री महोदय इस संबंध में कुछ भी कहने के लिये तैयार नहीं हैं ? चूंकि मार्गदर्शक सिद्धान्तों को सामान्य रूप से तैयार किया गया है, इसलिए मैंने एक सामान्य प्रश्न पूछा है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैंने पहले ही मार्गदर्शक सिद्धान्तों को पढ़ दिया है और विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित प्रतिशत एजेन्सियों के बारे में भी बता दिया है। मार्गदर्शक सिद्धान्तों से यह विल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि अल्प संख्यकों के लिए कोई आरक्षण नहीं किया गया है। वाणिज्यिक आधार पर 30 प्रतिशत का आरक्षण किया गया है। इस 30 प्रतिशत में यदि अल्प संख्यकों के उपयुक्त उम्मेदवार होंगे, तो योग्यता के आधार पर निश्चित रूप से उनके प्रार्थना-पत्रों पर विचार किया जाएगा।

श्री नीरेन घोष : क्या मन्त्री महोदय इस बात से अवगत हैं कि यदि बम्बई में आप घूस के रूप में 3000/- रुपया दे देते हैं......

अध्यक्ष महोदय : यह बात इस प्रश्न से पैदा नहीं होती है।

जहरीली कीटनाशी और प्रतिजीवाणु औषधियों का विपणन

*232. **श्री हीरालाल आर० परमार** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी निर्माता हानिकारक और अपने देशों में निषिद्ध औषधियों को तीसरे विश्व के देशों में बड़ी मात्रा में भेज रहे हैं और इस प्रकार गरीब देशों को विष दिया जा रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि जहरीली कीटनाशी और प्रतिजीवाणु औषधियां विकासशील देशों के बाजारों में भेजी जा रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) यह रिपोर्ट मिली है कि जिन कीटनाशियों और प्रतिजीवियों के प्रयोग पर विकसित देशों में प्रतिबन्ध है, उसका अन्य विश्व देशों को निर्यात किया जाता है ।

जहां तक कीटनाशियों का संबंध है, भारत में उनके प्रयोग, निर्माण और आयात को कीटनाशी अधिनियम के अन्तर्गत विनियमित किया जाता है । पेस्टीसाइड्स के प्रयोग की अनुमति देने से पूर्व अधिनियम के अन्तर्गत गठित पंजीकरण समिति भारतीय परिस्थितियों के संदर्भ में, सुरक्षा, विषैलेपन जैसे सभी संगत पहलुओं पर ध्यान देती है । पंजीकरण समिति द्वारा भारत में जिन प्रतिजीवियों के प्रयोग का अनुमोदन नहीं किया जाता है, उसके आयात की अनुमति नहीं दी जाती है ।

इसी प्रकार, जहां तक प्रतिजीवियों का संबंध है, औषध नियंत्रक द्वारा औषध और प्रसाधन अधिनियम के अन्तर्गत भारत में उनके प्रयोग और आयात को नियमित किया जाता है । जिस औषध को औषध नियंत्रक मन्जूरी नहीं देते उसको भारत में आयात नहीं किया जा सकता है ।

श्री हीरालाल आर० परमार : मेरा पूरक प्रश्न नहीं है ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मन्त्री महोदय ने कहा है कि इस प्रकार की कीटनाशी तथा प्रतिजीवाणु औषधियों के आयात पर कुछ नियंत्रण है । समाचार पत्रों की रिपोर्टों के अनुसार इस प्रकार की कीटनाशी तथा प्रतिजीवाणु औषधियों, जिन पर विकसित देशों में प्रतिबंध लगा हुआ है, भारत में आती हैं, ऐसा क्यों होता है और संबंधित अधिकारियों के ध्यान में ऐसी बातें क्यों नहीं आतीं ? यदि ये संबंधित अधिकारियों के ध्यान में आती हैं तो विकशित देशों में प्रतिबंधित औषधियां भारत में कैसे और क्यों उपलब्ध होती हैं और उन्हें क्यों बिकने दिया जाता है ।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : समाचार पत्रों की रिपोर्टों के अनुसार फोसबेल तथा डी० ई० सी० पी० नामक दो औषधियों के हानिकारक प्रभाव हैं और इन पर संयुक्त राज्य अमरीका में प्रतिबंध

लगाया गया है। जहां तक हमारे देश का संबंध है, इस प्रकार की औषधियों का आयात के लिए अनुमति नहीं है। यदि माननीय सदस्य किसी विशेष कीटनाशी औषधि का कोई उदाहरण दें, तो मैं उत्तर दे सकूंगा।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : उस दिन समाचार पत्र में यह समाचार छपा था कि एक बहुत विख्यात चिकित्सा व्यवसायी *......

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए अनुमति नहीं है।

मध्य प्रदेश में तारों के वितरण में विलम्ब

*234. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश राज्य में विशेषकर पिछड़े तथा आदिवासी जिलों में तारों के पारेषण और वितरण में असाधारण विलम्ब होता है;

(ख) क्या इसका कारण प्रचालन कर्मचारियों की भारी कमी, रिक्त पदों का न भरा जाना, संचालन की पुरानी पद्धति, सर्किट की अकुशल उपलब्धता, वैकल्पिक (स्टैन्ड-बाई) इंजिनों का न होना तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी का अभाव है; और

(ग) मध्य प्रदेश राज्य में तारों के अद्यतन पारेषण और वितरण को सुनिश्चित करने के लिए उपर्युक्त प्रत्येक कमी को दूर करने हेतु क्या विशिष्ठ कदम उठाए गए हैं ?

संचार मन्त्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) मध्य प्रदेश में कुछ पिछड़े और पहाड़ी क्षेत्रों में तारों के पारेषण एवं वितरण में बिलम्ब होता है।

(ख) सर्किट की अपर्याप्त उपलब्धता, प्रचालन स्टाफ की कमी, तथा मुख्यतः बिजली की सप्लाई में अस्थिरता को इसके निमित्त कारणों के रूप में पाया गया है।

(ग) जो उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं, वे इस प्रकार हैं :—

(1) प्रचालन स्टाफ की कमी को व्यापक भर्ती और प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा पूरा किया जा रहा है। अंशकालिक सेवा कर्मचारियों की नियुक्ति और आरक्षित पूल का सृजन भी किया गया है;

(2) यू० एच० एफ० तथा कैरियर प्रणालियों जैसी अधिक विश्वसनीय पारेषण प्रणालियों की संस्थापना द्वारा सर्किट की उपलब्धता में सुधार किया जा रहा है।

(3) तारघरों में अतिरिक्त बिजली सप्लाई की व्यवस्था को चरणबद्ध रूप से मजबूत किया जा रहा है।

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

डा. वसंत कुमार पंडित : मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी होनी चाहिये कि बम्बई तथा बम्बई और मध्य प्रदेश के बीच तारों तथा डाक वस्तुओं के वितरण में असाधारण विलम्ब के कारण एक टैक्सी कैरियर सेवा चल रही है। यह विभिन्न पार्टियों से तार, ड्राफ्ट तथा बीमा पत्र एकत्र करती है और बम्बई से चलकर इन्दौर जाती है और बम्बई-भोपाल, और बम्बई-जब्बलपुर के बीच चलती है। डाक तथा तार विभाग की बहुत सी डाक प्राईवेट कैरियर तथा टैक्सी वाले ले जाते हैं। इससे समूची तार सचालन व्यवस्था की चिंताजनक तथा बिगड़ती स्थिति का पता चलता है। तारों के आने तथा उनके वितरण में असाधारण विलम्ब होता है। मंत्री महोदय के विवरण में तथ्यों की कमी है क्योंकि बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा दिल्ली जैसे बड़े शहरों के अतिरिक्त, हम भी सारे मध्य प्रदेश में तारों के वितरण में असाधारण विलम्ब का अनुभव कर रहे हैं। कभी कभी तारें तथा चिट्ठियां 15 दिनों के बाद इकट्ठे ही पहुंचती हैं। तार-व्यवस्था की कार्यकुशलता समाप्त हो चुकी है।

अंत: मेरे प्रश्न का सामान्य प्रकार का उत्तर देने की बजाय क्या मंत्री महोदय आंकड़े देकर बतायेंगे कि मध्य प्रदेश में कितने स्थान रिक्त हैं, कितने स्थान भरे जा रहे हैं, आरक्षित पूल की वास्तविक कर्मचारी संख्या क्या है, कितनी संख्या के बारे में निर्णय किया गया है, इस समय कर्मचारियों की संख्या क्या है और पुरानी मशीनों को कब तक बदला जायेगा।

यदि वे हमें समयबद्ध कार्यक्रम बतायें तो हम संतुष्ट हो जायेंगे कि सरकार इस बारे में कुछ करना चाहती है। जहां तक बैटरियों का सम्बन्ध हैं, वे पूर्णत: डिस्चार्ज तथा पुरानी हैं और वे काम नहीं कर रही हैं। अत: हम कई स्थानों पर देखते हैं कि केवल उपकरणों की कमी के कारण तार नहीं भेजे जा सकते। अत: क्या सरकार उपकरणों का आधुनिकीकरण करेगी? इन्होंने अपूर्ण उत्तर दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में मार्च 1981 से पहले कितने पद भरे जायेंगे, आरक्षित पूल में कर्मचारियों की सख्या क्या है और पुरानी मशीनरी को बदलने के लिये क्या किया जायेगा।

श्री सी० एम० स्टीफन : रिक्त स्थानों के बारे में स्थिति यह है कि 475 टेलीग्राफिस्टों के स्थान स्वीकृत हैं। इनमें से 398 भरे हुये हैं, 77 स्थान रिक्त हैं, 46 प्रशिक्षणाधीन हैं, आरक्षित पूल में 40 शार्ट-डिउटी ओपरेटर काम कर रहे हैं। अतः 77 स्थानों के बदले 88 स्थानों के लिये भर्ती की गयी है जिनमें से 46 प्रशिक्षणाधीन हैं।

टेलीग्राफिक क्लर्कों की कुल संख्या 495 है, जिनमें से 435 काम पर लगे हैं, 51 स्थान रिक्त हैं, 24 प्रशिक्षणाधीन हैं और 12 शार्ट डिउटी ओपरेटर हैं। समूची संख्या की भर्ती हो चुकी है।

पोस्टल सिगनलरों के पदों की कुल संख्या 666 है। 586 पद भर दिये हैं, 80 स्थान रिक्त हैं, 53 प्रशिक्षणाधीन हैं। हम शार्ट डिउटी ओपरेटरों की भर्ती पूरी नहीं कर सके क्योंकि जिन लोगों को पदोन्नत किया जाना था, वे योग्यता परीक्षा पास नहीं कर सके। अत: एक परीक्षा और लेनी पड़ेगी। इसी कारण मैंने कहा है कि जोरदार भर्ती कार्यक्रम चलाया गया है और उन पदों को भरा जा चुका है।

जहां तक उपकरणों का सम्बन्ध है, इनका प्रश्न मुख्यत: पिछड़े तथा आदिवासी क्षेत्रों के बारे में था। पिछड़े और आदिवासी क्षेत्र दूरस्थ क्षेत्रों में हैं। अत: आधुनिकतम प्रौद्योगिकी उपकरण वहां नहीं लगाये जा सकते। उन्हें केवल मिलेजुले डाकघरों द्वारा ही चलाया जा सकता है। प्रयत्न अधिक से अधिक क्षेत्रों के लिये किये जा रहे हैं। उदाहरणार्थ, मार्च 1981 में जनजाति क्षेत्रों में 146 मिलेजुले डाकघर थे। उसकी तुलना में, पिछले 8 महीनों के दौरान, अतिरिक्त डाकघर खोले गये और 146 की तुलना में आज संख्या 225 है। मार्च में पिछड़े क्षेत्रों में इनकी संख्या 329 थी। आज यह संख्या 475 है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे मिलेजुले डाकघर कार्यकुशलता से काम कर सकते हैं क्योंकि वे डाकघर केवल कुछ ही सीमित अवधि तक काम करेंगे। यह 24 घंटे काम करने वाला क्षेत्र नहीं है। वहां भी संदेश ओवर-वायर प्रणाली द्वारा जाता है। अब रेडियो ट्रांसमिशन सिस्टम द्वारा जहां तक भी सम्भव हो इस काम को चलाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। अत: यू० एच० एफ० प्रणाली को लागू किया जा रहा है। इसकी व्यवस्था योजना में की गयी है। इसमें समय लगेगा। लेकिन आधुनिकतम प्रौद्योगिकी को लागू किया जा रहा है। जहां तक पिछड़े और जनजाति क्षेत्रों का सम्बन्ध है, इसके लिये अधिकतम ध्यान दिया जा रहा है लेकिन आपको यह बात माननी चाहिये कि कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण कुछ प्रौद्योगिकी संबंधी बाधायें हैं, वहां कुछ दुर्गम क्षेत्र हैं कुछ पहाड़ी क्षेत्र हैं, और हमें ओवर-हैड तारों द्वारा काम चलाना पड़ता है। कुछ बाधायें हो सकती हैं और इसी कारण विलम्ब हो सकता है और इसी कारण यह बात मानी गयी है कि इसमें विलम्ब होता है। लेकिन मुझे एक वाक्य और कहना है। जहां तक मध्य प्रदेश का संबंध है वहां 112 टेलीग्राफ सर्कट काम कर रहे हैं और तार की कार्यकुशलता 71 प्रतिशत है जो काफी अच्छी है, बहुत बुरी नहीं, हालांकि इसमें और सुधार हो सकता है।

डा० वसंत कुमार पंडित : मैं एक पिछड़े निर्वाचन क्षेत्र से आता हूं जिसमें राजगढ़, गुना और विदिशा के पिछड़े जिले भी हैं।

श्री सी० एम० स्टीफन : क्या कहा ?

डा० वसंत कुमार पंडित : मैं एक बहुत ही पिछड़े क्षेत्र से आता हूं जिसमें मध्य प्रदेश के राजगढ़, गुना तथा विदिशा जिले भी शामिल हैं। पूछताछ द्वारा मुझे पता चला है कि इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अन्य विकल्प के लिए कोई प्रबन्ध नहीं हैं। सर्कट की स्थिति पुरानी ब्रिटिश प्रणाली ही की तरह है और सरकार ने सर्कट की उपलब्धता में सुधार करने के लिये कुछ भी नहीं किया है। मैं जानना चाहता हूं कि इस बारे में क्या किया गया है ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : इन्हें तार की भाषा में उत्तर देने के लिये कहें।

श्री सी० एम० स्टीफन : जहां तक राजगढ़ का सम्बन्ध है हम उस दफ्तर को जिला तार घर के रूप में बदल रहे हैं। इसकी स्वीकृति हो चुकी है। लेकिन कठिनाई यह है कि वहां बिजली फेल हो जाती है। अगस्त में 120 घंटे बिजली फेल हुई और सितम्बर में 120 घंटे फेल हुई और खुली तार 165 है। बिजली फेल होने की ऐसी स्थिति में भगवान भी इस प्रकार की स्थिति को

ठीक नहीं कर सकता। हम वैकल्पिक प्रबन्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह बिजली की उपलब्धता पर निर्भर है जो मेरे हाथ में नहीं है। भगवान के जिक्र की बात को मैं वापिस लेता हूं। मेरा तात्पर्य यह था कि इस प्रकार बिजली फेल होने की स्थिति में तार प्रेषण की व्यवस्था करना बहुत कठिन हो जाता है।

श्री राजेश पाईलट : अध्यक्ष महोदय, बैरंग पत्र समय पर पहुंचता है और वह पिछड़े क्षेत्रों में जरूर पहुंच जाता है। जब हम बिना टिकट लगे पत्रों के लिये उस प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं तो हम आम डाक के लिये भी उस प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं ताकि वे भी समय पर पहुंचें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : डा० रामगोपाल रेड्डी।

श्री सी० एम० स्टीफन : क्या प्रश्न टिकट वाले पत्रों के बारे में है या तारों के बारे में है ?

अध्यक्ष महोदय : श्री रामगोपाल रेड्डी।

सुपर तापीय बिजली घरों का कार्यकरण

*235. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम ने सिंगरोली, कोरबा और रामागुण्डम में प्रत्येक 500 मेगावाट के सुपर तापीय बिजली घरों की स्थापना का निर्णय किया है;

(ख) देश में इस समय कितने स्थानों पर 500 मेगावाट के तापीय बिजली घर कार्यरत हैं और उन स्थानों के नाम क्या हैं तथा उनका कार्यकरण कितना संतोषजनक है;

(ग) क्या यह भी सच है कि यदि इन प्रमुख तापीय बिजली घरों में एक भी खराब हो जाता है; तो इससे समस्त विद्युत ग्रेड अस्त-व्यस्त हो जाएगी और देश को काफी बड़ी हानि होगी; और

(घ) यदि हां, तो इन विद्युत एककों के 100 प्रतिशत संतोषजनक कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम क्या सुरक्षात्मक कदम उठा रहा तथा सावधानी बरत रहा है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां। सिंगरोली, कोरबा और रामागुण्डम में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा स्थापित किए जा रहे सुपर ताप विद्युत केन्द्रों में 500-500 मेगावाट के यूनिटों की प्रतिष्ठापना करना शामिल है।

(ख) देश में 500-500 मेगावाट के यूनिट अभी तक चालू नहीं किए गए हैं।

(ग) नियोजित अनुरक्षण तथा जबरन बन्दियों की संभाव्यता के कारण किसी विशेष उत्पादन यूनिट की अनुलब्धता का ध्यान विद्युत संबंधी आयोजना बनाने में रखा जाता है और इसके लिये व्यवस्था की जाती है।

(घ) विद्युत केन्द्रों के अभिकल्प में अद्यतन प्रौद्योगिकी को समाविष्ट करके, निर्माण, उत्पादन तथा चालू करने में गुणवत्ता सुनिश्चित करके तथा अपने प्रचालन और अनुरक्षण स्टाफ के प्रशिक्षण के लिए विस्तृत कार्यक्रम अपनाकर रा० ता० वि० नि० 500-500 मेगावाट के यूनिटों सहित अपने ताप विद्युत केन्द्रों के दक्षतापूर्ण कार्यकरण की सुनिश्चितता के लिए सभी उपाय कर रहा है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : यह तापीय स्टेशन कब तक शुरू किया जा रहा है और वह कब तक पूरा होने जा रहा है ?

श्री विक्रम महाजन : 500 मेगावाट एकक का पहला स्टेशन 1987 में चालू हो जायेगा और दूसरा 1987-88 में होगा। कोर्बा—एक 1986-87 में, दूसरा 1987-88 में और तीसरा 1988-89 में तैयार हो जायेगा। रामगुंडम—एक 1987-88 में, दूसरा 1988-89 में तथा तीसरा 1989-90 में पूरा हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न-काल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सरकारी क्षेत्र में उर्वरक संयंत्रों की क्षमता का उपयोग

*227. **श्री आर० के० महालगी** :

श्री मोहम्मद असरार अहमद : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उर्वरक संयंत्रों की संयंत्र-वार अधिष्ठापित क्षमता जितनी है;

(ख) वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 में इन एककों ने अपनी क्षमता का कितना उपयोग किया; और

(ग) निर्माणाधीन उर्वरक परियोजनाओं की डिजाइन, क्षमता प्रारम्भिक तथा नवीनतम लागत-अनुमान और उनके चालू होने की लक्षित तारीख क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाशचन्द सेठी) : (क) और (ख) अपेक्षित ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण-एक सभा पटल पर प्रस्तुत है।

(ग) अपेक्षित ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण-दो सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण—एक

सरकारी क्षेत्रीय उर्वरक प्लांटों से संबन्धित वर्ष 1979-80 और 1980-81 के दौरान प्लांटवार क्षमता और क्षमता उपयोग वर्शाने वाला विवरण

प्लांट का नाम	नाइट्रोजन क्षमता (000 टन)	क्षमता उपयोग 1979-80	(प्रतिशत) 1980-81
सिन्दरी	219	21·1	10·5
गोरखपुर	131	39.0	45.6
रामागुण्डम	228	—	27.9
तालचर	228	—	7.0
नागल-1	80	79.6	64.2
नागल-2	152	44.1	47.2
भटिण्डा	235	44.9	42.4
पानीपत	235	55.0	29.0
नामरूप-1	45	62.9	56.7
नामरूप-2	152	33.0	—
दुर्गापुर	152	35.2	23.1
बरौनी	152	30.6	30.6
उद्योगमण्डल	82	62.2	51.2
कोचीन-1	152	63.8	74.5
कोचीन-2	40	37.5	37.7
ट्राम्बे	90	95.1	95.4
ट्राम्बे-4	75	55.1	68.4
मद्रास	176	79.5	93.1
राउरकेला	120	43.7	29.8
नेबली	70	68.3	88.1
उप उत्पाद	24	87.5	67.9
	पी-2 ओ-5		
सिन्दरी	150	11.2	12.0
उद्योगमण्डल	44	64.5	48.4
कोचीन-2	114	35.7	34.4
ट्राम्बे	45	85.1	87.8
ट्राम्बे-4	75	55.1	68.4
मद्रास	112	80.2	92.8
खेतरी	90	5.0	6.2
एस. एस. पी. यूनिट	35	38.6	31.4

विवरण-दो

परियोजना का नाम	क्षमता (000 टन) पोषक तत्व का 000 टन)	प्रारंभिक	अद्यतन उपलब्ध	चालू होने की संभावित तिथि
1	2	3	4	5
हल्दिया	1.50.900 (नाइट्रोजन) 75,000 (पी०-2 ओ०-5)	88.03	281.96	अप्रैल 1982
ट्राम्बे-I	1,51,800 (नाइट्रोजन)	111.40	166.09	जनवरी, 1982
नामरूप-III	1,52,000 (नाइट्रोजन)	168.43	239.15	नवम्बर, 1984
थाल	6,83,000 (नाइट्रोजन)	511.34	732.60	अगस्त/सितम्बर 1982 (प्रथम चरण) दिसम्बर 1984 (द्वितीय चरण)
हाजिरा	6,68,000 (नाइट्रोजन)	622.90	960.00	मार्च, 1985 (प्रथम चरण) मार्च, 1986 द्वितीय चरण)
पारादीप	1,17,360 (नाइट्रोजन) 3,00,000 (पी०-2 ओ०-5)	183.64	183.64	जनवरी, 1985 (प्रथम चरण) फरवरी,1986 (द्वितीय चरण)
भडौच (गुजरात) नरमदा वैली फर्टि-लाइजर कंपनी)	2,73,000 (नाइट्रोजन)	225.00	445.00	दिसम्बर, 1981

1	2	3	4	5
टूटीकोरिन (इक्सपेन्सन)	27,000 (नाइट्रोजन) 70,000 (पी०-2 ओ०-5)	13.60	13.60	जनवरी, 1983
गोआ (इक्सपेन्सन)	16,435 (नाइट्रोजन) 42,000 (पी०-2 ओ–5)	7.50	7.50	जुलाई 1984
दीपक नाइट्रेट	50,000 (नाइट्रोजन)	41.00 (51.2 मिलियन) अमेरिकी डालर	41.00 (51.2 मिलियन) अमेरिकी डालर	मध्य-1982

विद्युत उपकरणों का आयात

***230 श्री चिंतामणि जेना :**

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 9 नवम्बर, 1981 के 'दी हिन्दुस्तान टाइम्स' में "पावर इक्विपमेंट मे बी इम्पोर्टेड" (विद्युत उपकरणों का आयात किया जा सकता है) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार ध्यान में आया है;

(ख) यदि हां, तो विदेशों से विद्युत उपकरणों का आयात करने के क्या कारण हैं;

(ग) गत वर्ष भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० तथा अन्य स्वदेशी निर्माता कितनी बार विद्युत उपकरण मांगों के अनुसार सप्लाई नहीं कर सके; और

(घ) सरकार का विचार किन-किन देशों और फार्मों से विद्युत उपकरणों का आयात करने का है और उस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की जायेगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां। इस सम्बन्ध में हमारी सामान्य नीति यह है कि देश की मांग देशी निर्माताओं से और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्ज लि० और आई० एल० के० जैसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से पूरी करनी है । इसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अनुसूचित समय में सुपुर्दगी हो और गुणवत्ता नियंत्रण हो।

(ख) और (घ) विद्युत परियोजनाओं के लिए उत्पादन उपस्करों की सप्लाई के लिए आर्डर सामान्यत: स्वदेशी निर्माताओं को ही दिए जाते हैं। तथापि निम्नलिखित प्रकार के मामलों में सरकार आयात करने का निर्णय लेती है :—

(1) विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाओं के ऐसे मामले में जिनके लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोलीदाताओं के जरिए उपस्कर करना आवश्यक होता है और जहां पर कि विदेशी पार्टी की बोली स्वदेशी निर्माताओं की बोलियों की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धात्मक हो।

(2) अन्य देशों के साथ हुए द्विपक्षीय समझौतों के अनुसार, सहायता कार्यक्रमों के अन्तर्गत सहायता प्राप्त कर रही परियोजनाओं के मामले में यहां पर सहायता प्राप्त करने की शर्त यह होती है कि उपस्कर उसी विशेष देश से आयात किया जाए।

(3) जहां पर परियोजनाओं के लिए अपेक्षित विशेष प्रकार की मशीनों के लिए स्वदेशी निर्माताओं के पास प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं होती।

(4) जहां पर अपेक्षित उपस्कर भारत हैवी इले० लि० तथा स्वदेशी निर्माताओं की निर्माण सीमा से बाहर होता है।

(5) विस्तार की कुछ परियोजनाओं के मामले में जहां पर पहली आयातित मशीनों के साथ कुछ और मशीनों के लगाने की आवश्यकता होती है और परियोजना में उपस्करों की एकरूपता होना वांछनीय समझा जाता है।

(6) उन मामलों में जहां स्वदेशी निर्माता उपस्कर की सप्लाई उस समय अवधि में करने की स्थिति में नहीं हो तो जिस समय अवधि में परियोजना को चालू किया जाना हो तथा समय से पहले डिलीवरी को आवश्यक समझा गया हो।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान आयात नीति के अंतर्गत राज्य विद्युत बोर्डों को यह अनुमति दी गई है कि विद्युत उपकरणों के लिए वे विश्वव्यापी निविदाएं आमंत्रित करें। इसके बाद इन पर भारी उद्योग विभाग की शक्ति सम्पन्न समिति द्वारा विचार किया जाता है और सभी संबंधित बातों पर विचार करते हुए गुण-दोष के आधार पर फैसला किया जाता है।

निम्नलिखित मामलों में, संबंधित देशों के साथ हुए सहायता समझौतों के अन्तर्गत विद्युत उपस्करों का आयात करने का प्रस्ताव है :—

	परियोजना का नाम	क्षमता	राज्य	किस देश से आयात करने का प्रस्ताव है
1.	वैधन्	6 × 200 मेगा०	केन्द्रीय क्षेत्र (रा. ता. वि. नि.)	यू. एस. एस. आर.
2.	कुन्डाह बिजलीघर-5	1 × 20 मेगा०	तमिलनाडु	कनाडा
3.	लोअर मैसूर	8 × 15 मेगा०	तमिलनाडु	जापान
4.	लोअर बोरपानी	2 × 50 मेगा०	असम	जापान
5.	नागार्जुन सागर पी. एस. एस. चरण-दो	3 × 100 मेगा०	आंध्र प्रदेश	जापान
6.	हीराकुन्ड विस्तार	1 × 37.5 मेगा०	उड़ीसा	जापान

(ग) विद्युत परियोजनाओं को क्रियान्वित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों सहित राज्य बिजली बोर्डों तथा अन्य संगठनों ने विद्युत उत्पादन उपस्करों की सप्लाई हेतु भारत हैवी इले० लि० तथा अन्य स्वदेशी निर्माताओं के साथ अनुबंध किया है। सरकार की जानकारी में ऐसा कोई मामला नहीं लाया गया है जहां औपचारिक अनुबंध कर लेने के बाद निर्माताओं ने विद्युत उत्पादन उपस्कर की सप्लाई न की हो। तथापि, कई मामलों में, अनुबंध में निर्धारित समय सूची के अनुसार सप्लाई करने में विलम्ब हुए हैं।

सोडा ऐश के उत्पादन के लिए राजस्थान में संयंत्रों की स्थापना

*237. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में बहु खनिज भण्डार हैं और सोडा ऐश के उत्पादन के लिये वहां बड़ी आसानी से संयंत्र स्थापित किये जा सकते हैं; और

(ख) यदि हां, तो सोडा ऐश के लिये राजस्थान में संयंत्र स्थापित करने के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाशचन्द्र सेठी) : (क) सोडा ऐश के निर्माण के लिए लवण एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण ने राजस्थान में राक साल्ट के बड़े भंडारों की सूचना दी है। खान के स्वरूप और उसके लागत मुद्दों पर अभी व्यापक अध्ययन किया जाना है।

(ख) राजस्थान में सोडा ऐश के निर्माण के लिए यदि कोई आवेदन पत्र प्राप्त हुआ तो उस पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा।

इस्लामपुर में तापीय विद्युत एककों के लिए पश्चिम बंगाल का प्रस्ताव

*238. **श्री आनन्द पाठक** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्लामपुर में 60 मेगावाट की अलग-अलग क्षमता वाले चार तापीय विद्युत एककों की स्थापना करने के पश्चिमी बंगाल सरकार के प्रस्ताव को केन्द्र ने मंजूर नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) 240 मेगावाट (4×60 मेगावाट) की प्रतिष्ठापित क्षमता का एक ताप विद्युत केन्द्र घूमदागी (पश्चिम बंगाल के पश्चिम दीनाजपुर जिले में) प्रतिष्ठापित करने के लिए पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड से जनवरी, 1979 में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। रिपोर्ट में रानीगंज कोयला क्षेत्रों से कोयले की सप्लाई की परिकल्पना की गई थी। यहां पर अपर्याप्त कोयला उपलब्ध होने की संभावना नहीं

है । कार्य स्थल के संबंध में, 1000 वर्ष तक की बाढ़ आवर्तिता उच्चतम बाढ़ स्तर आदि के बारे में और अन्वेषण कार्य किए जाने थे । विद्युत केन्द्र में उपयोग किये जाने के लिए जल की पर्याप्त उपलब्धता के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार से पुष्टि संबंधी सूचना प्राप्त नहीं की गई थी। परियोजना प्राधिकारियों को इन कमियों के बारे में सूचित कर दिया गया था और चूंकि उनसे कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था इसलिए प्रस्ताव पर आगे कार्रवाई नहीं की जा सकी तथा मार्च, 1981 में परियोजना प्राधिकारियों को प्रस्ताव लौटा दिया गया था ।

अजमेर में दूरदर्शन रिले केंद्र की स्थापना

*239. **आचार्य भगवान देव** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को राजस्थान सरकार से कोई प्रस्ताव मिला है जिसमें दूरदर्शन रिले केन्द्र की स्थापना के लिए सभी सुविधाएं देने की पेशकश की गई है और क्या अजमेर में इसकी स्थापना के लिए स्थान भी सुझाया गया है;

(ख) यदि हां, तो यदि पंचवर्षीय योजना में इसके लिए धन की व्यवस्था करने में कोई कठिनाई है, तो क्या सरकार दूरदर्शन के पास उपलब्ध व्यपगत न होने वाली विपुल धनराशि का उपयोग अजमेर में दूरदर्शन रिले की स्थापना के लिए करने पर विचार कर रही है जिसके बारे में उन्होंने त्रिवेन्द्रम दूरदर्शन केन्द्र का शिलान्यास करते समय उल्लेख किया था; और

(ग) यदि हां, तो अजमेर में दूरदर्शन केन्द्र कब तक स्थापित किए जाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जब छठी योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा था तब अग्रिम योजना बनाने के रूप में अजमेर में दूरदर्शन रिले केन्द्र के लिए स्थान का चयन विचाराधीन था । तथापि, संसाधनों की कमी के कारण इस परियोजना को छठी योजना में शामिल नहीं किया जा सका ।

(ख) संशोधित अव्यपगमनीय निधि नियमों के अनुसार, दूरदर्शन रिले केन्द्रों को अब इस निधि से तब वित्तपोषित किया जा सकता है जब वे उसमें निर्धारित कतिपय मानदंडों को पूरा करें । इन मानदंडों को पूरा करने वाले दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने के प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

समय के पीछे चल रही विद्युत उत्पादन योजनाएं

*240. **श्री डी० एम० पुत्ते गौडा** :

श्री बी० बी० देसाई : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक नई विद्युत उत्पादन योजनाएं निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो समय से पीछे चल रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके लिए उत्तरदायी कारण क्या हैं;

(घ) क्या उनके मंत्रालय ने देश की जल और ताप विद्युत परियोजनाओं पर पुनर्विचार किया है;

(ङ) यदि हां, तो उसके परिणाम क्या हैं; और

(च) योजनाओं को समय पर पूरा करने और उनको चालू करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (च) निवेश संबंधी निर्णय लेते समय जो समय सूचियां बनायी जाती हैं उनकी तुलना में. अधिकांश विद्युत तत्पादन स्कीमें पिछड़ गई हैं ।

पिछड़े जाने के मुख्य कारण ये हैं :—

(1) भा० है० इले० लि० तथा इन्स्ट्रूमेन्टेशन लि०, कोटा सहित विभिन्न सप्लाईकर्त्ताओं द्वारा उपस्कर की सप्लाई में विलम्ब;

(2) परियोजना प्रबंध में कमियां नामशः आर्डर देने में/ठेके देने में परियोजना स्थल पर समन्वय में, विभिन्न निवेशों की समय पर सप्लाई में विलम्ब;

(3) निधियों की व्यवस्था पर्याप्त न होना;

(4) महत्वपूर्ण निर्माण सामग्री की कमी;

(5) औद्योगिक संबंध सुखद न होना;

(6) भूमि अधिग्रहण में विलम्ब;

(7) स्थल का अपर्याप्त अन्वेषण; तथा

(8) सिविल कार्यों में विलम्ब ।

कमियों को दूर करने के लिए समेकित प्रयास किए जा रहे हैं । विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की समुचित मानीटरिंग की जा रही है । मानीटरिंग के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में एक अलग सेल है जो मंत्रालय को नियमित रूप से रिपोर्टें भेजता है । क्षेत्रीय और अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित करने के अलावा राज्यों के साथ वर्ष के मध्य में अलग-अलग समीक्षायें की जाती हैं । सप्लाई में हुई प्रगति तथा परियोजनाओं में हुई प्रगति के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए मुख्य उपस्कर निर्माताओं और परियोजना प्राधिकारियों के साथ विचार विमर्श किए जाते हैं । एक नई कार्य प्रणाली शुरू की गई है, जिसमें न केवल विभिन्न मध्यवर्ती लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं बल्कि यह भी बताया जाता है कि प्रत्येक मध्यवर्ती लक्ष्य के लिये भा० है० इले० लि०, इन्स्ट्रयुमेन्टेशन लि०, कोटा और परियोजना प्राधिकारियों द्वारा किस किस प्रकार के निवेश उपलब्ध कराये जायेंगे ।

ठेके की योजनाएं तैयार करने के लिए तथा विभिन्न अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के कार्यक्रम तैयार करने के लिए राज्य बिजली बोर्डों को मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए हैं। परियोजनाओं की कुशल और कारगर प्रबन्ध व्यवस्था की आवश्यकता के बारे में भी राज्य सरकारों और राज्य बिजली बोर्डों को जोर देकर बता दिया गया है।

एस० टी० डी० प्रणाली से पूर्णतया और किशनगंज को पटना, दिल्ली और कलकत्ता से जोड़ना

*241. **श्री जमीलुर्रहमान** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन की एस० टी० डी० प्रणाली से पूर्णिया और किशनगंज (बिहार) को कम से कम पटना, दिल्ली और कलकत्ता से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) पूर्णिया को अगली पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में एस० टी० डी० सुविधाएं प्रदान करने की योजना है। किशनगंज की एस० टी० डी० प्रणाली प्रदान करने की अभी कोई ऐसी योजना नहीं है।

(ख) पूर्णिया स्थित मौजूदा हस्तचल एक्सचेंज को 1985-86 तक स्वचल एक्सचेंजमें बदलने की संभावना है। उस समय उसको राष्ट्रीय एस० टी० डी० सुविधाओं हेतु पटना ट्रंक स्वचल एक्सचेंज से जोड़ने की योजना है।

बिना पारी टेलीफोन दिया जाना

*242. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिना पारी टेलीफोन दिये जाने की प्रथा खत्म कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

त्रिपुरा को एस० के० ओ० और हाई स्पीड डीजल की सप्लाई

*243. **श्री अजय विश्वास** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को त्रिपुरा के मुख्य मंत्री से त्रिपुरा में एस० के० ओ० और हाई स्पीड डीजल की कमी और उसके न पहुंचने के संबंध में 4 नवम्बर, 1981 का एक बेतार का सन्देश प्राप्त हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो त्रिपुरा को एस० के० ओ० और हाई स्पीड डीजल की यथाशीघ्र अपेक्षित मात्रा भेजने और त्रिपुरा को हाई स्पीड डीजल और एस० के० ओ० के आवंटन में वृद्धि करने पर विचार करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) त्रिपुरा के मुख्य मंत्री से सन्देश प्राप्त किये जाने पर, तेल कम्पनियों को निदेश दिये गये थे कि वे त्रिपुरा में सप्लाईज को तेज करने के लिए आवश्यक प्रबन्ध करें । नवम्बर के लिए सप्लाईज सामान्य बनी रही ।

मथुरा तेल शोधक कारखाना

*244. **श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मथुरा तेल शोधक कारखाना कब तक पूर्ण रूप से चालू हो जाएगा और इसके चालू होने के बाद देश की कुल तेल शोधक क्षमता कितनी होगी; और

(ख) मथुरा तेल शोधक कारखाने से होने वाली प्रदूषण से ताज महल को बचाने के लिए भारतीय तेल निगम कौन से नए उपाय करने वाला है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) । (क) मथुरा शोधनशाला को आरम्भ करने से पूर्व की गतिविधियां अपनी अन्तिम स्थिति में हैं । ऐसी आशा है कि अप्रैल. 1982 तक यह शोधनशाला पूर्ण रूप से आरम्भ कर दी जायेगी । इसके आरम्भ होने के बाद, देश में 37.80 मिलियन मी० टन प्रतिवर्ष की कुल परिशोधन क्षमता होगी ।

(ख) इन्डियन आयल कारपोरेशन आगरा-मथुरा क्षेत्र में ताजमहल तथा अन्य ऐतिहासिक स्मारकों को मथुरा शोधनशाला के प्रतिकूल वातावरणीय प्रभाव से बचाने हेतु समस्त संभव कदम उठा रही है : —

(1) आन्तरिक ईंधन के रूप में जलाने से पूर्व ईंधन गैसों से गन्धक को पृथक करने हेतु दो गन्धक वसूली संयंत्रों की स्थापना की गई है ।

(2) वायुमण्डल में सल्फर डाई ऑक्साइड के अच्छे फैलाव के लिए मुख्य भट्टियों की चिमनी ऊंचाई 80 मीटर तक बढ़ा दी गई हैं ।

(3) सल्फर डाई आक्साइड के उत्सर्जन की लगातार देखभाल करने हेतु [उपकरणों की व्यवस्था की जा रही है ।

(4) वायुमण्डल के सल्फर डाई आक्साइड के अंशों की लगातार देखभाल करने हेतु आगरा की दिशा में 3 एम वियन्ट एयर मानीटरिंग स्टेशनों को स्थापित किया गया है ।

(5) प्रति घंटा अधिक से अधिक एक मी० टन तक सल्फर डाई आक्साइड का उत्सर्जन सीमित होगा। ब्रायलर्स एवं भट्टियों में लो सल्फर ईंधन का प्रयोग किया जाएगा।

ट्रंक कालों के प्रभारों का आधार बदलना

2542. **श्री बापू साहिब परूलेकर :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ट्रंक काल के प्रभार काल की दूरी के आधार पर नहीं अपितु एक चार्जिंग सेन्टर से दूसरे चार्जिंग सेंटर के आधार पर लिए जाते हैं;

(ख) क्या सरकार इस बात से सहमत है कि प्रभारों की इस प्रक्रिया को तत्काल बदलने की आवश्यकता है क्योंकि उपभोक्ताओं के साथ इससे बहुत अन्याय होता है;

(ग) यदि हां, तो सरकार का क्या परिवर्तन करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) ट्रन्क काल प्रभार एक चार्जिंग सेंटर और दूसरे के मध्य की दूरी पर आधारित है जहां संबंधित स्टेशन में विभिन्न लम्बी दूरी के प्रभार हो जोकि अलग-अलग स्थिति हों। जहां दो स्टेशन उसी या विभिन्न लम्बी दूरी के अलग-अलग चार्जिंग में हों, प्रभार संबंधित दो स्टेशनों के मध्य अरीय दूरी पर आधारित है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) उपरोक्त (क) में दिए गए मौजूदा चार्जिंग योजना के अतिरिक्त यूनिट फी जोनन्स के सृजन पर आधारित एक नई चार्जिंग योजना को अन्तिम रूप दिया गया है जो कि उत्तरोत्तर लागू की जाएगी।

नाईलोन फिलामेंट यार्न उत्पादन एककों के लिए लाइसेंस

2543. **श्री सुबोध सेन :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार के नाईलोन फिलामेंट यार्न उत्पादन एकक के लिये लाइसेंस हेतु आवेदन पत्र के बारे में अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार को लाइसेंस कब तक दिया जायेगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) से (ग) नाईलोन फिलामेंट यार्न उत्पादन हेतु एक औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड का आवेदन-पत्र सरकार के विचाराधीन है।

भारतीय तेल निगम द्वारा फ्लोटिंग तेल टर्मिनल की स्थापना करना

2544. **श्री ग्रार० पी० गायकवाड़ : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय तेल निगम द्वारा गुजरात में वाडीनार स्थान पर बनाये गये फ्लोटिंग तेल टर्मिनल के कारण क्षेत्र में जीवन्त प्रवाल निर्माण को गंभीर खतरा पैदा हो रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त तेल टर्मिनल के कारण मेरीन "इको" प्रणाली के लिये भी गंभीर संदूषण हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उसको रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) से (ग) इस टर्मिनल से ऐसे किसी प्रकार के खतरे का प्रश्न केवल मुख्य रूप से तेल के बहने अथवा टपकने की हालत में सामान्य रूप से पैदा होगा, इस सम्बन्ध में इंडियन आयल कारपोरेशन ने उपयुक्त कदम उठाये हैं। प्रबाल भितियों को सुरक्षित रखने एवं उनका उपयोग करने हेतु विभिन्न पहलुओं का अध्ययन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा गठित एक समिति भी कर रही है जिसको पर्यावरण विभाग में स्थानान्तरित कर दिया गया है।

स्वदेशी पोलिटैक्स के अंशधारियों का अभ्यावेदन

2545. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वदेशी पोलिटैक्स में किन्हीं जयपुरिया ट्रस्टों के शेयरों का स्वदेशी माईनिंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड द्वारा अधिग्रहण करने के प्रयास के विरुद्ध स्वदेशी पोलिटैक्स के अंशधारियों से कोई अभ्यावेदन मिला था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की बिशेष रूप से सरकारी अनुमति देने के विरुद्ध में सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं के दृढ़ विरोध को देखते हुए क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) तथा (ख) ए० एम० जयपुरिया पब्लिक चैरिटेबिल ट्रस्ट, कानपुर तथा जैदी देवी आनन्दराम जयपुरिया पब्लिक चैरिटेबिल ट्रस्ट, कानपुर, नामक दो धर्मादा ट्रस्टों से, मैं० स्वदेशी पोलीटैक्स लिमिटेड के 1,26,000 साम्य हिस्सों की अवाप्ति के लिए, कम्पनी अधिनियम की धारा 108 (क) के अन्तर्गत अनुमोदन प्राप्त करने के मैं० स्वदेशी माइनिंग एन्ड मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड के प्रस्ताव के विरुद्ध, मैं० स्वदेशी पालीटैक्स लिमिटेड के हिस्सेधारी कहे जाने वाले व्यक्तियों से, बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। अभ्यावेदनों में प्रस्ताव के विरुद्ध मुख्य आधार ये दिये गए हैं कि

प्रस्तावित अनुमोदन जनहित में नहीं होगा, और ना ही यह मै० स्वदेशी पोलीटैक्स लिमिटेड के इष्टानुकूल होगा ।

2. जबकि कम्पनी का आवेदन-पत्र अभी परीक्षान्तर्गत था, तो आवेदक कम्पनी तथा कर वसूलकर्ता अधिकारी (ख), आयकर, कानपुर, जिसके पास ऊपर कथित हिस्से गिरवी रक्खे हुये थे, से ज्ञात हुआ कि उक्त हिस्से, कलकत्ता के हिस्से तथा स्टाक के एक पंजीकृत दलाल के माध्याम से दिनांक 30 जून, 1981 को, 19 रु० प्रति हिस्से की दर से, आवेदक कम्पनी को बेच दिए गए हैं। इस प्रकार, मै० स्वदेशी माइनिंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड ने उक्त हिस्से खरीद द्वारा, कम्पनी अधिनियम की धारा 108 (क) के अन्तर्गत बिना पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए प्राप्त कर लिए हैं। कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन के लिए कम्पनी के विरुद्ध किसी दण्डात्मक कार्यवाही सम्बन्धी प्रश्न परीक्षान्तर्गत है ।

हिमाचल प्रदेश में रेडियो स्टेशन की स्थापना करना

2546. **प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में किसी स्थान पर रेडियो स्टेशन की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो उक्त स्थान का नाम क्या है और स्टेशन की मंजूरी कब से की जायेगी और यह कब से काम आरंभ करेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) (क) : जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

तालचेर कोयला खानें प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित भूमि और अदा किया गया मुआवजा

2547 . **श्रीमती जयंती पटनायक : क्या उर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तालचेर कोयला खान प्राधिकरण द्वारा उड़ीसा के तालचेर क्षेत्र में कितने एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है;

(ख) भूमि के मालिकों को मुआवजे के रूप में कितनी राशि अदा की गई है;

(ग) क्या उन विस्थापित व्यक्तियों के लिये कोई पुनर्वास कदम उठाये गये हैं; और

(घ) उनके मंत्रालय का विस्थापित व्यक्तिय्रों के पारिवारिक सदस्यों को कोयला खानों में नौकरियां देने में क्या सुविधाएं देने का है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड ने तालचेर इलाके में अब तक 2463.81 एकड़ भूमिधरी जमीन का अधिग्रहण किया है ।

(ख) मुआवजे के रूप में अब तक रु० 16,08,061.29 का भुगतान किया जा चुका है।

(ग) और (घ) : जी, हां। इस समय ऐसे एक परिवार को एक नौकरी दी जाती है। जिसकी तीन एकड़ या उससे अधिक भूमि ली जाती है। कभी कभी कुछ अपवाद स्वरूप मामलों में अधिग्रहीत भूमि का क्षेत्रफल तीन एकड़ से कम होने पर भी—भू-वंचितों को उनकी कठिनाई को देखते हुए इस आधार पर नौकरी दे दी गई थी कि उनकी जीविका का कोई अन्य साधन नहीं था।

पटना के अंग्रेजी दैनिक "इण्डियन नेशन" और हिन्दी दैनिक "आर्यावर्त" का प्रकाशन

2548. **श्री रामावतार शास्त्री : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी दैनिक "इण्डियन नेशन" और हिन्दी दैनिक "आर्यावर्त" के मालिकों ने कई महीनों से इन दोनों दैनिकों का प्रकाशन बंद कर दिया हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप उनके श्रमजीवी पत्रकारों तथा समाचार पत्र कर्मचारियों को भुखमरी की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने उनके हितों के संरक्षण के लिये क्या कदम उठाये है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (घ) पटना के "इण्डियन नेशन" से और "आर्यावर्त" कर्मचारियों के एक वर्ग की हड़ताल के कारण 27-9-81 को तथा 30-9-81 14-11-81 तक प्रकाशित नहीं हुए थे। तथापि, कर्मचारियों और प्रबन्धकों के बीच समझौता हो जाने के बाद इन समाचार पत्रों का प्रकाशन 15-11-81 से पुनः शुरू हो गया है।

जिला रेडियो केन्द्र

2549. **श्रीमती माधुरी सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में जिला रेडियो केन्द्रों की स्थापना करने की योजना पर विचार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधीत ब्यौरा क्या है और जिला रेडियो केन्द्रों के कार्य क्या होंगे; और

(ग) क्या प्रथम बार उक्त योजना के अन्तर्गत लिये जाने वाले जिलों का चयन कर लिया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) जिलों में विकासीय संचार की स्थानीय और विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए देश भर में चरणबद्ध तरीके से जिला स्तरीय रेडियो स्टेशनों की व्यवस्था करने की योजना सोची गई है। छठी

योजना अवधि (1980-85) के दौरान निम्नलिखित स्थानों पर स्थापित रेडियो स्टेशन स्थापित करने के लिए शुरूआत की गई है :—

1. दिफू (असम)
2. कोटा (राजस्थान)
3. किओझर (उड़ीसा)
4. आदिलाबाद (आध्र प्रदेश)
5. शोलापुर (महाराष्ट्र)
6. नागरकोइल(तमिलनाडु)

मध्य प्रदेश शरणार्थी शिविरों में शरणार्थी

2550. **श्री केयूर भूषण :** क्या पुर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में विभिन्न शरणार्थी शिविरों में इस समय कितने शरणार्थी हैं;

(ख) ये शिविर किन-किन स्थानों पर हैं और प्रत्येक शिविर में कितने शरणार्थी है;

(ग) सरकार द्वारा इन शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये क्या प्रवन्ध किये जा रहे है; और

(घ) इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० के० युगन) : (क) कोई नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड/सेन्ट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार

2551. **श्री ए० के० राय :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटा नागपुर क्षेत्र के उन आदिवासियों से जिनके माता-पिता भारत कोकिंग कोल लिमिटेड/सेन्ट्रल कोलफील्ड लिमिटेड में सेवा करने के पश्चात् मृत्यु प्राप्त कर गये, प्राप्त अभ्यावेदन नियुक्तियों के प्रश्न पर विचार करने के लिए उनके सम्मुख रखा गया था; और

(ख) यदि हां, तो उनकी सोचनीय सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनको उपयुक्त नौकरियां देने के लिए मंत्रालय का निर्णय क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) कोयला खानों में सेवा-काल में मरने वाले कामगारों के आश्रितों को रोजगार देने से संबंधित कुछ अभिवेदन समय-समय पर प्राप्त होते रहते हैं। दिनांक 1.1.1979 से जो "राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता-2" लागू हुआ उसकी व्यवस्थाओं के अनुसार सेवा-काल में मरने वाले कामगार के एक आश्रित को काम दिया जाता है ।

निजी क्षेत्र में उर्वरक संयंत्रों की स्थापना करना

2552. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फर्मों के नाम क्या हैं जो बम्बई हाई गैस के आधार पर उर्वरक संयंत्रों की स्थापना के लिये लाइसेंस की इच्छुक हैं;

(ख) कितने संयंत्रों की स्थापना की जानी है और कहां-कहां पर स्थापना की जानी है;

(ग) प्रत्येक संयंत्र के संबंध में कौन-कौन दावेदार हैं;

(घ) उनका पूंजी परिव्यय क्या है; और

(ङ) इसके क्या कारण हैं कि सरकार ने अपने स्वयं के किसी संयंत्र में इस बम्बई हाई के गैस को उपयोग में लाने का विचार क्यों नहीं किया ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) से (ङ) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारम्भ किये जाने वाले नाइट्रोजन युक्त कुछ नये संयंत्रों की स्थापना करने में मै० जुआरी एग्रो कैमिकल्स लि० (बिरला समूह), मै० टाटा कैमिकल्स लि०, मै० श्रीराम कैमिकल्स, मै० इंडियन एक्सप्लोजिव्ज लि० और इण्डियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि० ने अपनी अभिरुचि दर्शाई है। तथापि इनमें से किसी भी पार्टी से कोई ऐसा ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है जो तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट पर आधारित हो। नाइट्रोजन युक्त नये उर्वरक संयंत्रों के सही स्थान पूंजी निवेश आदि का निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है। छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान नाइट्रोजन युक्त 8 नये उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की व्यवस्था है जिसमें गैस पर आधारित 6 संयंत्र भी सम्मिलित हैं। बजटीय स्रोतों पर भार कम करने की दृष्टि से योजना में यह प्रस्ताव है कि 4 संयंत्र सरकारी क्षेत्र में, 2 सहकारी क्षेत्र में और 2 संयंत्र गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थापित किये जायेंगे। तथापि, गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्रों के स्वामित्व के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

आदिवासी क्षेत्रों तथा आदिवासियों के लिए कार्यक्रमों तथा योजनाओं हेतु राशियां

2553. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के विभिन्न मंडलों ने छठी योजना एवं वार्षिक योजनाओं में देश के आदिवासी क्षेत्रों तथा आदिवासियों के लिये कोई योजनायें एवं कार्यक्रम बनाये हैं तथा उनके लिये धनराशियां निर्धारित की हैं;

(ख) यदि हां, तो मंडलों के विस्तृत कार्यक्रम एवं योजनायें क्या हैं; और

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने आदिवासी क्षेत्रों तथा आदिवासियों के बारे में राज्यों को कोई मार्गदर्शी निदेश दिए हैं और उनके मंत्रालय ने आदिवासियों को विकास कार्यक्रम की जानकारी देने तथा उनके शोषण के प्रति उनको जागरूक करने के लिये क्या नीति बनाई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) सूचना और प्रसारण मंत्रालय आम तौर से लोगों और विशेष रूप से ग्रामीण, आदिवासी और कमजोर वर्गों के लोगों के लाभ के लिए सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का प्रचार करता है। तथापि, वे किसी विशिष्ट समुदाय के अनन्य लाभ के लिए नहीं होते और इसलिए उनमें से सभी की अलग से पहचान नहीं हो सकती। छठी योजना में शामिल कुछ कार्यक्रम जो आदिवासी क्षेत्रों के लोगों को लाभान्वित करेंगे, इस प्रकार हैं :—

(1) आकाशवाणी इटानगर (अरुणाचल प्रदेश) में स्टूडियो के साथ 100 कि० वा० के ट्रांसमीटर वाले रेडियो स्टेशन की उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए शिलांग (मेघालय) में नई एकीकृत सेवाओं के लिये 50 कि० वा० शार्टवेव के एक ट्रांसमीटर और स्टूडियो सुविधाओं की और तुरा (मेघालय) में 20 कि० वा० के ट्रांसमीटर, इत्यादि के साथ एक नए रेडियो स्टेशन की स्थापना करेगा। इसके अलावा, आदिलाबाद (आंध्र प्रदेश) और क्योंझर (उड़ीसा) में स्थानीय प्रसारण केन्द्र के रूप में नये रेडियो स्टेशन स्थापित किये जायेंगे। रांची (बिहार) में टाईप.2 स्टूडियों की स्थापना करने और डिबरूगढ़, गोहाटी (असम), रांची (बिहार) और शिलांग (मेघालय) के वर्तमान ट्रांसमीटरों का दर्जा बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। आकाशवाणी आदिवासी क्षेत्रों के लोगों के लिये बनाये जाने वाले प्रसारण कार्यक्रमों की गुणवता और विषयों में और सुधार करेगा।

(2) गोहाटी में प्रस्तावित दूरदर्शन केन्द्र आदिवासी क्षेत्रों में भी सेवा प्रदान करेगा।

(3) पत्र सूचना कार्यालय आदिवासी क्षेत्रों में विकासीय और राष्ट्रीय विषयों पर सूचना का प्रसार करने के लिए और सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में उनकी प्रतिक्रियाओं को जानने के लिए वहां विशेष यात्राओं का आयोजन करता रहेगा।

(4) फिल्म प्रभाग कलकत्ता और बंगलोर में क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना कर रहा है तथा आदिवासी और ग्रामीण लोगों के विकास से संबंधित विषयों पर 16 मिलीमीटर की फोचर टाइप की डाकुमैंट्री फिल्मों को भी बनाने का प्रस्ताव है तथा इन फिल्मों को क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय की क्षेत्रीय प्रचार यूनिटों के माध्यम से इन क्षेत्रों के लोगों को दिखाया जाएगा।

(5) गीत और नाटक प्रभाग केन्द्रीय जोन, जिसमें मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा शामिल हैं, के आदिवासी क्षेत्रों के लोक रूपों का प्रयोग करने के लिए एक पाईलट परियोजना स्थापित कर रहा है। इस कार्यक्रम में आदिवासी जनसख्या से चुनिंदा कलाकार सक्रिय रूप से शामिल होंगे।

(6) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय आदिवासी लोगों के विकास से संबंधित विषयों पर प्रदर्शनियां आयोजित करने के लिए राँची और इटानगर में क्षेत्रीय प्रदर्शनी यूनिटें स्थापित करेगा।

(7) क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय आदिवासी क्षेत्रों में अतिरिक्त यूनिटें स्थापित करके आदिवासी क्षेत्रों को कवर करने के लिए अधिक ध्यान दे रहा है। 1980-81 और 1981-82 में 10 यूनिटें स्थापित की गई हैं; 1981-82 के दौरान गोहाटी में एक क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, आयोजित यात्राओं तथा साऊंड और स्लाइड कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है।

उपरोक्त योजनाओं जो केन्द्रीय सैक्टर में हैं, का छठी योजना का कुल परिव्यय 20 करोड़ रुपए के लगभग होने की संभावना है।

(ग) जी, नहीं।

ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्यक्रम का पिछड़ जाना

2554. श्री डी० पी० जदेजा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम पिछड़ गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण की ओर अधिक ध्यान देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) विश्व बैंक द्वारा उक्त प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध की गई है; और

(ङ) कितनी धनराशि उपयोग में लाई गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) *ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रमों* की प्रगति में पिछले तीन वर्षों से सुधार हो रहा है।

(ख) समय कार्य निष्पादन में सुधार होने के बावजूद, कुछ राज्यों में कुछ कठिनाइयां देखी गई हैं। इन राज्यों में धीमी प्रगति के निम्नलिखित कारण हैं:—सामग्री की कम सप्लाई, संगठनात्मक प्रबंधों की कमी, बाढ़ और प्राकृतिक आपदायें, हड़तालें, राज्य विद्युत बोर्डों और विकास एजेंसियों में तालमेल का न होना, विद्युत की अनियमित सप्लाई आदि।

(ग) ग्राम विद्युतीकरण के कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है ताकि इस कार्य के लिए उपलब्ध संसाधनों से जितने अधिक गांवों तक बिजली की सप्लाई का विस्तार करना संभव हो, उतने गांवों तक सप्लाई का विस्तार किया जाए। पिछड़े और दुर्गम क्षेत्रों के विकास को सुसाध्य बनाने की दृष्टि से, कई प्रकार की कार्य नीतियां अपनाई गई हैं जैसे व्यवहार्यता संबंधी मानदण्डों में ढील, ब्याज दर, ऋण चुकाये जाने की अवधि के मामले में विशेष विचार आदि। संशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में कम से कम 60 प्रतिशत गांवों को 1989-90 तक विद्युतीकृत कर दिये जाने का विचार है।

राज्य विद्युत बोर्डों को भी सलाह दी गई है कि वे अपनी संगठनात्मक क्षमता को उचित रूप से दृढ़ बनाएं ताकि अपने-अपने क्षेत्रों में वे कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकें।

(घ) और (ङ) आई. डी. ए. ने अभी तक दो ऋण दिए हैं—एक यू. एस. 57 मिलियन डालर का और दूसरा यू. एस. 175 मिलियन डालर का।

पहले ऋण का सारा का सारा यू. एस. 57 लाख डालर का धन उपयोग कर लिया गया है। यू. एस. 175 मिलयन डालर के दूसरे ऋण के बारे में आई. डी. ए. ने अभी तक यू. एस. 85 मिलियन डालर दिए हैं।

आल इन्डिया आर्गेनाइजेशन आफ कैमिस्टस एंड ड्रगिस्ट के विरुद्ध एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापारिक प्रथाएं जांच

2555. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कैमिस्टों तथा औषध निर्माताओं के बीच कैमिस्टों द्वारा बेची जाने वाली दवाओं पर अधिक लाभ तथा उन कंपनियों की दवाइयों को वेचने से जिनके साथ उनका विवाद है, इनकार करने के प्रश्न पर विवाद है;

(ख) क्या अधिक लाभ की मांग को लेकर कुछ फर्मों द्वारा निर्मित दवाओं के कथित बहिष्कार के लिए एकाधिकार तथा निबन्धात्मक व्यापारिक प्रथायें आयोग द्वारा एवं अपनी पहल पर आल इण्डिया आर्गेनाइजेशन आफ कैमिस्ट्स एण्ड ड्रगिस्ट के विरुद्ध जांच आरम्भ की है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) सरकार ने इस बात के लिए क्या कदम उठाये हैं कि विवाद की अवधि के भीतर ओषधियों एवं फार्म्यूलेधनों की सप्लाई जारी रहे जिससे कि बाजार में औषधियों की उपलब्धता की कमी के कारण जनता को कष्ट न हो?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ग) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने आल इण्डिया आर्गनाइजेशन आफ कैमिस्ट्स एण्ड ड्रगिस्ट्स, मद्रास तथा इसकी सम्बन्धित 8 राज्य संस्थाओं के विरुद्ध स्वप्रस्ताव से दो जांच संस्थापित की हैं। प्रथम जांच 19.6.1981 को संस्थापित की थी, एवं अम्बालाल साराभाई एन्टरप्राइजेज लिमिटेड के एक प्रभाग साराभाई कैमिकल्स द्वारा उत्पादित सभी भेषजों के उत्तरवादियों द्वारा वहिष्कार करने के आरोपित व्यापारिक व्यवहारों को जांच से सम्बन्धित थी, साथ ही थोक तथा परचून कैमिस्टों, जो वहिष्कार के लिये उत्तरदायी नहीं पाये गये थे, के विरुद्ध की गई दाण्डिक कार्यवाही से आरोपित थी। दूसरी स्वप्रस्ताव से की गई जांच 29 सितम्बर, 1981 को संस्थापित की गई थी, जो स्मिथ क्लाइन एण्ड फ्रेंच (इण्डिया) लिमिटेड, रिचर्डसन हिन्दुस्तान लिमिटेड, कैडिल्ला लेबोरेटरीज बुकडाई लिमिटेड तथा ईस्ट इण्डिया फार्मास्यूटिकल्स वर्क्स लिमिटेड द्वारा उत्पादित भेषजों के वहिष्कार के आरोपित अवरोधक व्यापारिक व्यवहारों से सम्बन्धित थी ताकि उनकी मांग की उच्चतर व्यापारिक सीमा के लिये दवाया जा सके व भेपज निर्माताओं पर दवाब डाला जा सके। इन दोनों जांचों पर प्राथमिक स्तर पर कार्यवाहियां की जा रही हैं।

(घ) पेट्रोल, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा स्थिति पर दृष्टि रखी जा रही है, एवं उक्त मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त वहिष्कार से किसी समालोचनात्मक भेषज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, एवं बाजार में इन भेषजों के समरूप भेषज उपलब्ध हैं ।

छठी योजनाविधि में पनबिजली परियोजनाओं की स्थापना करना

2556. **श्री मन मोहन टुडू** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजनावधि में कितनी पनबिजली परियोजनाएं स्थापित की जानीं हैं;

(ख) उनमें से कितनी इस समय कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों पय हैं;

(ग) उक्त पनबिजली परियोजनाएं कहां पर स्थापित की जानी हैं;

(घ) इनमें से प्रत्येक पनबिजली परियोजना की अनुमानित लागत क्या है; और

(ङ) इन परियोजनाओं को पूरा करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ङ) इस समय देश में 62 जल विद्युत स्कीमें निर्माण की विभिन्न स्थितियों में हैं । इनमें से 41 स्कीमों का ब्यौरा, जिनसे छठी योजना अवधि (1980-85) के दौरान लाभ प्राप्त होने की आशा है, विवरण-एक में दिया गया है और शेष 21 स्कीमों का ब्यौरा, जिनसे छठी योजना के बाद लाभ प्राप्त होंगे विवरण-दो में दिया गया है ।

विवरण-एक

क–वे परियोजनाएं जिनसे छठी पंचवर्षीय योजना में लाभ प्राप्त होने का कार्यक्रम है

क्र० सं०	परियोजना	अद्यतन अनुमान करोड़ रु० में	निर्माण कार्यों की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
उत्तरी क्षेत्र :—			
हरियाणा :			
1.	पश्चिमी यमुना नहर 6×8 मे. वा.	45.72	सिविल कार्य प्रगति पर हैं
हिमाचल प्रदेश :			
1.	बिनवा 2×3 मे. वा.	9.84	सिविल कार्य प्रगति पर हैं

1	2	3	4
2.	आन्ध्र 3×5 मे. वा.	21.43	सिविल कार्य प्रगति पर हैं
3.	रोंगटोंग 4×0.5 मे. वा.	6 79	सिविल कार्य प्रगति पर हैं
	पंजाब :		
1.	शानन विस्तार 1×50 मे. वा.	14.13	यूनिट उत्थापित किया जा रहा है
2.	मुकेरियां (6×15)+(6×19.5) मे. वा.	115.58	सिविल कार्य प्रगति पर हैं
3.	आनन्दपुर साहिब 4×33.5 मे. वा.	96.12	सिविल कार्य प्रगति पर हैं
	राजस्थान :		
1.	माही बजाज सागर (2×25)+(2×45) मे. वा.	73.14	सिविल कार्य प्रगति पर हैं
	उत्तर प्रदेश :		
1.	गढ़वाल ऋशिकेश चिल्ला 4×36 मे. वा.	97.76	चालू कर दी गई
2.	यमुना चरण-2 (खेदरी) 4×30 मे. वा.	65.16	हैड रेस सुरंग को छोड़कर सभी कार्य पूरे हो गए हैं
3.	मानेरी भाली चरण-एक 3×30 मे. वा.	68.20	निर्माण की उन्नत अवस्था में है
	साझा परियोजनाएं :		
1.	पोंग विस्तार 2×60 मे. वा.	42.67	यूनिट उत्थापित किए जा रहे हैं
2.	देहर विस्तार 2×165	78.30	यूनिट उत्थापित किए जा रहे हैं
	केन्द्रीय :		
1.	बैरा स्यूल *3×60* मे. वा.	125.12	अन्तिम यूनिट रोटेट कर दी गई है

1	2	3	4
	पश्चिम क्षेत्र :—		
	गुजरात :		
1.	उकई बायां तट नहर 2×2.5 मे. वा.	3.05	नहर के व्यपवर्तन का कार्य हाथ में लिया जाना है
2.	कड़ाना 2×60 मे. वा.	65 60	बिजली घर के रेफ्ट का कंक्रीट कार्य प्रगति पर है
	महाराष्ट्र :		
1.	कोयना बांध बिजली घर 2×20 मे. वा.	15.57	चालू कर दिया गया है
2.	पैथन 1×12 मे. वा.	9.00	यूनिट की उत्थापना का कार्य शुरू हो गया है
3.	भीड़ा टेल रेस 2×40 मे. वा.	41.59	सिविल कार्य प्रगति पर है
4.	टिल्लारा 1×60 मे. वा.	38.42	सिविल कार्य प्रगति पर है
	मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र :		
1.	पेंच 2×80 मे. वा.	84.98	सिविल कार्य प्रगति पर है
	दक्षिणी क्षेत्र :—		
	आन्ध्र प्रदेश :		
1.	नागार्जुनसागर पी. एस. एस. चरण-एक 4×100 मे. वा.	71.72	दो यूनिट चालू कर दिए गए हैं
2.	श्रीशैलम चरण-एक 4×110 मे. वा.	282.25	निर्माण की उन्नत अवस्था में है
3.	डोंकाराई 1×25 मे. वा.	13.00	यूनिट का उत्थापन किया जा रहा है
4.	बलीमेला बांध बिजली घर 2×30 मे. वा.	26.50	बिजली घर के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है

1	2	3	4
5.	नागार्जुनसागर दायां तट नहर 2×30 मे. वा.	30.40	सिविल कार्य प्रगति पर है
कर्नाटक :			
1.	कालीनदी चरण-एक (6×135)+(2×50) मे. वा	309.00	निर्माण की उन्नत अवस्था में है
केरल :			
1.	इदामलयार 2×37.5 मे. वा.	50.00	सिविल कार्य प्रगति पर है
2.	कक्कड़ 2×25 मे. वा.	20.50	सिविल कार्य शुरू कर दिए गए हैं
तमिलनाडु :			
1.	कदमपराई पी. एस. एस. 4×100 मे. वा.	113.73	सिविल कार्य प्रगति पर है
2.	सर्वालायार 1×20 मे. वा.	21.57	सिविल कार्य प्रगति पर है
पूर्वी क्षेत्र :—			
उड़ीसा :			
1.	रेंगाली 2×50 मे. वा.	88.54	सिबिल कार्य प्रगति पर है
2.	अपर कोलाब 3×80 मे. वा.	132.36	सिविल कार्य प्रगति पर है
पश्चिम बंगाल :			
1.	जलढ़ाका 2×4 मे. वा.	11.64	निर्माण की उन्नत अवस्था में है
2.	रामन चरण-दो 4×12.5 मे. वा.	25.88	अवसंरचना संबंधी कार्य प्रगति पर है
दामोदर घाटी निगम :			
1.	पंचेत हिल 1×40 मे. वा.	16.03	भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है

1 2	3	4
उत्तर पूर्वी क्षेत्र :—		
असम :		
1. लोअर बोरपानी 2×50 मे. वा.	61.00	अवसंरचना संबंधी कार्य प्रगति पर है
नागालैण्ड :		
1. दिखू (1×0.75)+(1×0.25) मे. वा.	1.55	सिविल डिजाइन को अन्तिम रूप दिया जा रहा है
त्रिपुरा :		
1. गुमटी 1×5 मे. वा.	4.30	प्रथम चरण का कंक्रीट कार्य प्रगति पर है
नीपको :		
1. कोपीली (2×25)+(2×50) मे. वा.	118.66	सिविल कार्य प्रगति पर है
केन्द्रीय :		
1. लोकलक 3×55 मे. वा.	93.10	हैड रेस सुरंग को पक्का करने का कार्य प्रगति पर है

विवरण–दो

ख–वे निर्माणाधीन परियोजनाएं जो छठी पंचवर्षीय योजना के बाद लाभ देंगी

क्र० सं० परियोजना	अद्यतन अनुमान (करोड़ रु० में)	निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति
उत्तरी क्षेत्र :—		
हिमाचल प्रदेश :		
1. भाभा (संजय) 3×40 मेगावाट	75.00	अवसंरचना संबंधी कार्य उन्नत अवस्था में है
राजस्थान :		
1. अनूपगढ़ 6×1.5 मेगावाट	6.51	प्रारम्भिक अवस्था में है

1	2	3	4
उत्तर प्रदेश :			
1.	लखवार ब्यासी $(3\times100)+(2\times60)$ मेगावाट	274.00	व्यपवर्तन संबंधी कार्य प्रगति पर है
2.	मानेरी भाली चरण-दो 3×52 मेगावाट	182.00	अवसंरचना संबंधी कार्य उन्नत अवस्था में हैं
3.	टिहरी 4×250 मेगावाट	827.30	व्यपवर्तन संबंधी कार्य प्रगति पर है
4.	विष्णु प्रयाग 4×65.5 मेगावाट	104.51	अवसंरचना सबंधी कार्य प्रगति पर है
केन्द्रीय :			
1.	सलाल 3×115 मेगावाट	340.00	सिविल कार्य प्रगति पर है
पश्चिमी क्षेत्र :—			
मध्य प्रदेश :			
1.	बोधघाट 4×125 मेगावाट	350.00	अवसंरचना संबंधी कार्य प्रगति पर है
महाराष्ट्र :			
1.	भण्डारधारा $(1\times10)+(1\times33.5)$ मेगावाट	17.59	अवसंरचना संबंधी कार्य प्रगति पर है
2.	पवना 1×10 मेगावाट	6.50	प्रारम्भिक अवस्था में है
दक्षिणी क्षेत्र :—			
आन्ध्र प्रदेश :			
1.	अपर सिलेरू चरण-दो 2×60 मेगावाट	29.00	बिजली घर के सिविल कार्य प्रगति पर हैं
2.	नागार्जुनसागर पी. एस. एस. चरण-दो 3×100 मेगावाट	72.15	यूनिटों के लिए आर्डर दे दिए गए हैं
3.	श्रीशैलम चरण-दो 3×110 मेगावाट	49.80	—वही—

1　2	3	4
कर्नाटक :		
1. बराही (2×115)+(2×4.5) मेगावाट	136.40	सिविल कार्य शुरू कर दिए गए हैं
2. गंगावली 2×105 मेगावाट	135.83	अवरंचना संबंधी कार्य प्रगति पर है
3. कालीनदी चरण-दो (4×32)+(4×25)+(2×25) मेगावाट	205.83	अवरंचना तथा व्यपवर्तन संबंधी कार्य प्रगति पर है
केरल :		
1. इदुक्की चरण-दो 3×130 मेगावाट	31.68	यूनिटें प्राप्त की जा रही हैं
तमिलनाडु :		
1. लोअर मेत्तूर 8×15 मेगावाट	89.72	सिविल कार्य प्रगति पर हैं
2. कुंडाह बिजली घर-5 1×20 मेगावाट	5.03	यूनिट प्राप्त किया जा रहा है
पूर्वी क्षेत्र :—		
उड़ीसा :		
1. अपर इन्द्रावती 4×150 मेगावाट	305.90	अवरंचना संबंधी कार्य उन्नत अवस्था में हैं
केन्द्रीय :		
1. कोइल कारो (6×115)+(1×120) मेगावाट	391.40	प्रारम्भिक अवस्था में है

कर्नाटक को पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई

2557. **श्री के० मालन्ना :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य को जनवरी, 1981 से अक्टूबर, 1981 तक डीजल, पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल सहित पेट्रोलियम उत्पादों की कितनी मात्रा की सप्लाई की गई है और राज्य सरकार की इस बारे में मांग क्या थी;

(ख) क्या सरकार को इन उत्पादों की अनुपलब्धता तथा अत्याधिक मूल्यों के कारण परिवहन व्यवस्था के अस्त-व्यस्त हो जाने तथा ग्रामीण लोगों को होने वाली दिक्कतों का पता है; और

(ग) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाये गये हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाशचन्द सेठी) : (क) कर्नाटक सरकार ने अभी हाल में हाई स्पीड डीजल (एच० एस० डी०) और मिट्टी के तेल की अपनी मासिक मांग निम्नलिखित रूप में की थी :—

एच० एस० डी०	47,000 मी० टन
मिट्टी का तेल	22,000 मी० टन

उनके द्वारा पेट्रोल की कोई विशिष्ट मांग नहीं की गई थी।

जनवरी, 1981 से अक्टूबर, 1981 के दौरान कर्नाटक सरकार को पेट्रोल, एच० एस० डी० तथा मिट्टी के तेल की कुल सप्लाई निम्नलिखित रूप में की गई थी :—

आंकड़े मी० टन में

	पेट्रोल	एच० एस० डी०	मिट्टी का तेल
जनवरी, 80 से अक्टूबर, 81	188295	896797	421665

(ख) और (ग) ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है। रेलों द्वारा किए गए अच्छे कार्य निष्पादन के फलस्वरूप वर्ष 1981-82 के दौरान परिवहन सक्षमता में पर्याप्त सुधार हुआ है और एच० एस० डी० तथा पेट्रोल की मांग को पूरा करने में तथा राज्यों को आबंटित की गई एस० के० ओ० की मात्रा को परिवहन करने में किसी प्रकार की कठिनाई सामने नहीं आई है।

दुर्गापुर के नाइट्रोजन फास्फेट और पोटाशियम संयंत्र में विलम्ब

2558. **श्री अजित बाग** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर में नाइट्रोजन फास्फेट और पोटाशियम संयंत्र के विलम्ब के कारणों में से एक कारण ट्रिप्ल सुपर फास्फेट की अनुपलब्धता है जो सिन्दरी संयंत्र से प्राप्त होना है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितना समय लगेगा; और

(ग) नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटाशियम (एन० पी० के० प्लांट) संयंत्र कब आरम्भ होगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) दुर्गापुर के नाइट्रोजन फास्फेट और पोटेशियम प्लांट के चालू होने में विलम्ब का एक प्रारंभिक कारण, ट्रिप्ल सुपर फास्फेट की अनुपलब्धता थी। तथापि अब पाउडर ट्रिप्ल सुपर फास्फेट उपलब्ध है। कम्पनी दानेदार नाइट्रोजन फास्फेट और पोटाशियम उत्पादों के निर्माण की आर्थिक व्यवहार्यता की जांच कर रही है। आर्थिक व्यवहार्यता स्थापित होते ही प्लांट को चालू किया जा सकता है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आवेदकों को प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन कनेक्शन देना

2559. **श्री अनादि चरण दास** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उन आवेदकों को कुछ रियायतें देने का है जिन्होंने विभिन्न राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए आवेदन दिये हैं;

(ख) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के आवेदकों को प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन देने का निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रस्तावों को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दहानु टेलीफोन प्रयोक्ता संगठन, दहानु जिला ठाणे (महाराष्ट्र) से ज्ञापन

2560. **श्री सत्यनारायण जटिया** :

श्री आर० के० महालगी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निदेशक (संचार) महाराष्ट्र परिमंडल, बम्बई को दहाणु टेलीफोन प्रयोक्ता संगठन, दहाणु, जिला ठाणे (महाराष्ट्र) की ओर से दिनांक 2 जुलाई, 1981 का एक ज्ञापन मिला है;

(ख) उक्त ज्ञापन में किन विशेष समस्याओं एवं मांगों का उल्लेख किया गया है;

(ग) क्या यह सच है, कि संगठन ने अपनी मांगों के प्रति अधिकारियों की अकर्मण्यता के विरोध में सितम्बर, 1981 में दहाणु टेलीफोन एक्सचेंज के सामने भूख हड़ताल की थी;

(घ) प्रत्येक समस्या तथा मांग के सम्बन्ध में इस बीच क्या कार्रवाही की गई/की जा रही है; और

(ङ) यदि कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है तो उसके क्या कारण हैं और कार्रवाई कब तक की जायेगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां।

(ख) पेश की गई मांगें निम्न प्रकार थीं :—

1. बम्बई के विभागीय अधिकारियों तथा उपभोक्ताओं के बीच प्रत्येक तीन महीने में एक बार संयुक्त आवधिक बैठक करने का जो आश्वासन दिया गया था वह पूरा नहीं किया गया।
2. बम्बई तथा दहाणु के बीच 8/- रु० ट्रंककाल प्रभार का औचित्यपूर्ण नहीं है क्योंकि इन दोनों स्थानों के बीच अरीय दूरी 100 कि० मी० से कम है।
3. दोष सुधार सेवा (स्तर 9 तथा टेलीफोन नं० 323) न तो संतोषजनक है और नहीं पर्याप्त है तथा इन कालों को मीटरित किया जाता है जब कि निर्देशिका में लिखा है कि यह कालें मीटरित नहीं की जातीं। स्विच रूप में वातानुकूल की उचित व्यवस्था नहीं है चूंकि उपरिलाइनों के कारण तटीय इलाकों में अधिक दोष उत्पन्न होते हैं अतः उनके स्थान पर भूमिगत केबुलें बिछाई जाएं।
4. टेलीफोन बिल देर से प्राप्त होते हैं यहां तक कि कभी-कभी तो अदायगी की तारीख समाप्त होने के बाद प्राप्त होते हैं। बिल की अदायगी उनके प्राप्त होने के 15 दिन के बाद तक स्वीकार्य होनी चाहिए।
5. अस्पतालों, सिविल न्यायालयों, तहसीलदार के कार्यालय तथा रेलवे स्टेशन पर सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध कराए जाएं।
6. फोनोग्राम सेवा शीघ्रातिशीघ्र प्रारम्भ की जाए।
7. बम्बई से बाहर और बाहर से बम्बई हेतु तथा बम्बई के माध्यम से अन्य स्थानों हेतु की जाने वाली कालों में सुधार लाया जाए ताकि टेलीफोन सरलता से मिल सकें।
8. उपरिलाइनों की गश्त हेतु पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
9. उपभोक्ता के अहाते के निरीक्षण तथा टेलीफोन के बारे में उपभोक्ता से राय प्राप्त करने की प्रणाली सही ढंग से कार्य नहीं कर रही है। इस प्रणाली के स्थान पर जब तिमाही किराया बिल भेजा जाए तब उपभोक्ता की राय प्राप्त की जाए।
10. (1) चंचनी, (2) तारापुर, (3) पालघर में एस० टी० डी० सुविधा प्रदान की जाए तथा एक्सचेंजों को इनसे जोड़ा जाए।

11. दहाणु को बम्बई, अहमदाबाद कोएक्सिअल केबुल के जरिए जोड़ा जाए।

12. उपभोक्ताओं के कार्यालयों में उपयुक्त फिटिंग की जाए।

13. बासीन तथा तालासारी के बीच किसी स्थान पर एस० डी० ओ० टेलीफोन रखकर बेहतर पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जाए।

(ग) वहां कोई भूख हड़ताल नहीं की गई है परन्तु कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया था।

(घ) और (ङ) की गई कारंबाई का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

1. जब अधिकारी दहाण का दौरा करते हैं तो वे उपभोक्ताओं से सामूहिक अथवा निजी तौर पर मिलते हैं तथा उनकी कठिनाइयों की जानकारी प्राप्त करते हैं। डाक तार सप्ताह, उद्घाटन अथवा विस्तार आदि विशेष अवसरों पर जन सम्पर्क बढ़ाने तथा लोगों से मिलने के बारे में पर्याप्त विचार किया जाता है।

2. ट्रंक काल दरें एक्सचेंजों के मध्य अरीय दूरी के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। बम्बई तथा दहाणु के बीच 100 किलोमीटर का अरीय अन्तर है। इस फासले के लिए निर्धारित दर 8/- रु० है।

3. लेवल 9 स्थानीय शिकायतों के लिए प्रदान किया गया है तथा इस पर शुल्क नहीं लिया जाता। नं० 323 स्थानीय पूछताछ तथा शिकायत है तथा इस पर शुल्क लिया जाता है। छपाई की भूल से निदेशिका में नं० 323 गैर-प्रभार श्रेणी में दर्शाया गया था। निदेशिका के अगले संस्करण में यह अतिरिक्त लाइनें प्रदान करने हेतु कारंवाई चल रही है। दो वातानुकूल यूनिटें कार्य कर रही हैं। भारी उपरि संरेखण को उत्तरोत्तर भूमिगत केबलों में बदल दिया जाएगा।

4. जांच एवं उपचारी उपायों हेतु विलंबित बिलों के विशिष्ट मामले विभाग के ध्यान में लाने के लिए कहा गया था।

5. इस विषय पर नियमों को ध्यान में रखते हुए नए सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने पर विचार किया जा रहा है।

6. फोनोग्राम सेवा प्रारंभ करने पर विचार किया जा रहा है।

7. यह देखा गया है कि दहाणु से बम्बई को कालें उचित समय में लगाई जाती हैं। बरास्ता बम्बई अन्य स्थानों के लिए कालें शीघ्र लगाने हेतु उपयुक्त अनुदेश जारी किये जा रहे हैं। जांच एवं उपचारी उपायों हेतु विलम्ब के विशिष्ट मामले विभाग के ध्यान में लाए जाएं।

8. स्टाफ को लाइनों की गश्त लगाने के लिए उपयुक्त अनुदेश दिये गये हैं तथा ऐसा सुनिश्चित करने के लिए निगरानी रखी जा रही है।

9. निरीक्षण स्टाफ को उपभोक्ता के आहातों का निरीक्षण करना तथा उनके हस्ताक्षर प्राप्त करने के अनुदेश दिए गए हैं। यदि उपभोक्ता संतुष्ट नहीं हो तो उसे हस्ताक्षर नहीं करने चाहिए। उपभोक्ता अपनी समस्याएं बताने तथा जरूरत समझने पर विभाग को शिकायत करने के लिए स्वतंत्र है।

10. विभाग की मौजूदा नीति तथा संसाधनों की उपलब्धता को मद्देनजर रखते हुए वरियात का औचित्य सिद्ध होने पर स्वचल एक्सचेंजों के लिए उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग की सुविधा उत्तरोत्तर प्रदान की जाएगी।

11. सुझाव विचाराधीन है।

12. उपभोक्ता के अहातों की फिटिंग की जांच की जा रही है तथा जिन मामलों में पुन: फिटिंग अपेक्षित है वहां कार्य उत्तरोत्तर आरंभ किया जा रहा है।

13. कार्य क्षेत्र के अनुसार उपमण्डल अभियंता तार का मुख्यालय केन्द्रीय स्थान पर बनाया जाएगा। विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए फिलहाल बम्बई को मुख्यालय बनाया गया है।

दिल्ली के दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के कार्यकरण की जांच करने सम्बन्धी समिति

2561. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के विद्युत उत्पादन के लागत ढांचे तथा अन्य बातों के संबंध में इसके कार्यकरण हेतु एक सरकारी समिति की स्थापना की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मिट्टी के तेल पर नियंत्रण हटाने का प्रस्ताव

2562. **श्री हरिहर सोरन** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश भर में मिट्टी के तेल से नियंत्रण हटाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रस्ताव को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान क्रियान्वित किया जाएगा; और

(ग) इस प्रस्ताव के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न राज्यों को भेजे गए मार्गदर्शी निर्देशों का ब्योरा क्या है?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

आदिवासी क्षेत्रों में दूर संचार व्यवस्था संबंधी नीति

2563. **श्री मोहन लाल पटेल : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आदिवासी क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध कराने के बारे में वर्तमान नीति क्या हैं;

(ख) वर्तमान नीति कहां तक सफल रही है;

(ग) क्या सरकार लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इसे और सफल बनाने हेतु वर्तमान नीति में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) देश के विभिन्न क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों सहित जहां कि आदिवासी रहते हैं (जनजातीय क्षेत्र), दूरसंचार सुविधायें उपलब्ध कराने सम्बन्धी नीति विवरण में दी गई है।

(ख) आदिवासी क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं के पर्याप्त विस्तार में यह नीति सफल रही है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

हानि पर सार्वजनिक टेलीफोन घर एवं संयुक्त डाक तार घर खोलने की नीति

स्थानों की श्रेणियां

(1) जिला मुख्यालय,

(1) उप मंडलीय मुख्यालय,

(3) तहसील मुख्यालय,

(4) उप तहसील मुख्यालय,

(5) ब्लाक मुख्यालय,

(6) ऐसे स्थान जिनकी जनसंख्या साधारण क्षेत्रों में 5000 या अधिक तथा पिछड़े एवं पर्वतीय क्षेत्रों में 2500 या अधिक हो।

सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने हेतु शर्तें	संयुक्त डाक तार घर खोलने हेतु शर्तें
घाटे का ध्यान न दे करके भी न्यूनतम राजस्व की शर्त के बगैर उत्तरोत्तर व्यवस्था की जाएगी।	घाटे का ध्यान न देकर भी न्यूनतम राजस्व की शर्त के बगैर उत्तरोत्तर व्यवस्था की जाएगी।

(7) वे स्थान जहां पर ऐसे पुलिस स्टेशन स्थित हों जिनका इंचार्ज उप-निरीक्षक या इससे ऊपर के पद का पुलिस अधिकारी हो।

सार्वजनिक टेलीफोन घर की व्यवस्था के लिए शर्तें	संयुक्त डाक तार घर की व्यवस्था के लिए शर्तें
1	2
साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत, पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 20 प्रतिशत होना चाहिए।	साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यवस्था का प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत पिछड़े इलाकों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।

(8) आम रास्ते से दूर के स्थान सार्वजनिक टेलीफोन घर की व्यवस्था के लिए शर्तें	संयुक्त डाक तार घर की व्यवस्था के लिए शर्तें—
(क) मौजूदा एक्सचेंज से 40 कि० मी० से अधिक (अरीय दूरी) होनी चाहिए।	(क) मौजूदा तारघर से 20 कि० मी० से बाहर (अरीय दूरी) होनी चाहिए।
(ख) साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत, पिछड़े इलाकों में 10 प्रतिशत तथा पर्वतीय इलाकों में 15 प्रतिशत होना चाहिए।	(ख) साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत, पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए :
	(ग) साधारण इलाकों में प्रत्याशित घाटा 2000 रु० वार्षिक तथा पिछड़े पर्वतीय इलाकों में 5000 रु० से अधिक नहीं होना चाहिए।

(9) पर्यटन, तीर्थ केन्द्र/कृषि सिंचाई परियोजना स्थल/नगर

(क) साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत, पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।	(क) साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत, पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।

1	2
	(ख) साधारण इलाकों में प्रत्याशित घाटा 2000 रु० वार्षिक तथा पिछड़े, पर्वतीय इलाकों में 5000 रु० से अधिक नहीं होना चाहिए।
(10) सभी अन्य स्थान	
सार्वजनिक टेलीफोन घर की व्यवस्था के लिए शर्त।	संयुक्त डाक तार घर की व्यवस्था के लिए लिए शर्त
वित्तीय व्यवहार्यता के आधार पर या हानि की दिशा में किराये और गारंटी के आधार पर।	वित्तीय व्यवहार्यता के आधार पर या हानि की दिशा में किराये और गारंटी के आधार पर।

नोट :—1. (क) जनसंख्या संबंधी आंकड़ों पर विचार करते समय केवल अकेले नगर या ग्राम की जनसंख्या पर ही विचार करना चाहिए न कि नगरों या ग्रामों के समूह की जनसंख्या पर। आदिवासी क्षेत्रों में किसी केन्द्रीय स्थान से 10 कि० मी० अर्द्धव्यास के वृत में आए हुए सभी स्थानों की सम्मिलित जनसंख्या यदि 2500 या उससे अधिक हो तो केन्द्रीय स्थान पर बिना हानि और अल्पतम राजस्व की शर्तों के सार्वजनिक टेलीफोन खोला जा सकता है। इस छूट के अन्तर्गत कोई भी दो सार्वजनिक टेलीफोन 10 कि० मी० से कम दूरी पर नहीं खोले जा सकते।

(ख) सार्वजनिक टेलीफोनों की व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण केन्द्रीय ग्राम निर्धारित करने के लिए निम्न क्रम में वरीयता दी जाएगी :—

(1) जनजातीय विकास खण्ड मुख्यालय,

(2) जिन स्थानों पर लैम्पस (बड़े आकार की बहुद्देशीय सहकारी समितियां) स्थापित हैं,

(3) ग्रामीण उद्योगों में और/अथवा व्यापक कृषि विकास हेतु सिंचाई परियोजनाओं के लिए स्थानीय जनजाति विकास विभागों द्वारा निर्धारित केन्द्र।

नोट—2. यदि प्रस्तावित तार घर के आठ किलो मीटर के भीतर कोई अन्य तार घर कार्य करता हो तो घाटे पर कोई भी तार घर नहीं खोला जाना चाहिए।

बम्बई में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन रिफाइनरी की क्षमता में वृद्धि का प्रस्ताव

2564. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन रिफाइनरी की क्षमता में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इसकी वर्तमान क्षमता क्या है तथा प्रस्तावित क्षमता (टनों में) क्या होगी;

(ग) विशाखापत्तनम रिफाइनरी की वर्तमान क्षमता क्या है तथा इसकी बढ़ी हुई प्रस्तावित क्षमता क्या होगी;

(घ) इन रिफाइनरी यूनिटों की क्षमता में कब तक विस्तार किए जाने की संभावना है;

(ङ) छठी योजना अवधि के दौरान हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन का विस्तार तथा निवेश कार्यक्रम क्या है; और

(च) छठी योजना अवधि के दौरान शुरू की जाने वाली प्रस्तावित मुख्य परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक परियोजना की क्षमता तथा लागत क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्तमान क्षमता 3.5 मिलियन मी० टन प्रति वर्ष की है, और विस्तार प्रस्ताव, जिस पर विचार किया जा रहा है, में शोधनशाला का विस्तार 2 मिलियन मी० टन प्रतिवर्ष तक करने की परिकल्पना की गई है ।

(ग) विशाखापत्तनम शोधनशाला की वर्तमान क्षमता 1.5 मिलियन मी० टन प्रतिवर्ष की है । विस्तार के बाद, यह बढ़ कर 4.5 मिलियन मी० टन प्रति वर्ष की हो जायेगी ।

(घ) ऐसी आशा है कि विशाखापत्तनम शोधनशाला का विस्तार मार्च, 1984 तक पूरा कर लिया जाएगा । बम्बई में एच० पी० सी० एल० शोधनशाला के प्रस्तावित विस्तार पर विचार किया जा रहा है ।

(ङ) एच० पी० सी० एल० के मामले में अनुमोदित कुल छठी योजना का परिव्यय 208.80 करोड़ रुपये का है ।

(च) छठी योजना के दौरान प्रमुख एच० पी० सी० एल० की परियोजनाओं के ब्यौरे नीचे दिए गये हैं :—

	प्रायोजना का नाम	अनुमोदित लागत	क्षमता
1	2	3	4
1.	ल्यूब शोधनशाला का विस्तार	10 करोड़ रुपये	हाई विस्कोसिटी इन्डेक्स ल्यूब बेस स्टाक की 74,000 मी० टन प्रति वर्ष का वृद्धिशील उत्पादन ।

1 2	3	4
2. विशाख शोधनशाला का विस्तार	65.85 करोड़ रुपये	विस्तार से परिशोधन क्षमता 4.5 मिलियन मी०/टन प्रति वर्ष तक बढ़ जायेगी।
3. बम्बई हाई गैस (चरण-1) से एल. पी. जी. का विपणन	12.25 करोड़ रुपये	84,000 मी० टन/प्रतिवर्ष एल. पी. जी.।
4. एल. पी. जी. का विपणन (चरण-11)	13.61 करोड़ रुपये	42,000 मी० टन/प्रतिवर्ष एल. पी. जी.।
5. बम्बई-पुणे पाइप लाइन	21.17 करोड़ रुपये	—

6. बम्बई शोधनशाला विस्तार का प्रस्ताव विचाराधीन है।

तेल का आयात

2565. श्री अरुण कुमार नेहरू : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार तेल का कुल कितना आयात किया गया और किस मूल्य पर;

(ख) किन-किन देशों से तेल का आयात किया गया; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में तेल का कितना उत्पादन हुआ ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान आयात किये गये कच्चे तेल की मात्रा और उस पर व्यय की गई विदेशी मुद्रा निम्न प्रकार है :—

वर्ष	मि० मी० टनों में आयातित मात्रा	मूल्य करोड़ रुपये में
1978-79	14.66	1251.17
1979-80	16.12	2187.53
1980-81*	16.25	3348.04

(ख) 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के दौरान निम्नलिखित देशों से कच्चा तेल आयात किया गया था :—

*अस्थायी।

साऊदी अरब, ईराक, ईरान, यू. ए. ई, यू. एस. एस. आर. कतार नाइजीरिया, लिबिया, कुवैत, मलेशिया, अल्जीरिया, वेनजयूऐला और मेक्सिको।

(ग) गत 3 वर्षों के दौरान कच्चे तेल का स्वदेशी उत्पादन निम्न प्रकार है :—

वर्ष	मि० मी० टनों में स्वदेशी उत्पादन
1978-79	11.63
1979-80	11.77
1980-81*	10.51

तिब्बती शरणार्थियों का पुनर्वास

2566. श्री एस० बी० सिदनाल :

श्री संतोष मोहन देव : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में पुनः बसाये गए तिब्बती शरणार्थियों की संख्या क्या है और इन्हें किन-किन स्थानों पर बसाया गया है;

(ख) भूटान से भारत आ रहे तिब्बती शरणार्थियों की कुल संख्या क्या है; और

(ग) देश के विभिन्न भागों में उनकी पुनर्वास योजनायें क्या हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० के थुंगन) : (क)

स्थान का नाम	तिब्बती शरणार्थियों की संख्या
(1) कावेरी घाटी बस्ती	4990
(2) मुंड गोड	4926
(3) बैलाकुपे	4300
(4) कोलेगल	3303
योग :	17,519

(ख) 1,500.

(ग) 648 शरणार्थी, जो पहले ही आ गये थे, को कर्नाटक में मुंड गोड और कोलेगल कृषि योजनाओं में बसा दिया गया है। जनवरी-फरवरी, 1982 में आने वाले 663 शरणार्थियों को

*अस्थायी

देहरादून (उ० प्र०) में गैर कृषि व्यवसायों में बसाया जाएगा। शेष तिब्बती शरणार्थी 'आत्म निर्भर' श्रेणी के हैं जो स्वयं ही विभिन्न भागों में बस रहे हैं/बस जाएंगे।

राज्यों की एल० पी० जी० गैस की सप्लाई

2567. श्री बसुदेव आचार्य : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों के वर्षवार और राज्यवार एल० पी० जी० की कितनी सप्लाई की गई; और

(ख) आवंटन और सप्लाई के बीच अन्तर को दूर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) और (ख) राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को एल० पी० जी० (खाना पकाने की गैस) के आवंटन की कोई प्रणाली नहीं है। गत तीन वर्षों के दौरान तेल कंपनियों द्वारा सप्लाई की गई एल. पी. जी. के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गये हैं।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान कंपनियों द्वारा सप्लाई की गई एल. पी. जी. के राज्य-वार ब्यौरे

	राज्य/संघ शासित प्रदेशों का नाम	1978-79	1979-80	1980-81
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	25,327	2,471	59,988
2.	असम	3,137	2,774	2,282
3.	बिहार	9,036	8,562	12,2·6
4.	गुजरात	33,798	33,577	32,597
5.	हरियाणा	7,032	8,225	8,064
6.	हिमाचल प्रदेश	429	504	543
7.	जम्मू और काश्मीर	1,881	1,953	1,972
8.	कर्नाटक	16,808	15,716	15,994
9.	केरल	8,522	8,359	7,256
10.	मध्य प्रदेश	14,553	14,763	11,841

1	2	3	4	5
11.	महाराष्ट्र	1,20,586	1,18,047	1,35,046
12.	मणिपुर	139	104	74
13.	मेघालय	343	271	264
14	नागालैंड	178	181	155
15.	उड़ीसा	2,332	2,391	2,589
16.	पंजाब	6,168	7,021	6,479
17.	राजस्थान	5,763	4,724	5,095
18.	सिक्किम	111	123	117
19.	तमिलनाडु	33,781	23,900	32,247
20.	त्रिपुरा	89	56	44
21.	उत्तर प्रदेश	28,531	29,478	29,362
22.	पश्चिम बंगाल	19,864	21,023	18,653
23.	चण्डीगढ़	3,304	3,439	3,683
24.	दिल्ली	45,160	46,739	47,423
25.	गोआ, दमन और दीव	1,559	1,316	1,451
26.	मिजोराम	120	65	26
27.	पांडीचेरी	477	591	508
	जोड़	389428	388612	406009

औरंगाबाद (महाराष्ट्र) में डाक कर्मचारियों के लिये स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण

2568. **श्री एम० मुरुगैयन** . क्या संचार मंत्री औरंगाबाद में डाक कर्मचारियों के लिए स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के बारे में 15 सितम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3352 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औरंगाबाद (महाराष्ट्र) में स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण हेतु मंगाए गए टेंडरों पर निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण परियोजना का कार्य किसे सौंपा गया है;

(ग) क्या उपर्युक्त परियोजना का निर्माण कार्य शुरू हो गया है; यदि हां, तो कब और उसमें क्या प्रगति हुई है ?

(घ) यदि अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) रिहायश हेतु ये मकान कब तक तैयार हो ज येंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) से (ङ) निविदाएं 28-11-1981 को स्वीकृत की गई थीं। बम्बई के मैसर्स बनारी लाल सेवा राम को दिनांक 30-11-81 को कार्य सौंपा गया है। यह कार्य अभी शुरू किया जाना है। ऐसी आशा है कि स्टाफ क्वार्टर अप्रल 1983 तक अधिग्रहण हेतु तैयार हो जाएंगे।

छठी योजना के दौरान उप-डाकघरों के लिए विभागीय भवनों का निर्माण

2569. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न राज्यों में ऐसे उप-डाकघरों की कुल संख्या क्या हैं जो किराये के भवनों में चल रहे हैं;

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल कितने विभागीय भवनों का निर्माण कराए जाने का प्रस्ताव है तथा विभिन्न राज्यों में ऐसे डाकघरों का ब्यौरा तथा नाम क्या हैं जिन्हें विभागीय भवन उपलब्ध कराये जायेंगे; और

(ग) क्या इस संबंध में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों को वरीयता दी जाती है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केरल पन्डियार-पुन्नापुझा पन बिजली योजना के बारे में केरल और तमिलनाडु के बीच समझौता

2570. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल पन्डियार-पुन्नापुझा पन बिजली योजना के संबंध में केरल और तमिलनाडु के बीच अन्तर्राष्ट्रीय समझौता कराने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : केरल पन्डियार-पुन्नापुझा स्कीम, तमिनलनाडु प्राधिकारियों द्वारा तैयार की गई पन्डियार-पुन्नापुझा परियोजना के टेलरेस विकास के रूप में प्रस्तावित की गई है। इस संबंध में तमिलनाडु तथा केरल के बीच 1965 में तत्कालीन सदस्य, योजना आयोग की उपस्थिति में एक समझौता हुआ था। इसके अन्तर्गत पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली वेलीयार नदी की सहायक नदियों नामशः पन्डियार और पुन्नापुझा के जल को

विद्युत उत्पादन के लिए एकत्रित करने की अनुमति तमिलनाडु को दी गई थी और टेलरेस जल को उसी बेसिन में अनुप्रवाह में केरल द्वारा विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए छोड़ दिया जाना था। बाद में इस बेसिन के कुछ जल को पूर्व दिशा की ओर व्यपवर्तित करने के संबंध में तमिलनाडु सरकार द्वारा पुनर्विचार किया गया है। केरल सरकार ने सूचित किया है कि इस मामले पर इस समय दोनों राज्य सरकारों द्वारा विचार विमर्श किया जा रहा है। केन्द्र सरकार का हस्त-क्षेप आवश्यक हो, इससे पहले, इन विचार-विमर्शों के परिणामों की प्रतीक्षा है।

तेल के नये कुओं का पता लगाना

2571. **श्री एन० ई० होरो : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों, विशेषकर बिहार में तेल के नये कुओं की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा कोई प्रयास किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (प्रकाश चन्द सेठी) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

(विवरण)

नये तेल कूपों की खोज के सम्बन्ध में विवरण

(क) और (ख) : छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की काम्बे की खाडी में माही तथा ताप्ती नदियों के बीच सम्भावित पिछले क्षेत्रों में तथा पटान दबाव, संचार बारमेढ बेसिन, पश्चिम क्षेत्र के कच्छ तथा सौराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में अन्वेषण प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है। पूर्वी क्षेत्र में, धनसीरी घाटी, कच्छर ब्रह्मपुत्र के उत्तर तट, नागा पहाड़ी क्षेत्र तथा निकटवर्ती क्षेत्रों जैसे बिल्कुल नये क्षेत्रों में अन्वेषी व्यधन प्रयास किये जायेंगे। केन्द्रीय क्षेत्र में, त्रिपुरा राजस्थान, पश्चिम बंगाल (सुन्दरवन के निकटवर्ती पिछले जल क्षेत्रों सहित) कृष्णा गोदावरी डेल्टा तथा कावेरी बेसिन में नये क्षेत्रों में अन्वेषी व्यधन कार्य किया जायेगा। हिमालय की तराइयों तथा गंगा घाटी में भी अन्वेषी व्यधन किये जाने की योजना है। अपतटीय क्षेत्रों में, पूर्वी तट बेसिनों में नये क्षेत्रों में जैसे कि कृष्णा, गोदावरी, पाक बे, कावेरी, अण्डेमान अपतटीय शेल्क और साथ ही साथ पश्चिमी महाद्वीप शेल्क में अन्वेषी व्यधन कार्य किया जायेगा। ताप्ती हाई तथा बेसिन बी-38 की ओर अभिमुख तथा रत्नागिरी शेल्क और साथ ही साथ सौराष्ट्र मेहराव, कच्छ शेल्फ इत्यादि संरचनाओं का भी अन्वेषण किया जायेगा। अभी शेल्क सीमान्त क्षेत्रों में अन्वेषण कार्य किया जा रहा है तथा इसका शेल्क के गहरे जल में स्थित संरचनाओं (300 मीटर की जल गहराई तक) विस्तार किया जायेगा।

आयल इन्डिया लिमिटेड (ओ. आई. एल.) हाइड्रोकार्बनों के लिये सक्रिय रूप से ऊपरी असम, अरुणाचल प्रदेश तथा महानदी बेसिन के तटीय एवं अपतटीय क्षेत्रों में खोज कार्य कर रहा है। इसे राजस्थान का एक क्षेत्र भी दिया गया है।

बिहार में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा वायु चुम्बकीय सर्वेक्षणों के अतिरिक्त गुरुत्व चुम्बकीय के 12 पार्टी वर्ष तथा भू-कम्पीय सर्वेक्षण के 9 पार्टी वर्ष कार्य किया गया। सर्वेक्षणों के आधार पर पूर्णिया तथा रकसोल में 2 गहरे कूपों का व्यधन किया गया। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने बिहार के पश्चिम चैम्परान जिले में वेरिया के पास एक प्राचलिक कूप (पैरासिट्रिक कूप) का व्यधन किया है। वर्तमान सत्र में एक भू-कम्पीय दल को पश्चिम चैम्पारन के गनाली क्षेत्र में सर्वेक्षण करने के लिये लगाया गया है।

मथुरा में गैस एजेंसियों का खोला जाना

2572. **श्री दिगम्बर सिंह :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री आगरा डीलर्स द्वारा मथुरा को एल. पी. जी. की सप्लाई के संबंध में दिनांक 15 सितम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4250 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मथुरा तथा मथुरा छावनी में गैस एजेंसियों के खोले जाने में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) अब तक आबंटित की गई गैस एजेंसियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनको कार्य शुरू करने में कितना समय लगेगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाशचन्द सेठी) : (क) मथुरा/वृंदावन के लिए एक खाना पकाने की गैस एजेंसी स्थापित करने की योजना पहले से ही बनायी गई है।

(ख) जी, कोई नहीं।

(ग) वितरक के चयन की तिथि से सामान्य रूप से लगभग 4-6 महीनों का समय लगता है।

कर्नाटक में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए राशि

2573. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने कर्नाटक में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के लिए राशि की मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं के नाम क्या हैं;

(ग) इन योजनाओं के लिए कितनी राशि मंजूर की गई है; और

(ख) इन योजनाओं के किस तारीख तक पूरा होने की संभावना है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) अक्तूबर, 1981 के अन्त तक ग्राम विद्युतीकरण ने कर्नाटक में 176 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए 51.11 करोड़ रुपए की राशि की ऋण सहायता स्वीकृत की है।

(ख) 176 स्कीमों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) 176 स्कीमों के लिए स्वीकृत ऋण सहायता 51.11 करोड़ रुपए है।

(घ) 11 स्कीमों के मामले में इनके अन्तर्गत आने वाले सभी गांव विद्युतीकृत कर दिए गए हैं। शेष स्कीमें कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं और कार्यान्वित की जा रही हैं। ये स्कीमें कर्नाटक बिजली बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं। यह उम्मीद है कि शेष स्कीमों का कार्यान्वयन 1985-86 तक पूरा हो जाएगा।

विवरण

ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा 31.10.1981 तक कर्नाटक में स्वीकृत ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों का ब्यौरा दिखाने वाला विवरण

क्र० सं०	स्कीम का नाम (ब्लाक/तहसील)	जिला	क्र० सं०	स्कीम का नाम (ब्लाक/तहसील)	जिला
1.	चिकबलापुर	कोलार	20.	बेल्लारी	बेल्लारी
2.	इन्दी	बीजापुर	21.	पवगादा	तुमकुर
3.	रायबाग	बेलगांव	22.	बीदड़	बीदड़
4.	अथानी	बेलगांव	23.	कुन्डापुर	दक्षिणी केनारा
5.	सिदलागहाटा	कोलार	24.	बेलगांव	बेलगांव
6.	रानीबेन्नूर	धारवाड़	25.	कोलार	कोलार
7.	मंटार्गी	धारवाड़	26.	हंगुन्द	बीजापुर
8.	अलांड	गुलबर्ग	27.	नागमंगला	मान्ड्य
9.	रामनगरम	बंगलौर	28.	कोलेगाल	मैसूर
10.	गदग	धारवाड़	29.	अंकोला	उत्तरी केनारा
11.	औराद	बीदड़	30.	बागबाड़ी	बीजापुर
12.	करकला	दक्षिणी केनारा	31.	बासवकल्याण	बीदड़
13.	हिरीयूर	चीरादुर्गा	32.	बदामी	बीजापुर
14.	तिपतूर	तुमकुर	33.	भोल्की	बीदड़
15.	चिकोडी	बेलगांव	34.	हीरेकेरूर	धारवाड़
16.	कोप्पल	रायचूर	35.	रायचूर	रायचूर
17.	गंगावती	रायचूर	36.	मलूर एस. एस.	कोलार
18.	सिंटागी	बीजापुर	37.	एच डी कोटे	मैसूर
19.	बेलूर	हसन	38.	तरीकेरी	चिकमंगलूर

क्रम सं०	स्कीम का नाम (ब्लाक/तहसील)	जिला	क्रम सं०	स्कीम का नाम (ब्लाक/तहसील)	जिला
39.	इंदी-दो	बीजापुर	66.	नरसिंहमराजपुरा	चिकमंगलूर
40.	नूगेहेली	हसन	67.	बंगलौर एल.टी.सी.	बंगलौर
41.	सी. आर. आर. पटना	हसन	68.	हुगली एल. टी. सी.	धारवाड़
42.	शिकारीपुर	शिभोगा	69.	भटकल	उत्तरी केनारा
43.	नीलमंगला	बंगलौर	70.	श्रीनिवासपुरा एल. टी.	कोलार
44.	सिंगादा एम. जी.	बीजापुर	71.	मुलबागल एस. आई.	कोलार
45.	चीतापुर	गुलबर्गा	72.	चिक्काबल्लापुर एल. टी.	कोलार
46.	सेदम	गुलबर्गा	73.	कोरातगेरे एल. टी.	तुमकुर
47.	हेंगल	धारवाड़	74.	जेवार्गी	गुलबर्गा
48.	कुम्ता	उत्तरी केनारा	75.	जेवार्गी-दो	गुलबर्गा
49.	सोमवरपेट	कुर्ग	76.	धारवाड़	धारवाड़
50.	सागर एम. पी. एस.	शिभोगा	77.	ब्यादगी	धारवाड़
51.	भेलाहोंगाला	बेलगांव	78.	लिंगसुगुर एस. पी. ए.	रायचूर
52.	सौदट्टी	बेलगांव	79.	गुब्बी एस. आई.	तुमकुर
53.	मधुगिरी एस. एस.	तुमकुर	80.	कोरातगेरे एस. आई.	तुमकुर
54.	सिरा एस. एस.	तुमकुर	81.	कुशतागी	रायचूर
55.	बगारपेट	कोलार	82.	गोकाक-तीन एस. पी. ए.	बेलगांव
56.	गोकाक	बेलगांव	83.	बेलावाड़ी एस. पी. ए.	मैसूर
57.	मुद्कोबिहाल	बीजापुर	84.	पोनिया एस. पी. आई.	बंगलौर
58.	मादाकेरा	चीतादुर्ग	85.	शीराहात्ती	धारवाड़
59.	शोरापुर	गुलबर्गा	86.	नेलमंगला एस. पी. ए.	बंगलोर
60.	कोजलगी	बेलगांव	87.	हंसूर	मैसूर
61.	बैंकमपाडी	दक्षिणी केनारा	88.	निप्पानी एस. पी. ए.	बेलगांव
62.	श्रीनिवासपुरा एस. आई.	कोलार	89.	चिकोदी एस. पी. ए.	बेलगांव
63.	चमेराजनगर ए.स आई.	मैसूर	90.	रायबाग एस. पी. ए.	बेलगांव
64.	चमेराजनगर एल.टी.	मैसूर	91.	अथानी एस. पी. ए.	बेलगांव
65.	इकबाल एम. एफ.	दक्षिणी केनारा	92.	अथानी-दो एस. पी. ए.	बेलगांव

क्र० सं०	स्कीम का नाम (ब्लाक/तहसील)	जिला
93.	बोमासान्द्रा एस. पी. ए.	बंगलौर
94.	मेगादी	बंगलौर
95.	कृष्णाराजपेट	मान्ड्या
96.	देवदुर्ग	रायचुर
97.	बेलगांव एस. पी. डी.	बेलगांव
98.	गुलबर्गा एस. पी. डी.	गुलबर्गा
99.	धारवाड़ एस. पी. डी.	धारवाड़
100.	बागवई एस. पी. ए.	बीजापुर
101.	येलबर्गा एस. पी. डी.	रायचूर
102.	बीजापुर-एक एस. पी. ए.	बीजापुर
103.	सिदांगी-एक एस. पी. ए.	बीजापुर
104.	सागर एस. यू.	शिमोगा
105.	सिदांगी-दो एस. पी. ए.	बीजापुर
106.	बीजापुर-दो एस. पी. ए.	बीजापुर
107.	इन्दी ए. पी. ए.	बीजापुर
108.	एलबर्गा एस. पी. ए.	रायचूर
109.	मुदगेरा	चिकमंगलूर
110.	रायबाग एस. पी. ए.	बेलगांव
111.	औरद एस. पी. ए.	बीदड़
112.	हरापनहाली एस. पी. ए.	बेल्लारी
113.	येलबर्गा एस. पी. ए.	रायचूर
114.	मालीबल्ली एस. पी. ए.	मान्ड्या
115.	सौंटट्री एस. पी. ए.	बेलगांव
116.	इन्दी-दो एस. पी. ए.	बीजापुर
117.	मंदार्गी एस. पी. ए.	धारवाड़
118.	चैन्नापटना एस. पी. ए.	बंगलौर
119.	सिन्धानूर एस. पी. ए.	रायचूर
120.	कालधाटगी	धारवाड़
121.	साराबा	शिमोगा
122.	तुरवेकेरे	तुमकुर
123.	बीजापुर ए. पी. डी.	बीजापुर
124.	शिग्गान	धारवाड़
125.	यादगीर	गुलबर्गा
126.	विराजपत	कुर्ग
127.	रोन एस. पी. ए.	धारवाड़
128.	बेलहोंगल एस. पी. ए.	बेलगांव
129.	हादगली एस. आई.	बेल्लारी
130.	अनेकल एस. आई.	बंगलौर
131.	हिरीयूर एस. पी. ए.	चिरदुर्ग
132.	कोलार	कोलार
133.	कोप्पा एस. आई.	चिकमंगलूर
134.	नागमंगला	मान्ड्या
135.	के. आर. नगर	मैसूर
136.	बीदड़ एस. पी. ए.	बीदड़
137.	अफजलपुर एस. पी. ए.	गुलबर्गा
138.	नागमंगला	मान्ड्या
139.	अनेकल एस. पी. ए.	बंगलौर
140.	मलूर एस. पी. ए.	कोलार
141.	पांच जिले, एस. बी.	चिकमंगलूर
142.	तीन जिले एच. बी.	चिरदुर्ग
143.	कोलार एच. बी.	कोलार
144.	बेल्लारी एच. बी.	बेल्लारी
145.	चित्रादुर्ग एच. बी.	चित्रादुर्ग
146.	चिकमंगलूर एच. बी.	चिकमंगलूर

क्रम सं० स्कीम का नाम (ब्लाक/तहसील)	जिला	क्रम सं० स्कीम का नाम (ब्लाक/तहसील)	जिला
147. कोलार एच. बी.	कोलार	162. तुमकुर एच. बी.	कोलार
148. मान्ड्या एच. बी.	मान्ड्या	163. कोलार एच. बी.	कोलार
149. बीजापुर एच. बी.	बीजापुर	164. बंगरपेट एच. बी.	कोलार
150. मैसूर एच. बी.	मैसूर	165. हुकेरी	बेलगांव
151. बंगलौर एच. बी.	बंगलौर	166. मेरकारा	कुर्ग
152. हसन एच. बी.	हसन	167. येलापुर	उत्तरी केनारा
153. गुलबर्गा एच. बी.	गुलबर्गा	168. सोसानगारा	शिमोगा
154. उत्तरी केनारा एच. बी.	उत्तरी केनारा	169. सुपा	उत्तरी केनारा
155. चिकमंगलूर एच. बी.	चिकमंगलूर	170. खानपुर	बेलगांव
156. तुमकुर एच. बी.	तुमकुर	171. सिरसी	उत्तरी केनारा
157. बल्लारी एच. बी.	बल्लारी	172. काड़वाड़	उत्तरी केनारा
158. मद्दुर एच. बी.	मान्ड्या	173. सिद्दपुर	उत्तरी केनारा
159. बंगलौर एच. बी.	बंगलौर	174. मोलाकालमुरू	चित्रदुर्ग
160. चित्रदुर्ग एच. बी.	चित्रदुर्ग	175. मलूर	कोलार
161. मनारी एच. बी.	रायचूर	176. सिदालगाट्टा	कोलार

टेलीफोन प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर के विकास हेतु योजना

2574. **श्री सुन्दर शर्मा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या टेलीफोन प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर के विकास के लिए कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां । जबलपुर सहित विभिन्न दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण सुविधाओं के विकास हेतु छठी पंचवर्षीय योजना में, पर्याप्त निधि की व्यवस्था की गई है ।

(ख) दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर हेतु अडीटोरियम के निर्माण हेतु हमने मंजूरी प्रदान कर दी है जिसका विस्तृत ड्राइंग तैयार किया जा रहा है । इसके अलावा एक छोटी स्टेडियम, अधिकारियों हेतु दूसरा हास्टल, दूसरी प्रशासनिक इमारत, समाज सदन, कर्मचारियों हेतु क्वार्टर, डाक-तार औषधालय की इमारत, माइक्रोवेव, पी. सी. एम., यू. एच. एफ., टेलेक्स तथा वातानुकूलन हेतु अतिरिक्त उपस्कर की व्यवस्था विचाराधीन है और

व्यवहार्यता एवं तकनीकी आवश्यकताओं के पूरा होने पर ये सुविधायें उपलब्ध करा दी जायेंगी।

"कोल बींग स्मगल्ड टू बंगला देश" शीर्षक समाचार

2575. **श्री चतुर्भुज :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 नवम्बर, 1981 के इण्डियन एक्सप्रेस में "कोल बींग स्मगल्ड टू बंगला देश" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तस्करी रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल जिम्मेदार है। ऐसी कथित तस्करी की रिपोर्टें गृह मंत्रालय की जानकारी में ला दी गई हैं ताकि वह सीमा सुरक्षा बल के प्राधिकारियों को, सीमाओं पर चौकसी और कड़ी करने के लिए अनुदेश जारी कर दे।

दिल्ली में टेलीफोन कनवेक्शनों के लिए प्रतीक्षा-सूची

2576. **श्री सी० टी० दण्डपाणि :** क्या संचार मंत्री दिल्ली टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची के बारे में 1 सितम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 225 के भाग (ख) के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली के प्रत्येक टेलीफोन एक्सचेंज की विभिन्न श्रेणियों में नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा-सूची में किस क्रमसंख्या तथा तिथि तक लोगों को 30 नवम्बर, 1981 तक टेलीफोन कनेक्शन दे दिया गया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : दिल्ली के प्रत्येक टेलीफोन एक्सचेंज की विभिन्न श्रेणियों में नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा-सूची में किस क्रम संख्या तथा तिथि तक लोगों को 30 नवम्बर, 81 तक दिए गए टेलीफोन कनेक्शन विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

30-11-1981 को निपटान की तारीखों सहित पंजीकरण संख्याओं को दर्शाने वाला विवरण

कोड	एक्सचेंज का नाम	ओ० वाई० टी० सामान्य		ओ० वाई० टी० विशेष		सामान्य	
		पंजीकरण संख्या	निपटान की तारीख	पंजीकरण संख्या	निपटान की तारीख	पंजीकरण संख्या	निपटान की तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8
उत्तर							
804	प्रगति मैदान	चालू	—	चालू	—	चालू	–
20	शाहदरा पूर्व	एस.एच.ई. ओवाईटी जी. बी. 129-ए	30-3-77	एस.एच.ई. ओवाईटी एस. आई	6-2-80	एस.एच.ई. एन-ओवाईटी-जी. आर. 327	29-9-76
21	शाहदरा	एस. ए. ओवाईटी जी. बी. 241	14-7-78	एस.ए. ओवाईटी गवंमेंट 274	20-2-80	एस.ए-385	19-1-65
22,23 एवं 25	तीस हजारी	टी.ए. ओवाईटी-जी. 3132	5-1-81	टी.ए. ओवाईटी-एस. 3011 ए	5-1-81	टी.ए. एन-ओवाईटी जी. आर. 20582. टी	17-3-80
26, 27	दिल्ली गेट	डी.ए. ओवाईटी-जी. बी. 3128	29-11-80	डी.ए. ओवाईटी-एस. 3083 ए	5-1-81	डी.ए. एन-ओवाईटी. जी. 17569 ए	30-11-79
84	गाजियाबाद-11	जी.ए. ओवाईटी-जी. 3055	3-1-81	जी.आर. ओवाईटी-एस. 3014	31-8-81	जी.ए. 1689	12-4-72
	गाजियाबाद-1	जी.ए. ओवाईटी-जी. 3126	31-8-81	जी.ए. ओवाईटी-एस 3050	31-8-81	जी.ए. 1353	21-7-70

1	2	3	4	5	6	7	8
दक्षिण							
61,62,69	जोरबाग	जी.ए. ओवाईटी. जी. आर. 9119	17-8-79	जे.ए. ओवाईटी-एस 39	31-5-80	जे.ए. एन-ओवाईटी जी.आर. 20781	7-7-78
63	ओखला	एल.ए. ओवाईटी-जी. 4699	14-7-78	एल.ए. ओवाईटी-एस. 3088	31-7-80	एल.एन. ओवाईटी-जी. आर. 3618	13-10-78
65, 66	हौजखास	एच.के. ओवाईटी-जी. आर. 599	14-7-78	एच.के. ओवाईटी-एस. 6-सी	31-3-80	एच.के. एन. ओवाईटी-जी.आर. 123	29-3-76
67	चाणक्यपुरी	सी. जी. ओवाईटी-जी. आर. 1163-एल	31-5-80	सी.एच. ओवाईटी-एस. 3024-ए	25-9-80	सी.एच.एन. ओवाई-टी. जी आर. 2335	15-11-78
68,	नेहरू प्लेस	एल.ए.ओ. 1791	4-6-74	ए.पी. ओवाईटी-एस 2-ए (i)	7-5-80	एल.ए. 3535	9-2-68
81	फरीदाबाद	एफ.ए. ओवाईटी-जी. 807	14-7-79	एफ.ए. ओवाईटी-एस. 3-ए	25-4-80	एफ.ए. 2579	16-5-79
82	बदरपुर	चालू	चालू	चालू	—	चालू	—
83	बल्लभगढ़	बी.एल.ए. ओवाईटी 3001	2-6-80	बी.ए.लए. ओवाईटी-एस. 3002-ए	25-10-80	बी.एल.ए. 21	21-8-77
पश्चिम							
71, 74	शक्तिनगर	एस.के. ओवाईटी-जी. के. 536	14-7-78	एस.के. ओवाईटी-एस. 11	29-2-80	एस.के.एल. ओवाईटी जी.आर. 1115	30-6-78

1	2	3	4	5	6	7	8
39	दिल्ली कैंट	डीसीए. ओवाईटी. जी. आर 2230	31-5-80	डीसीए. ओवाईटी. एस. 3116	23-1-81	डीसीए. एन. ओ. जी. आर. 4981	3-4-80
56, 58	करोलबाग	केए. ओवाईटी. जी आर 3576-ए	19-2-81	केए. ओवाईटी. एस. 3116	14-5-81	केबी. 9374	2-11-74
50, 53,59	राजौरी गार्डन	आरजी. ओवाईटी. जी. आर 3619-सी	25-3-81	आरजी. ओवाईटी. एस 3079	14-5-81	केए. 9081	9-4-75
801	अलीपुर	चालू	—	चालू	—	चालू	—
802	बादली	ओवाईटी. जी. आर. 132	31-5-80	बीडीएल. ओवाईटी. एस-3003	1-5-81	बीडीएल. एन. ओवाई टी. जी. आर. 348	5-3-79
55	जनकपुरी	जेकेपी. ओवाईटी. जी. आर 3027	5-11-80	जेकेपी. ओवाईटी. एस 3016-बी	5-1-81	जेकेपी. एन. ओवाई टी.जी. आर. 1570	6-4-78
83	बहादुरगढ़	बीएचए. ओवाईटी. जी. 213	14-7-78	बीएचए. ओवाईटी. एस. 3001	3-6-81	बीएचए. 282	18-1-72
86	नजफगढ़	एनजेए. ओवाईटी. जी. आर. 107-ए	14-7-78	एनजेए. ओवाईटी. एस. 3003	31-3-81	एनजेए. एन. ओ. जी. आर. 236	1-7-78
87	नांगलोई	एनजीए. ओवाई. जी. आर. 203	14-7-78	एनजीए. ओवाईटी. एस. 3001	8-8-80	एनजीए. एन. ओ. जी. आर 566	7-2-77
89	नरेला	एनआरएल. ओवाईटी. जी. आर. 303	28-2-81	एनआरएल. ओवाईटी. एस. आर-3805	25-6-81	एनआरएल. एन-ओवाईटी. जी. आर-618	31-3-80

1	2	3	4	5	6	7	8
सेंट्रल							
31,32,34,35	जनपथ	क्यूए. ओवाईटी. जी. बी. 336	14-7-78	क्यूए. ओवाईटी. एस. 3010.	11-6-80	क्यूए. एन-ओवाईटी. जी. आर. 2080	31-7-79
37	सचिवालय	एस. ओवाईटी. जी. वी. 148	14-7-78	एस. ओवाईटी-गवर्न 873-एस	29-2-80	एस. एन-ओवाईटी. जी. आर. 1338	15-4-78
38	राजपथ	आर. ओवाईटी. जी. बी. 638	14-7-78	आर. ओवाईटी-एस 6	16-5-80	आर. एन. ओवाईटी. जी. वी. 1612	14-10-77
41	कनाटप्लेस	सी-ओवाईटी. जी. आर. 3039	29-7-81	सी. ओवाईटी. एस. आर. 3030	29-7-81	सी. एन-ओवाईटी. जी. आर 5488	29-7-81
51,52	ईदगाह	आईडी. ओवाईटी. जी. बी 3101	22-10-80	आईडी. ओवाईटी. एस 3003	5-1-81	आईडी. एन-ओवाई. टी. जी. आर. 9318	17-8-79

स्पेशल		एस एस	
पंजीकरण संख्या	निपटान की तारीख	पंजीकरण संख्या	निपटान की तारीख
9	10	11	12
चालू	—	चालू	—
एसएचई. एन-ओवाईटी. एन. आर 12	18-2-77	एसएचईएन-ओवाईटी. एसएस। आर. 115	3-4-80
एसए. एसपी. 322-ए (11)	8-7-70	एसए. एन-ओवाईटी. एसएस. आर. 115	27-7-79
टीए. एन-ओवाईटी II स्पेशल. 1178	5-1-81	टीए. एन-ओवाईटी. एसए. 150	9-9-81
डीए. एन-ओवाईटी. एस. I 2512	5-1-81	डीए. एन-ओवाईटी. एसएस. आर. 152	30-5-81
जीए. एन-ओवाईटी. 709	2-4-08	जीआर. एन-ओवाईटी. एसएस. I	31-8-81
जीए. एन- ओवाईटी. एस. आर. 696	30-10-79	जीए. एन-ओवाईटी. एसएस. 135	31-7-81

9	10	11	12
जेए. एन. ओवाईटी. एस. आर. 2424	5-9-79	जेए. एन-ओवाईटी. एसएस. 1813	31-12-80
एलए. एन-ओवाईटी. एस. 804	31-10-79	एलए. एन-ओवाईटी. एसएस. 398	31-7-80
एचके. एन-ओवाईटी. एस. 315	7-3-79	एनके. एसए स. 514	8-7-80
सीएच. एन-ओवाईटी. एस. आर. 484	12-11-80	सीएच. एसएस. 831	31-1-81
एलए. एसपी. 52-एल	20-3-71	एनपी. एसएस. 22	15-11-80
एफए. एन-ओवाईटी. एस. 1. 697	17-1-80	एफए. एसएस. 138	31-3-81
चालू	—	चालू	—
बीएलए. एसपीओ. 17	8-1-70	बीएल. ए. एसए. 102	31-10-79
एसके. एन-ओवाईटी. एस. आर. 585	12-10-79	एसके. एन-ओवाईटी. एसएस. आर. 136	31-3-81
डीसीए. एन-ओ. एसपीआर. 750	20.10-80	डीसीए. एन. ओवाईटी. एसएस. आर. 298	31-3-81
केए. एन. ओवाईटी. एस. आर. 2983	14-5-81	केए. एन-ओ. एसएस. आर. 314-ए	14-5-81
आरजी. एन- ओवाईटी. एस. आर. 1029	14-5-81	आरजी. एन-ओवाईटी. एसएस. आर. 96	14-5-81
चालू	—	चालू	—
बीडीएल. एन-ओवाईटी. एस आर. 135	25-31-80	बीडीएल. एन-ओवाईटी. एसएस. आर. 102	13-12-79
जेकेपी. एन-ओवाईटी. एस. आर. 317	5-1-81	जेकेपी. एन-ओवाईटी. एसएस. आर- 139	31-3-81
केएचए. एसपी. 122	18-8-75	बीएचए. एन-ओ. एसएस. आर. 3	15-11-80
एनजेए. एन. ओ. एस. आर. 102	1-7-78	चालू	—
एनजीए. एन-ओवाईटी. एस. 1. 123	9-9-77	चालू	—
एनआरएल. एन-ओवाईटी. एस. 123	18-8-81	एनआरएल. एन-ओवाईटी. एसएस. आर. 102	28-1-81
क्यूए. एन. ओवाईटी. एस. आर. 1079	31-7-79	क्यूए. एन-ओवाईटी. एस. आर. 142	18-7-81
एस. एन. ओवाईटी. एस. आर. 116	14-6-79	एस. एन-ओवाईटी. एसएस. आर. 237	31-3-81
आर. एन-ओवाईटी. एस. आर. 264	19-11-79	आर. एन-ओवाईटी. एसएस. आर. 575	31-12-80
सी. एन-ओवाईटी. एस. आर. 1039	29-7-81	सी. एन. ओवाईटी. एसएस. आर. 210	29-7-31
आईडी. एन-ओवाईटी. एसआर. 2482	29-1-81	आईडी. एन-ओवाईटी. एसएस. आर. 140	13-3-81

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा कोयला क्षेत्रों के विकास हेतु योजना

2577. श्री निहाल सिंह : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने कोयला क्षेत्रों के विकास करने के लिये कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो विकसित किए जाने वाले कोयला क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है और उन पर कितना व्यय किये जाने का प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) कोल इंडिया लिमिटेड के केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान ने झरिया कोयला क्षेत्रों के कोयलाधारी क्षेत्रों के लिए पोलैंड की सहायता से एक मास्टर प्लान बनाया था।

योजना में बड़ी ओपेनकास्ट खानों और इक्कीस बड़े भूमिगत खनन ब्लाकों के निर्माण की ओर साथ ही सभी सतह आधारभूत सुविधाओं के पुनर्निर्माण की व्यवस्था है। योजना को लागू करने में रु० 2 00 करोड़ से ऊपर के अनुमानित निदेश की आवश्यकता होगी और आशा है कि यह योजना सन् 2000 ईस्वी तक पूरी हो जाने पर इससे 56 मिलियन टन कोककर और अकोककर कोयले का उत्पादन होगा।

राज्यवार कुकिंग गैस कनैक्शन

2578. श्री अशफाक हुसैन : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में इस समय कुकिंग गैस कनेक्शनं की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ख) इस समय कितने कनेक्शनों की राज्य-वार मांग है तथा वर्ष 1982 तक इसकी अनुमानित मांग क्या होगी तथा इस मांग को किस हद तक पूरा किया जाने की संभावना है;

(ग) कुकिंग गैस कनैक्शनों के वर्तमान डीलरों की श्रेणी-वार संख्या क्या है और निकट भविष्य में उनकी श्रेणी-वार संख्या में कितनी वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव है और उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) डीलरों के पास न्यूनतम तथा अधिकतम कनैक्शनों की संख्या क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) वर्तमान में देश में खाना पकाने की गैस (एल. पी. जी.) के कनैक्शनों के सम्बन्ध में राज्य-वार ब्योरे विवरण-1 में दिये गये हैं।

(ख) वैकलिपक ईंधनों जैसे कि मिट्टी का तेल, लकड़ी इत्यादि के प्रयोग को देखते हुए तरलीकृत पेट्रोलियम गैस की मांग के बारे में बताना सम्भव नहीं है। देश में तरलीकृत पेट्रोलियम

गैस की उपलब्धता में वृद्धि से, यह अनुमान है कि आने वाले वर्षों में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस की मांग को पूरी तरह पूरा किया जा सकेगा।

(ग) विद्यमान वितरकों तथा 1981-82 के लिए प्रस्तावित वितरकों के राज्यवार/वर्गवार ब्यौरे विवरण-2 तथा विवरण-3 में दिये गये हैं।

(घ) विभिन्न स्थलों में वितरकों द्वारा गैस कनैक्शन जारी करने की निर्धारित की गयी उच्चतम सीमा नीचे दी गयी है :—

बाजार	प्रतिमाह रिफिलों की संख्या
बम्बई	= 6,000
दिल्ली	= 4,000
अन्य शहर जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है	= 3,500
2 लाख से 10 लाख के बीच जनसंख्या वाले शहर	= 3,000
अन्य स्थान	= 2,500

सहकारी समितियों को इस उच्चतम सीमा से छूट दी गयी है।

विवरण-1

दिनांक 30.9.1981 की यथा स्थिति को खाना पकाने की गैस के उपभोक्ताओं के राज्यवार ब्यौरे

राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	उपभोक्ताओं की संख्या
1	2
1. जम्मू और काश्मीर	21,460
2. आन्ध्र प्रदेश	2,78,523
3. महाराष्ट्र	10,50,252
4. कर्नाटक	1,92,897
5. उड़ीसा	43,469
6. मध्य प्रदेश	1,94,075
7. गुजरात	3,80,551
8. राजस्थान	58,084

1	2
9. हरियाणा	62,988
10. असम*	44,757
11. हियाचल प्रदेश	8,769
12. बिहार	1,19,013
13. केरल	68,823
14. पंजाब	59,943
15. तमिलनाडु *	2,91,884
16. उत्तर प्रदेश	3,10,893
17. पश्चिम बंगाल	2,03,960
18. चण्डीगढ़	28,548
19. गोआ	15,224
20. दिल्ली	3,57,635
जोड़ :	37,91,748

विवरण-2

दिनांक 31.7.1981 की यथा स्थिति को एल. पी. जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों/ उपडिस्ट्रीब्यूटरशिपों की संख्या

राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	सामान्य	अनु. जाति	अनु. जनजाति	बेरो. स्ना/. बेरो. इंजी. स्ना.	शारीरिक रूप से विकलांग	योग
1	2	3	4	5	6	7
1. आन्ध्र प्रदेश	86	1	—	5	—	92
2. असम	5	2	—	3.	—	10
3. बिहार	26	2	1	5	—	34

*मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश सहित ।

**पांडिचेरी सहित ।

1	2	3	4	5	6	7
4. गुजरात	106	5	1	6	—	118
5. हरियाणा	17	—	—	—	—	17
6. हिमाचल प्रदेश	—	2	—	1	—	3
7. जम्मू और काश्मीर	19	—	—	—	—	19
8 कर्नाटक	61	3	—	2	—	66
9. केरल	13	1	—	8	—	22
10. मध्य प्रदेश	52	1	—	2	—	55
11. महाराष्ट्र	291	8	1	2	—	302
12. मणिपुर	1	—	1	—	—	1
13. मेघालय	2	—	—	—	—	2
14. नागालैंड	1	—	1	—	—	2
15. उड़ीसा	18	1	1	—	—	20
16. पंजाब	10	—	—	3	—	13
17. राजस्थान	10	—	—	1	—	11
18. सिक्किम	1	—	—	—	—	1
19. तमिलनाडु	44	2	—	27	—	73
20. त्रिपुरा	—	—	1	—	—	1
21. उत्तर प्रदेश	64	3	—	3	1	71
22. पश्चिम बंगाल	86	5	—	—	1	92
23. चण्डीगढ़	3	2	—	1	—	6
24. दिल्ली	70	3	—	—	—	83
25. मिजोरम	—	—	1	—	—	1
26. पांडिचेरी	1	—	—	1	—	2
27. गोआ, दमन और दीव	14	—	—	—	—	14
योग	1011	41	8	70	3	1131

*एस. सी.=अनुसूचित जाति, यू. जी.=बेरोजगार स्नातक, पी. एच.=शारीरिक रूप से विकलांग, एस. टी.=अनुसूचित जनजाति, यू. ई. जी.=बेरोजगार इंजीनियरिंग स्नातक।

विवरण-3

वर्ष 1981-82 के लिए तरलीकृत पेट्रोलियम गैस डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की योजना

राज्य/संघ शासित प्रदेश	संख्या
आन्ध्र प्रदेश	12
बिहार	20
गुजरात	21
हरियाणा	12
हिमाचल प्रदेश	4
कर्नाटक	23
केरल	10
मध्य प्रदेश	29
महाराष्ट्र	29
उड़ीसा	15
पंजाब	28
राजस्थान	33
तमिलनाडु	25
उत्तर प्रदेश	65
पश्चिम बंगाल	11
चण्डीगढ़	1
दिल्ली	4
गोआ, मदन और दीव	4
जम्मू और काश्मीर	6
योग :	352

*प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश के सम्बन्ध में यह डिस्ट्रीब्यूटरशिपें निम्नलिखित अनुपात में प्रदान की जायेंगी :—

श्रेणी		प्रतिशत
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	=	25
बेरोजगार स्नातक/बेरोजगार इंजीनियरिंग स्नातक	=	20
शारीरिक रूप से विकलांग	=	15
बकाया एस. डब्ल्यू/एफ.एफ	=	10
अन्य	=	30

बिहार के दरभंगा तथा अन्य रेडियो स्टेशनों से मैथिली समाचार बुलेटिनों का प्रसारण

2579. **श्री भोगेन्द्र झा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के दरभंगा तथा अन्य स्टेशनों से मैथिली समाचार बुलेटिनों को शामिल किये जाने की मांग की गई है, यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ख) बिहार के दरभंगा तथा अन्य रेडियो स्टेशनों मे मैथिली प्रसारण को कुल कितना समय दिया गया है और क्या प्रसारण के समय तथा कार्यक्रमों की मदों में वृद्धि करने का प्रस्ताव है; यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां । ऐसी कुछ मांगें रही हैं। तथापि, सरकार का यह सुविचारित मत है कि मैथिली के समाचार बुलेटिन की आवश्यकता सिद्ध नहीं होती क्योंकि आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र के सेवा क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र सहित बिहार में हिंदी बुलेटनों को व्यापक रूप से सुना जाता है ।

(ख) औसतन आकाशवाणी, दरभंगा मैथिली में प्रतिमाह 36 घन्टे की अवधि के कार्यक्रम प्रसारित करता है और आकाशवाणी, पटना प्रतिमाह 6 घंटे के अवधि के । इस अवधि को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि वर्तमान अवधि को पर्याप्त समझा जाता है । दरभंगा और पटना दोनों से प्रप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

आकाशवाणी, दरभंगा मैथिली में प्रतिमास 24 घंटे और 40 मिनट की अवधि के कार्यक्रम मूलरूप से प्रसारित करता है । यह पटना के 'भारती' कार्यक्रम को भी मैथिली में सप्ताह में दो बार रिले करता है । इसके अलावा, यह प्रतिमास लगभग 90 मिनट की अवधि के विद्यापति गीत और अन्य मैथिली गीत भी प्रसारित करता है । इस प्रकार एक मास में मैथिली कार्यक्रमों की कुल अवधि लगभग 36 घंटे होती है । दरभंगा के मैथिली कार्यक्रमों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

क्रम संख्या	समय	अवधि	फ्रीक्वेंसी	कार्यक्रम का नाम	मूलरूप से प्रसारित किया जाता है या रिले किया जाता है
1	2	3	4	5	6
1.	0705 बजे	5 मिनट	प्रतिदिन	चिन्तक बेला	मूलरूप से प्रसारित किया जाता है ।

1	2	3	4	5	6
2.	1000 बजे	30 मिनट	सप्ताह में एक बार	'फुलवाड़ी' बच्चों का कार्यक्रम	मूलरूप से प्रसारित किया जाता है।
3.	1730 बजे	30 मिनट	सप्ताह में दो बार	'भारती' मिश्रित कार्यक्रम	रिले किया जाता है।
4.	1730 बजे	30 मिनट	सप्ताह में एक बार	'युवा वाणी'	मूलरूप से प्रसारित किया जाता है।
5.	1730 बजे	30 मिनट	सप्ताह में दो बार	'शृंगार हार'	मूलरूप से प्रसारित किया जाता है।
6.	1830 बजे	60 मिनट	प्रतिदिन	'घमघर और घरगृहस्थी'	मूलरूप से प्रसारित किया जाता है।

आकाशवाणी, दरभंगा से ग्रामीण कार्यक्रमों और बच्चों के लिए कार्यक्रमों को न केवल मैथिली में ही कम्पीअर किया जाता है, अपितु इन कार्यक्रमों का अधिकांश विषय भी मैथिली में होता है। 'युवा वाणी' में प्रसारित किए जाने वाले 50 प्रतिशत कार्यक्रम मैथिली में होते हैं। ऊपर दिखाए गए बच्चों के लिए कार्यक्रमों और ग्रामीण कार्यक्रमों में कुछ कार्यक्रम कभी-कभी हिंदी में होते हैं।

3. आकाशवाणी, पटना मैथिली में सप्ताह में दो बार 30 मिनट की अवधि का एक संयुक्त कार्यक्रम मूल रूप से प्रसारित करता है जिसे आकाशवाणी, दरभंगा और आकाशवाणी, भागलपुर द्वारा रिले किया जाता है।

4. उपरि उल्लिखित मैथिली कार्यक्रमों में विद्यापति गीत और मैथिली लोक-गीत शामिल नहीं हैं, क्योंकि इनको केवल बिहार में स्थित आकाशवाणी केन्द्रों से ही प्रसारित नहीं किया जाता, अपितु इनको देश के अन्य आकाशवाणी केन्द्रों से भी उनके क्षेत्रीय और लोक संगीत चैनलों में प्रसारित किया जाता है।

साकेत, दक्षिणी दिल्ली में बिजली के मीटर

2580. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या यह सच है कि साकेत स्थित 'डेसू' के सहायक इन्जीनियर के कार्यालय में बिजली के मीटर बदलवाने के लिए बड़ी संख्या में आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन्हें नवम्बर, 1981 में ऐसे कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(ग) वह उन खराब मीटरों को कब तक बदल देंगे ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) डेसू ने सूचित किया है कि मोटरों को बदलने के लिए उनके साकेत स्थित कार्यालय में नवम्बर, 1981 के महीने के दौरान 167 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 140 मीटरों को बदला जा चुका है तथा शेष 27 मीटरों को दिसम्बर, 1981 के मध्य तक बदल दिए जाने की आशा है।

मिदनापुर से जाने वाली तथा मिदनापुर को आने वाली तार-सेवा का असन्तोषजनक होना

2581. **श्री नारायण चौबे** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिदनापुर, पश्चिमी बंगाल स्थित तार-घर का चैनल पिछले कई महीनों से ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि जिला मुख्यालय मिदनापुर से जाने वाली तथा वहां आने वाली तार-सेवा खड़गपुर से होकर आती जाती है जहां चपरासी मिदनापुर से तार लेकर आता है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार इस स्थिति को ठीक करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी नहीं। तथापि मिदनापुर तथा कलकत्ता के बीच टेलीप्रिंटर सर्किट कभी-कभी खराब हो जाती है।

(ख) और (ग) जी नहीं। मिदनापुर और कलकत्ता के बीच सीधी टेलीप्रिंटर लाइन है। तथापि कुछ अवसरों पर खड़गपुर तथा मिदनापुर के बीच सर्किट खराब हो जाने के कारण तार दस्ती भेजे जाते हैं।

मिदनापुर तारघर में स्टैंडबाई पावर सप्लाई की व्यवस्था उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है।

ईराक द्वारा अशोधित तेल की सप्लाई

2582. **श्री माधवराव सिन्धिया** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईराक ने भारत को वर्ष 1982 में 35 लाख टन अशोधित तेल भेजने के ठेके के अलावा और 15 लाख टन अशोधित तेल सप्लाई करने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर; और

(ग) इस बारे में सरकार का क्या निर्णय है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चंद सेठी) : (क) से (ग) वर्ष 1982 में 3.5 मिलियन मीट्रिक टन खनिज तेल की सप्लाई करने हेतु ईराक के साथ समझौता किया गया है। तथापि ऐसे संकेत मिले हैं कि ईराक 5 मिलियन मी० टन प्रतिवर्ष तक खनिज तेल की सप्लाई कर सकेगा। इस स्थिति में और आगे ब्योरे प्रकट करना जनहित में ठीक नहीं होगा।

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा की गई ख़रीद

2583. **श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्ति और निपटान महानिदेशालय पम्पों तथा कम्प्रेसरों की अपनी 60 प्रतिशत आवश्यकता, उन सप्लायरों से खरीद रहा है जिनके पास इनके निर्माण की अपेक्षित सुविधाएं नहीं हैं और/अथवा जिनके पास सप्लाई किए जाने वाले फालतू पुर्जों की ड्राईंग अथवा विस्तृत नमूने नहीं हैं;

(ख) क्या यह सच है कि ओरिजनल इक्विपमेंट मैनुफैक्चरिंग (ओ० ई० एम०) यूनिटों ने पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय में विद्यमान इस निराशाजनक स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) तथा (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस संबंध में सरकार क्या उपचारात्मक उपायों पर विचार कर रही है।

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, नहीं। पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, एअर कम्प्रेसरों और पम्पों की खरीद, उन सप्लायरों से करता है, जो इस विभाग में पंजीकृत हैं तथा ऐसी फर्मों से करता है, जिनके पास ड्राइंग और विस्तृत विशिष्टियां हैं और जो मांगे गए सामान का निर्माण करने तथा सप्लाई करने में समर्थ हों।

(ख) जी, नहीं।

(ग) लागू नहीं होता।

विस्फोटक पदार्थों की कमी

2584. **श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला उद्योग में विगत दो वर्षों से व्याप्त विस्फोटक पदार्थों की कमी के कारण स्थिति और अधिक बिगड़ गई है और उसके निकट भविष्य में सुधर जाने की कोई आशा नहीं है; और

(ख) इस बारे में कोई अध्ययन किया गया है, और यदि हां, तो इसका अध्ययन करने वाले दल के निष्कर्ष क्या हैं तथा सरकार ने उन पर क्या निर्णय लिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) वर्ष 1980-81 के और चालू वर्ष के कोयला उत्पादन पर विस्फोटक पदार्थों की कमी का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। कोयला क्षेत्रों की मांग को पूरा करने के लिए विस्फोटक पदार्थ समुचित मात्रा में उपलब्ध हैं।

(ख) यद्यपि किसी अध्ययन दल के इस प्रकार के जांच-परिणाम विचाराधीन नहीं हैं, तो भी कोयला उद्योग की मांग को पूरा करने के लिए विस्फोटक पदार्थों की उपलब्धता से सम्बन्धित स्थिति की समीक्षा, कोल इण्डिया लिमिटेड और कोयला विभाग समय-समय पर करते हैं और कोयला खानों को विस्फोटक पदार्थों की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने की उचित कार्रवाई करते हैं।

महिला अपराधियों के लिए महिला न्यायाधीश

2585. **श्रीमती किशोरी सिन्हा :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महिला दक्षता समिति के इस प्रस्ताव की समीक्षा कर ली है कि उन सभी अपराधों का जिनका संबंध महिलाओं से हो, विचारण ऐसे कुटुम्ब न्यायालयों द्वारा किया जाना चाहिए जिनकी पीठासीन अधिकारी महिलाएं हों; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव संभवत: कब क्रियान्वित किया जाएगा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) सम्भवत: यह निर्देश उस प्रस्ताव के प्रति है जो लोक सभा में तारीख 11.9.1981 को महिला दक्षता समिति तथा अन्य द्वारा प्रस्तुत किए गए पिटीशन सं० 15 में दिया हुआ था। इस पिटीशन में अन्य बातों के साथ-साथ कुटुम्ब न्यायालय स्थापित करने के लिए प्रस्ताव किया गया है। किन्तु इस पिटीशन में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि वे कुटुम्ब न्यायालय किस प्रकार के मामलों के लिए होंगे। बलात्संग और महिलाओं के प्रति अन्य अत्याचारों के संदर्भ में गत वर्ष कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे और इस संदर्भ में अभ्यावेदनों में यह सुझाव दिया गया था कि कुटुम्ब न्यायालय स्थापित किए जाएं और निचले न्यायालयों की न्यायपीठों में और अधिक महिला न्यायाधीश रखी जाएं।

"कुटुम्ब न्यायालय" कुटुम्ब से संबंधित घरेलू विवादों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए होते हैं न कि बलात्संग, उत्पीड़न आदि जैसे दाण्डिक अपराधों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए। निचले न्यायालयों में पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए न्यायाधीश, जिनके अन्तर्गत महिला न्यायाधीश भी हैं, की भर्ती करने का कार्य राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के अधिकारिता के अन्तर्गत आता है। महिलाओं के प्रति विभिन्न प्रकार के अपराधों के विचारण के लिए महिला न्यायाधीशों की भर्ती करने के संबंध में विचार करने के लिए राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों को लिखा गया था।

केन्द्रीय सूचना सेवा के अधिकारियों की पुनः नियुक्ति

2586. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने केन्द्रीय सूचना सेवा के कनिष्ठ प्रशासकीय वर्ग के एक अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर विदेश जाने की अनुमति दी है जबकि वह अधिकारी मंत्रालय में

उन सामान्य नियमों के विरुद्ध एक उप सचिव पद पर पहले से ही कार्यरत था जिनके अनुसार किसी अधिकारी को एक प्रतिनियुक्ति से दूसरी प्रतिनियुक्ति पर जाने की मनाही है जबकि अन्य नियमों के प्रतिनियुक्ति पर गये हुये बहुत से केन्द्रीय सूचना सेवा अधिकारियों को उनके कार्यकाल से पहले वापस बुला लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त अधिकारी के मामले में मंत्रालय द्वारा विशेष रुचि दिखाये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने केन्द्रीय सूचना सेवा के उच्च संवर्ग से सेवानिवृत्त होने वाले कई अधिकारियों को पुनः नियुक्ति के सभी नियमों तथा प्रशासकीय प्रथाओं के विरुद्ध, निचले ग्रेडों में पुनः नियुक्त किया है; यदि हां, तो इस प्रकार नियुक्त किये गये व्यक्ति कौन हैं और इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) केन्द्रीय सूचना सेवा के जूनियर प्रशासनिक ग्रेड के एक अधिकारी को बैंक प्राधिकारियों द्वारा आर्थिक संपादक के रूप में उनके चयन के परिणामस्वरूप एशियन डेवलपमेंट बैंक, मनिला में बाह्य सेवा शर्तों पर प्रतिनियुक्ति पर जाने की जब अनुमति दी गई थी तब वे केन्द्रीय सचिवालय में प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे थे। तथापि, इस प्रकार के स्थानान्तरणों को रोकने के लिए नियमों में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। हाल ही के समय में, अकाट्य प्रशासनिक आवश्यकताओं के अन्दर एक मामले को छोड़कर इस प्रकार का कोई उदाहरण नहीं रहा है जब प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए केन्द्रीय सूचना सेवा के किसी अधिकारी को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले उसके संवर्ग में वापस बुलाया गया हो।

(ग) ग्रेड-I के 6 सेवा निवृत्त अधिकारियों, जिनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं, को नियमों के अनुसार और केन्द्रीय सूचना सेवा के ग्रेड-3 में अधिकारियों की विकट कमी को देखते हुए केन्द्रीय सूचना सेवा ग्रेड-3 में पुनः नियुक्त किया गया था।

विवरण

ग्रेड-1 के उन सेवा निवृत्त अधिकारियों के नाम जिन्हें केन्द्रीय सूचना सेवा के ग्रेड-3 में पुनः नियुक्त किया गया है

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम
1.	श्री एस० एन० सक्सेना
2.	श्री गुरु दत्त
3.	श्री आर० बी० पटेल
4.	श्री एच० एल० कपूर
5.	श्री बी० बी० गुह
6.	श्री एम० पी० सिंह

कोल इण्डिया लिमिटेड को संभावित लाभ

2587. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :** क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोल इण्डिया लिमिटेड को वर्ष 1980-81 में 20 से 25 करोड़ रुपये का लाभ होने की आशा थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस कम्पनी ने मूलतः परिकल्पित 180 करोड़ रुपये के घाटे को 33 करोड़ तक घटा लेने में सफलता पाई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि भारतीय वाणिज्य व उद्योग समूह कलकत्ता ने व्यक्त यह विचार गलत सिद्ध हुआ है कि छठी योजना के अन्तिम वर्ष तक देश को 2 करोड़ टन तक कोयले की कमी का सामना करना होगा;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त टिप्पणी भारतीय कोयला क्षेत्र के बारे में विश्व बैंक ड्राफ्ट प्रतिवेदन के आधार पर की गई थी;

(ङ) यदि हां, तो सरकार को इस बात से कितनी हद तक विश्वास है कि देश में कोयले की इतनी कमी नहीं होगी जितना कि विश्व बैंक ने अनुमान लगाया है; और

(च) नवम्बर, 1981 के अन्त तक कोयले के उत्पादन में कितना सुधार हुआ है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) कोल इण्डिया लि० को 1981-82 में मुनाफा होने की आशा है। वर्ष 1980-81 में ऐसी कोई आशा नहीं थी। कोल इण्डिया लि० वर्ष 1980-81 के दौरान, पिछले वर्ष के 88.06 करोड़ रुपये के घाटे को कम करके 33.34 करोड़ रुपये तक लाने में सफल हुआ है। दो कोयला कम्पनियों अर्थात् वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० और सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० को वर्ष 1979-80 और इसके बाद के समय में मुनाफा हुआ है।

राष्ट्रीय ताप बिजली निगम द्वारा निधियों का उपयोग

2588. **श्री जगदीश टाईटलर :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय ताप बिजली निगम अपने नियतन की आधी राशि का भी उपयोग नहीं कर सका है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की स्थापना के समय से किये गये बजट प्रावधान तथा किये गये वास्तविक व्यय के नीचे दिये गये

ब्यौरों से यह देखा जा सकता है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के लिये जितनी निधियों का प्रावधान किया गया उनका पूरा-पूरा उपयोग वह कुल मिलाकर करता रहा है :

वर्ष	बजट अनुमान (करोड़ रु०)	वास्तविक व्यय
1976-77	2.79	3.03
1977-78	34.75	22 43
1978-79	57.72	71.01
1979-80	167.75	162 28
1980-81	285.40	251.72

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पंजाब से दिए जाने वाले पानी में राजस्थान का हिस्सा

2589. **श्री मूल चन्द डागा :**

श्री वृद्धि चन्द्र जैन :

श्री अशोक गहलोत : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अधीन पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों के बीच पानी के बंटवारे का संबंध भाखड़ा-ब्यास प्रबन्धक बोर्ड को सौंपा गया है; और यदि हां, तो क्या ऐसा बोर्ड के निर्णय के आधार पर किया गया है;

(ख) क्या पानी के बंटवारे के बारे में पंजाब और राजस्थान के बीच कोई करार हुआ है और यदि हां, तो कब और क्या उक्त करार की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी;

(ग) क्या उक्त बोर्ड राजस्थान को उसका कोई हिस्सा नहीं दिला सका है क्योंकि फिरोजपुर, हरिके और रोपड़ तीनों ही हैंडवर्क्स पंजाब में स्थित हैं और पंजाब उनका प्रबंध अपने ही हाथों में रखना चाहता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं कि राजस्थान को उसके हिस्से का पानी मिले ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां। पहले से ही सहमत हुए या भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हिस्सों के अनुसार रावी-ब्यास के फालतू पानी के वितरण के लिए भाखड़ा-ब्यास प्रबंध बोर्ड ने एक सूत्र व्यवस्था का अनुमोदन किया है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि सप्लाई की कमी होती है। जलाशयों से समय-समय पर छोड़े जाने वाले जल की मात्रा का निर्धारण तथा उसकी समीक्षा भाखड़ा-ब्यास प्रबंध बोर्ड की तकनीकी समिति द्वारा की जाती है।

(ख) रावी-व्यास के जल के आबंटन के बारे में तत्कालीन पंजाब राज्य जम्मू और काश्मीर तथा राजस्थान के बीच 29-1-1955 को एक समझौता हुआ था। सतलुज के जल के बारे में तत्कालीन पंजाब राज्य तथा राजस्थान के बीच एक समझौता हुआ है जो 13-1-1959 को हुआ था।

(ग) पंजाब सरकार ने इन तीन हैड बक्सों का नियन्त्रण भाखड़ा-व्यास प्रबन्ध बोर्ड को अभी तक नहीं सौंपा है।

(घ) बोर्ड द्वारा निर्णीत सूत्र व्यवस्था का पालन करने और इस सूत्र-व्यवस्था के अनुसार ही हिस्सा दिये जाने के लिए बोर्ड विभिन्न भागीदारों से अनुरोध करता रहा है तथा उनके साथ समीक्षा करता रहा है।

रिहन्द परियोजना से सप्लाई की गई बिजली के लिए उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की ओर देय बकाया राशि

2590. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकारों की ओर रिहन्द बिजली परियोजना से ली गई बिजली के लिए 18 करोड़ रुपये की राशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो कितने वर्षों से और उक्त राशि की अब तक अदायगी न होने के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त अदायगी कब तक कर दी जाएगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने अनन्तिम रूप से यह बताया है कि सितम्बर, 1980 तक की अवधि के लिए 40.98 लाख रुपये और अक्तूबर, 1980 तथा सितम्बर 1981 की अवधि के लिए 194.40 लाख रुपये की राशियां उनके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को भुगतान की जानी हैं। किन्तु दोनों राज्य बिजली बोर्डों द्वारा इसकी जांच की जानी है। उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने यह भी सूचित किया है कि बकाया राशियों का भुगतान यथा शीघ्र कर दिया जाएगा।

दिल्ली दूरदर्शन तथा आकाशवाणी दिल्ली में रिक्त पदों का भरा जाना

2591. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1981 से दिल्ली दूरदर्शन तथा आकाशवाणी में कितने पद भरे गये हैं;

(ख) कितने पद अभी तक रिक्त पड़े हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो ये पद कब तक भरे जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) इन पदों को भर्ती नियमों के अनुसार यथा शीघ्र भरने के लिए प्रयास किए जा हे रहें।

विवरण

केन्द्र/कार्यालय	सितम्बर, 1981 से भरे गए पदों की संख्या			रिक्त पड़े पदों की संख्या		
	नियमित	स्टाफ आर्टिस्ट	कुल	नियमित	स्टाफ आर्टिस्ट	कुल
आकाशवाणी, दिल्ली	7	1	8	18	10	28
दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली	8	9	17	22	27	49

उड़ीसा के डाक व तार बिजली उप-प्रभाग में भर्ती आदि में अनियमिततायें

2592. **श्री एम० एम० लारेंस :**

श्री गदाधर साहा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा के डाक व तार बिजली उप-प्रभाग में हुई भर्ती आदि के मामले में अनियमितताओं के बारे में एक संसद सदस्य से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अभ्यावेदन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) उक्त अभ्यावेदन पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ङ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी, हां।

(ख) (1) सहायक वायरमैन के पद के लिए योग्यता प्राप्त जिन व्यक्तियों को रोजगार कार्यालय द्वारा भेजा गया था उन्हें खलासियों के बतौर नियुक्त कर लिया गया है जबकि अकुशल उम्मीदवारों की नियुक्ति सहायक वायरमैन के बतौर की गई है ।

(2) कुशल व्यक्तियों को सहायक आपरेटर (ई०/एम०) के बतौर नियुक्त किया जा रहा है तथा उनके लिए पदोन्नति के कोई अवसर नहीं हैं।

(3) वायरमैनों के रिक्त पद इस कारण नहीं भरे जा रहे हैं कि उड़ीसा के उम्मीदवार कलकत्ता के उम्मीदवारों से कनिष्ठ हैं।

(4) डाक तार नियम पुस्तकों की उपेक्षा करके केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग नियम पुस्तकों का अनुसरण किया जा रहा है।

(5) उड़ीसा के डाक तार विद्युत उप-मंडल में रिक्त पदों को उड़ीसा के उम्मीदवारों से भरा जाना चाहिए।

(6) उड़ीसा में एक डाक तार विद्युत मंडल का सृजन किया जाना चाहिए।

(ग) और (घ) आरोपित अनियमितताओं की जांच की जा रही है। प्रस्तावों की जांच चल रही है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

"रूल्स चेंज्ड फार दूरदर्शन अपायंटमेंट" शीर्षक समाचार

2593. **डा० ए० यू० आजमी :**

श्री सूरज भान :

श्री अटल बिहारी बाजपेयी :

श्री एन० के० शेजवलकर : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 अक्तूबर, 1981 के इण्डियन एक्सप्रेस में "रूल्स चेंज्ड फार दूरदर्शन एपायंटमेंट" (दूरदर्शन में लद्दाख के लिए नियमों का बदला जाना) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उससे उत्पन्न निम्नलिखित बातों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(एक) पदोन्नति नीति का तैयार न किया जाना; और

(दो) न्यूज एण्ड करेंट अफेयर्स सेक्शन के चीफ प्रोड्यूसर के पद को भरने संबंधी निर्धारित नियमों का पालन न किया जाना ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी, हां।

(ख) (1) मुख्य प्रोड्यूसर (समाचार और सामयिक मामले) सहित दूरदर्शन के स्टाफ आर्टिस्टों के लिए भर्ती नियम पहले ही विद्यमान हैं जिनमें विभिन्न श्रेणियों के लिए पदोन्नति के अवसरों की व्यवस्था है।

(2) भर्ती नियमों के अनुसार, मुख्य प्रोड्यूसर (समाचार और सामयिक मामले) की रिक्तियों को नियमित आधार पर भरने की कार्रवाई पहले ही शुरू की जा चुकी है। इसके होने तक, दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र में एक रिक्त को केवल तदर्थ आधार पर भरा गया है।

'एनर्जी मिनिस्ट्री अलाउड टु रेज फण्ड्स एब्रोड' शीर्षक समाचार

2554. **श्री हरिनाथ मिश्र : क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 नवम्बर, 1981 के 'इकोनोमिक टाइम्स' में "एनर्जी मिनिस्ट्री अलाउड टु रेज फन्ड्स एब्रोड" (ऊर्जा मंत्रालय को विदेशों में धन एकत्रित करने की अनुमति) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि हाल ही में ब्रिटेन, जापान तथा पश्चिमी जर्मनी सहित कई देशों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की ऊर्जा तथा वित्त मंत्रालय जांच कर रहे हैं और कि इन देशों ने छठी योजना में ताप बिजली घरों की स्थापना के लिए कई एकनुश्त सौदे पेश किए हैं जिनमें यदि आवश्यक हो तो कोयला खानों का विकास भी शामिल है;

(ग) क्या यह भी सच है कि उनको विदेशी कम्पनियों ने भारतीय बिजली क्षेत्र में काम करने की पेशकश की है; यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और प्रत्येक ने इस बारे में क्या शर्तें रखी है; और

(घ) कितनी योजनाओं को शुरू करने हेतु अब तक मजूरी दे दी गई है, और किस-किस आधार पर ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विद्युत परियोजनाओं के लिए विद्युत उपस्कर की सप्लाई विदेशों/विदेशी कम्पनियों से अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें सरकारी ऋण द्वारा, सप्लाईकर्ता के ऋण द्वारा और वाणिज्यिक ऋणों द्वारा इनके वित्त पोषण की संभावनाएं बताई गई हैं। इन प्रस्तावों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

देश	उपस्कर के लिए प्रस्ताव रखने वाली कम्पनी	प्रस्तावित परियोजना	वित्त पोशण हेतु बताई गई संभावित शर्तें		
			किस्म	प्रति वर्ष ब्याज %	ऋण चुकाए जाने की अवधि
1	2	3	4	5	6
यू० के०	एन. ई. आई. जी. ई. सी. और बावकाक	1000-2000 मेगा०	15% अनुदान 85% निर्यात ऋण नहीं है	$7\frac{3}{4}$	चालू किए जाने से 10 वर्ष
पश्चिम जर्मनी	बाबकाक	2000 मेगा०	ब्यौरे नहीं		—
स्विटजरलैंड	ब्राउन बोलिन एंड कम्पनी	महाराष्ट्र में चन्द्रपुर में 1000 मेगा०	85% ऋण	6.5/8	चालू किए जाने से 10-12 वर्ष

1	2	3	4	5	6
इटली	अन्साल्डो	600 मेगा०	सप्लाईकताओं का ऋण** 14.5	7.75	चालू किए जाने से 10 वर्ष
फ्रांस	आलसथम अन्तलांतिक	500 मेगा० यूनिटें	50% खरीददारों का भाग 50% सरकारी ऋण	7.75 7.50	–वही–
जापान	मित्सुई	उ० प्र० में अनपारा में 1000 मेगा० तथा कोयला खनन	येन ऋण	3	30 वर्ष, 10 वर्ष की छूट सहित
पोलैंड	इलेक्स्तिम	प्रस्ताव सामान्य किस्म का है जिसमें 200 मेगा० या 500 मेगा० के सेटों की सप्लाई का प्रस्ताव है	—	—	प्रस्ताव में सूचना नहीं दी गई है

(घ) इन प्रस्तावों पर सरकार द्वारा कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

सलनपुर क्षेत्र में कोयला उत्पादन

2595. **श्री कृष्ण चंद्र हाल्दर :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल से जून, 1981 में सलनपुर क्षेत्र के लिये कोयले का अनुमानतः कितना उत्पादन निर्धारित किया गया था;

(ख) उपरोक्त अवधि में वस्तुतः कितना उत्पादन हुआ;

(ग) उसमें कमी आने के क्या कारण हैं; और

(घ) इसके लिए उत्तरदायी प्रबंधकों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

** चालू किए जाने से पांच वर्ष ।

*प्राप्त हुए उपर्युक्त प्रस्तावों में से बहुत से केवल संकेतात्मक ही हैं तथा इनके विस्तृत ब्यौरे नहीं दिए गए हैं ।

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (घ) अप्रैल-जून, 1981 के दौरान सलनपुर क्षेत्र में लगभग 4 लाख टन के अनुमानित लक्ष्य उत्पादन के मुकाबले वास्तविक उत्पादन 3·82 लाख टन था। यह 4.5% की थोड़ी कमी होने का कारण यह है कि कोयला खनन कार्य सामान्यतया बिहार-बंगाल क्षेत्र में इन कारणों से प्रभावित हुआ—कामगारों में अत्यधिक अनुपस्थिति की प्रवृत्ति, बिजली की कमी, कानून और व्यवस्था की समस्याए, आदि। यह कमी आगामी महीनों में पूरी हो जाने की आशा है। अत: कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं समझी गई है।

सभी प्रकार के रेडियो, ट्रांजिस्टर तथा टी० वी० सेटों पर से लाइसेंस शुल्क हटाना

2596. **श्री बाल कृष्ण वासनिक :**

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सभी प्रकार के रेडियों, ट्रांजिस्टर तथा टेलीविजन सेटों पर से प्रसारण प्राप्ति लाइसेंस हटाने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रसारण प्राप्ति लाइसेंस शुल्क संभवत: कब से हटा लिया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) सरकार ने 2 बैंड वाले रेडियो/ट्रांजिस्टर सेटों पर लाइसेंस शुल्क पहले ही समाप्त कर दिया है। दो से अधिक बैंड वाले किन्तु 150 रु० से कम की लागत वाले सैटों पर इस समय भी 7.50 रु० प्रति वर्ष का रियायती लाइसेंस शुल्क लिया जाता है। रेडियो/टेलीविजन राष्ट्रीय एकीकरण प्राप्त करने तथा आर्थिक विकास और राष्ट्र निर्माण के संदेश को दूरस्थ क्षेत्रों सहित देश के सभी भागों के लोगों को पहुंचाने के शक्तिशाली और प्रभावी माध्यम हैं। ''इनसैट'' के छोड़े जाने पर रेडियो और टेलीविजन की पहुंच में कफी वृद्धि होगी।

अत: अपरिष्कृत रेडियो सेटों, चाहे वे दो से अधिक बैंड वाले हों, पर लाइसेंस शुल्क समाप्त करने/कम करने जैसी और रियायतों का सैटों की अधिक बिक्री और इस माध्यम की विस्तृत पहुंच का लाभकारी प्रभाव पड़ना ही है।

ऐशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन की कार्यकारी परिषद् का वार्षिक सत्र

2597. **श्री कमल नाथ :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन की कार्यकारी परिषद का वार्षिक सत्र नई दिल्ली में नवम्बर, 1981 में हुआ था;

(ख) तो उक्त सत्र में किन प्रस्तावों पर चर्चा हुई थी; और

(ग) उक्त सत्र में क्या निर्णय किये गये ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां। 4 से 9 नवम्बर, 1981 तक।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-3036/81]

(ख) अनुबंध 'क' देखिए।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-3036/81]

(ग) अनुबंध 'ख' देखिए।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-3036/81]

केडला ओपेनकास्ट माईन में कोयला कम पाया जाना

2598. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

श्री सूरज भान :

श्री एन० के० शेजवलकर : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेन्ट्रल कोलफील्ड ने केडला ओपेनकास्ट माईन में एक चौथाई खदान के स्टाक की जांच के दौरान लभगभ 6 करोड़ रुपये मूल्य का लगभग 3 लाख टन कोकिंग कोल कम पाया गया था;

(ख) उन अन्य खदानों तथा परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिनमें गत तीन वर्षों के दौरान कोयला कम पाया गया है;

(ग) कितना-कितना कम पाया गया और कितने-कितने मूल्य का; और

(घ) केडला ओपेनकास्ट परियोजना के मामले में दोषी पाये गये व्यक्तियों के नाम क्या हैं और उनमें प्रत्येक के संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) केडला ओपेनकास्ट खान की चौथी क्वेरी पर कोयले के स्टाक के भौतिक माप द्वारा सत्यापन के लिए एक विशेषज्ञ दल बनाया गया था। दल ने अपनी रिपोर्ट दे दी है जिससे यह पता चलता है कि 10 नवम्बर, 1981 को केडला ओपेनकास्ट खान पर 3,73,624 टन कोयले का स्टाक था जबकि रजिस्टरों में स्टाक 3,89,449 टन दर्शाया गया था। यह कमी केडला पर नापे गए स्टाक की 3.96% है जो कोयला स्टाकों की माप में स्वीकार्य 5% अन्तर की छूट के बिल्कुल अन्दर ही है।

(ख) से (घ) पिछले तीन सालों में कोयले के स्टाकों का विधिवत सत्यापन करने और जांच करने के बाद, मापे गए स्टाक में 5% से अधिक कमी सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० की केवल दो कोलियरियों में पाई गई है। यह कमियां खास करनपुरा और हेंदेगिर कोलियरियों में पाई गई और क्रमश: 8766 टन और 36,971 टन की थीं। यह 1-4-1979 को

पाई गई और कमी वाले स्टाक की कीमत 58.5 लाख रुपये बनती है। परन्तु जांच समिति ने यह पाया कि यह कमियां केवल नाम की ही थीं और इनका कारण यह था कि कोलियरी ने टनों की संख्या के अनुसार जो उत्पादन रिपोर्ट किया था उसे टनों में बदलने के लिए गलत परिवर्तन कारक अपना लिया था। कमियां सायल-डी और करकट्टा कोलियरिलों में भी पाई गई थीं और वहां जांच कार्य चल रहा है। इन दोनों मामलों में यदि कोई कमियां हुई तो उनका निर्धारण तभी हो सकेगा जबकि कंपनी जांच का काम पूरा कर ले।

मथुरा तेल शोधक कारखाने के निर्माण के कारण किसानों को मुआवजा

2599. **श्री जार्ज फर्नान्डीस** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मथुरा तेल शोधक कारखाने के निर्माण के कारण विस्थापित हुए किसानों को मुआवजा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितना;

(ग) क्या मुआवजे के बारे में अब भी कोई विवाद है;

(घ) क्या विस्थापित किसानों अथवा उनके आश्रितों को तेल शोधक कारखाने में रोजगार दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) से (ग) इन्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा राज्य सरकार के जरिए 1353 एकड़ भूमि अर्जित की गई है और 1,36,92,000 रुपये की राशि मुआवजे के रूप में दी गई है जो इन्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा भूमि-मालिकों को अदायगी करने के लिए पहले ही राज्य सरकार के पास जमा कराई गई है। इसके अतिरिक्त इन्डियन आयल कारपोरेशन ने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि वे 20.73 एकड़ और भूमि अर्जित करें जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा संगणित किया गया मुआवजा इन्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा जमा करा दिया गया है। बताया गया है कुछ भूमि मालिकों ने अभी तक अदा किये जाने वाले मुआवजे को स्वीकार नहीं किया है।

(घ) और (ङ) इन्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा शोधनशाला में अभी तक 160 भूमि से वंचित किये गये व्यक्ति अथवा उन पर निर्भर व्यक्तियों को सीधा रोजगार दिया गया है। इनमें से 30 को कलर्क, आपरेटर्स, टाइपिस्ट, टेकनीशियन आदि; 107 को श्रमिक और 23 को खलासीज के रूप में रोजगार दिया गया है। इसके अतिरिक्त इन्डियन आयल कारपोरेशन ने भूमि से वंचित किये गये व्यक्तियों/उन पर निर्भर व्यक्तियों को प्रशिक्षण तथा अन्य उपयुक्त अवसर देकर उन्हें सही रूप से विस्थापित करने के कई कदम उठाये हैं।

मध्य प्रदेश में तापीय संयंत्रों के कार्यकरण में बाधक तकनीकी कठिनाइयां

2600. **श्री धर्मवीर सिंह : क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ तकनीकी कठिनाइयों के कारण मध्य प्रदेश में कुछ तापीय बिजली संयंत्रों का कार्यकरण स्थिर नहीं रह सका जिसके कारण बिजली की सप्लाई में कमी हो गई; और

(ख) यदि हां, तो उनके कार्यकरण को सुधारने के लिए अधिकारियों ने क्या कदम उठाए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश के ताप विद्युत संयंत्र की समस्याओं को हल कर लिया गया है। ऐक्सायटर रोटर आदि को बदल देने से, कोरबा चरण-चार (120 मेगावाट) में 23 सितम्बर, 1981 से संतोषजनक रूप से कार्य हो रहा है।

सतपुड़ा यूनिट संख्या छः बन्द है और स्थिरीकरण संबंधी कार्य प्रगति पर है। सतपुड़ा यूनिट संख्या सात की समस्याओं का समाधान रूसी विशेषज्ञों द्वारा कर दिये जाने के पश्चात् से यह यूनिट संतोषजनक रूप से कार्य कर रहा है।

बम्बई में मनतखुण्द, मुलुन्द, भरोल और घाटकोपर में टेलीफोन केन्द्र का चालू किया जाना

2601. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंबई में (क) मनतखुण्द, (ख) मुलुण्द, (ग) भरोल और (घ) घाटकोपर-(दो) टेलीफोन केन्द्रों को वास्तव में कब चालू किया जायेगा; और

(ख) इन केन्द्रों में कार्य की प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) बम्बई में उल्लिखित एक्सचेंज चालू करने का कार्यक्रम निम्नलिखित है :

(1) मानखुर्द	जून, 1983
(2) मुलुंद	अक्तूबर, 1983
(3) मरोल	अक्तूबर, 1982
(4) घाटकोपर-दो	अप्रैल, 1983 (घाटकोपर-एक का विस्तार)

(ख) इन एक्सचेंजों के संस्थापन कार्य में हुई प्रगति निम्न प्रकार है :—

1. मानखुर्द	संस्थापन कार्य अभी शुरू किया गया है।
2. मुलुंद	भवन निर्माणाधीन है तथा संस्थापन हेतु
3. मरोल	जनवरी, 1982 में उपलब्ध होने की संभावना है।

	संस्थापन कार्य का आधा भाग पूरा कर लिया गया है।
4. घाटकोपर-दो	उपस्कर जुलाई, 1982 में प्राप्त होने की संभावना है।

तालचर उर्वरक परियोजना में सहायक तथा डाउनस्ट्रीम उत्पाद

2602. **श्री के. पी. सिंह देव : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तालचर कोयला आधारित उर्वरक परियोजना के सहायक तथा डाउनस्ट्रीम उत्पादों के बारे में कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या प्रतिवेदन को लागू किया गया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलवीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सहायक एककों डाउनस्ट्रीम प्रवाह उत्पादों के लिये निम्नलिखित मदों का पता लगाया गया है :—

(1) यूरिया भरने के लिये पोलीथीन लाइन वाले पटसन के थैले,

(2) सुखा बर्फ बनाने के लिये फालतू कार्बन डाईआक्साइड गैस का उपयोग,

(3) सीमेंट फ्लाई ऐश ग्रिक्स का निर्माण करने के लिये फ्लाई ऐश का उपयोग,

(4) एलम और सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण।

(ग) (1) पोलीथीन लाइन वाले पटसन के थैलों का निर्माण करने के लिये तलचर के औद्योगिक क्षेत्र में यूनिटों की स्थापना करने हेतु पांच उद्यमियों का चयन किया गया है। उनमें से तीन मशीनरी की स्थापना और उसकी अधिपारत का कार्य प्रारम्भ कर दिया है।

(2) फालतू कार्बन डाईआक्साइड के प्रयोग के लिए उड़ीसा के मै० इण्डस्ट्रियल प्रोमोशन एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ इन्डिया ने फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इन्डिया से संबंधित तकनीकी ब्योरे मांगे हैं ताकि 20 टन प्रति दिन क्षमता वाले सुखा बर्फ निर्माण करने वाले एक यूनिट की स्थापना की जा सके। फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इन्डिया द्वारा अपेक्षित सूचना दे दी गई है।

(3) एफ. सी. आई. द्वारा अन्य मदों का पता उद्यमियों और संबंधित राज्य सरकार प्राधिकारियों की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए लगाया जायेगा।

सोडा ऐश उत्पादक कम्पनियों की लागत का रिकार्ड

2603. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जो सोडा ऐश का उत्पादन कर रही हैं तथा उनका ब्यौरा क्या है जो कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (1) (ग) के अनुसार लागत का रिकार्ड रख रही है तथा किस वर्ष से तथा उनका ब्यौरा क्या है जो ऐसा नहीं कर रही हैं तथा कानूनी उपबंधों का पालन कराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) क्या उन कम्पनियों की उत्पादन अवधि के दौरान लेखापरीक्षकों ने किसी कम्पनी के बारे में प्रतिकूल टिप्पणियां की हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा स्थिति को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) इस समय निम्नलिखित कम्पनियां सोडा ऐश का उत्पादन कर रही हैं :—

1 मैसर्स धरंगध्रा केमिकल्स वर्कस लिमिटेड,

2 मैसर्स सौराष्ट्र केमिकल्स (जियाजी राव काटन मिल्स लिमिटेड की एकक),

3 मैसर्स टाटा केमिकल्स लिमिटेड,

4 हरी फर्टिलाइजर्स (उड़ीसा सीमेंट की एकक ने 13-9-1980 से मैसर्स न्यू सेन्ट्रल जूट मिल्स कम्पनी लिमिटेड द्वारा मैसर्स साहू केमिकल्स एण्ड फर्टीलाइजर्स के नाम के अधीन पहले चलाई जा रही सोडा ऐश एकक का अधिग्रहण कर लिया है।)

उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 3 तक में उल्लिखित कम्पनियां वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से या 1-6-1976 के पश्चात् अर्थात् वह तारीख जब से लागतलेखा रिकार्ड (सोडा ऐश) नियम, 1976 कथित नियमों में उल्लिखित लागू हुआ था, से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (1) (घ) के अन्तर्गत यथा अपेक्षित लागतलेखा रिकार्ड रख रही है। मैसर्स उड़ीसा सीमेंट लिमिटेड भी 13-9-1980 उस तारीख से जिससे न्यू सेन्ट्रल जूट मिल्स लिमिटेड से फैक्ट्री का अधिग्रहण किया था, लागत लेखा रिकार्ड रख रही है। इस संबंध में उपरोक्त कम्पनियों में से किसी को भी दोष करता हुआ नहीं पाया गया है।

(ख) नहीं, श्रीमान् जी ।

(ग) तथा (घ) उत्पन्न नहीं होता ।

डाक तार विभाग के विभागेतर कर्मचारियों की सुविधायें

2604. **श्री राम लाल राही :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक-तार विभाग के विभागेतर कर्मचारियों के लिए वेतन, वर्दी, डाक ले जाने की वैन, चिकित्सा तथा अन्य सुविधाओं के बारे में सरकार की क्या नीति है;

(ख) इन विभागेतर कर्मचारियों को अब तक ये सुविधायें न दिये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) विभागेतर कर्मचारियों के साथ अन्याय करने वाले विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) और (ख) ऐसे दूरवर्ती ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में जहां विभागीय डाकघर खोलने का औचित्य नहीं ठहरता, डाक संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए विभाग विभागेतर डाकघर खोलता है । ये डाकघर विभागेतर एजेंटों द्वारा चलाए जाते हैं । वे मात्र अंशकालिक कर्मचारी होते हैं तथा उनसे 2 से 5 घण्टे तक का कार्य अपेक्षित है । उनके भत्ते उनके द्वारा निपटाए जा रहे डाक परियात तथा विभाग हेतु उनके द्वारा दिए जा रहे समय के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं । उनके भत्ते प्रति वर्ष संशोधित किए जाते हैं । नियमित सरकारी कर्मचारियों के विपरीत वे अन्य व्यवसाय अपनाकर अपनी आय बढ़ा सकते हैं । चूंकि वे नियमित सरकारी कर्मचारी नहीं हैं अतः उन्हें नियमित सरकारी कर्मचारियों की भांति वर्दी, चिकित्सा जैसी सुविधाएं प्रदान नहीं की जा सकतीं । तथापि विभागेतर एजेंटों को ऐसे क्षेत्रों में जहां ग्रीष्म काल के सबसे अधिक गर्म महीनों में तापमान 100° फा० अथवा इससे अधिक हो जाता है अथवा जहां लगातार चार महीनों में वर्षा 30' अथवा इससे अधिक होती है, छाते दिए जाते हैं । जब कभी डाक तार कर्मचारियों को उत्पादकता से जुड़ा बोनस दिया जाता है । विभागेतर एजेंटों को अनुग्रह बोनस दिया जाता है । विभाग में डाकिए अथवा ग्रुप "घ" श्रेणी के पदों पर भर्ती में विभागेतर एजेंटों को परीयता दी जाती है ।

(ग) विभागेतर कर्मचारियों के साथ कोई अन्याय नहीं किया गया है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विभिन्न राज्यों को एल० पी० जी० गैस की सप्लाई

2605. **श्री सुशील भट्टाचार्य :**

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि तेल कम्पनियां एल.पी.जी. गैस (खाना पकाने की गैस) की सप्लाई के मामले में कुछ राज्यों अर्थात् दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आदि की ओर विशेष ध्यान दे रही हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि तेल कम्पनियां कुछ राज्यों अर्थात् पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु आदि की उपेक्षा कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस भेदभाव को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) नये एल० पी० जी० (कुकिंग गैस) के कनैक्शन देने के सम्बन्ध में किसी राज्य का कोई विशेष ध्यान नहीं दिखाया जा रहा है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को पेट्रोल डीलरशिप दिया जाना

2606. **श्री जयपाल सिंह कश्यप :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पूर्व सरकार ने अनुसूचित और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को पेट्रोल डीलरशिप आबंटन का आरक्षण किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस आरक्षण आदेश की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी; और

(ग) इस आरक्षण की क्रियान्विति में क्या प्रगति हुई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) जी, हां। दिनांक 23.9.1977 से पेट्रोलियम उत्पादों की सभी प्रकार की एजेंसियों/डीलरशिपों का 25 प्रतिशत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित करने की नीति सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों में लागू की गयी थी। इससे पहले, दिनांक 1.1.1974 से आरक्षण इन्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड की 'ख' स्थल रिटेल आउटलेटों अर्थात डीलर के स्वामित्व/डीलर के द्वारा प्रचालित आउटलेटों को छोड़कर सभी एजेंसियों/डीलरशिपों पर लागू था।

(ख) इस बात को देखते हुए कि अनुसूचित जातियों/जनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिये आरक्षण से सम्बन्धित कई प्रश्नों के उत्तर समय-समय पर इस सदन में दिये गये हैं, आरक्षण क्रम सभा पटल पर प्रस्तुत करना उचित नहीं समझा गया है।

(ग) आरक्षण नीति के लागू किये जाने से लेकर 1.4.1980 तक पहले वचनबद्धताओं पदोन्नति/द्विशासन इत्यादि को छोड़कर प्रदान की गयी कुल 968 डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों में से 249 डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, को प्रदान की गई हैं। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए 25 प्रतिशत कोटा सुनिश्चित करने के लिये जून, 1980 से 100 प्वाइन्ट रोस्टर के अनुरूप नये स्थल आरक्षित किये जा रहे हैं।

1973 में नदखरकू कोयला खान में छटनीशुदा स्टोन कटर

2607. **श्री चित्त बसु** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1973 में धनबाद जिले में नदखरकू कोयला खान में 28 स्टोन कटरों की छटनी की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इन छटनीशुदा स्टोन कटरों को वापस काम पर लिये जाने के बारे में मार्च, 1981 में बी० सी० सी० एल० के प्रबंधकों तथा एक यूनियन के बीच एक समझौता हुआ था;

(ग) यदि हां, तो क्या इस समझौते को इस बीच क्रियान्वित कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार क्रियान्वित किया गया है;

(ङ) क्या क्रियान्वित के बारे में कुछ विषमताएं पाई गई हैं;

(च) यदि हां, तो विषमताओं का ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में क्या मदम उठाये गये हैं ?

उर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री श्री (विक्रम महाजन) : (क) और (ख) राष्ट्रीयकरण से पहले और उसके बाद भी कुछ समय तक एक ठेकेदार और उसके 27 कामगार नदखरकू कोलियरी में पत्थर काटने के काम पर लगे थे। भा० को० को० लि० में उन्हें खपाने के लिए राष्ट्रीय कोयला मजदूर संघ ने एक औद्योगिक विवाद उठाया था। न्यायाधिकरण ने दिनांक 14.8.1981 को अपना फैसला कामगारों के पक्ष में दिया परन्तु भा० को० को० लि० ने इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देने का प्रस्ताव रखा। परन्तु मुकदमेबाजी से बचने के लिए, भा० को० को० लि० और रा० को० म० संघ के बीच एक समझौते पर हस्तार किए गए जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उन्हें खपाने के लिए भी सहमति है किन्तु शर्त यह है कि पहले उनका समुचित सत्यापन होगा।

(ग) और (घ) इस समझौते के अनुसार और मुखिया तथा ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि की शिनाख्त पर 26 कामगारों को नियुक्त किया था।

(ङ) से (छ) शिकायत प्राप्त होने पर कि शिनाख्त ठीक नहीं थी, इसकी जांच की गई। इस जांच में पाया गया कि ये सभी कामगार छद्म नाम वाले झूठे हैं और तद्नुसार उन्हें सेवा से निकाल दिया गया।

आगरा में तापीय बिजली संयंत्र

2608. **श्री नरसिंह मकवाना :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगरा में कितने तापीय विद्युत संयंत्र हैं तथा उनकी क्षमता क्या है;

(ख) क्या आगरा में एक संयंत्र बन्द किया जा चुका है तथा अब एक अन्य भी बन्द किया जा रहा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या आगरा तापीय विद्युत संयंत्र को किसी स्थान पर ले जाए जाने का विचार है और यदि हां, तो उसे किस स्थान पर ले जाया जाएगा और इस अन्तरण पर कितनी धनराशि खर्च होगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) आगरा में ताज और अन्य राष्ट्रीय इमारतों को, विद्युत संयंत्रों से निकलने वाले धुंए से होने वाले वातावरण प्रदूषण से बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित की गई उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों पर आगरे में, कोयले पर आधारित, कुल 23.5 मेगावाट क्षमता के ताप विद्युत संयंत्रों को— एक ऐतमाउद्दौला स्थित(10 मेगावाट) तथा दूसरा आगरे के किले के पास स्थित (13.5 मेगावाट)— बन्द कर दिया गया है।

(ग) उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड का प्रस्ताव है कि 10 मेगावाट क्षमता के संयंत्र को 110 लाख रु० की अनुमानित लागत से, लखनऊ में अपने मौजूदा विद्युत केन्द्र में स्थानान्तरित कर दिया जाए।

पश्चिम बंगाल द्वारा मिट्टी के तेल की मांग

2609. **श्री जायनल अबेदिन :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल की मिट्टी के तेल की प्रति मास मांग क्या है; और

(ख) गत वर्ष अक्तूबर, 1981 तक पश्चिम बंगाल को कितना मिट्टी का तेल आबंटित किया गया तथा वास्तव में कितना सप्लाई किया गया तथा उसका महीनेवार ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार ने सितम्बर, 1981 के लिए मिट्टी के तेल की मांग 34,000 मी० टन बताई थी।

(ख) जनवरी, 1980 से अक्तूबर, 1981 तक के, पश्चिम बंगाल से सम्बन्धित मिट्टी के तेल के आवंटन और विक्रय के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

मास		आवंटन	विक्रय
			आकड़े मी० टनों में
जनवरी	1980	28900	32040
फरवरी	1980	28452	27604
मार्च	1980	31098	31380
अप्रैल	1980	34456	31834
मई	1980	34580	29651
जून	1980	28790	26547
जुलाई	1980	28340	27459
अगस्त	1980	34100	31981
सितम्बर	1980	34100	32702
अक्तूबर	1980	33300	34559
नवम्बर	1980	34830	33188
दिसम्बर	1980	34450	31873
जनवरी	1981	34400	35802
फरवरी	1981	30500	32556
मार्च	1981	33100	33701
अप्रैल	1981	33400	33274
मई	1981	36200	34241
जून	1981	34000	32948
जुलाई	1981	29800	32292
अगस्त	1981	30800	30463
सितम्बर	1981	34000	33552
अक्तूबर	1981	36000	35983
नवम्बर	1981	37600	दिया नहीं गया
दिसम्बर	1981	37600	दिया नहीं गया

तेल सप्लाई ठेके के नवीकरण के लिये बात-चीत

2610. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसी विदेशी तेल सप्लाईकर्ता से तेल सप्लाई ठेकों के नवीकरण के बारे में बात-चीत की है; और

(ख) यदि हां, तो उस बात-चीत का क्या परिणाम निकला तथा आगामी पांच वर्षों के दौरान विदेशों से कितना तेल आयात करने की संभावना है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) वे देश जो वर्ष 1982 में सहमत मात्राओं में खनिज तेल की सप्लाई जारी रखने के लिए सहमत हो गए हैं, निम्नलिखित रूप में हैं :—

देश	मात्रा मिलियन मी० टनों में
ईराक	3.5
वेन्जुएला	0.5
नाइजीरिया	0.5
ईरान	4.8 (जून, 1983 तक)

कुछ अन्य देशों के साथ बातचीत शीघ्र ही आरम्भ की जानी है।

खनिज तेल के समझौते सामान्य रूप से वर्ष प्रति वर्ष के आधार पर किये जाते हैं।

आंध्र प्रदेश में कोयला रसायन काम्पलेक्स का कार्यकरण

2611. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में सिंगरेनी कोयला खान प्रबन्ध के अधीन "कोल कैमिकल काम्पलैक्स" में जिसमें उत्पादन आरम्भ हो चुका है, उसकी क्षमता के अनुरूप सफलतापूर्वक उत्पादन हो रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस उद्योग का उसकी पूरी आवश्यकता के अनुसार वित्तपोषण करने का निर्णय किया है जिससे परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार पूरी परियोजना को क्रियान्वित किया जा सके; और

(घ) इस संयंत्र की कुल अनुमानित लागत क्या है, उसे किस स्थिति तक क्रियान्वित किया गया है और अब क्या उप-उत्पाद बन रहे हैं तथा उनको किस प्रकार बेचा जा रहा है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) जी, नहीं। कुछ प्रचालन और अनुरक्षण संबंधी समस्याओं के कारण संयंत्र निर्धारित लक्ष्य क्षमता नहीं प्राप्त कर

सका है । परियोजना के प्राधिकारियों ने उन सुधारों की सूची को अन्तिम रूप दे दिया है जो संयंत्र में इस लिए किए जाने हैं कि संयंत्र अपनी निर्धारित लक्ष्य क्षमता प्राप्त कर सके ।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने संयंत्र के चरण–1 की पूरी आवश्यकता को मजूर कर दिया है जिसकी लागत रु० 12.55 करोड़ है । कंपनी ने कहा है कि जैसे ही संयंत्र अपनी वर्तमान 800 टन प्रति दिन की लक्ष्य क्षमता प्राप्त कर लेगा वैसे ही वह कम्पलैक्स के लिए विस्तार योजना बनाएगी जो उसकी 2700 टन प्रति दिन क्षमता के लिए होगी और उसकी अनुमानित लागत रु० 43 करोड़ आएगी । इसके लिए साध्यता रिपोर्ट पहले तैयार की गई थी ।

भारी टार, हल्का टार और अमोनिआकल गैस/द्रव का उप-उत्पादों के रूप में उत्पादन किया जा रहा है । बेशी गैस का कुछ अंश भाप पैदा करने और ब्रिकेटिंग संयंत्र के इस्तेमाल में ले लिया जाता है और बाकी बेशी गैस फ्लेयर स्टैक को चली जाती है । भारी टार और हल्के टार का मिश्रण किया जाता है और उस मिश्रण को, जो भट्टी तेल का विकल्प है, कोलतार-ईंधन के रूप में बेच दिया जाता है । अमोनिआकल द्रव का घोल बनाने के बाद "बायलोजिकल ट्रीटमेंट प्लाँट" में उपचार किया जाता है ताकि द्रव का फेनोलिक अंश कम हो जाए। उपचारित परित्यक्त पदार्थ जमीन में केवल सिंचाई के उद्देश्य से डाला जाता है । इसे नदी के जल में नहीं डाला जाता है ताकि संभावित प्रदूषण बचाया जा सके ।

भारतीय भू-विज्ञान क्षेत्र सर्वेक्षण संस्थान द्वारा पता लगाये गये अतिरिक्त कोयला भंडार

2612. **डा० सरदीश राय :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान ने देश में 8370 लाख टन अतिरिक्त कोयला भंडारों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहाँ कोयला पाया गया है; और

(ग) उन स्थानों पर कब तक नई कोयला खानें आरंभ की जायेंगी ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) जी, हां । वर्ष 1980-81 के फील्ड सीजन में अप्रैल, 1981 तक भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्था ने अनुमान लगाया है कि बिहार के सहरजुरी और राजमहल कोयला क्षेत्रों तथा पश्चिम बंगाल के रानीगंज इलाके में कोयले का कुल भंडार 837 मिलियन टन है ।

(ग) कोयला निकाल कर उसके उपयोग की योजना तभी बनाई जा सकती है जब विस्तृत भू-वैज्ञानिक रिपोर्टें प्राप्त हो जाएं । ऐसी योजना कोयला भंडार के उपयोग की प्रौद्योगिक आर्थिक साध्यता पर भी आधारित होगी ।

अत्यन्त खराब टेलीफोन प्रणाली वाले नगर/टाउन

2613. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन नगरों/टाउनों के क्रमश: नाम क्या हैं जिनमें टेलीफोन प्रणाली खराब है; और

(ख) स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी नहीं । ऐसा कोई शहर/कस्बा नहीं है जहां टेलीफोन प्रणाली अत्यधिक बिगड़ी हुई है ।

(ख) उपरोक्त (क) के उत्तर को मद्दे नजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता । फिर भी, प्रणाली में और आगे सुधार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) उपभोक्ताओं के अहातों के निरीक्षण का कार्य तेज कर दिया गया है ।

(2) हाऊस वायरिंग में अल्युम्यूनियम वायरिंग को तांबे की तारों द्वारा उत्तरोत्तर बदला जा रहा है ।

(3) 4 बालिश्त से कम ऊपरी आयरन वायर संरेखण को ड्राप वायर द्वारा उत्तरोत्तर बदला जा रहा है ।

(4) शिकायतों पर दैनिक निगरानी रखी जा रही है ।

(5) अधिकांश एक्सचेंजों को इंजन आल्टरनेटर प्रदान कर दिए गए हैं ।

(6) दैनिक अनुरक्षण परीक्षणों के निर्धारित कार्यक्रमानुसार कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सूक्ष्म पर्यवेक्षण किया जा रहा है ।

कुकिंग गैस कनेक्शनों की कुल संख्या

2614 **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 30 सितम्बर, 1981 तक राज्यवार कुल कुकिंग गैस कनेक्शनों की संख्या क्या है;

(ख) राजस्थान के प्रत्येक जिले में कुकिंग गैस कनेक्शनों की कुल संख्या क्या है; और

(ग) राजस्थान के उन क्षेत्रों में जिनमें अब तक कनेक्शन नहीं दिये गये, कुकिंग गैस के कनेक्शन देने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) और (ख) 30-9-81 को कुकिंग गैस (एल० पी० जी०) के लिए पंजीकृत किये गये उपभोक्ताओं के राज्य-वार ब्योरे

और राजस्थान में दिये गये एल० पी० जी० कनेक्शनों के जिलावार ब्यौरे संलग्न विवरणों में दिये गये हैं।

(ग) तेल कम्पनियों द्वारा विभिन्न राज्यों में स्थानों पर एल० पी० जी० के वितरकों की नियुक्ति करने और जिन क्षेत्रों में अभी तक एल० पी० जी० के कनेक्शन नहीं दिये गये हैं, के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

विवरण–I

30-9-81 की यथा स्थिति के अनुसार खाना पकाने की गैस (एल० पी० जी०) के पंजीकृत उपभोक्ताओं के राज्यवार ब्यौरे नीचे दिये गये हैं।

	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	उपभोक्ताओं की संख्या
1.	जम्मू और काश्मीर	21,460
2.	आन्ध्र प्रदेश	2,78,523
3.	महाराष्ट्र	10,50,252
4.	कर्नाटक	1,92.897
5.	उड़ीसा	43,469
6.	मध्य प्रदेश	1,94,075
7.	गुजरात	3,80,551
8.	राजस्थान	58,084
9.	हरियाणा	62,988
10.	असम*	44,757
11.	हिमाचल प्रदेश	8,769
12.	बिहार	1,19,013
13.	केरल	68,823
14.	पंजाब	59,943
15.	तमिलनाडु**	2,91,884
16.	उत्तर प्रदेश	3,10,893
17.	पश्चिम बंगाल	2,03,960
18.	चण्डीगढ़	28,548
19.	गोआ	15,224
20.	दिल्ली	3,57,635
	जोड़ :	37,91,748

*मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश सहित।

**पांडिचेरी सहित।

विवरण–2

राजस्थान में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (खाना पकाने की गैस) के जिला-वार ब्यौरे नीचे दिये गये हैं

	राज्य का नाम		कनेक्शनों की संख्या
1.	जयपुर	—	23,015
2.	अजमेर	—	7,775
3.	जोधपुर	—	8,818
4.	झून-झुन	—	3,612
5.	उदयपुर	—	8,508
6.	कोटा	—	9,619
		योग :	61,347

''अनएम्पलाइड माइनर्स ग्रैब कोलफील्ड्स'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार

1615. **श्री विजय कुमार यादव :**

श्री बालकृष्ण वासनिक : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 नवम्बर, 1981 के ''इंडियन एक्सप्रैस'' में ''अनएम्पलाइड माइनर्स ग्रैब कोलफील्ड'' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या यह सच है कि ये श्रमिक बहुत समय से यह मांग कर रहे हैं कि इस बन्द खान को पुनः चालू किया जाये तथा जिस खान में वे काम कर रहे हैं उनका सरकारीकरण किया जाये; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) राष्ट्रीयकरण से पहले, सहरजुरी नं० 5 इंक्लाइन में कुछ भूमिगत खनन काम और सितर हटाने का काम होता था। इस इंक्लाइन के बाहरी कोयले का खनन ग्रामीणों के एक दल ने अवैध रूप से शुरू किया था। उनका उद्देश्य ई० को० लि० के प्रबन्ध-मण्डल पर

यह दबाव डालना था कि प्रबंध-मंडल खान को दोबारा खोले और उन्हें रोजगार दे। चूंकि यह खान आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं है, अतः ई० को० लि० ने इस खान को नहीं खोला है।

संथालडीह विद्युत संयंत्र का बन्द होना

2616. **श्री तारिक अनवर** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाइट डीजल आयल का स्टाक खतम होने के कारण संथालडीह विद्युत संयंत्र को 18 अगस्त को बन्द कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा क्या लाइट डीजल आयल का पर्याप्त भण्डार रखने के लिए उचित सावधानी बरती गई थी; और

(ग) सभी विद्युत संयंत्रों को सुचारु रूप से चलाने के लिए तथा स्टाक खतम होने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) यद्यपि संथालडीह विद्युत केन्द्र के पास अगस्त, 1981 के महीने के लिये ईंधन तेल का 3517 कि० लि० का अन्तशेष स्टाक था, इस केन्द्र के यूनिट एक, दो और चार को 18.8.81 को बन्द कर दिया गया था। यह बताया गया था कि ईंधन तेल के स्टाकों में बहुत अधिक कीच जमा हो जाने के कारण ऐसा हुआ।

भारत सरकार संथालडीह विद्युत केन्द्रों को पर्याप्त मात्रा में तेल का आबंटन कर रही है ताकि विद्युत केन्द्र सुचारु रूप से कार्य कर सकें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि विद्युत केन्द्रों की ईंधन सम्बन्धी आवश्यकताओं को पुरा करने के लिये पर्याप्त स्टाक बने रहें, राज्य बिजली बोर्डों को सामयिक कदम उठाने होंगे। इस मामले की जांच करने के लिये पश्चिम बंगाल सरकार ने एक कमेटी बनाई है। रिपोर्ट पर आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

जोधपुर मुख्य डाकघर की इमारत का पुनर्निर्माण

2617. **श्री अशोक गहलौत** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जोधपुर मुख्य डाकघर की इमारत के पुनर्निर्माण की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना पर कुल कितनी धनराशि खर्च होगी तथा यह कब तक बनकर तैयार हो गाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां।

(ख) परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 80 लाख रुपये है। इस इमारत के निर्माण कार्य पूरा होने में 3 वर्ष लगने की उम्मीद है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

डाक तथा तार प्रशासनिक ढांचे की विकेन्द्रीकरण योजना

2618. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको देश में डाक तथा तार प्रशासनिक ढांचे की विकेन्द्रीकरण योजना के क्रियान्वयन में असामान्य विलम्ब के बारे में आल इण्डिया (पी०एड०टी०) एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसेज एम्प्लाईज यूनियन, नागपुर से दिनांक 24 नवम्बर, 1980 का ज्ञापन संख्या ए०यू०/डी-पी०एन/ज्ञापन प्राप्त हुआ है,

(ख) यदि हां, तो इस क्रियान्वयन को शीघ्रतापूर्वक करने के लिए क्या कार्यवाही की गई हैं;

(ग) कर्मचारी ढांचे, कर्मचारियों की संख्या आदि की समस्या सहित इस विकेन्द्रीकरण से क्या-क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं; और

(घ) विकेन्द्रीकरण योजना को क्रियान्वितर किये जाने की स्थिति में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की जायेगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव): (क) आल इण्डिया (पी० एंड टी०) एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसेज एम्प्लाइज यूनियन, निदेशक डाक सेवा कार्यालय नागपुर शाखा से दिनांक 24.11.80 का ज्ञापन सं० ए०यू०/डी०पी०एन०/ज्ञापन प्राप्त हुआ है ।

(ख) से (घ) निदेशक डाक सेवा नागपुर के कार्यालय के लिए औचित्य एवं स्टाफ की मंजूरी दे दी गई है, ज्ञापन में उल्लिखित अन्य मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा है ।

आकाशवाणी के वाणिज्यिक केन्द्रों तथा केन्द्रीय बिक्री एकक के कर्मचाकियों के बारे में स्थानान्तरण नीति

2619. **श्री रामायण राय** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अकाशवाणी के वाणिज्यिक केन्द्रों तथा केन्द्रीय बिक्री एकक (सेंट्रल सेल्स यूनिट) में कार्यक्रम से सम्बद्ध राजपत्रित अधिकारियों एवं अन्य कर्मघारियों के स्थानान्तरण के बारे में क्या नीति अपनाई जाती है;

(ख) किन-किन वाणिज्यिक केन्द्रों में कार्यक्रम से सम्बद्ध राजपत्रित अधिकारी तीन वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे है;

(ग) बम्बई स्थित वाणिज्यिक केन्द्रों तथा केन्द्रीय विक्री एकक (सेंट्रल सेल्स यूनिट) में ऐसे कर्मचारियों के नाम क्या हैं जो 10 वर्ष से अधिक की अवधि से कार्य कर रहे हैं और क्या निकट भविष्य में उनको किसी अन्य एकक में स्थानान्तरित करने का विचार है; और

(घ) क्या सरकार वाणिज्यिक सेवा में स्थानान्तरण के संबंध में कोई पृथक नीति तैयार कर रही हैं और यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) और (घ) आकाशवाणी के उन केन्द्रों को छोड़ कर जो कठिन केन्द्रों के रूप में चुने गए हैं, शेष सभी केन्द्रों में स्थानीय रूप से भर्ती किए जाने वाले समूह "घ" के अल्प वेतन भोगी व्यक्तियों के सिवाय सभी व्यक्तितों के लिए निर्धारित कार्यकाल 4 वर्ष है।

(ख) ये केन्द्र हैं अहमदाबाद, बंगलोर, भोपाल, कलकत्ता, चंडीगढ़, दिल्ली, पटना और केन्द्रीय बिक्री एकक, बम्बई ।

(ग) इन स्थानों पर कार्यक्रम संबंधी ऐसा कोई राजपत्रित अधिकारी नहीं है जिसका इतना कार्यकाल हो ।

1980 के बाद कोयले के मूल्य में वृद्धि

2620. **श्री मुकुन्द मण्डल :**

श्री कमल नाथ : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980 के बाद कोयले के मूल्य कितनो बार और कितने-कितने बढ़ाये गये हैं;

(ख) क्या कोयले का मूल्य और बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्सबंधी तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार कोयले के भारी उत्पादन को ध्यान में रखते हुए इसका मूल्य कम करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तथ्य क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) कोल इंडिया लि० और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० द्वारा उत्पादित कोयले की औसत सान मुहाना कीमतों को 14-2-1981 से संशोधित करके क्रमशः रु० 101.18 प्रति टन से स्थान पर रु० 128.02 और रु० 99.92 प्रति टन के स्थान पर रु०136.85 प्रति टन कर दिया गया है ।

(ख) और (ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं हैं ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) कोयले का विशाल उत्पादन ही कोयले की समुचित कीमतें निर्धारित करने के लिए एकमात्र कारक नहीं है । यह बात अन्य विभिन्न कारकों पर भी निर्भर करती है जिनमें अन्य उत्पादन सामग्रियों की लागत, मजदूरी, आदि शामिल हैं ।

जवाहरलाल नेहरू पर फिल्म निर्माण

2621. **श्री जितेन्द्र प्रसाद :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहरलाल नेहरू पर भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से फिल्म बनाई जायेगी; और

(ख) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने का है कि जवाहर लाल नेहरू की भूमिका किसी भारतीय को ही सौंपी जाये न कि गांधी पर फिल्म की भांति, जिसमें गांधी की भूमिका किसी विदेशी द्वारा अदा की गई है, किसी विदेशी को सौंपी जाये ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी हां।

(ख) जवाहर लाल नेहरू पर प्रस्तावित फिल्म किन-किन काल्पनिक पात्र के डाकुमेंट्री किस्म की होगी; किसी भी पात्र के द्वारा नेहरू की भूमिका निभाए जाने की बात नहीं सोची गई है।

गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्रों के लिए स्थान

2622. **चित्त महाटा :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान किन-किन स्थानों पर प्राकृतिक गैस पर आधारित उर्वरक संयन्त्र स्थापित किये जायेंगे;

(ख) क्या यह सच है कि संयंत्र पिछड़े क्षेत्रों में लगाए जायेंगे; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं तथा इन संयंत्रों के लिए धनराशि आवंटन के राज्यवार आंकड़े क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) से (ग) थाल और हाजिरा में गैस पर आधारित उन दो संयंत्रों जिन पर कार्य पहले से ही चल रहा है, के अतिरिक्त छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान गैस पर आधारित उन 5 उर्वरक संयंत्रों पर भी कार्य प्रारम्भ करने का निर्णय किया गया है जिनमें से एक मध्य प्रदेश में, एक राजस्थान में और चार संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थापित किये जाने हैं। इन संयन्त्रों के सही स्थान, निवेश और अन्य ब्यौरे के बारे में अभी निर्णय नहीं किया गया है।

यद्यपि पिछड़े क्षेत्र का विकास करना सरकार की एक स्वीकृत नीति है, तथापि एक उर्वरक संयंत्र की स्थापना, जो एक अत्यधिक पूंजी निवेश वाला उद्योग है, जैसे फीडस्टाक की उपलब्धता, इन्फ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता मांग ढांचा फीडस्टाक और उर्वरकों आदि की परिवहन लागत आदि के आधार पर की जाती है।

वक्फ सम्पत्ति पर अनधिकृत कब्जा

2623. **श्री जैनुल बशर :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको वक्फ सम्पत्ति पर अनधिकृत कब्जे, उसकी गैर-कानूनी बिक्री और धार्मिक स्थानों की पवित्रता समाप्त करने के बारे में शिकायत मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) सरकार ने वक्फ सम्पत्ति की सुरक्षा करने और धार्मिक स्थानों की पवित्रता बनाये रखने के लिये यदि कोई कार्यवाही की है, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) वक्फ अधिनियम, 1954 के उपबंधों के अधीन किसी भी राज्य में सभी वक्फों का साधारण अधीक्षण राज्य सरकार द्वारा स्थापित वक्फ बोर्ड में निहित होता है। ऐसे मामलों में कार्रवाई करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। वक्फ बोर्ड का यह कर्त्तव्य भी है कि वह वक्फ अधिनियम, 1954 के अधीन अपनी शक्तिशों का प्रयोग इस प्रकार करे कि जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उसके अधीक्षण के अधीन जो वक्फ हैं उनका उचित रूप से रख-रखाव, नियन्त्रण और प्रशासन किया जाता है। इसके अतिरिक्त वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 36-क में यह अधिकृत है कि कृषि भूमि के मामले में तीन वर्ष से अधिक की अवधि और गैरकृषि भूमि या भवन के मामले में एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिये कोई भी विक्रय, दान, बंधक, विनिमय या पट्टा वक्फ बोर्ड की मंजूरी के बिनाविधि मान्य नहीं है। ऐसे मामलों में जिसमें वक्फ बोर्ड की पूर्व मंजूरी के बिना वक्फ सम्पत्तियों का अन्तरण कर दिया गया है, वक्फ बोर्ड इन सम्पत्तियों के प्रत्युद्धरण के लिए वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 36-ख के उपबंधों के अधीन कार्रवाई कर सकता है। अन्य मामलों में वक्फ बोर्ड को वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 55 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय में सिविल वाद फाइल करना होता है।

ज्योंही वक्फ सम्पत्ति के अधिक्रमण, किसी धार्मिक स्थान के अवैध विक्रय या उसकी पवित्रता के नष्ट किए जाने के बारे में केन्द्रीय सरकार को कोई शिकायत प्राप्त होती है, त्योंही वह शिकायत संबंधित राज्य सरकार और वक्फ बोर्ड को समुचित कार्रवाही के लिए भेज दी जाती है। केन्द्रीय सरकार समय-समय पर यह सुनिश्चित करने के प्रयास करती रही है कि ऐसी वक्फ सम्पत्तियों से, जो केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों आदि के कब्जे में आ गई हैं, संबंधित विवाद यथा सम्भव कतिपय साम्यापूर्ण मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, मुकदमेबाजी का सहारा लिए बिना तय हो जाएं।

इलेक्ट्रनिक एक्सचेंज उपकरण के उत्पादन के लिए दूसरे कारखाने की स्थापना

*2624. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :*

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में 5 लाख लाइन एम० ए० एक्स० की क्षमता वाले इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज उपकरण के उत्पादन के लिये दूसरा कारखाना स्थापित करने हेतु केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) और (ख) सरकार ने सिद्धान्त रूप से निर्णय लिया है कि संचार मन्त्रालय के अधीन, दो इलेक्ट्रोनिक स्विचिंग कारखाने, एक के बाद दूसरा, स्थापित किए जाएं। प्रत्येक कारखाने की वार्षिक उत्पादन क्षमता 5 लाख लाइनें होगी। आन्ध्र प्रदेश राज्य शासन ने अनुरोध किया है कि इन दो कारखानों में से एक कारखाना आन्ध्र प्रदेश के मेडक जिले में, पाटनचेरु-सगारेड्डि क्षेत्र में स्थापित किया जाए। यह अनुरोध, प्रथम इलैक्ट्रानिक-स्विचिंग कारखाने के लिए उपयुक्त स्थान चुनने के लिए गठित स्थान चयन समिति के विचारार्थ भेज दिया गया था। समिति ने दिनांक 30.11.1981 को सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

दिल्ली तथा अन्य सहभागी राज्यों को अधिक विद्युत देने की भाखड़ा की पेशकश

2625. **श्री के० लकप्पा** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड ने दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान तथा अन्य सहभागी राज्यों को अपने "काम्प्लेक्स" से अधिक विद्युत देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरा ब्योरा क्या है ?

(ग) राजधानी में बार-बार बिजली खराब हो जाने और इसकी कमी को देखते हुए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान का विचार कितनी विद्युत लेने का है;

(घ) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान का विचार बिलों की वर्तमान दरों को भी कम करने का है और यदि हां, तो कितनी; और

(ङ) उपभोक्ताओं को विद्युत की निर्बाध सप्लाई करने के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इन्द्रप्रस्थ तथा बदरपुर ताप विद्युत केन्द्रों में विद्युत के उत्पादन में बढ़ोतरी होने से न केवल दिल्ली की समूची भार मांगों को पूरा करना संभव हुआ बल्कि उत्तरी ग्रिड को, जिसमें भाखड़ा-ब्यास प्रबंध बोर्ड भी शामिल है, अक्तूबर, 1981 में लगभग 340 लाख यूनिट तथा नवम्बर, 1981 में लगभग 250 लाख यूनिट विद्युत दे सकना भी संभव हुआ है।

(घ) कोयला, भट्टी का तेल, वेतन आदि जैसे निवेशों की बढ़ती हुई लागत को देखते हुए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की बिलों की वर्तमान दरों में कमी किये जाने की कोई सम्भावना प्रतीत नहीं होती।

(ङ) दिल्ली में विद्युत सप्लाई की स्थिति में सुधार लाने के लिए तथा उपभोक्ताओं को निरन्तर विद्युत सप्लाई की व्यवस्था करने के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा कई कदम

उठाए गए हैं और उठाए जा रहे हैं। दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के इन्द्रप्रस्थ केन्द्र तथा बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र के विद्युत उत्पादन में सुधार लाने के लिए प्रयास करने के अलावा, डेसू की पारेषण तथा वितरण प्रणाली के तार जाल को सतत आधार पर सुढृढ़/संवन्धित किया जा रहा है, ताकि ब्रेकडाउनों की संख्या में यथा संभव कमी की जा सके। दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की पारेषण तथा वितरण प्रणाली में सुधार लाने हेतु सिफारिशें करने के लिए महाप्रबंधक, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के सदस्य (विद्युत प्रणाली) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति का गठन भी हाल ही में किया है। इस समिति की अन्तिरिम रिपोर्ट को दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। समिति की अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसकी सिफारिशों पर आगे कार्रवाई की जाएगी।

पश्चिम बंगाल में इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० द्वारा संश्लिष्ट औषध संयंत्र की स्थापना

2626. **श्री रेणुपद दास :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने इन्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० को उसके संश्लिष्ट औषध संयंत्र की स्थापना के लिए सांल्ट लेक तथा कल्याणी में भूमि देने की पेशकश की थी जहां 15 औषधियों का उत्पादन होगा;

(ख) यदि हा, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) पश्चिम बंगाल सरकार ने इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० के दूसरे सिन्थेटिक औषध प्लांट के लिए साल्ट लेक और कल्याणी में उपयुक्त स्थल का प्रस्ताव दिया है। तथापि यह निर्णय लिया गया है कि हैदराबाद के वर्द्धमान सिन्थेटिक औषध प्लांट का विस्तार किया जाएगा और दूसरे सिन्थेटिक औषध प्लांट के लिए प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ाया गया।

पश्चिम बंगाल को मिट्टी के तेल की सप्लाई

2627. **श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल को अपनी मांग, जो आवश्यकताओं पर आधारित है, के अनुसार मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) सरकार ने गत छह महीनों के दौरान पश्चिम बंगाल को उसकी मांग के अनुसार कितनी बार मिट्टी का तेल सप्लाई किया ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सहित समस्त राज्यों को उत्पाद की कुल उपलब्धता, विगत खपत/आवंटन, परिवहन क्षमता आदि के आधार पर मिट्टी के तेल का आबटन किया जाता है। पश्चिम बंगाल में वर्ष 1981 के दौरान मिट्टी के तेल का आबंटन वर्ष 1980 के दौरान की गई बिक्री से 7.5 प्रतिशत से अधिक पर किया गया था और वर्ष 1980 के दौरान की गई बिक्री की तुलना में जारी की गई मात्रा लगभग 12 प्रतिशत अधिक रही है। नवम्बर, 1981 से फरवरी, 1982 के शरद ऋतु के महीनों के लिए पश्चिम बंगाल को मिट्टी के तेल का आबंटन प्रति माह 37,600 मी० टन की दर पर किया गया है जो कि अब तक किए गए आवंटनों में सबसे अधिक था।

बेडथी पन-बिजली परियोजना

2628. **श्री टी० आर० शमन्ना** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य के उत्तरी कनारा में वेडथी पन-बिजली परियोजना इस समय किस स्थिति में है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इस क्षेत्र के लोगों की जोरदार शिकायत है कि इस परियोजना से उनको भारी घाटा और हानि होगी तथा इस योजना को बन्द किया जाए; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र के लोगों की शिकायतें सुनने तथा उनकी वास्तविक शिकायतें दूर करने के बाद ही परियोजना को क्रियान्वित करने का है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) बेदथी जल विद्युत परियोजना को योजना आयोग ने स्वीकृति दे दी है। किन्तु, स्थानीय लोगों के आन्दोलन के कारण इस परियोजना पर कार्य नहीं चल रहा है। उन्हें आशंका है कि जंगली भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र के जलमग्न होने के कारण परिस्थिति विज्ञान संबंधी असंतुलन हो जाएगा।

(ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि बेदथी परियोजना के पर्यावरण संबंधी प्रभाव के बारे में अध्ययन भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज कर रहा है और उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

उड़ीसा में डाक तथा तार विभाग का मण्डल कार्यालय खोलना

2629. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विद्युत मंडल, उड़ीसा 1979-80 में मंडल कार्यालय मंजूर किया गया था परन्तु उसे बम्बई स्थानान्तरित कर दिया गया;

(ख) क्या उड़ीसा में पहले ही दो विद्युत उप-मंडल कार्यालय चल रहे हैं और एक और कार्यालय शीघ्र ही सम्बलपुर में खोला जाने वाला है;

(ग) क्या उप-मंडल कार्यालय और एक मंडल कार्यालय जरूरी है;

(घ) क्या तीन उपमंडल कार्यालयों के लिए एक मंडल कार्यालय न होने से कार्यालय संबंधी कार्यवाही में बाधा पड़ती है;

(ङ) यदि हां, तो 1979-80 के निर्णय के अनुसार उड़ीसा में मंडल कार्यालय खोलने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां ।

(ख) उड़ीसा में दो डाक तार इलेक्ट्रिकल उपमंडल पहले से ही कार्य कर रहे हैं । कार्य-भार के आधार पर एक और उपमंडल बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) और (घ) मानकों के अनुसार एक मडल में चार उप मडल कार्यालय होने चाहिए। तथापि किसी विशेषकार्य क्षेत्र के विचार के आधार पर एक मंडल में सामान्यतम चार उप मंडलों के स्थान पर 3 उप मंडल भी हो सकते हैं ।

(ङ) इलेक्ट्रिकल मंडलों/उपमंडलों के सृजन का मामला विचाराधीन है । यदि औचित्य पाया गया तो एक मंडल भुवनेश्वर में खोले जाने की उम्मीद है ।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राजस्थान को 1981-82 के दौरान सप्लाई की जाने वाली विद्युत की मात्रा

2630. **श्री विरदा राम फुलवारिया** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष 1981-82 के दौरान विभिन्न राज्यों से राजस्थान राज्य को कितने मेगा-वाट विद्युत की सप्लाई किये जाने की संभावना है; और

(ख) विद्युत के मामले में राजस्थान कब तक आत्म-निर्भर हो जायेगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जब राजस्थान परमाणु विद्युत केन्द्र के दोनों यूनिट कार्य कर रहे होते हैं और भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड, चम्बल आदि जैसे अन्य स्रोतों से सप्लाई उपलब्ध होती रहती है, तब राजस्थान कुल मिलाकर अपनी विद्युत की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ होता है । तथापि, राजस्थान परमाणु विद्युत केन्द्र की एक या दोनों यूनिटों की बन्दी के दौरान या अन्य स्रोतों से सप्लाई में कमी होने पर, राजस्थान को इन अवधियों के दौरान विद्युत की कमी का सामना करना पड़ता है । चूंकि राजस्थान के पड़ोसी राज्य भी इस वर्ष के दौरान विद्युत की कमी की स्थिति का सामना कर रहे हैं, राजस्थान को पर्याप्त व्यस्ततमकालीन सहायता देना संभव नहीं हुआ है । यद्यपि, इस राज्य को विभिन्न अव-सरों पर भाखड़ा-ब्यास प्रबन्ध बोर्ड तथा बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र से सहायता दी गई है । आशा

है कि केन्द्रीय क्षेत्र के बदरपुर/बैरास्यूल विद्युत केन्द्रों से मार्च, 1982 से कुछ व्यस्ततमकालीन सहायता दे सकना संभव हो जाएगा। जहां तक क्षेत्र के अन्य राज्यों से व्यस्ततमकालीन सहायता का संबंध है यह बात समय-समय इन राज्यों में अपनी-अपनी विद्युत सप्लाई की स्थिति पर निर्भर करेगी। देश में प्रचुर विद्युत उपलब्ध कराने की सकल्पना है। फालतू बिजली वाले क्षेत्रों से कमी वाले राज्यों में बिजली पहुंचाई जा सकती है। यदि योजना लक्ष्यों को पूरा कर लिया जाता है तो राजस्थान की आवश्यकताएं पूर्णतः पूरी हो जाएंगीं।

पश्चिम बंगाल में विद्युत उत्पादन क्षमता

2631. **श्री नीरेन घोष** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा गठित विद्युत जांच आयोग द्वारा दिये गये सुझाव की ओर दिलाया गया है कि पश्चिम बंगाल में 1700 मेगावाट की कुल उत्पादन क्षमता वाले नये विद्युत संयंत्र लगाये जायेंगे;

(ख) क्या 1700 मेगावाट की नई क्षमता के अभाव में इस दशक के अन्त तक गड़बड़ी की स्थिति पैदा हो जायेगी;

(ग) यदि हां; तो क्या केन्द्रीय सरकार इस मामले पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो क्या कोई योजना या परियोजना तैयार की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा गठित किए बिजली जांच आयोग की रिपोर्ट की प्रति सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (घ) पश्चिम बंगाल राज्य की वर्तमान कुल प्रतिष्ठापित क्षमता 1730 मेगावाट है। 1878 मेगावाट की कुल क्षमता की परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल को निम्नलिखित परियोजनाओं से भी हिस्सा प्राप्त होगा :—

केन्द्र	कुल प्रतिष्ठापित क्षमता
1. फरक्का सुपर ता० वि० केन्द्र	600 मेगावाट
2. चुक्खा ज० वि परियोजना	336 मेगावाट
3. कोयल कारो ज० वि० परियोजना	710 मेगावाट

इसके अतिरिक्त पूर्वी क्षेत्र को लाभ देने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की दो अन्य स्कीमों को भी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने तकनीकी आर्थिक स्वीकृति दे दी है। छठी योजना में चालू की जाने वाली स्कीमों को ध्यान में रखते हुए तथा यह मानकर कि वर्तमान ताप विद्युत केन्द्र निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रचालन में रहेंगे, 1984-85 तक पश्चिम बंगाल में विद्युत सप्लाई की स्थिति में निम्नानुसार सुधार हो जाने का अनुमान है :—

प्रतिष्ठापित क्षमता	3024 मेगावाट
व्यस्ततमकालीन उपलब्धता	1617 मेगावाट
व्यस्ततम मांग	1579 मेगावाट
फालतू	38 मेगावाट

यह उल्लेखनीय है कि पश्चिमी बंगाल में विद्युत सप्लाई संबंधी वर्तमान कठिनाइयां वर्तमान ताप विद्युत केन्द्रों में क्षमता का घटिया समुपयोजन होने तथा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा क्रियान्वित की जा रही विद्युत परियोजनाओं के निर्माण और चालू किए जाने में अनावश्यक विलम्ब होने के कारणों से हैं।

फिल्मों को उद्योग के रूप में माना जाना

2632. **प्रो० रूप चन्द पाल :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्मों को उद्योग के रूप में मान्यता देने और शामिल करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) फिल्म निर्माण और थियेटर निर्माण को संस्थागत वित्त उपलब्ध करने के लिए उद्योग के रूप में मान्यता देने के प्रस्ताव को सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए हाथ में लिया जा रहा है। तथापि, इसका कार्यान्वयन प्रस्ताव की स्वीकृति और अन्य सम्बन्धित बातों पर निर्भर करेगा।

उरान-नवगांव में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की विस्तार परियोजना

2633. **श्री एस० टी० पाटिल :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उरान-नवगांव (महाराष्ट्र) में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की चरण-दो विस्तार परियोजना के स्थान के बारे में सरकार का क्या निर्णय है; और

(ख) मूल परियोजना प्रतिवेदन में रखे गये निर्धारित समय के विशेष संदर्भ में उक्त परियोजना पर कितनी प्रगति हुई है और इसमें यदि कोई अन्तर आया हो तो उसके वित्तीय तथा अन्य क्या-क्या परिणाम होंगे ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी): (क) और (ख) वर्तमान स्थान के निकट इरान में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की एल. पी. जी. प्रायोजना के विस्तार के चरण-दो को स्थापित करने के गुणावगुणों को वातावरणीय कारणों से चुनौती दी गई थी। इस मामले में अध्ययनों को पूरा कर लिया गया है और ऐसी आशा है कि शीघ्र ही एक निर्णय लिया जाएगा।

इन्दौर में रंगीन टेलीविजन केन्द्र की स्थापना

2634. **श्री फूल चन्द वर्मा :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदौर में भी रंगीन टेलीविजन के लिये व्यवस्था की जायेगी;

(ख) इन्दौर रिले केन्द्र कब तक कार्य करना आरंभ कर देगा;

(ग) क्या देवास तथा शाजापुर क्षेत्र भी इन्दौर रिले केन्द्र की रेंज में आयेंगे; और

(घ) इस बारे में पूरा ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) देश में रंगीन दूरदर्शन चालू करने का प्रश्न विचाराधीन है।

(ख) से (घ) अगले 20 वर्षों में चार चरणों में दूरदर्शन के विस्तार की भावी योजना के अन्तर्गत डाक-तार माइक्रोवेव लिंक की सहायता से दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने के लिए 49 स्थानों में से एक स्थान इन्दौर चुना गया है। इन्दौर पहले चरण (1980-85) में है।

इन्दौर में दूरदर्शन रिले ट्रांसमीटर के स्थापित हो जाने पर देवास जिले के भागों को दूरदर्शन रिले ट्रांसमीटर के स्थापित हो जाने पर देवास जिले के भागों को दूरदर्शन सेवा प्राप्त होने की संभावना है। लेकिन शाजापुर के इन्दौर से 80 कि० मी० दूर होने के कारण उसको इस ट्रांसमीटर से दूरदर्शन सेवा प्राप्त नहीं होगी।

श्रीलंका से स्वदेश लौटे व्यक्ति

2635. **श्री के० टी० कौसलराम :** क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि श्रीलंका से स्वदेश लौटे व्यक्ति, जो रामेश्वरम् में उतरे हुए हैं, सीमाशुल्क विभाग के अधिकारियों के अनेक कदाचारों के शिकार हो जाते हैं तथा उनकी सारी सम्पत्ति को किसी न किसी आधार पर जब्त कर लिया जाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि तमिलनाडु में मंडपम तथा कोट्टापट्टी में "ट्रांजिट कैंपों" में पर्याप्त आवास नहीं हैं तथा स्वदेश लौटे व्यक्तियों पर और उनके परिवारों को धूप और वर्षा में रहना पड़ता है तथा उनकी अस्थायी आस्तियों का उन एजेंटों द्वारा दुर्विनियोग किया जाता है जो उनकी पुनर्वास सहायता दिलाने में मदद देने की कोशिश करते हैं; और

(ग) यदि हां, तो स्वदेश लौटे इन व्यक्तियों को सीमा-शुल्क विभाग के अधिकारियों तथा बाहर समाज-विरोधी तत्वों से बचाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया है कि किसी सीमा-शुल्क अधिकारी के विरुद्ध उन्हें कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

श्रीलंका प्रत्यावासियों के पात्र परिवारों को रामेश्वरम से तमिलनाडु में मण्डपम और कोट्टापट्टु स्थित मार्गस्थ शिविरों में लाया जाता है जहां पर्याप्त आवास उपलब्ध है। प्रत्यावासियों के लिए व्यवसायिक ऋण, आवासीय ऋण आदि जैसी सभी सहायता, एजेन्टों के माध्यम से न देकर सीधे व्यक्तिगत प्रत्यावासियों को दी जाती है। तथापि, प्रत्यावासियों के पहुंचने पर एजेंटों या दलालों के शोषण के विरुद्ध चेतावनी दी जाती है।

डाक तथा तार अधिकारियों का दिल्ली से बाहर स्थानान्तरण

2536. **श्री राम विलास पासवान** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1981 से मई, 1981 तक 22 सहायक अभियन्ता (फोन्स) द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को "कुशलता के मानदंड" के आधार पर दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित कर दिया गया था, यदि हां, तो उसमें से कितने अधिकारी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि स्थानान्तरण सूची से सामान्य श्रेणी के चार अधिकारियों के बारे में आदेश निकाल दिये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो स्थानान्तरण सूची से इन अधिकारियों को किस प्राधिकारी ने निकाला, इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि सामान्य श्रेणी का एक अधिकारी अर्थात् ए. ई. (प्रशासन) ट्रंक एक्सचेंज, नई दिल्ली का केवल कागजों पर पहले हैदराबाद स्थानान्तरण कर दिया गया तत्पश्चात् गाजियाबाद स्थानान्तरण कर दिया गया था परन्तु वह वास्तव में दिल्ली में बना रहा तथा प्रशासन में उसी पद पर कार्य करता रहा; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां। यह सच है कि 22 सहायक इन्जीनियरों का दिल्ली टेलीफोन से सेवा के हित में स्थानान्तरण किया गया जिनमें से 10 सहायक इन्जीनियर अनुसूचित जातियों के थे तथा कोई भी अनुसूचित जनजाति का नहीं था।

(ख) तथा (ग) स्थानान्तरण की सूची में से सामान्य श्रेणी के चार सहायक इन्जीनियरों तथा अनुसूचित जातियों के दो सहायक इन्जीनियरों के आदेश बाद में डाक-तार निदेशालय द्वारा करुणामूलक आधार पर अथवा सेवा के हित में रद्द किये गये।

(घ) जी हां। सहायक इन्जीनियर (प्रशासन) ट्रंक एक्सचेंज का स्थानांतरण आन्ध्र सर्कल में किया था परन्तु उसके स्थानांतरण के आदेश बाद में रद्द कर दिए गए तथा उसका कागजों पर गाजियाबाद स्थानान्तरण नहीं किया गया।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में अपर जिला न्यायाधीशों की संख्या और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का कोटा

2637. **श्री आर० आर० भोले :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्तूबर, 1981 को दिल्ली में कुल कितने अपर जिला न्यायाधीश कार्य कर रहे थे और स्थायी, अस्थायी/तदर्थ पदों के बारे में इनके आंकड़े क्या हैं;

(ख) अस्थायी और तदर्थ पदों के मामले में ये पद कब से बने हुए हैं और इतनी लम्बी अवधि तक इन तदर्थ पदों को बनाए रखने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा नियम, 1970 के नियम 22 के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो कोटा आरक्षित है वह भर लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और सरकार का विचार दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा नियम, 1970 का निरन्तर उल्लंघन करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करने का है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) 31 अक्तूबर, 1981 को दिल्ली में 27 अपर जिला और सेशन न्यायाधीश कार्य कर रहे थे जबकि कुल 29 पद हैं जिनमें से 21 पद स्थायी और 8 पद अस्थायी हैं।

(ख) आठ अस्थायी पदों में से चार पद नई दण्ड प्रक्रिया संहिता के लागू हो जाने से उत्पन्न हुए अतिरिक्त कार्य को निपटाने के लिए तारीख 29.9.75 से सितम्बर, 1977 तक की अवधि के लिए स्वीकृत किए गए थे और उसके पश्चात् बकाया मामलों को निपटाने के लिए वर्षानुवर्षी आधार पर स्वीकृत किए गए थे। शेष चार अस्थायी पद 24.3·79 से स्वीकृत किए गए थे और बकाया मामलों को निपटाने के लिए वर्षानुवर्षी आधार पर बने हुए हैं।

(ग) और (घ) दिल्ली उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण, नियमानुसार, केवल सीधी भर्ती में है। नियमानुसार, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित एक रिक्त स्थान अभी भरा जाना है और उसके लिए जनवरी-फरवरी, 1981 में एक विज्ञापन जारी किया गया था। इस पद के लिए अभ्यर्थी का चयन करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

दुर्लभ रसायनों का आयात

2638. **श्री राजेश पाईलट :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे द्वारा आयात किये गये बढ़िया किस्म के और दुर्लभ रसायनों के नाम क्या हैं और इनकी मात्रा क्या है;

(ख) इनमें से कितने रसायन नये उद्यमियों द्वारा लघु अथवा छोटे पैमाने पर तैयार किये जा सकते हैं; और

(ग) शिक्षा के साथ विकास और रोजगार को जोड़ने की किन्हीं प्रस्तावित योजनाओं के जरिए बेरोजगार स्नातकोत्तर और पी० एच० डी० व्यक्तियों द्वारा इनका निर्माण करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) आयात किए जाने वाले रसायनों के नाम और मात्रा के बारे में सूचना वाणिज्यिक असूचना और सांख्यिकी महानिदेशक कलकत्ता द्वारा भारत के विदेशी व्यापार की मासिक सांख्यिकी में प्रकाशित की जाती है जिसकी प्रतियां संसद ग्रंथागार में उपलब्ध हैं। आयातित रसायनों के नमूनों से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि नमूने खेप-दर-खेप भिन्न होते हैं जो आयात के स्रोत और आयात तक की आवश्यकता पर निर्भर करते हैं।

(ख) जिन रसायनों का निर्माण आसानी से लघु उद्योग क्षेत्र में हो सकता है उनको विशेष रूप से लघु उद्योग क्षेत्र में विकास के लिए आरक्षित किया गया है। आज तक 76 रसायन आरक्षित हैं।

(ग) विकास आयुक्त लघु उद्योग, लघु उद्योग सेवा संस्थान और राज्य उद्योग संगठन शिल्पियों समेत लघु उद्योग उद्यमियों को सभी आवश्यक सहायता दे रहे हैं। लघु उद्योग उद्यमियों को उपलब्ध सामान्य सहायता के अतिरिक्त शिक्षित बेरोजगारों विशेषकर इन्जीनियरों को ब्याज सहायता, औद्योगिक उद्यमी पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण, प्लांटों और शेडों के आवंटन में रियायती ऋण और अग्रता जैसे विशेष लाभ दिए जाते हैं।

कहलगांव ताप बिजली घर

2639. **श्री कुंवर राम** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कहलगांव ताप बिजली घर की स्थापना के विचार को छोड़ दिया है;

(ख) यदि नहीं, तो वित्तीय वर्ष 1981-82 में इस संयंत्र के लिए सरकार द्वारा कितनी राशि का प्रावधान किया गया है; और

(ग) क्या यह सच है कि सरकार का विचार अब वहां पर 3000 मेगावाट के बजाए 500 मेगावाट बिजली घर की स्थपना करने का है?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने बिहार में कहलगांव में एक सुपर ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने की व्यवहार्यता रिपोर्ट

तैयार की है। इस परियोजना की चरम क्षमता 2800 मेगावाट होने की परिकल्पना की गई है। 4 × 200 मेगावाट के यूनिटों वाले 800 मेगावाट के इसके प्रथम चरण को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। तथापि, निवेश संबंधी निर्णय अभी लिया जाना है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की नई परियोजनाओं के लिए वर्तमान पंचवर्षीय योजना में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है।

लघु एककों द्वारा इथामबुटोल हाइड्रोक्लोराइड का उत्पादन

2640. **श्री धर्मदास शास्त्री :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से लघु एकक प्रतिवर्ष 100 मीट्रिक टन से अधिक तक का इथामबुटोल हाइड्रोक्लोराइड का उत्पादन कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने इथामबुटोल हाइड्रोक्लोराइट के लिए बड़े एककों को नये/विस्तार लाइसेंस देने पर विचार करते हुए लघु एककों के हित को ध्यान में रखा है; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार दो लघु उद्योग यूनिटें इथामबुटोल हाइड्रोक्लोराइड का निर्माण कर रही हैं। वर्ष 1980-81 के दौरान उनका निर्माण 10.191 टन था।

(ख) और (ग) अतिरिक्त क्षमता का लाइसेंस देते समय लघु उद्योग यूनिटों के निर्माण को ध्यान में रखा जाता है।

भाखड़ा में बिजली का अतिरिक्त उत्पादन

2641. **श्री गुलाम रसूल कोचक :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भाखड़ा पनबिजली परियोजना में इन दिनों असामान्य रूप से बिजली का अतिरिक्त उत्पादन हो रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि या तो इस बिजली उत्पादन को घटाना पड़ेगा अथवा इस अतिरिक्त उत्पादन के लिए उपभोक्ता ढूंढने पड़ेंगे;

(ग) क्या विशेष रूप से काश्मीर को शीतकालीन मौसम के दौरान बिजली की कमी का सामना करना पड़ता है जो एक गंभीर मामला बनना शुरू हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो उनका विचार क्या कार्यवाही करने का है ताकि काश्मीर में सर्दी के दौरान बिजली की यह कमी संतोषजनक रूप से पूरी हो सके ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) जी, नहीं। उत्पादन की गई सारी बिजली का पूरा-पूरा उपयोग भागीदार राज्यों द्वारा किया जा रहा है तथा अतिरिक्त उत्पादन नहीं हो रहा है।

(ग) और (घ) जम्मू और काश्मीर भाखड़ा-नंगल परियोजना का केवल सामान्य पूल उपभोक्ता है तथा वह 20 मेगावाट विद्युत का हकदार है । इसके लिए भाखड़ा-व्यास प्रबन्ध बोर्ड द्वारा अनुमोदन दे दिया गया है । शीतकालीन महीनों के दौरान जम्मू और काश्मीर की कठिनाइयों को दूर करने में उसकी सहायता करने के लिए भाखड़ा-व्यास प्रबन्ध बोर्ड प्रणाली से प्रतिदिन 7.4 लाख यूनिट की अतिरिक्त सहायता दी जा रही है ।

मंगलौर में पेट्रो-रसायन समूह

2642. **श्री ग्रोस्कर फर्नान्डीस :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलौर में एक पेट्रो-रसायन समूह की स्थापना करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक चालू किये जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

नई दिल्ली क्षेत्र में नई कालोनियों को टेलीफोन सुविधाएं

2643. **श्री सज्जन कुमार :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्षेत्रीय प्रबंधक (पश्चिम) के अन्तर्गत नई दिल्ली की डाक जोन 41 के अन्दर मीरा बाग, सुन्दर बिहार, जीवन निकेतन, विरोची कालोनी और अन्य बहुत सी नई कालोनियां आई हैं लेकिन इन कालोनियों के निवासियों को अभी तक टेलीफोन की सुविधा नहीं दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात को देखते हुए कि इन कालोनियों में रहने वाले लोगों को टेलीफोन करने के लिए ज्वाला हेड़ी में जाना पड़ता है जो इस क्षेत्र से लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है, निकट भविष्य में इन क्षेत्रों को टेलीफोन की सुविधा प्रदान करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस क्षेत्र को किस टेलीफोन एक्सचेंज से जोड़ा जाएगा और कब तक ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) तथा (ख) सुन्दर बिहार में पहले से ही टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध हैं, अन्य कालोनियों में भी टेलीफोन सुविधाएं यथासमय प्रदान कर दी जाएंगी ।

(ग) एक्सचेंज का विस्तार होने पर जो कि साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है, 1984 तक इन कालोनियों को उत्तरोत्तर नांगलोई टेलीफोन एक्सचेंज द्वारा सेवा प्रदान की जाएगी ।

ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्त डाक और तार कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता

2644. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक और तार विभाग के कर्मचारियों को, जब उन्हें कस्बा और ग्राम पंचायत जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्त किया जाता है, मकान किराया भत्ता नहीं दिया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि तमिलनाडु सरकार ऐसे क्षेत्रों में कार्य कर रहे अपने कर्मचारियों के लिए ग्रामीण भत्ता दे रही है; और

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे क्षेत्रों में भी मांगे जा रहे भारी मकान किराये को देखते हुए यह भत्ता देने का है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) 1971 में हुई जनगणना और सरकार द्वारा कुछ अन्य निर्धारित शर्तों के अनुसार 50,000 अथवा अधिक जनसंख्या वाले स्थानों पर कार्य कर रहे डाक तार कर्मचारियों सहित केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता देय होता है। जब तक कि अन्य शर्तें पूरी न की जाएं, मात्र एक कस्बा अथवा ग्राम पंचायत हो जाने से कोई स्थान इस भत्ते का पात्र नहीं हो जाता है।

(ख) और (ग) जी नहीं। डाक तार कर्मचारियों पर भारत सरकार द्वारा जारी किए गए वही सामान्य आदेश लागू होते हैं जो मकान किराया भत्ता और अन्य उसी प्रकार के भत्तों के मामले में सभी केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों पर लागू होते हैं। डाक तार विभाग द्वारा इस संबंध में अलग से कोई नीति नहीं बनाई जा सकती है।

उड़ीसा में डाकघर रहित गाँव

2645. **श्री के० प्रधानी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 के अन्त तक उड़ीसा राज्य में कितने गांवों में कोई डाकघर नहीं है; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितने डाकघर खोलने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री कार्तिक उरांव)। (क) 1980 के अन्त तक उड़ीसा राज्य में 40,282 जनगणना ग्राम ऐसे थे जिनमें डाकघर नहीं हैं।

(ख) 1981-82 के दौरान अब तक 40 डाकघर खोले जा चुके हैं तथा 20 और खोलने का प्रस्ताव है।

चेनाब नदी पर पनबिजली परियोजना के लिए सर्वेक्षण

2646. **डा० कर्णसिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सातवें दशक में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा जम्मू और काश्मीर राज्य में सवालकोटे, जिला ऊधमपुर में चेनाब नदी पर एक पनबिजली परियोजना बनाने की संभावनाओं के बारे में सर्वेक्षण किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय पनबिजली निगम लिमिटेड के अन्तर्गत चेनाब जांच सर्किल के लिए हाल ही में नियुक्त किये गये मुख्य अभियंता (महाप्रबंधक) को सवालकोटे पनबिजली परियोजना के लिए निर्माण से पूर्व चरण का कार्य न सौंपे जाने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जम्मू और काश्मीर में चिनाब नदी पर सवालकोट जल विद्युत परियोजना के संबंध में अन्वेषण कार्य केन्द्रीय जल आयोग द्वारा पूरा कर लिया गया है तथा व्यवहार्यता रिपोर्ट, जो कि तैयार की जा रही है, अप्रैल, 1982 के अन्त तक तैयार हो जाने की आशा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश में श्रीसैलम परियोजना को आबंटित की गई धनराशि

2647. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा इस वर्ष आंध्र प्रदेश में श्रीसैलम (विद्युत) परियोजना को कोई राशि आबंटित की गई है; और

(ख) यह परियोजना कब पूरी हो जायेगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : जी, हां। श्रीशैलम परियोजना को इस वर्ष 23·50 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई थी।

(ख) परियोजना के पहले चार यूनिट 1983-84 तक पूरे हो जाने की संभावना है।

डीजल तेल नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत लाइसेंस जारी करना

2648. **श्री भीकू राम जैन** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हालांकि डीजल तेल नियंत्रण आदेश दिल्ली संघ क्षेत्र से इस बीच वापस ले लिया गया है तथापि एक डीजल तेल विक्रेता को अपने कार्यों के लिए उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत एक लाइसेंस लेना पड़ता है;

(ख) चूंकि इससे अनावश्यक औपचारिकतायें पूरी करनी पड़ती हैं, तो क्या सरकार ने लाइसेंस लेने के लिये विक्रेता पर से शर्त हटा लेने पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) दिल्ली डीजल तेल नियंत्रण आदेश जो हाई स्पीड तेल (विनियमन एव नियत्रण) आदेश, 1979 के नाम से पुकारा जाता है, अभी तक प्रभावी है । तथापि, हाई स्पीड डीजल तेल की संतोषजनक उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, हाई स्पीड डीजल तेल की खरीद, बिक्री, वितरण और खपत पर उपर्युक्त आदेश के उपबन्धों के अन्तर्गत लगाये गए सभी प्रतिबन्धों को दिल्ली प्रशासन द्वारा दिनांक 9-4-1981 को हटा दिया गया है ।

(ख) और (ग) उत्पाद की कुल उपलब्धता, प्रशासनिक पहलुओं, भविष्य में किसी तिथि में फिर से वितरण की नियंत्रित प्रणाली को पुनः लागू करने में सामना की जाने वाली कठिनाई आदि को ध्यान में रखते हुए वास्तविक रूप में इस मामले पर निर्णय लेना निश्चित रूप से दिल्ली प्रशासन पर निर्भर करता है ।

फजल समिति के प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही

2649. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : कोल इण्डिया को समाप्त करने और इसके स्थान पर 20 स्वतंत्र उत्पादन एककों की स्थापना करने के बारे में फजल समिति की सिफारिशों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : कोल इण्डिया लिमिटेड के पुनर्गठन से संबंधित "फजल समिति" की सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है ।

सूरत टेलीफोन डिवीजन के अन्तर्गत कपूरा और डोलावन में नए टेलीफोन एक्सचेंज

2650. **श्री छीतू भाई गामित** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के सूरत टेलीफोन डिवीजन के अन्तर्गत कपूरा और डोलावन में नये टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना के लिये कोई मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिये अनुमोदन कब किया जायेगा और एक्सचेंज कब कार्य करना शुरू कर देंगे और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां ।

(ख) स्थिति निम्न प्रकार है :—

डोलावन :—डोलावन में टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के लिये पंजीकृत मांग है । 50 लाइनों का एक छोटा स्वचल एक्सचेंज की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है । एक्सचेंज की 1982-83 के दौरान संस्थापित किये जाने की संभावना है ।

कपूरा :—इस समय कोई पंजीकृत मांग नहीं है । एक छोटे स्वचल एक्सचेंज की व्यवस्था करने के प्रस्ताव की जांच की जायेगी और अपेक्षित पंजीकृत मांग होने पर उसकी मंजूरी दे दी जायेगी ।

राज्य विद्युत बोर्डों को ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम से उत्पन्न हुए घाटे के लिए राज सहायता देना

2651. **श्री राजेश कुमार सिंह:** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक पूर्व शर्त के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने सरकार को सुझाव दिया है कि आसान शर्तों पर दिये गये ऋण का उपयोग करने के लिये केन्द्रीय सरकार राज्य विद्युत बोर्डों को ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम से उत्पन्न हुये घाटे के लिये अवश्य राज सहायता दे; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली से अंग्रेजी में पढ़े जाने वाले केन्द्रीय टेलीविजन समाचार बुलेटिनों का प्रसारण

2652. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली से अंग्रेजी में पढ़े जाने वाले केन्द्रीय टेलीविजन समाचार बुलेटिनों को अन्य स्थानों में स्थित दूरदर्शन केन्द्रों से प्रसारण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या ऐसे केन्द्रीय समाचार बुलेटिनों के प्रसारण के लिये प्रावधान कुछ अन्य दूरदर्शन केन्द्रों से भी शुरू किये जाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे दूरदर्शन केन्द्र कौन-कौन से हैं; और

(घ) केन्द्रीय समाचार बुलेटिन के प्रसारण के समय के बारे में ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (घ) केन्द्रीय रूप से दिल्ली में संकलित किए जाने वाले अंग्रेजी के समाचार बुलेटिन को अन्य दूरदर्शन केन्द्रों से दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र के माइक्रोवेव सर्किट के माध्यम से या उपग्रह के द्वारा जुड़ जाने के बाद साथ–साथ टेलीकास्ट किया जा सकता है। बम्बई और मद्रास के बीच माइक्रोवेव सर्किट पहले ही उपलब्ध है; बम्बई–दिल्ली सर्किट का परीक्षण हो रहा है; दिल्ली-लखनऊ–कलकत्ता सर्किट तथा दिल्ली जलन्धर–श्रीनगर सर्किट के अगले वर्ष के अन्त तक उपलब्ध हो जाने की उम्मीद है।

कोटा ताप बिजली घर के लिए बिजली उत्पादन का लक्ष्य

2653. **आचार्य भगवान देव** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1981 तक कोटा ताप बिजली घर के लिये निर्धारित 110 मेगावाट का बिजली उत्पादन का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके दूसरे और तीसरे चरणों के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है और वे कब तक बिजली उत्पादन शुरू कर देंगे ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) कोटा ताप विद्युत परियोजना को चालू करने में हुई देरी के मुख्य कारण नीचे दिए गए हैं :—

1. चिमनी के पूरा होने में देरी ।
2. सी० डब्ल्यू० प्रणाली के सिविल कार्यों के कार्यान्वयन में देरी ।
3. संरचनात्मक स्टील के उत्थापन तथा टी० जी० हाल के निर्माण कार्य के कार्यान्वयन में देरी, जिसके कारण टी०जी० के उत्थापन का कार्य आरम्भ करने में देरी हुई ।
4. धन की कमी, जिसके कारण ठेकेदारों के भुगतान पर और कार्यों के कार्यान्वयन पर असर पड़ा ।
5. भारत है० इले० लि० तथा इन्स्ट्रूमेंटेशन लि० कोटा द्वारा उपस्करों की सप्लाई में देरी ।

(ग) कोटा ताप विद्युत परियोजना का दूसरा सोपान 1986-87 तक पूरा हो जाने की संभावना है । इसमें 210-210 मेगावाट के दो यूनिटों की प्रतिष्ठापना की जानी है ।

कोटा ताप विद्युत परियोजना के तीसरे सोपान को अभी स्वीकृति नहीं दी गई है ।

आसनसोल-धनबाद और आसनसोल-रानीगंज-दुर्गापुर मार्गों में माइक्रोवेव पद्धति की स्थापना

2654. **श्री आनन्द पाठक** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसनसोल-धनबाद और आसनसोल-रानीगंज-दुर्गापुर मार्गों में माइक्रोवेव पद्धति की स्थापना के बारे में अब तक हुई प्रगति क्या है; और

(ख) यदि यह समय सूची के अनुसार नहीं है तो इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) रेडियो उपस्कर की संस्थापना को छोड़कर अधिकांश कार्य पूरे हो चुके हैं । तथापि, आसनसोल और धनबाद के बीच एक तंग-पट्टी सूक्ष्मतरंग प्रणाली पहले से ही कार्य कर रही है । संस्थापनाधीन नई प्रणाली मौजूदा प्रणाली का प्रतिस्थापन है ।

(ख) विलम्ब का मुख्य कारण सूक्ष्मतरंग रेडियो उपस्कर की अनुपलब्धता है।

इच्छलकरंजी, जिला कोल्हापुर में टेलीफोन सेवा

2655. **श्री आर० के० महालगी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल्हापुर और बम्बई (महाराष्ट्र) में दूर संचार अधिकारियों का ध्यान इच्छलकरंजी, जिला कोल्हापुर में टेलीफोन सेवाओं के बारे में कोल्हापुर और बम्बई के दिनांक 1 जुलाई, 1981 के दैनिक "साका" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक अधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) उपरोक्त समाचार पत्र में प्रकाशित इन शिकायतों पर कब विचार किया जायेगा और अन्तिम रूप से निर्णय लिया जायेगा ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी, हां।

(ख) समाचार में उठाए गए मुद्दों तथा की गई कार्रवाई लिम्नलिखित है :—

(1) समाचार में यह अपेक्षा की गई है कि चूंकि इच्छलकरंजी कोल्हापुर राजस्व जिले का एक भाग है अतः इच्छलकरंजी टेलीफोन एक्सचेंज को सांगली तार मंडल के बजाय कोल्हापुर तार मण्डल के नियंत्रण में रखा जाए।

इच्छलकरंजी सांगली के तथा कोल्हापुर से उतनी ही दूरी पर एवं उतना ही सगम्य है। इस समय कोई प्रशासनिक कठिनाई महसूस नहीं की जा रही है। अतः अन्तरण का कोई औचित्य नहीं बनता है।

(2) समाचार में यह इच्छा व्यक्त की गई है कि मौजूदा किराये के भवन की अपेक्षा इच्छलकरंजी के एम० ए० एक्स-11 उपस्कर के बदले 1982-83 में विभागीय भवन में एम० ए० एक्स-1 प्रतिस्थापित किया जाए।

1983-84 कार्यक्रम में इच्छलकरंजी के लिए एक 3000 लाइनों वाले क्रासबार एक्सचेंज को शामिल किया गया है। विभागीय भवन के लिए पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है। संस्थापन कार्य को 1983-84 के बजाय 1982-83 में पूरा करना उपस्कर की कमी के कारण सम्भव नहीं है। परन्तु 1982-83 के दौरान एम० ए० एक्स-11 में 300 लाइनों की विस्तार की संभावना है।

(3) यह सुझाव दिया गया है कि सांगली तथा इच्छलकरंजी के बीच दोनों दिशाओं में डिमांड सर्विस उपलब्ध होनी चाहिए। इच्छलकरंजी एवं सांगली के बीच दोनों

उपलब्ध है । इच्छलकरंजी-सांगली डिमांड सर्विस दिशाओं में डिमांड सर्विस पर जयसिंहपुर भी उपलब्ध है ।

(4) समाचार में यह भी चाहा गया है कि ट्रंक एवं आटो-मैनुअल सेवाओं के उत्तर देने में होने वाले विलम्ब को रोकने तथा आपरेटरों की संख्या बढ़ाने हेतु कार्रवाई की जाए :—

निम्न कदम उठाए गए हैं :—

(1) शीघ्र उत्तर सुनिश्चित करने हेतु कड़ा नियंत्रण रखा जा रहा है ।

(2) प्रचालन स्टाफ में आंशिक वृद्धि की गई है और मार्च, 1982 में प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद पूरा स्टाफ उपलब्ध हो जाएगा ।

(5) प्रतीक्षा सूची समाप्त करने हेतु मांग की गई है । उपरोक्त मद (2) पर कार्रवाई पूरी होने के पश्चात् प्रतीक्षा सूची समाप्त होने की संभावना है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) उपरोक्त (क) के उत्तर में स्थिति स्पष्ट की गई है ।

ठाणे जिले में तालुका कल्याण के तीस गांव क्षेत्र में डाक घरों का खोला जाना

2656. **श्री आर० के० महालगी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाकघर अधीक्षक, ठाणे मध्य डिवीजन (महाराष्ट्र) ठाणे को प्रेजीडेंट, जनता सहकार्य समिति, शास्त्री नगर और जिला ठाणे में तालुका कल्याण के तीस गांव क्षेत्रों में अन्य निवासियों की ओर से उस क्षेत्र में डाकघर खोलने की मांग संबंधी कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या उक्त क्षेत्र में डाकघर खोलने की आवश्यकता पर बल देते हुए लोक सभा के सदस्य ने भी इन प्राधिकारियों को पत्र भेजा था;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है; और

(घ) इस अनुरोध को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां । माननीय संसद सदस्य ने वरिष्ठ अधीक्षक, डाकघर, थाणे, मध्य मंडल को 17-7-1981 को लिखा था जिसके साथ अध्यक्ष, जनता सहकार्य समिति, शास्त्रीनगर का ज्ञापन संलग्न किया था तथा जिसमें तीस गांव नाका शास्त्रीनगर में डाकघर खोलने पर बल दिया गया है ।

(ग) वरिष्ठ अधीक्षक, डाकघर, थाणे ने 30.7.1981 को पत्र की पावती भेजी

तथा तीस गांव नाका में उप डाकघर खोलने के प्रस्ताव से संबंधित आवश्यक आंकड़े एकत्रित किये हैं जिसकी जांच की जा रही है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

निर्वाचनों के लिए मतदाता-सूची

2657. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन के थिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मतदाता सूची एक समान है;

(ख) यदि नहीं, तो किन-किन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ये सूचियां एक समान नहीं हैं और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सम्पूर्ण देश में उन्हें एक समान बनाने के लिए कोई कदम उठाए जाएंगे ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचनों का संचालन करने के लिए मतदाता सूची जम्मू-काश्मीर राज्य को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में एक समान है।

जम्मू-काश्मीर के संविधान के अनुच्छेद 140 के उपबन्धों के अधीन वह व्यक्ति जो जम्मू-काश्मीर राज्यों का स्थायी निवासी है राज्य विधान सभा के निर्वाचन के संचालन के लिए बनाई गई मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाने का हकदार है जब कि वह व्यक्ति जो राज्य का मामूली तौर से निवासी है. उस राज्य से लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के संचालन के लिए बनाई गई मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाने का हकदार है। जम्मू-काश्मीर का स्थायी निवासी पद की परिभाषा वही है जो जम्मू-काश्मीर के संविधान के अनुच्छेद 5 में है और मामूली तौर पर निवासी पद की परिभाषा वही है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार की सुविधाएं

2658. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे सभी डाकघरों को, जहां सार्वजनिक टेलीफोन लगे हुए हैं, लोगों को अधिक समय तक सुविधा देते रहने की दृष्टि से ई० डी० एस० ओ० बना दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस आशय का निर्णय किस तारीख को लिया गया था; और

(ग) क्या यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यह पद्धति ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार की सुविधाओं का विस्तार करने के लिए भविष्य में जारी रहेगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) मार्च, 1981 तक उन सभी विभागेतर शाखा डाकघरों, जहां सार्वजनिक टेलीफोन घर कार्य कर रहे थे, का दर्जा बढ़ा-

कर उन्हें विभागेतर उपडाकघरों में बदला जा रहा था। जबकि डाक तार बोर्ड ने यह निर्णय लिया कि वरिष्ठ अधिकारियों के एक दल द्वारा अध्ययन करके सार्वजनिक टेलीफोन घर की सुविधा के आधार पर विभागेतर शाखा डाकघरों का विभागेतर उपडाकघर में स्वत: दर्जा बढ़ाये जाने की नीति की पुनरीक्षा की जाए और जब तक इस दल की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक के लिए सार्वजनिक टेलीफोन घर खुल जाने पर विभागेतर शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ा कर विभागेतर उपडाकघर बनाया जाना आगे बन्द कर दिया जाए।

(ख) सार्वजनिक टेलीफोन घर खुल जाने पर विभागेतर शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाकर विभागेतर उपडाकघर बना देने के संबंध में आदेश (जो अब आस्थगित हैं) 17.7.1978 को जारी किए गए थे .

(ग) सार्वजनिक टेलीफोन घर खुल जाने पर विभागेतर शाखा डाकघरों का स्वत: दर्जा बढ़ाकर विभागेतर उपडाकघर बना देने की प्रक्रिया को पुन: चालू करने के प्रश्न पर अध्ययन दल की रिपोर्ट, जो अभी प्राप्त नहीं हुई है, के प्रकाश में विचार किया जाएगा।

उड़ीसा में शाखा डाकघरों का खोला जाना

2659. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी योजना अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों को पर्याप्त डाक-सुविधाएं उपलब्ध कराने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में अब तक कुल कितने शाखा-डाकघर खोले गये हैं;

(ग) चालू योजना अवधि के अन्त तक उड़ीसा में कुल कितने शाखा-डाकघरों के खोले जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) उस राज्य में, राज्यवार स्थापित किए जाने वाले डाकघरों की कुल संख्या का ब्योरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1980-81 के दौरान 141 शाखा डाकघर खोले गए। 1981-82 के दौरान अब तक 40 शाखा डाकघर खोल दिये गये हैं तथा 20 और खोल दिये जाने की आशा है।

(ग) एवं (घ) समस्त छठी योजना के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा डाकघर खोलने के लिए राज्यवार लक्ष्य अग्रिम तौर पर निर्धारित नहीं किये गये हैं। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में ही वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर लिये जाते हैं। प्रत्येक वर्ष प्रस्तावों की जांच की जाती है तथा औचित्य पाये जाने पर लक्ष्यों की उपलब्धता के अधीन डाकघर खोले जाते हैं। विभागीय डाकघर विभागीय मानदण्डों के अनुरूप औचित्य पाये जाने पर खोले जाते हैं।

रायपुर दूरदर्शन केन्द्र प्रसारण की रेंज को बढ़ाया जाना

2660. **श्री केयूर भूषण : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रायपुर के दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र की रेंज बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो क्या रायपुर दूरदर्शन केन्द्र की रेंज को इतना बढ़ाने के बारे में विचार किया गया है, ताकि विलासपुर डिवीजन और राज नन्दगांव जिला भी इस रेंज के अन्तर्गत आ जाए ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सोवियत रूस की सहायता से संचार-प्रणाली के स्तर में सुधार

2661. **श्री चिन्तामणि जैना : क्या संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत रूस ने संचार-प्रणाली के स्तर में सुधार लाने हेतु भारत की मदद करने के लिये किसी संधि पर हाल ही में हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में दोनों देशों के बीच हाल में कोई विचार-विमर्श भी हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क), (ख) और (ग) भारत-सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ के बीच ट्रोपोस्केटर संचार संपर्क की शुरूआत के अवसर पर की गई सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ के संचार मन्त्री श्री वी० ए० शमशिन की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के संचार मंत्रियों के बीच हुई वार्ता के विवरण पर, दिनांक 2.11.1981 को हस्ताक्षर हुए। इसमें सिर्फ ट्रोपोस्केटर संचार सम्पर्क के रख-रखाव में सहायता की व्यवस्था है जिसके लिये रेडियो उपस्कर का डिजाइन सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ द्वारा तैयार कर भेजा गया है। इस दस्तावेज में दूरसंचार के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच और अधिक सहयोग की व्यवस्था भी है।

चेम्सफोर्ड क्लब

2662. **श्री पीयूष तिरकी : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चेम्सफोर्ड क्लब के पदाधिकारियों के बारे में ये विशेष शिकायतें मिली हैं कि वे अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं और कम्पनी कानून का उल्लंघन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो शिकायत का पूरा ब्यौरा क्या है;

(ग) मामले की जांच कराने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) चेम्सफोर्ड क्लब की कुल परिसम्पत्तियों और वित्तीय स्थिति का ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) तथा (ख) क्लब के कुछ सदस्यों से क्लब के अन्तिम लेखाओं के संकलन में कतिपय अनियमितताओं, निधियों का दुरुपयोग एवं भुलावा, कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों और क्लब के संस्था अन्तर्नियमों तथा कर्मचारी सेवा नियमों का उल्लंघन और आयकर की अवहेलना का आरोप लगाते हुए शिकायत की है। कम्पनी की प्रबन्ध समिति और लेखापरीक्षकों द्वारा अनुचित कार्य-व्यवहार के सम्बन्ध में भी कुछ साधारण शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (क) के अन्तर्गत कम्पनी की लेखा वहियों के निरीक्षण का भी अभी आदेश दिया गया है, जिसमें प्रगति हुई है।

(घ) 31.12.1980 तक क्लब के तुलन-पत्र के अनुसार कम्पनी की कुल आस्तियां और वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :—

निश्चित आस्तियां		31,78,657·48 रु०
निवेश		1,000·00 रु०
वर्तमान आस्तियां		
ऋण और अग्रिम राशि		41,61,073·17 रु०
	कुल	73,40,730·65 रु०
आरक्षित और अधिशेष		57,98,999·73 रु०
वर्तमान देयताएं और व्यवस्थाएं		15,41,730·92 रु०
	कुल	73,40,730·65 रु०

मैसर्स बाटा इण्डिया लिमिटेड तथा अन्य कम्पनियों से खरीदे गए जूते

2663. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 और 1981-82 (दिनांक 31-10-81 तक) के दौरान संगठित क्षेत्र में मैसर्स बाटा इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता और इसकी शाखाओं से तथा जूते बनाने वाली अन्य कम्पनियों से कुल कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के जूते खरीदे गए;

(ख) ये खरीद किस ढंग से हुई ;

(ग) डिलीवरी से पहले की निरीक्षण संबंधी कार्य-प्रणाली क्या है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा सावधानी बरती गई है कि जूते बनाने वाले ये बड़े निर्माता आगरा जैसे जूते के प्रमुख बाजार के छोटे निर्माताओं से जूते खरीदकर अपनी मोहर तो नहीं लगाते हैं, जिससे ऐसा लगे कि ये जूते उन्हीं के द्वारा बनाए गए हैं और इस प्रकार जूते के छोटे निर्माताओं की कीमत पर विचौलिये के रूप में लाभ स्वयं कमा लेते हैं।

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) वर्ष 1980-81 और 1981-82 (31-10-81 तक) की अवधि में, संगठित क्षेत्र (लघु उद्योग एककों को छोड़ कर) की जूते बनाने वाली कम्पनियों से खरीदे गए जूतों की कुल मात्रा/मूल्य निम्नलिखित हैं :—

मात्रा	मूल्य
1980–81	
8,58,264 जोड़े	1,95,95,588 रु०
1981–82 (31–10–1981 तक)	
1,66,439 जोड़े	43,77,631 रु०

लघु उद्योग यूनिटों से खरीदे गए जूतों की मात्रा/मूल्य निम्नलिखित है :—

मात्रा	मूल्य
1980–81	
12,44,814 जोड़े	2,80.98,766 रु०
1981–82 (31–10–1981 तक)	
18,62,405 जोड़े	2,08,85,355 रु०

(ख) पूर्त्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा अपनाई जाने वाली विज्ञापित टेन्डर/नियमित टेन्डर प्रणाली के माध्यम से।

(ग) जूतों का निरीक्षण ढेर (लॉट) अनुसार किया जाता है और ठेके की विशिष्टियों तथा ड्राइंग के अनुसार सन्तोषजनक परीक्षण के बाद ही उन्हें स्वीकार किया जाता है। यह निरीक्षण, ठेके में निर्धारित शर्तें के अनुसार, निर्माताओं/ठेकेदारों की इमारत में ही किया जाता है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

ब्रिटानिया इन्डस्ट्रीज लिमिटेड की कथित प्रतिबन्धित व्यापार पद्धति

2664. श्री सनत कुमार मंडल : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार को जानकारी में आई है कि कलकत्ता और दिल्ली में स्थित ब्रिटानिया इण्डस्ट्रीज लिमिटेड "ब्रिटानिया बिस्कुट" जैसे अपने उत्पादों को केवल कुछ विशिष्ट एजेंटों के माध्यम से बिक्री करने के मामले में प्रतिबन्धित व्यापार पद्धति अपना रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस फर्म के व्यापार करने संबंधी इस पहलू को एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत किसी स्तर पर स्वत: अथवा अन्यथा कोई जांच की गई है; यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस पहलू की जांच करने का है और ऐकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत इस कम्पनी के विरुद्ध ऐसी प्रतिबन्धित व्यापार पद्धतियां अपनाने के लिए कार्यवाही करने का है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ग) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने स्वयं की राय से मैसर्स ब्रिटानिया बिस्कुट कम्पनी लिमिटेट, बम्बई के विरुद्ध, उसके द्वारा बिस्कुटों की बिक्री और आपूर्ति, विनिर्माण की थी :—

1. कतिपय शीर्षों के अन्तर्गत ज्यादा व्यय।

2. स्वेच्छाचारी मूल्य बढ़ोत्तरी।

3. मूल्य विभेद।

जांच सुनवाई के अन्तिम चरण पर है।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने मैसर्स ब्रिटानिया इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, कलकत्ता के विरुद्ध एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 10 (क) (III) और 137 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार, अवरोधक व्यापारिक अनुबन्ध द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर भी 22 दिसम्बर, 1979 को जांच संस्थापित की थी। आवेदन-पत्र में यह आरोप लगाया गया था कि ब्रिटानिया इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, कलकत्ता, जो बिस्कुटों के विनिर्माण और बाजार में बेचने आदि का व्यापार सम्पन्न कर रहा था, उसने अपने उत्पादों को अनुबन्ध के मानक रूप में बिक्री करने के लिये बहुत से थोक विक्रेताओं को नियुक्त किया था किन्तु उपरोक्त लिखित अनुबन्ध से पृथक उत्तरवादी ने अपने थोक विक्रेताओं के साथ निम्नलिखित रूप से विचार/व्यवस्था की थी :—

1. थोक विक्रेताओं का उत्तरवादी द्वारा क्षेत्र निर्धारित करना।

2. थोक विक्रेताओं के लिये अपने उत्पादों का पुनर्बिक्री मूल्यों को निर्धारित कराना।

3. थोक विक्रेताओं को उत्तरवादी के एक मात्र उत्पादों का व्यापार ही करना।

जांच तैयारी के प्रथम चरण पर है।

आदिवासी-जिलों में दूर-संचार की सुविधायें

2665. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में छठी योजना अवधि में विकसित दूर संचार सुविधाओं के लिए छांटे गए और अनुमोदित आदिवासी जिलों के नाम क्या-क्या हैं;

(ख) क्या सम्बन्धित मंडलों ने इसके लिए किन्हीं स्थानों का पता लगाया है और उनके मंत्रालय को अनुमोदन के लिए प्रस्ताव भेजे हैं;

(ग) यदि हां, तो सम्बन्धित मंडलों से उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन को शुरू कराने के लिये उनके मंत्रालय ने अब तक क्या कदम उठाए हैं और वर्ष 1981-82 में इसके लिए मंडलों को कितनी धनराशि दी गई है; और

(घ) मंडलों द्वारा अपेक्षित सामान और उपकरणों की समय पर प्राथमिकता के आधार पर सप्लाई करने के लिए उनके मंत्रालय ने यदि कोई उपाय किए हैं, तो वे क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) दूर संचार सुविधाओं के समेकित विकास के लिए चुने गए 18 जिलों में से उड़ीसा के कोरापुट में, तमिलनाडु के अरकोट में तथा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जनजातीय क्षेत्र हैं।

(ख) स्थानों का पता लगा लिया गया है। डाक तार बोर्ड द्वारा इन योजनाओं का अनुमोदन किये जाने के बाद सर्कलों द्वारा प्रस्ताव भेजे जायेंगे।

(ग) डाक तार बोर्ड के अनुमोदन के बाद 1982-85 अवधि में जिन 18 जिलों को लिए जाने की योजना है उनके लिए छठी पंचवर्षीय योजना में अपेक्षित निधि रखी गई है। इस प्रयोजन के लिए 1981-82 में अभी तक कोई निधि उपलब्ध नहीं कराई गई है।

(घ) प्रत्येक मामले में समेकित विकास के लिए प्रयोजना प्राक्कलन तैयार करने के लिए कार्यवाई आरंभ की जा रही है।

गैर सरकारी रक्षित विद्युत संयंत्रों की स्थापना के प्रस्ताव

2666. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैर सरकारी क्षेत्र के कुछ उद्योगों ने उनके मंत्रालय को अपने निजी रक्षित विद्युत संयंत्रों/परियोजनाओं की स्थापना के प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से उद्योग हैं, जिन्होंने अब तक उनके मंत्रालय को ऐसे प्रस्ताव भेजे हैं;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने भी गैर सरकारी रक्षित विद्युत परियोजनाओं के लिए अपने-अपने राज्यों को गैर सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए भारत सरकार से सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो राज्यों के नाम क्या हैं; और

(ङ) गैर सरकारी रक्षित विद्युत संयंत्रों की स्थापना के बारे में उनके मंत्रालय ने क्या निर्णय लिया और उससे उद्योगों में बिजली की कमी की कहां तक पूर्ति हो सकेगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) विद्युत विभाग/केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में पिछले 3 वर्षों में प्राप्त हुए केप्टिव विद्युत संयंत्रों के प्रस्तावों की सूची विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) निजी क्षेत्र के उद्योगों के केप्टिव विद्युत परियोजनाओं संबंधी प्रस्तावों को स्वीकार करने के लिए किसी भी राज्य सरकार ने कोई विशिष्ट अनुरोध नहीं किया है। पालामू में 2 × 67.5 मेगावाट की क्षमता के एक केप्टिव विद्युत संयंत्र को प्रतिष्ठापित करने के लिए मैसर्ज बिहार कास्टिक और केमिकल्ज लि० के प्रस्ताव के बारे में संयुक्त क्षेत्र की संकलपना के लिए बिहार सरकार ने सिद्धांत रूप से भारत सरकार की मंजूरी मांगी थी। कर्नाटक सरकार ने भी निम्नलिखित प्रस्तावों के लिए सिद्धांत रूप से भारत सरकार की मंजूरी मांगी थी :—

क्रम० सं०	व्यापारिक संस्थान का नाम	किस स्थान पर परियोजना का प्रस्ताव है	क्षमता
1.	मै० बल्लारपुर इण्डस्ट्रीज लि०	डन्डेली बांध और बिजली घर	30 मेगावाट
2.	मै० किर्लोस्कर ग्रुप आफ इन्डस्ट्रीज	(क) कावेरी नदी पर माधवमंत्री एनीकट	1.5 मेगावाट
	मै० सेनापती व्हिटले एण्ड एसोसिएटिड कं० और	(ख) के० आर० सागर बांध के नीचे कावेरी पर नहर स्थल	1.5 मेगावाट
	मै० जान फाउलर लि०, द्वारा संयुक्त रूप से	(ग) शिवसमुद्रम	0.25 मेगावाट

(ङ) सरकार की वर्तमान नीति उद्योगों द्वारा केप्टिव विद्युत उत्पादन सेटों की स्थापना किये जाने की संभाव्यता में बाधक नहीं है। केप्टिव विद्युत संयंत्रों के संबंध में वर्तमान नीति यह है कि जिन उद्योगों में प्रक्रिया भाप की आवश्यकता होती है या जिनमें अवशेष ऊष्मा उपलब्ध होती है उनमें "संकल ऊर्जा संकल्पना" के अनुरूप केप्टिव उत्पादन क्षमता को प्रोत्साहित किया जाये। देश में विद्युत की मांग को पूर्ण रूप से पूरा करने के लिये क्षमता की कमी को मद्देनजर रखते हुए तथा इस्पात, उर्वरकों और अल्यूमीनियम के प्रमुख उद्योगों जैसे उत्पादक क्षेत्रों को सुरक्षित रखने के लिए ऐसे यूनिटों में कोयले पर आधारित केप्टिव विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने के प्रस्तावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाता है। जहां पर उद्योगों को डीजल उत्पादन सेटों की आवश्यकता होती है वहां पर, जिन प्रस्तावों में ऐसे सेटों का आयात करना शामिल हो उन मामलों में निर्धारित नियमों और पद्धतियों का अनुपालन करके वे आवश्यकतानुसार इनको प्रतिष्ठापित करने में स्वतंत्र हैं। विद्युत गहन उद्योगों द्वारा अपने केप्टिव उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के बारे में प्रस्ताव समय-समय पर सरकार को प्राप्त होते हैं तथा प्रत्येक प्रस्ताव पर उसके गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है।

उद्योगों के लिए विद्युत की कमी की समस्या को हल करने में केप्टिव विद्युत संयंत्रों का योगदान महत्वपूर्ण नहीं होगा।

विवरण

विद्युत विभाग/केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त हुए केप्टिव विद्युत संयंत्रों के प्रस्तावों की सूची

क्र० सं०	स्कीम का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)
उत्तरी क्षेत्र		
1.	डी० सी० एम० केमिकल द्वारा पश्चिम जर्मन से टरबो सैटों का आयात	5
2.	इण्डियन सक्सपलोजिव लि० — उर्वरक विस्तार परियोजना केप्टिव विद्युत संयन्त्र का आयात	12
3.	रेणुसागर ताप विद्युत केन्द्र विस्तार (चरण-1) (तीसरे और चौथे यूनिट) के विस्तार के लिए मै० रेणुसागर पावर कम्पनी लि० का प्रस्ताव	2×67·5
4.	मै० रेणुसागर पावर कम्पनी लि० का प्रस्ताव (पांचवां और छठा यूनिट)	2×67·5

1	2	3
5.	कोटा में औद्योगिक यूनिटों के लिए दिल्ली क्लाथ और जनरल मिल का केप्टिव ताप विद्युत केन्द्र	1 × 60
पश्चिमी क्षेत्र		
1.	टाटा कैमिकल्ज लि० गुजरात द्वारा केप्टिव टी० जी० सैट	9.1/11·1
2.	हजीरा उर्वरक काम्पलैक्स–गुजरात	2 × 15
3.	मैं० इण्डियन रेयन कम्पनी (गुजरात) द्वारा उच्चे फ्रीक्यून्सी के टरवों-आलटरनेटर की प्रतिष्ठापना	1500 केविए.
दक्षिणी क्षेत्र		
1.	पश्चिम बंगाल में वाडी सीमेंट प्रोजेक्ट (कर्नाटक) (एसीसी-विकरण-बाबकाक लि०) में केप्टिव ताप विद्युत केन्द्र वैस्ट कोस्ट पेपर मिल्ज लि० (कर्नाटक) के लिए केप्टिव विद्युत संयंत्र (इशचरबायाज, पश्चिम जर्मन)	2 × 3
पूर्वी क्षेत्र		
1.	मैं० टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, जमशेदपुर	1 × 25 मेगावाट टी. जी. सेट और एक 300,000 पाउण्ड/प्रति घंटा वाला बायलर
2.	मैसर्ज डनलप इण्डिया लि०। पुराने विद्युत संयंत्र एक्स आस्ट्रेलिया 11ए-1134 के आयात के लिए प्रार्थना-पत्र	3 × 5
3.	मैसर्ज यूनिवर्सल पेपर मिल लि० झरगरम में 1·4 मेगावाट का केप्टिव विद्युत संयंत्र (पुराने टी० जी० का आयात)	1.4 मेगावाट
4.	तलचेर पर केप्टिव विद्युत संयंत्र, मैसर्ज इण्डियन मेटल एण्ड फैरो एलाय लि०	2 × 60 (चरम क्षमता 3 × 60)
5.	बिहार में पालझू में संयुक्त क्षेत्र की केप्टिव विद्युत परियोजना	2 × 67.5

टिप्पणी :—कर्नाटक सरकार ने निम्नलिखित प्रस्तावों के लिए सिद्धान्त रूप से भारत सरकार की मंजूरी मांगी थी :—

क्र० सं०	व्यापारिक संस्थान का नाम	किस स्थान पर परियोजना का प्रस्ताव है	क्षमता
1.	मै० बल्लारपुर इण्डस्ट्रीज लि०	इन्डेली बांध और बिजली घर	30 मेगावाट
2.	मै० किर्लोस्कर ग्रुप आफ इण्डस्ट्रीज	(क) कावेरी नदी पर माधवमंत्री एनीकट	1.5 मेगावाट
	मै० सैनापती ह्विटले एण्ड एसोसिएटिड कं० और	(ख) के० आर० सागर बांध के नीचे कावेरी पर नहर स्थल	1.5 मेगावाट
	मै० जान फाउलर लि० द्वारा संयुक्त रूप से	(ग) शिवसमुद्रम	0·25 मेगावाट

शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए विकास प्राधिकरण

2667. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने देश में शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए विकास प्राधिकरणों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कौन-कौन से विकास प्राधिकरणों की स्थापना की गई है;

(ग) ये प्राधिकरण कब-कब से काम कर रहे हैं और यदि कोई प्राधिकरण समाप्त कर दिए गए हैं, तो ऐसे प्राधिकरणों के नाम क्या-क्या हैं, जिनका अब तक राज्य सरकारों के जिला विकास प्राधिकरणों में विलय किया जा चुका है;

(घ) क्या इस आशय का कोई प्रस्ताव उनके मन्त्रालय और सम्बन्धित राज्यों के विचाराधीन है कि राज्य विकास प्राधिकरणों में विलय हेतु उनके मन्त्रालय के विद्यमान विकास प्राधिकरण समाप्त कर दिया जाए; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्यों में दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण तथा जम्मू और काश्मीर राज्य में छम्ब विस्थापित व्यक्ति पुनर्वास प्राधिकरण।

(ग) दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण की स्थापना 1958 में की गई थी और छम्ब विस्थापित व्यक्ति पुनर्वास प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 1974 में की गई थी। इसके अलावा अन्य कोई प्राधिकरण नहीं हैं जिन्हें समाप्त कर दिया गया हो या जिन्हें राज्य सरकारों के जिला विकास प्राधिकरणों में विलय किया गया है।

(घ) और (ङ) दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई गई परिसम्पत्तियों को, चरणों में, सम्बन्धित राज्य सरकारों को हस्तान्तरित करने का प्रस्ताव है। कार्य पूरा होने पर छम्ब विस्थापित व्यक्ति पुनर्वास प्राधिकरण को बन्द करने का प्रस्ताव है। इन प्राधिकरणों को राज्य विकास प्राधिकरणों में विलय करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारत और श्रीलंका के बीच माइक्रोवेव सम्पर्क

2668. **श्री मनमोहन टुडु :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और श्रीलंका के बीच माइक्रोवेव सम्पर्क संबंधी काम प्रगति पर है;

(ख) यदि हां, तो यह काम कब तक पूरा हो जाएगा;

(ग) भारत और श्रीलंका के बीच उपरोक्त माइक्रोवेव सम्पर्क प्रणाली कब शुरू हो जाएगी; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : जी हां।

(ख) संस्थापना कार्य पूरा हो गया है तथा प्रणाली का परीक्षण किया जा रहा है।

(ग) भारत और श्रीलंका के बीच सूक्ष्मतरंग कनेक्शन चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आरंभ हो जाने की संभावना है।

(घ) इस योजना में भारत में रामेश्वरम से श्रीलंका में कोलम्बो तक एक चौड़ी पट्टी सूक्ष्मतरंग सम्पर्क तथा संचार से श्रीलंका में जाफना तक स्पट-रूट पर एक तंग पट्टी सूक्ष्मतरंग सम्पर्क प्रदान करना शामिल है।

तलचेर के समीप बलराम प्रसाद में विद्युत संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव

2669. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में तलचेर के समीप बलराम प्रसाद में एक संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव है;

(ख) उपरोक्त प्रस्तावित विद्युत संयंत्र की अनुमानित विद्युत उत्पादन क्षमता क्या है;

(ग) नजदीक में ऐसी फीडर कोयला खानें कौन-कौन सी हैं जो इस विद्युत संयंत्र को कोयले की सप्लाई कर सकती हैं;

(घ) उपरोक्त प्रस्तावित विद्युत संयंत्र की अनुमानित लागत क्या है; और

(ङ) उपरोक्त प्रस्ताव के कार्यान्वयन में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ङ) अल्यूमीनियम काम्पलेक्स की विद्युत सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मै० नेलको द्वारा तलचेर क्षेत्र के बलराम प्रसाद में 270 मेगावाट (6×120) की प्रतिष्ठापित क्षमता का केप्टिव विद्युत संयंत्र स्थापित किये जाने की स्कीम का अनुमोदन भारत सरकार ने कर दिया है। इस स्कीम में तलचेर कोयला क्षेत्रों के भरतपुर ब्लाक के कोयले के समुपयोजन की परिकल्पना है तथा स्वदेशी उपस्करों से इसकी लागत 408.33 करोड़ रुपये तथा आयातित उपस्करों से 497.70 करोड़ रुपये आने का अनुमान है।

120 मेगावाट के प्रथम यूनिट से बिजली की सप्लाई, परियोजना की मंजूरी की तारीख से 54 महीने बाद तथा अन्य यूनिटों से उसके बाद 6-6 महीने के अन्तराल से शुरू होने की सम्भावना है।

सेंसर बोर्ड द्वारा सेंसर के बाद अनुमोदित किए गए चलचित्र

2670. **श्री के० मालन्ना :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1980 से अक्तूबर, 1981 तक की अवधि के दौरान सेंसर बोर्ड द्वारा सेंसर किए गए और अनुमोदित किए गए भाषावार, चिलचित्रों की संख्या का ब्यौरा क्या है और इसी अवधि के दौरान प्रदर्शन के लिए अनुमोदित किए गए चलचित्रों की संख्या क्या है; और

(ख) ऐसे चलचित्रों के नाम तथा उनके निर्माताओं के नाम और पते क्या-क्या हैं, जिन्हें अनुमोदित नहीं किया गया अथवा जिन्हें सेंसर कर दिया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और उसको यथाशीघ्र सदन की मेज पर रख दिया जायेगा।

टी० वी० और आकाशवाणी पर सिन्धी भाषा में कार्यक्रम

2671. **श्री आचार्य भगवान देव:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** टी० वी० और आकाशवाणी पर सिन्धी भाषा में कार्यक्रम के बारे में 17 मार्च, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3773 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है और कितने सुझावों को स्वीकार किया गया है तथा कितने सुझावों को स्वीकार नहीं किया गया है; और

(ख) स्वीकार किए गए सुझावों के बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) दिए गए निम्नलिखित चार सुझावों पर सावधानी पूर्वक विचार किया गया था : —

(1) सिन्धी भाषा को विकास के सभी अवसर दिए जाने चाहिएं।

(2) सिन्धी कार्यक्रमों को आकाशवाणी के बम्बई, जयपुर, अहमदाबाद और भुज केन्द्रों से शार्ट-वेव चैनल पर प्रसारित किया जाना चाहिए।

(3) राज्यों की राजधानियों के दूरदर्शन केन्द्रों से प्रति सप्ताह न्यूनतम एक घंटे के लिए सिन्धी कार्यक्रम टेलीकास्ट किए जाने चाहिएं।

(4) आकाशवाणी केन्द्रों को प्रति दिन 14 घंटे की अवधि के सिन्धी कार्यक्रम प्रसारित करने चाहिएं।

यह निर्णय पहले ही लिया जा चुका है कि आकाशवाणी के नाटकों के राष्ट्रीय कार्यक्रम में सिन्धी भाषा में नाटक प्रसारित किए जाने चाहिएं और इसी तरह, अखिल भारतीय रूप में सिन्धी भाषा में लोक संगीत कार्यक्रम प्रसारित किए जाने चाहिएं।

इस समय आकाशवाणी के बम्बई, जयपुर, भुज, भोपाल/इंदौर और अहमदाबाद केन्द्रों से सिन्धी में सप्ताह में लगभग 5-1/2 घंटे की कुल अवधि के कार्यक्रम नियमित रूप से प्रसारित किए जा रहे हैं। उपरोक्त के अलावा, आकाशवाणी दिल्ली और विदेश प्रसारण सेवा प्रभाग दोनों द्वारा सिन्धी में प्रतिदिन 30 मिनट की अवधि के लिए समाचार प्रसारित किए जाते हैं।

उस भाषा, जो केन्द्र के सेवा क्षेत्र की मुख्य भाषा नहीं है, के कार्यक्रमों के सम्बन्ध में आकाशवाणी की नीति, लोगों की आवश्यकताओं, जो उस भाषा को बोलने वाली जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है, के अनुसार चलना है। इस प्रकार की अल्पसंख्यक भाषा में अलग कार्यक्रम तब प्रस्तुत किए जाते हैं जब कम से कम 5% लोग सेवा क्षेत्र की भाषा बोलते हों।

कार्यक्रमों का उपर्युक्त चक्र इस प्रकार के मानदन्ड के आधार पर निर्धारित किया गया है। जो भी संभव है वह अब भी किया जा रहा है। तथापि, 1981 की जनगणना से जनसंख्या के अद्यतन आंकड़े प्राप्त करने के बाद यदि समयावधि में कोई संशोधन करने की आवश्यकता हुई तो इसके बारे में आकाशवाणी निर्णय लेगा।

आकाशवाणी से शार्टवेव पर कार्यक्रमों को प्रसारित करने की भी आकाशवाणी की अपनी सीमाएं हैं। उल्लिखित केन्द्रों में से केवल बम्बई में ही शार्ट-वेव-चैनल है जिसका उपयोग नीति के अनुसार सेवा क्षेत्र की प्रधान भाषा अर्थात् मराठी के कार्यक्रमों के लिए किया जाता है।

दूरदर्शन केन्द्र, जो एकल चैनल पर कार्य कर रहे हैं, अपने समग्र कार्यक्रम अंग के रूप में सिन्धी भाषा की फीचर फिल्मों सहित विशेष कार्यक्रम भी प्रस्तुत कर रहे हैं। टेलीकास्ट

के लिए सीमित समय को देखते हुए, सिन्धी कार्यक्रमों के लिए प्रति केन्द्र न्यूनतम अवधि नियत करना व्यवहार्य नहीं होगा।

जीवन रक्षक औषधियों के उत्पादन के लिए औद्योगिक क्षमता का विस्तार

2672. **श्री आचार्य भगवान देव** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष जीवन रक्षक औषधियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए औद्योगिक क्षमता का कितना विस्तार किया गया है; और

(ख) इसके बाद कितनी क्षमता और बढ़ाए जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) देश में बल्क औषधों का निर्माण करने के लिए वर्ष 1981 के दौरान पांच औद्योगिक लाइसेंस प्रदान किए गए हैं। ऐसे औद्योगिक लाइसेंसों की एक सूची विवरण रूप में संलग्न है। इसके अतिरिक्त भारतीय गैर एम० आर० टी० पी० कम्पनियां कुछ शर्तों के साथ औद्योगिक लाइसेंस से छुट के योग्य हैं। इन कम्पनियों का पंजीकरण डी० जी० टी० डी० द्वारा किया जाता है।

(ख) इसके लिए कोई विशेष लक्ष्य नहीं है। बल्क औषधों के निर्माण के लिए अतिरिक्त क्षमता का लाइसेंस उन मामलों में दिया जाता है जहां क्षमता/उत्पादन और अनुमानित मांग के बीच अन्तर है।

विवरण

बल्क औषधों के निर्माण के लिए वर्ष 1981 में जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों की सूची

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	मद	क्षमता प्रति वर्ष
1	2	3	4
1.	मै० लाइफ्ति कैमिकल्स प्रा० लि०, गुजरात	इथमफ्येल एच० सी० एल०	10 टन
		सल्फानेथोक्साजोल	10 टन
2.	मै० थेमिस फार्मास्यूटिकल्स, बम्बई	एरिथ्रोमाइसीन	40 टन (पर्याप्त विचार)
3.	मै० गुजरात सिन्थेटिक ड्रग्स, गुजरात	डाक्सीसाइक्लीन	5 टन
4.	मै० डेज मेडिकल स्टोर्स, कलकत्ता	सोडियम डामट्रिजोवेट	2500 कि० ग्रा०
5.	मै० हैक्स्ट फार्मास्यूटिकल्स लि०, बम्बई	उपचार के लिए रिएजेन्ट्स	
		(क) एलस्मा प्रोटीन एण्टी सेरा	75,000 सं०
		(ख) ट्रिपार्टीगेनप्लेट्स	5,500 सं०
		(ग) गठिया रोगों के लिए लेटैक्स रिएजेन्ट्स	10,000 बोरों की सं०
		(घ) आस्ट्रेलिया एण्टीजन के डिटक्शन के रिएजेन्ट्स	10,000 बोरो की सं०

मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच पानी और बिजली का बंटवारा

2673. **आचार्य भगवान देव** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों के बीच पानी और बिजली के बंटवारे के प्रश्न को हल करने के लिये किसी ऐसी स्थायी समिति का गठन किया गया है, जिसमें इन दोनों राज्य सरकारों के सम्बन्धित विभागों के उच्चाधिकारी सम्मिलित हैं; और

(ख) यदि हां. तो यह समिति इन दोनों राज्यों के बीच पानी और बिजली के प्रश्न का कब तक हल निकाल लेगी ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आकाशवाणी के सिलीगुड़ी और करियर केन्द्रों से ड्रान और ग्रौच में समाचार और अन्य कार्यक्रमों के प्रसारण को सम्मिलित किया जाना

2674. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय ने उत्तरी बंगाल में जनसंख्या की प्रतिशतता को ध्यान में रखते हुए आकाशवाणी के सिलीगुड़ी और करियर केन्द्रों से ड्रान और ग्रौच में समाचार और अन्य कार्यक्रमों के प्रसारण को सम्मिलित करने के लिये क्या कदम उठाए हैं; और

(ख) साप्ताहिक कार्यक्रम का तथा जातीय बोली को सम्मिलित करते हुए प्रत्येक भाषा वर्ग के लिये आबंटित समय का ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) भारत की जनगणना, 1971 के अनुसार उत्तरी बंगाल में इस प्रकार की कोई जनजातियां पंजीकृत नहीं हैं। अतः आकाशवाणी के सिलीगुढ़ी केन्द्र से ड्रान और ग्रौच में कोई समाचार या कार्यक्रम प्रसारित नहीं किए जाते।

(ख) आकाशवाणी, सिलीगुड़ी की प्रधान भाषा बंगला है और मुख्य कार्यक्रम इसी भाषा में प्रसारित किए जाते हैं। तथापि, उस केन्द्र से 110 मिनट की औसत अवधि के कार्यक्रम नेपाली में प्रसारित किए जाते हैं, क्योंकि वहां केवल नेपाली ही बड़ा भाषायी समूह है जो उस क्षेत्र की जनसंख्या का 5% है। आकाशवाणी सिलीगुड़ी से किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा/बोली में कोई कार्यक्रम प्रसारित नहीं किया जाता। तथापि, सिलीगुड़ी केन्द्र से समय-समय पर भिन्न-भिन्न अवधियों के लिए भोटिया, उरांव, मुण्डाह, लोधा खारिया जनजातियों के लोक संगीत प्रसारित किए जाते हैं।

उत्तरी बंगाल के जिलों में टेलीफोन केन्द्र

2675. **श्री पियूष तिरकी**: क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरी बंगाल के पांच जिलों में कितने टेलीफोन केन्द्र हैं और इन केन्द्रों की संयोजक क्षमता कितनी है;

(ख) वर्ष 1982-83 के दौरान कितने नए टेलीफोन केन्द्र शुरू किए जायेंगे और उन केन्द्रों की संयोजक क्षमता कितनी होगी;

(ग) क्या यह सच है कि उत्तरी बंगाल के टेलीफोन नेट-वर्क में घटिया सामान लगाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति में सुधार के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

सूचना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) उत्तरी बंगाल में एक्सचेंजों की कुल सज्जित क्षमता 12,430 लाइन है। प्रत्येक एक्सचेंज से सामान्यतः सज्जित क्षमता के 90% तक कनेक्शन दिए जाते हैं।

(ख) 1982-83 के दौरान 250 लाइनों की कुल सज्जित क्षमता के साथ नौ छोटे स्वचल एक्सचेंजों की स्थापना करने की योजना है।

(ग) और (घ) टेलीफोन जालकार्य में घटिया स्तर का कोई सामान प्रयोग नहीं किया गया।

क्यूबा को "फिल्म-स्कूल" की स्थापना के लिए सहायता

2676. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्यूबा ने हवाना में "फिल्म–स्कूल" की स्थापना के लिए भारत की सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो मांगी गई सहायता का पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ग) 1970 से 1·81 तक वर्षवार क्यूबा को कितनी भारतीय फिल्मों का निर्यात किया गया;

(घ) क्या क्यूबा का विचार भारतीय फिल्म निर्माताओं के सहयोग से फिल्मों का निर्माण करने का है; और

(ङ) क्यूबा के फिल्म निर्माताओं को फिल्मों के निर्माण में यदि किन्हीं भारतीय फिल्म निर्माताओं ने सहयोग की पेशकश की है तो उनकी संख्या कितनी है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा निर्यात कैनेलाइजेशन के बारे में रखे गए

रिकार्ड के अनुसार, 1975 से 1981 तक भारतीय फिल्मों के क्यूबा में निर्यात के लिए कोई शिपमेंट पास नहीं किये गये थे। इस अवधि से पहले की सूचना उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) और (ङ) इस बारे में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

हजारीबाग में उरीमारी और 20 अन्य कोयला खानों को खोलने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन

2677. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें झारखंड मजदूर संघ, हजारीबाग, बिहार से हजारीबाग जिले में सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा उरीमारी और 20 से अधिक कोयला खानें खोलने के बारे में 1 सितम्बर, 1981 का कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो अपने अभ्यावेदन में झारखंड मजदूर संघ ने किन मुख्य मांगों का उल्लेख किया है; और

(ग) उनकी प्रत्येक मांग पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी हां।

(ख) यूनियन की मुख्य मांगें इन बातों से संबधित हैं—बन्द खानों को खोला जाना, स्थायी कामों के लिये ठेकेदारों को हटाना और अनिवार्य बचत योजना की राशि कामगारों को वापिस देना।

(ग) उरीमारी गांव के पास बलरामपुर में भंडार के एक अंग का चयन खान खोदने के लिए किया गया था और उपकरण उस स्थान पर भेजे गये थे। परन्तु बाहर वालों ने इसका कड़ा विरोध किया और उनमें से कुछ तो बिहार राज्य के भी नहीं थे। अतः खान खोदने का प्रयास छोड़ दिया गया और उपकरण वापिस मंगा लिये गए।

इस बात के प्रयास किये जा रहे हैं कि जहां कहीं संभव हो वहां ठेकेदारों को काम से हटाया जाए और अनिवार्य बचत योजना की देय हो गई सभी राशियों का भुगतान शीघ्र ही कर दिया जाये।

राज्य विद्युत बोर्डों के लिए स्वतन्त्र वित्तीय निकाय

2678. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में राज्य विद्युत बोर्डों के लिए आई० डी० बी० आई० और आई० एफ० सी० आई० के पेटर्न पर एक स्वतन्त्र वित्तीय निकाय स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्योरा क्या है; और

(ग) राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय समस्याओं को हल करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राज्य बिजली बोर्डों के कार्य-निष्पादन के लिए राज्य सरकारें प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं। परन्तु उनके कार्य निष्पादन की समीक्षा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर की जाती है तथा वित्तीय और तकनीकी मामलों के बारे में उपयुक्त मार्गदर्शन किया जाता है।

राज्य बिजली बोर्डों के वित्तीय कार्य निष्पादन तथा इससे सम्बन्धित समस्याओं की समीक्षा हाल ही में 6 से 9 नवम्बर, 1981 तक हुए विद्युत मन्त्रियों के वार्षिक सम्मेलन में की गई थी। परियोजना के निर्माण में देरियों को कम करने तथा अपने स्टाक संबन्धी ढांचे को युक्तिसंगत बनाने सहित वित्तीय तथा प्रचालनात्मक कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए राज्य बिजली बोर्डों को विशेष मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं। अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सुझाव दिया गया था कि राज्य बिजली बोर्डों को एक युक्तिसगत टैरिफ ढांचा अपनाना चाहिए जिसमें बिजली के तत्पादन, पारेषण तथा वितरण की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए और उसमें प्रतिपक्ष की ऐसी उचित दर के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए जो हाथ में लिए गये विद्युत विकास कार्यक्रम की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक हो।

तापीय परियोजनाओं को अतिरिक्त पुर्जे तथा बायलर देने के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्ज लिमिटेड का सुपुर्दगी शैड्यूल की असफलता

2679. **श्री बाला साहिब बिखे पाटिल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में विभिन्न तापीय विद्युत परियोजनाओं को अतिरिक्त पुर्जे और बायलरों को समय पर देने का सुपुर्दगी शैड्यूल बनाए रखने में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड असफल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) भा० है० इले० लि० द्वारा सप्लाई किए गए फुटकर पुर्जों और बायलर के संघटकों की सप्लाई में विलम्ब हुए हैं। भा० है० इले० लि० ने सूचित किया है कि इस प्रकार के विलम्बों में से अधिकांश विलम्ब भा० है० इले० लि० द्वारा आयात की गई मदों के संबंध में अथवा स्वदेशी स्रोतों से खरीदी गई मदों के संबंध में हुए हैं। जहां तक संभव हो इन फुटकर पुर्जों का भण्डार भा० है० इले० लि० तथा विद्युत केंद्रों, दोनों ही के पास बनाने के उपाय किए गए हैं ताकि विद्युत संयंत्र के बन्द होने की अवधि को न्यूनतम किया जा सके। जहां तक प्रारम्भिक सप्लाई के लिए आयातित संघटकों और खरीदी गई मदों का संबंध है, इन मदों की प्राप्ति हेतु अग्रिम कार्यवाही की गई है ताकि इन संघटकों की सप्लाई विद्युत केन्द्रों की आवश्यकता के अनुकूल होती रहे।

फिल्म प्रभाग द्वारा क्षेत्रीय एकक खोलना

2680. **श्री एस० बी० सिदनाल** ; क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म प्रभाग का विचार शीघ्र ही क्षेत्रीय एकक खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो नए केन्द्र किन स्थानों पर खोले जाएंगे;

(ग) क्या इन केन्द्रों में क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्मों का निर्माण करने की कोई योजना बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां।

(ख) लघु फीचर फिल्में बनाने के लिए प्रभाग के क्षेत्रीय निर्माण केन्द्र बंगलौर और कलकत्ता के लिये मंजूर हैं।

(ग) और (घ) ये केन्द्र स्थानीय भाषाओं/बोलियों में ग्रामीण और आदिवासी लोगों के जीवन के विशेष संदर्भ में तथा राष्ट्रीय और सामुदायक रुचि के विषयों पर 16 मि० मी० में स्टोरी लाइन के साथ फिल्में बनाएंगे। छठी योजना अवधि के दौरान कुल मिलाकर 96 फिल्में बनाने का प्रस्ताव है।

ठाणे जिले में खाना पकाने की गैस के कनेक्शनों के लिए विचाराधीन आवेदन-पत्र

2681. **श्री एस० मुरुगैयन** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** ठाणे जिले में खाना पकाने की गैस के कनेक्शनों के लिए विचाराधीन पड़े आवेदनों के बारे में 16 दिसम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3941 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ठाणे जिले (महाराष्ट्र) में खाना पकाने की गैस के कनेक्शन दिए जाने के लिए 31 अक्तूबर, 1980 तथा 31 अक्तूबर, 1981 को, तालुका-वार, कितने आवेदन पत्र विचाराधीन पड़े थे;

(ख) ठाणे जिले (महाराष्ट्र) में उक्त अवधि के दौरान (तालुका-वार) कितने नए कनेक्शन दिए गए; और

(ग) खाना पकाने की गैस की बढ़ी हुई सप्लाई को देखते हुए (1) 31 अक्तूबर, 1980 31 अक्तूबर, 1981 के दौरान तथा (2) 1981-82 के वित्तीय वर्ष में खाना पकाने की गैस के कितने कनेक्शन दिए जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) अक्तूबर, 1980 और 1981 को थाना जिले में एल० पी० जी० (कुकिंग गैस) कनेक्शन जारी करने के लिए लम्बित पड़े हुए आवेदन-पत्रों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) 1980 के दौरान जिले में एल० पी० जी० के कोई नये कनेक्शन नहीं दिये गये थे। तथापि जिले में इस वर्ष में करीब 9000 एल० पी० जी० कनेक्शन दिये गये हैं। तालुका-वार विवरण शीघ्र उपलब्ध नहीं है।

(ग) जिले में कुकिंग गैस कनेक्शन नये वितरकों की नियुक्ति होने पर उत्तरोतर दिये जा रहे हैं।

विवरण

अक्तूबर, 1980 और 1981 को थाने जिले (महाराष्ट्र) में एल० पी० जी० कनेक्शन रीलीज करने के लिए लम्बित पड़े हुये आवेदन पत्रों के ब्योरे

स्थान का नाम		अक्तूबर, 1980	अक्तूबर, 1981
1.	थाना	20,398	21,166
2.	उल्लाहसनगर, कल्याण, अम्बरनाथ, शाहपुर,	36,398	21,166
3.	वेसिन	5,960	4,565
4.	दहानु	1,933	2,068
5.	पालघर	4,433	4,004
6.	भिवन्डी	2,692	3,307
7.	मोहने	816	820
8.	विरार	3,966	4,000
9.	चिन्चानी	5	10
10.	भोसियार	28	110
11.	घोम्बी वाली	10,384	10,800
12.	बद्दलापुर	—	1,100
		87,208	91,372

प्यानकुट्टी पनबिजली योजना

2682. श्री ए० नीलालोहीथादसन नाडार : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के पास केरल की प्यानकुट्टी पनबिजली योजना अनुमोदन हेतु कब पेश की गई थी; और

(ख) इस पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) पुयानकुट्टी जल विद्युत स्कीम (750 मेगावाट) की परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में मार्च, 1981 में प्राप्त हुई है। इस परियोजना रिपोर्ट की जांच केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और केन्द्रीय जल आयोग में की जा रही है। डिजाइन संबंधी कुछ पहलुओं पर और जल की उपलब्धता के संबंध में टिप्पणियां परियोजना प्राधिकारियों को अगस्त, 1981 में भेज दी गई हैं। इन टिप्पणियों के उत्तरों की प्रतीक्षा है।

उत्तर प्रदेश मण्डल के डाक-तार विभाग में रोस्टर प्वाइन्ट रजिस्टर बनाया जाना

2683. **श्री ए० नीलालोहितादसन नाडार** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के डाक-तार विभाग में लम्बी तथा थोड़ी अवधि की रिक्तियों के लिए, वर्गवार, रोस्टर प्वाइन्ट रजिस्टर बनाया जाता है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या उत्तर प्रदेश मण्डल में एल० एस० जी० एच० एस० जी०-11, एस० एस० जी०, आई० पी० एम० (राजपत्रित), ए० एस० पी० ओ० और एस० पी० ओ० सवर्ग में अब तक की गई पदोन्नतियों के मामलों में रोस्टर प्वाइन्ट को कार्यान्वित किया गया है; यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं और उसमें वर्गवार किस हद तक कमी हुई है और इसे कब लागू किया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) और (ख) भारत सरकार के नियमों के अनुसार नियमित रिक्तियां भरते समय सभी काडरों में निर्धारित रोस्टर रखा जाता है। एल० एस० जी० एच० एस० जी०-2, एच० एस० जी०-1, ए० एस० पी० ओ०, पोस्ट-मास्टर ग्रुप "ख" तथा पी० एस० एस० ग्रुप "ख" के काडरों में नियमित पदोन्नति करते समय इन काडरों में पदोन्नति आदेशों का पालन किया जाता है।

कर्नाटक में नए शाखा डाकघर और सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय खोला जाना

2684. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजनावधि के दौरान कर्नाटक राज्य में कितने नए शाखा डाकघर और सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय खोले जाएंगे; और

(ख) छठी योजनावधि के प्रथम ढाई वर्षों के दौरान ये किन स्थानों पर खोले जाएंगे ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) (1) छठी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान कर्नाटक राज्य में खोले जाने वाले शाखा डाकघरों की संख्या के बारे में अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। सम्पूर्ण छठी पंचवर्षीय योजना के लिए नए ग्रामीण डाकघर खोलने हेतु पहले से कोई भी राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने से पहले प्रत्येक सर्किल के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं।

(2) जहां तक सार्वजनिक टेलीफोन घरों का प्रश्न है, लगभग 100 स्थानों में यह सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

(ख) (1) 1.4.80 से 30.11.81 तक की अवधि के दौरान जिन स्थानों पर नए शाखा डाकघर खोले गए हैं तथा 30-1-82 तक जिन स्थानों पर नए शाखा डाकघर खोलने का प्रस्ताव है उनके नाम विवरण-1 एवं 2 में दिए गए हैं।

[ग्रन्थालय में रखा एया गया। देखिए संख्या एल० टी०-3037/81]

1982-83 से आगे खोले जाने वाले शाखा डाकघरों के ब्यौरों का जहां तक प्रश्न है, जिन स्थानों पर शाखा डाकघर खोले जाने हैं वे आबंटित लक्ष्यों एवं विभागीय मानकों के अनुसार औचित्यपूर्ण पाए जाने पर निर्भर करेंगे।

(2) जिन स्थानों पर लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर खोले जाने का प्रस्ताव है उनके नाम विवरण-3 में दिए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-3037/81]

जिला और सेशन न्यायाधीश, तीस हजारी, दिल्ली के अधीन कर्मचारियों की संख्या

2685. **श्री हीरा लाल आर० परमार :** क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला और सेशन न्यायाधीश, तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली के अधीन अलग-अलग प्रवर्गवार, कुल कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं;

(ख) प्रवर्गवार, स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों की अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ग) प्रत्येक प्रवर्ग में कितने रिक्त पद हैं जिन्हें अभी भरा जाना है;

(घ) क्या प्रत्येक प्रवर्ग में कर्मचारियों को स्थायी किए जाने का मामला लंबित है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और कर्मचारियों के प्रत्येक प्रवर्ग में स्थायी किए जाने के विगत आदेश किस तारीख को जारी किए गए थे ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी, जो दिल्ली उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा दी गई है, देने वाला विवरण सलग्न है।

(घ) और (ङ) दिल्ली प्रशासन/दिल्ली उच्च न्यायालय से स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा रही है।

विवरण

जिला और सेशन न्यायाधीश, तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली के अधीन प्रवर्गवार कार्य कर रहे कर्मचारियों की, जिनमें लघुवाद न्यायालय, दिल्ली के अधिकारी और प्रशासनिक उप न्यायाधीश, दिल्ली भी सम्मिलित हैं, (स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों के अलग-अलग आंकड़े सहित) कुल संख्या और प्रत्येक प्रवर्ग में रिक्त ऐसे पदों की संख्या जिन्हें अभी भरा जाना है, बताने वाला विवरण

क्र० सं०	पदनाम (प्रवर्ग)	कार्य कर रहे कर्मचारियों की संख्या			रिक्त पदों की संख्या
		स्थायी	अस्थायी	योग	
1	2	3	4	5	6
1.	अधीक्षक	3	1	4	—
2.	एस० ए० एस० लेखापाल	1	1	2	—
3.	सहायक	—	7	7	—
4.	पुस्तकालयाध्यक्ष	—	—	—	1
5.	रखवाल	1	—	1	—
6.	रीडर/उ० श्रे० लि० सी० ओ० सी०/ई० सी०	68	65	133	3
7.	आशुलिपिक	69	43	112	17
8.	अहलमद/अ० के० लि०/ अभिलेखपाल/सी० ए०/ कापिरेट/और अन्य अनुसचिवीय कर्मचारिवृन्द	171	195	366	40
9.	सिविल नाजिर	1	—	1	—
10.	नायब नाजिर	37	17	54	—
11.	बेलिफ	10	1	11	—
12.	सवार हरकारा	1	—	1	1

1	2	3	4	5	6
13.	गेस्टेटनर आपरेटर	—	—	—	1
14.	दफ्तरी	1	2	3	1
15.	जमादार	—	1	1	—
16.	अर्दली/चपरासी/ डाक चपरासी	118	42	160	31
17.	आदेशिका तामीलकर्ता (प्रासेस सर्वर)	87	37	124	1
18	वाटर गैस प्रकरण/ चौकीदार/ सफाईवाला	43	23	66	1

उड़ीसा में फुटकर विक्रय केन्द्रों के लिए भारतीय तेल निगम द्वारा जारी विज्ञापन

2686. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान उड़ीसा के विभिन्न जिलों में कितने फुटकर विक्रय केन्द्रों के लिए भारतीय तेल निगम द्वारा विज्ञापन जारी किए गए और ये फुटकर विक्रय केन्द्र कहां-कहां पर हैं;

(ख) कौन से स्थान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बेरोजगार स्नातकों आदि के लिए आरक्षित हैं;

(ग) डीलरशिप के लिए भारतीय तेल निगम द्वारा कुल कितने आवेदन पत्रों पर विचार किया गया और उनके आवेदकों के क्या नाम हैं; और

(घ) अन्तिम रूप से चयनित आवेदकों के क्या नाम हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (ख) 1980-81 तथा 1981-82 वर्षों के दौरान इन्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा उड़ीसा में कुल 28 रिटेल आउटलेट डीलरशिपों (पेट्रोल/डीजल पम्प) को विज्ञापित किया गया है। स्थलों के नाम तथा उनकी श्रेणियां संलग्न विवरण में दी गयी हैं।

(ग) सरकार द्वारा इस प्रकार की सूचना नहीं रखी जाती है। इसके अतिरिक्त, इस सूचना को इकट्ठा करना/संकलन करना बहुत खर्चीली तथा समय लेने वाली प्रक्रिया है तथा यह विचारे गये उद्देश्य के अनुरूप नहीं होगी।

भादरक	—	श्री सुरेश कुमार साहु
भोलघर	—	श्री रबिन्द्र नाथ पटनायक
उमारकोट	—	श्री मनमोहन सेनापति
मालकांगिरी	—	श्री ओमप्रकाश सवरवाल
चामपुआ	—	श्री गोपाल चन्द्र साहु
सोनेपुर	—	श्री मधुसूदन पुजारी
अमारदा	—	श्री सत्यनारायण दास
पुरी	—	श्री लिंगराज मोहनती
बिसोई	—	श्री मनोरंजन महापात्र
	—	श्री मनोरंजन पंडा
कोईरा	—	श्री हरीचरण गुप्ता

बाकी स्थलों के लिये चार डीलरों के चयन को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

वर्ष	स्थल	श्रेणी
1	2	3
1980-81	भादरक	खुली
	भुवनेश्वर	अनुसूचित जनजाति
	बंकी	शारीरिक रूप से विकलांग
	भोलघर	खुली
	मदनपुर रामपुर	स्नातक बेरोजगार
	नियाली	अनुसूचित जाति
	उमारकोट	खुली
	वासुदेवपुर	स्नातक बेरोजगार
	मलकांगिरी	खुली
	मोत्तर	अनुसूचित जनजाति
	उदाला	अनुसूचित जनजाति
	प्रदीप	स्नातक बेरोजगार
	बोईपास	अनुसूचित जनजाति
	रायराखोल	शारीरिक रूप से विकलांग
	बालियापाल	खुली

1	2	3
	पुरुषोत्तमपुर	स्नातक बेरोजगार
	चामपुआ	खुली
	सोनेपुर	खुली
	अमुरआ	खुली
	नायाघर	स्नातक बेरोजगार
	पुरी	खुली
	विसोई	खुली
	कोईरा	खुली
	सुआकती	स्नातक बेरोजगार
	राजखरियार	अनुसूचित जाति
1981-82	कटक	खुली
	राउरकेला	अनुसूचित जनजाति
	भुवनेश्वर	खुली

बहुराष्ट्रीय औषधि निर्माताओं का दर्जा

2688. **श्री डी० एम० पुत्ते गौडा : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : महत्वपूर्ण औषधियों और दवाओं के फारमुलेशनों और लागत ढांचे को बेचने वाली बहुराष्ट्रीय औषधि निर्माताओं का दर्जा निश्चित करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : वर्ष 1978 की औषध नीति की घोषणा के पश्चात् विदेशी (फेरा) औषध कम्पनियों की विदेशी पूंजी के स्तर को निर्धारित करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(1) केवल औषध फार्मूलेशनों के निर्माण में लगी 7 कम्पनियों की अपनी विदेशी पूंजी 40 प्रतिशत तक अथवा इससे कम करने के निर्देश दिये थे। निर्देशानुसार इनमें से चार कंपनियां अपनी विदेशी पूंजी कम कर चुकी हैं जबकि दो कम्पनियों को ऐसा करने के लिये दिनांक 31-12-1981 तक का समय दिया गया है। सातवीं कंपनी के संबंध में निदेश को लागू करने के लिये रिजर्व बैंक आफ इण्डिया उपयुक्त कार्यवाही कर रहा है किन्तु इसी दौरान कम्पनी ने अपनी अधिक विदेशी पूंजी को बनाये रखने के लिये दुबारा अभ्यावेदन कर दिया।

(2) "उच्च प्रौद्योगिकी न रखने वाली बल्क औषधों" के निर्माण में लगी हुई विदेशी कंपनियों का पता लगाने के लिये अप्रैल, 1978 में एक उच्च स्तरीय समिति स्थापित की गई थी

जिसने रसायन और उर्वरक विभाग, तकनीकी विकास और विज्ञान एक प्रौद्योगिकी विभाग में सरकार के सचिव सम्मिलित हैं तथा जिसे अन्य विशेषज्ञों का सहयोग प्राप्त था। इस समिति ने पाया कि बल्क औषधों का निर्माण करने वाली 24 विदेशी कम्पनियों में से दो कम्पनियां उन बल्क औषधों का निर्माण कर रही थीं जिनमें उच्च प्रौद्योगिकी निहित नहीं थी। इन दो कंपनियों की विदेशी पूंजी के स्तर के बारे में भी निर्णय लिया गया है। एक कंपनी ने निर्णय के विरुद्ध अभ्यावेदन किया है और उनके अभ्यावेदन की जांच की जा रही है।

(3) उच्च प्रौद्योगिकी निहित एक अथवा अधिक बल्क औषधों का निर्माण करने वाली 22 विदेशी कंपनियों में से दो कंपनियों ने स्वयं ही अथवा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा जारी किये गये निदेश के अनुसार अपनी विदेशी पूंजी को 40 प्रतिशत तक अथवा इससे कम कर लिया है। शेष 20 कंपनियों के मामले में विदेशी पूजी के अनुमेय स्तर का निर्णय फेरा कमेटी द्वारा किया जाना है। जिसकी पिछली बैठक 18-11-1981 को हुई थी। अन्तिम निर्णय शीघ्र लिये जाने की आशा है।

लागत संरचना के सम्बन्ध में यह बता देना आवश्यक है कि निर्माण की लागतों को ध्यान में रखते हुये औषधों और दवाईयों के मूल्यों को सुव्यवस्थित करने हेतु सरकार दिनांक 31 मार्च, 1979 से प्रभावी औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1979 की घोषणा कर चुकी है। यह आदेश फार्मूलेशनों को चार श्रेणियों में बांटता है। केवल प्रथम तीन श्रेणियों के मूल्य नियंत्रित हैं। ये कारखाने से बाहर आंकी गई उत्पादन लागत के आधार पर निर्धारित किये जाते हैं जिसमें निर्दिष्ट प्रतिशतता के मार्क-अप जोड़े जाते हैं।

मतदाता सूचियों की शुद्धि

2689. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मतदाता सूचियों को कम्प्यूटर की सहायता से शुद्ध करने का विनिश्चय किया है; यदि हां, तो क्या मतदाता सूचियों को इस प्रकार से शुद्ध करने का कार्य शुरू हो गया है;

(ख) यदि उत्तर सकारात्मक हो तो, किन राज्यों में यह कार्य शुरू हो गया है और उसका क्या परिणाम रहा; और

(ग) क्या मतदाता सूचियां शुद्ध करने की यह प्रक्रिया संपूर्ण देश में लागू की जाएगी, यदि हां, तो इस पर कितना व्यय होगा, संपूर्ण देश में इसे लागू करने में कितना समय लगेगा और तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) संविधान के अनुच्छेद 324(1) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 15 और 21 के अधीन निर्वाचक

नामावली को तैयार करने और उसके पुनरीक्षण का कार्य निर्वाचन आयोग में निहित है। निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि सारे देश में निर्वाचक नामावलियों को कम्प्यूटर से तैयार करने का कोई प्रस्ताव उसके समक्ष नहीं हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सिगरेनी कोयला खानों में कोयला वितरण में घोटाला

2690. **श्री बापूसाहिब परुलेकर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश में सिगरेनी कोयला खानें दूसरे धनबाद के रूप में तेजी से बदनाम हो रही है;

(ख) क्या यह सच है कि कोयला खनन और वितरण में घोटाले से काले धन के रूप में प्रतिवर्ष 10 करोड़ से अधिक राशि अर्जित की जाती है; जो निहित स्वार्थी लोगों द्वारा दुगनी या तिगनी करने की कोशिश की जा रही है; और

(ग) क्या यह सच है कि कोयला खानों के स्वामियों द्वारा कोयले की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित 157.31 रुपये प्रति टन के हिसाब से की जाती है जिसमें शुल्क और कर शामिल है जबकि उपभोक्ताओं के लिये कोयले का बाजार भाव 529 रुपये प्रति टन है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) कोयले के विभिन्न ग्रेडों की केवल खान मुहाना कीमतें ही सरकार ने नियत की हैं और औसत खान मुहाना कीमत केवल रु० 128.02 प्रति टन है।

कोयले की अनियमित सप्लाई और घटिया कोयले के कारण गुजरात में बिजली की कमी

2691. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में बिजली की वर्तमान कमी का एक मुख्य कारण गुजरात विद्युत बोर्ड को कोयले की अनियमित और 40 प्रतिशत तक राख की मात्रा वाले घटिया कोयले की सप्लाई है;

(ख) क्या यह सच है कि राज्य की प्रतिदिन की कम से कम आवश्यकता 26,000 टन कोयले की है जबकि इसे प्रतिदिन 14,000 टन से कुछ अधिक ही सप्लाई किया जाता है;

(ग) क्या यह भी सच है कि राख की अधिक मात्रा वाले तत्व होने के कारण, बिजली घरों में बायलर ट्यूब बार-बार कार्य बन्द कर देते हैं क्योंकि राख की मात्रा वाले तत्वों को खपाने की जनरेटर की क्षमता केवल 20 प्रतिशत है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार गैर कोकिंग क्षेत्र के लिये राख की मात्रा वाले तत्वों को कम करने के लिये कोयला खानों को अपनी धोवन शालाएं उपलब्ध कराने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) गुजरात के ताप विद्युत केन्द्रों को अप्रैल से अक्तूबर, 1981 तक की अवधि के लिये किये गये कोयले के आवंटन, प्राप्तियों तथा खपत को दिखाने वाला विवरण संलग्न है। इन विद्युत केन्द्रों को अप्रैल से अक्तूबर, 1981 के दौरान प्राप्त हुये कोयले की मात्रा गत वर्ष की इसी अवधि के दौरान प्राप्त हुये कोयले की मात्रा से 20.7 प्रतिशत अधिक है। इन विद्युत केन्द्रों को सप्लाई किए गए कोयले में राख की मात्रा कुछ अवसरों पर 40 प्रतिशत से अधिक थी।

यद्यपि ऊर्जा की कमी केवल सीमान्त है, फिर भी राज्य में मांग प्रतिबन्ध लागू हैं। गुजरात में विद्युत सप्लाई की स्थिति सामान्यतः संतोषजनक है।

(ग) उत्पादन यूनिटों की बन्दियों का मुख्य कारण बायलर ट्यूब में लीकेज होते रहना है। तथापि, कोयले में अधिक राख की मात्रा होने के कारण ही विशेष तौर से बायलर ट्यूबों के फेल होने को मात्रात्मक रूप में बता सकना कठिन है।

(घ) और (ङ) सिंगरौली क्षेत्र की कुछ कोयला क्षेत्रों से नान-कोकिंग कोल के परिष्करण के लिए तकनीकी-आर्थिक अध्ययन किए गए हैं। तथापि, कोयला परिष्करण की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अभी सुनिश्चित की जानी है।

विवरण

गुजरात में विभिन्न विद्युत केन्द्रों को अप्रैल, 1981 से अक्तूबर, 1981 तक की अवधि के लिए कोयले के माहवार आबंटन, प्राप्ति तथा खपत को दिखाने वाला विवरण

महीना	आबंटन	प्राप्ति	खपत (हजार टन में)
अप्रैल, 81	410	282	292
मई, 81	410	279	268
जून, 81	420	270	250
जुलाई, 81	385	294	221
अगस्त, 81	385	292	205
सितम्बर, 81	385	241	225
अक्तूबर, 81	440	255	237

बिहार में कोयले का घोटाला

2692. **श्री एन० ई० होरो :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23-9-81 के पैट्रियट में इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि चम्पारन जिला प्रशासन ने बिहार में कोयले के आज तक के सबसे बड़े घोटाले का भण्डा फोड़ किया है जिसमें 7,916 टन कोयले का घोटाला था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) सरकार का ध्यान इस रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया गया है कि पूर्वी चम्पारन जिला प्रशासन ने बिहार में कोयले के आज तक के सबसे बड़े घोटाले का भंडाफोड़ किया है जिसमें 7916 टन कोयले का गोलमाल था।

(ख) ब्यौरे इकट्ठे किए जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

मध्य प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण

2693. **डा० बसन्त कुमार पंडित :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा मध्य प्रदेश में शुरू की गई ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की गति में गत दो वर्ष के दौरान कमी आई है;

(ख) मध्य प्रदेश के जिलावार गांवों की कुल संख्या और प्रतिवर्ष विद्युतीकृत गांवों के वर्ष 1978-1979, 1980 और 1981 के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं और 31 अक्तूबर, 1981 तक कितने गांवों में बिजली नहीं लगी थी;

(ग) राजगढ़ गुना और विदिशा जिलों की किन तहसीलों में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना ने 100 प्रतिशत परिणाम प्राप्त किये हैं; और

(घ) मध्य प्रदेश में 100 प्रतिशत उपलब्धियों के लिये 1981 और 1982 हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) मध्य प्रदेश में ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के अन्तर्गत पिछले दो वर्षों (1979-81) के दौरान ग्राम विद्युतीकरण किये जाने और पम्पों का ऊर्जन किये जाने के संबंध में प्रगति संतोषजनक रही है। मध्य प्रदेश में ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत स्कीमों के अन्तर्गत 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान विद्युतीकृत गांवों और ऊर्जित किए गए पम्पसेटों की स्थिति निम्नानुसार है :—

वर्ष	विद्युतीकृत गांवों की संख्या	ऊर्जित किए गए पम्पसेटों की संख्या
1979-80	2021	11159
1980-81	3833	31828

(ख) मध्य प्रदेश में अगस्त, 1981 के अन्त तक 26,700 गांवों को विद्युतीकृत किया गया है। यह संख्या कुल का 37.7 प्रतिशत बैठती है। बाकी 44183 गांव विद्युतीकरण के लिये फिर भी शेष रह जाते हैं। तथापि, जिलेवार ब्योरा केवल मार्च, 1981 के अन्त तक का ही उपलब्ध है। मार्च, 1978 के अन्त तक की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत हुए गांवों की जिलेवार संख्या तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष अर्थात 1978-79, 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान विद्युतीकृत हुए गांवों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत की गई स्कीमों के अन्तर्गत मध्य प्रदेश के गुना जिले के विभिन्न ब्लाकों के 2006 गांव, राजगढ़ जिले के विभिन्न ब्लाकों के 1062 गांव तथा विदिशा जिले के विभिन्न ब्लाकों के 468 गांव विद्युतीकृत किये जाने हैं। जिन चार स्कीमों में गुना जिले के गुना ब्लाक के 82 गांव, चचौरा ब्लाक के 82 गांव, बाहोरी ब्लाक के 10 गांव तथा राघोगढ़ ब्लाक के 10 गांव शामिल थे उन स्कीमों के सभी गांवों को विद्युतीकृत कर दिया गया है। गुना जिले की शेष स्कीमें कार्यान्वियन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। राजगढ़ तथा विदिशा जिलों के विभिन्न ब्लाकों में स्वीकृत स्कीमें भी कार्या-वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

(घ) 1981-82 के दौरान, मध्य प्रदेश में ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत/स्वीकृत की जाने वाली स्कीमों के अन्तर्गत 2250 गांवों को विद्युतीकृत करने का प्रस्ताव है।

विवरण

मध्य प्रदेश में 1978-81 के दौरान प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विद्युतीकृत गांवों की जिलेवार कुल संख्या दिखाने वाला विवरण

क्र० सं०	जिले का नाम	गांवों की कुल संख्या	31-3-78 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत गाँव	विद्युतीकृत गांव के दौरान 78-79	79-80	1980-81
1	2	3	4	5	6	7
1.	भोपाल	545	119	15	30	17
2.	बालघाट	1,295	226	90	70	75
3.	बसतर	3,382	223	49	90	76
4.	बेतुल	1,308	277	15	40	38
5.	भिन्ड	892	339	84	110	15
6.	बिलासपुर	3,517	877	64	100	111

1 2	3	4	5	6	7
7. छतरपुर	1,077	206	53	45	104
8. छिन्दवाड़ा	1,901	577	137	98	496
9. दामोह	1,156	260	78	40	60
10. दतिया	401	101	14	29	18
11. देवास	1,035	343	148	98	53
12. धाड़	1,484	418	125	75	21
13. दुर्ग	1,811	737	20	24	55
14. गुना	2,006	231	120	112	89
15. ग्वालियर	753	188	35	61	79
16. होशंगाबाद	1,405	479	50	34	54
17. इन्दौर	641	489	27	4	3
18. जबलपुर	2,263	527	105	60	39
19. झाबुआ	1,326	197	19	81	48
20, खांडवा (पुर्वी निमाड)	1,096	386	102	73	98
21. खारगोने (पश्चिम निमाड़)	1,764	602	63	100	115
22, माण्डला	2,092	221	78	50	65
23. मन्दसोर	1,580	714	213	110	143
24. मोरेना	1,249	341	70	96	86
25. नरसिम्हपुर	998	333	122	12	51
26· पन्ना	932	120	39	25	30
27. रायगढ़	2,198	444	21	32	52
28. रायपुर	3,842	851	88	140	132
29. रायसीन	1,429	163	32	38	53
30. राजगढ़	1,670	200	82	70	66
31. रतलाम	1,044	368	77	40	26
32. रेवा	2,302	424	57	35	37
33, सागर	1,856	517	90	90	90
34. सतना	1,756	384	62	50	68

1	2	3	4	5	6	7
35.	सेहोरे	1,015	275	69	44	90
36.	सियोनी	1,595	446	54	50	69
37.	शाहदोल	1,978	124	48	25	50
38.	शाजापुर	1,065	277	25	60	109
39.	शिवपुरी	1,286	197	83	60	108
40.	सीधी	1,7[illegible]0	200	21	22	19
41.	सुरगुजा	2,396	399	68	60	107
42.	टीकमगढ़	881	213	42	30	31
43.	उज्जैन	1,098	709	82	105	59
44.	विदिशा	1,510	149	46	42	64
45.	राजनन्दगांव	2,263	479	38	40	81
	जोड़ :	70,883	16,350	3,000	2,700	3,350

पश्चिमी बंगाल में विद्युत उत्पादन वृद्धि

2694. **श्री सोमनाथ चटर्जी :**

श्री नीरेन घोष : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा तैयार की गई योजनाओं पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण राज्य की नई उत्पादन क्षमता मंजूर करते समय अपनी ही गणना के आधार पर कार्य करेगा;

(ख) यदि हां, तो राज्य में विद्युत विकास के लिये पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा तैयार की योजनाएं क्या हैं तथा उन पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा की गई विद्युत की अनुमानित मांग पर क्या कदम उठाये गये हैं या उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) विद्युत विकास के कार्यक्रमों की आयोजना सरकार द्वारा गठित की गई वार्षिक सर्वेक्षण समिति के तत्वाधान में समय-समय पर किए गए विद्युत सर्वेक्षणों के आधार पर बनाई जाती है । वार्षिक विद्युत सर्वेक्षण समिति, आर्थिक अभिवृद्धि के समग्र लक्ष्यों को और विभिन्न सेक्टरों के विकास को ध्यान में

रखती है। ये सर्वेक्षण राज्य बिजली बोर्डों तथा राज्य सरकारों के अन्य संगठनों के साथ परामर्श और विचार-विमर्श करके किए जाते हैं। विद्युत मांग के पूर्वानुमान को अन्तिम रूप देते समय राज्य बिजली बोर्डों के दृष्टिकोणों पर भी विचार किया जाता है। व्यवहार में सामान्यत: यह पाया जाता है कि संभावित मांग राज्य बिजली बोर्डों द्वारा बढ़ा-चढ़ा कर प्रस्तुत की जाती है। पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड का मामला भी ऐसा ही है।

पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड ने अनुमान लगाया था कि आवश्यकता बढ़कर 1982-83 में 5183 मिलियन यूनिट हो जाएगी तथा इसके अनुरूप ही व्यस्ततमकालीन मांग भी 1138 मेगावाट हो जाएगी। पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड के साथ विचार विमर्श करने के पश्चात् 11वें वार्षिक विद्युत सर्वेक्षण ने ऊर्जा संबंधी आवश्यकता का पूर्वानुमान करके 3931 मि० यूनिट तक तथा व्यस्ततम मांग का पूर्वानुमान 789 मेगावाट तक संशोधित कर दिया था।

(ग) पश्चिम बंगाल की वर्तमान कुल प्रतिष्ठापित क्षमता इस समय 1730.54 मेगावाट है। 1878 मेगावाट की कुल क्षमता की परियोजनाएं इस समय निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त, पश्चिम बंगाल को फरक्का सुपर ताप विद्युत केन्द्र, चूखा जल विद्युत परियोजना तथा कोयल कारो जल विद्युत परियोजना से भी हिस्सा मिलेगा। आशा है कि यदि स्वीकृत परियोजनाएं समय पर कार्यान्वित कर दी जाती हैं और पश्चिम बंगाल के ताप विद्युत केन्द्र यदि मानदण्डों के अनुसार कार्य करते हैं तो पश्चिम बंगाल की विद्युत संबंधी मांग को 1984-85 तक पूरा किया जाएगा।

टेलीकाम फैक्ट्रियों में प्रयोग के लिए घटिया स्तर की सामग्री का आयात

2695. **श्री सोमनाथ चटर्जी :**

श्री जार्ज फर्नान्डीस : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तार विभाग (निदेशालय) को अखिल भारतीय डाक तार औद्योगिक कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधि द्वारा 11 सितम्बर, 1981 को भेजी गई एक वस्तु (एबोनाईट की बनी हुई) का नमूना प्राप्त हुआ है जिसके सम्बन्ध में बताया गया है कि विदेश से आयात की गई इस वस्तु का उपयोग देश की टेलीकाम फैक्ट्रियों में किया जाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस वस्तु को अलीपुर, कलकत्ता की टेलीकाम फैक्ट्री की प्रबन्ध समिति ने अस्वीकार कर दिया था;

(ग) यदि हां, तो इसकी अस्वीकृत किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) यदि यह वस्तु घटिया किस्म की पाई गई थी तो क्या डाक तार विभाग ने ऐसी घटिया स्तर की वस्तुओं के आयात किये जाने के कारणों की कोई जांच की है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) सामग्री निर्धारित विनिर्देशनों के अनुसार नहीं है।

(घ) इस मामले को महानिदेशक आपूर्ति एवं निपटान जिनके जरिए सामग्री प्राप्त की गई है, और सम्बन्धित एजेंसियों के साथ उठाया गया है।

इलेक्ट्रानिक टेलीफोन उद्योग की स्थापना

2696. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन उद्योग स्थापित करने का निर्णय किया है और यदि हां, तो छठी पंचवर्षीय योजना में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन उपस्कर की अनुमानित मांग कितनी है;

(ख) उद्योग स्थापित करने के लिये स्थल का चयन करने हेतु गठित समिति के पदाधिकारी कौन हैं तथा उनके पद-नाम और ब्योरा क्या है;

(ग) उड़ीसा तथा अन्य राज्यों में उन्होंने किन-किन स्थानों का दौरा किया है या दौरा करने का विचार है और वे अपनी रिपोर्ट सरकार को कब प्रस्तुत करेंगे;

(घ) क्या प्रस्तावित उद्योग स्थापित करने के लिये यदि यह उड़ीसा में स्थापित किया जाता है, उड़ीसा सरकार ने भूमि, विद्युत और जल सप्लाई करने का प्रस्ताव भेजा है; और

(ङ) यदि हां, तो और किन-किन राज्यों ने ऐसा प्रस्ताव भेजा है और प्रस्ताव क्या है और इस मामले में केन्द्र कब तक निर्णय करेगा ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : सरकार ने सिद्धान्त रूप में देश में टेलीफोन एक्सचेंजों के लिये इलेक्ट्रानिक स्विचिंग उपस्कर के विनिर्माण हेतु दो यूनिटें स्थापित करने के लिये निर्णय लिया है। छठी पंचवर्षीय योजना में टेलीफोन स्विचिंग उपस्कर हेतु कुल मांग समकक्ष लाइनों (स्थानीय एवं ट्रंक स्वचल एक्सचेंज) की 25.42 लाख है।

(ख) स्थल चयन समिति के सदस्य एवं उनके ब्योरे निम्नलिखित हैं :—

(1)	श्री एस० वाई० नादकरणी विशेष ड्यूटी अधिकारी (ई० एस० एस० फैक्टरी) डाक-तार निदेशालय	संयोजक
(2)	श्री जी० वी० मीमांखी परियोजना निदेशक दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र डाक तार निदेशालय	सदस्य

(3) श्री आर० नारायण स्वामी　　　　　　　　　　　　　सदस्य
अध्यक्ष, विकास शाखा,
कम्प्यूटर अनुरक्षण निगम
सिकन्दराबाद

(4) श्री के० के० तनेजा　　　　　　　　　　　　　　सदस्य
अतिरिक्त औद्योगिक सलाहकार
औद्योगिक विकास विभाग

(5) श्री जे० के० छाबड़ा,　　　　　　　　　　　　　　सदस्य
उप सचिव,
संचार मन्त्रालय

(ग) स्थान चयन समिति ने उड़ीसा में भुवनेश्वर तथा अन्य राज्यों में निम्नलिखित स्थानों का दौरा किया है :—.

पंजाब में चण्डीगढ़ के निकट मोहाली, हरियाणा में चण्डीगढ़ के निकट पंचकुला, मध्य प्रदेश में इन्दौर, देवास और उज्जैन, गुजरात में गांधीनगर और बड़ौदा, महाराष्ट्र में वादगांव, जेजारी, औरंगाबाद और नासिक, आंध्र प्रदेश में जहीराबाद, संगारेड्डी, रुद्रारम तथा तमिलनाडु में मद्रास।

समिति ने अपनी रिपोर्ट 30 नवम्बर, 1981 को पेश कर दी है।

(घ) एवं (ड.) प्रस्तावित उद्योग स्थापित करने हेतु उड़ीसा सरकार भूमि, बिजली तथा पानी देने को तैयार है और पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु सरकारों से भी इसी तरह के प्रस्ताव कुछ भिन्नताओं के साथ प्राप्त हुए हैं।

स्थान स्थिति के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय मार्च, 1982 तक लिये जाने की संभावना है।

जून 1981 तक कोयले का उत्पादन

2697. **श्री चिंतामणि जैन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1981 तक कोयले के कुल उत्पादन की स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले वर्ष तत्संबंधी अवधि में कोयले का कुल कितना उत्पादन हुआ था, और राज्यों तथा उद्योगों की अब तक कितनी प्रतिशत आवश्यकता पूरी की गई है; और

(ग) उक्त अवधि में कोयले की ढुलाई के लिए कितने वैगनों और ट्रकों का प्रयोग किया गया ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) अप्रैल-जून, 1981 के दौरान कोयले का उत्पादन 27.48 मिलियन टन था जबकि इसके मुकाबले अप्रैल–जून 1980

में उत्पादन 25.88 मिलियन टन हुआ । इस प्रकार अप्रैल-जून, 1980 के उत्पादन से 1.60 मिलियन टन अथवा 6.2% की वृद्धि हुई । अप्रैल-जून, 1981 के दौरान राज्यों और उद्योगों (रेलवे सहित) की लगभग 31 मिलियन टन की अनुमानित औसत आवश्यकता के मुकाबले उस अवधि के दौरान कोयले का वास्तविक प्रेषण 28.05 मिलियन टन रहा ।

(ग) अप्रैल-जून, 1981 के दौरान लादे गए कोयला वैगनों की दैनिक औसत संख्या 9050 रही जबकि इसके मुकाबले अप्रैल-जून, 1980 में औसत संख्या 8582 प्रति दिन थी । अप्रैल-जून के दौरान सड़क से भेजे गए कोयले की मात्रा 7.56 मिलियन टन रही जबकि इसके मुकाबले अप्रैल-जून, 1980 में यह मात्रा 7.35 मिलियन टन थी ।

थीन बांध परियोजना से प्राप्त होने वाला विद्युत लाभ

2698 . **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या ऊर्जा मंत्री थीन बांध परियोजना के बारे में 25 अगस्त, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1263 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि थीन बांध परियोजना से प्राप्त होने वाला विद्युत-लाभ का मामला किस स्तर पर है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन): स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। थीन बांध परियोजना से होने वाले विद्युत संबंधी लाभों में राजस्थान और हरियाणा की हकदारी के बारे में अंतिम रूप से विचार अभी किया जाना है । तथापि, कार्य प्रगति पर है ।

मतदाता सूची की जांच के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति

2599 . **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा में मतदाता सूची की जांच के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और जिन निर्वाचन क्षेत्रों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं उनके नाम क्या है;

(ग) क्या मतदाता सूची की जांच का कार्य पूरा हो गया है;

(घ) यदि हां, तो पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) निर्वाचन आयोग ने हरियाणा में निर्वाचक नामावलियों में जाली नाम दर्ज किए जाने के अभिकथन के बारे में विनिर्दिष्ट प्रकार की शिकायत का अन्वेषण करने के लिए आयोग के अधिकारियों का एक दल नियुक्त किया था ।

(ख) निर्वाचन आयोग को हरियाणा राज्य के कुछ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुछ भागों की निर्वाचक नामावलियों की अनियमितताओं और उसके त्रुटिपूर्ण रूप से तैयार किए जाने के बारे में शिकायतें मिली थीं ।

एक विवरण जिसमें विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के नाम तथा उसके प्रभावित क्ष दर्शित हैं सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(ग) जी हां।

(घ) निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त अध्ययन दल ने इस बात की पुष्टि कर दी कि निर्वाचन क्षेत्रों के कुछ क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियां त्रुटिपूर्ण थीं क्योंकि उनमें अनेक जाली नाम दर्ज कर लिए गए थे।

(ङ) निर्वाचन आयोग ने भूलों को सुधारने के लिए आवश्यक अनुदेश जारी कर दिए हैं।

विवरण

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के नाम और प्रभावित भागों को दर्शाने वाला विवरण

सभा निर्वाचन क्षेत्र की सं० और नाम	प्रभावित भाग
1	2
अम्बाला जिला	
1· कालका	ग्राम नानकपुर, झोलुवाल, गरिडा, किरितपुर, चर्निया, भैसा टिब्बा, सुकेत्री, महेशपुर और घामला।
करनाल जिला	
15. घरौंडा	——
कुरुक्षेत्र जिला	
22. थानेसर	ग्राम खेरी ब्राह्मणन और थानेसर नगर के बार्ड 2, 8, 10, 12 14, 15 और 17.
जिन्द जिला	
45. नरवाना	नरवाना नगर के वार्ड सं० 5 से 9, 11, 12, 14 और 15 (9 वार्ड) गुरथली और शिवगढ़ गांव।
46. उचाना कलां	——
48. जीन्द	——
फरीदाबाद जिला	
52. मेवला महाराजपुर	——
गुड़गांव जिला	
59. तावडू	ग्राम हुसनपुर और घूलाघाट तथा खानपुर का मकान सं० 22.

1	2
भिवानी जिला	
65. मुंढाल खुर्द	मुंढाल खुर्द, तिगराना, चंग, सई, धानी, हरसुख, नौरंगाबाद, सिरसा, अहुलपुरा, मालकोस, बौंड कलां, रानकोली, रानीला, संजखास और सनवार ग्राम ।
हिसार जिला	
73. भट्टू कलां	ग्राम दुर्जनपुर, ठरूका, चीकनवास, खराखेरी, चिंदुर, बाडोपाल, महुवाला, दधिकलां, अग्रोहा, कालीरमन, खेरामपुर, सारंगपुर, चन्नावाला और महलसेरा-मोडसरा ।
74. हिसार	केवल भाग सं० 77, 78 और 81.
75. चिराई	ग्राम सत्रोद कलां, सत्रोद खास और सत्रोद खुर्द(भाग सं० 79, 83 और 84).
78. फतेहाबाद	ग्राम भंगर, मोहम्मदपुर, झेलानियां, मजरा और दानी मजरा, फतेहाबाद, खान मोहम्मद और बीधर ।
79. आदमपुर	ग्राम कलुवास, चौधरीवास, कुर्री (आर्य नगर) नवोली कलां, मिगनी खेरा, जाकोद खेरा, बुराक, चौधरीवाली, घुड़साल, सिसवाल, कोहोली, आदमपुर, खेरा बरवाला, सदलपुर और लाडवी ।

हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश में विधान सभाओं के निर्वाचन

2700. **श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश में विधान सभाओं के निर्वाचन कराने के संबंध में निर्वाचन आयोग की राय मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों में निर्वाचन कब होंगे ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी नहीं ।

(ख) इन राज्यों में निर्वाचन के लिए अभी तक कोई तारीख नियत नहीं की गई है ।

समय-सूची से पिछड़ी हुई कोयला खान परियोजनायें

2701. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**

श्री राम विलास पासवान :

श्री मोहम्मद असरार अहमद : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोल इंडिया लिमिटेड की सहायता से चल रही 13 कोयला खान परियोजनाएं समय-सूची से पिछड़ गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी नहीं ।

कोल इण्डिया लि० की विभिन्न सहायक कंपनियां जिन 79 बड़ी कोयला खान परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रही है उनमें से केवल 11 परियोजनएं काम की निर्धारित अनुसूची से 3 वर्ष से अधिक समय से पीछे हैं ।

(ख) उपर्युक्त परियोजनाओं के नाम निम्नलिखित हैं :—

1.	शोबापुर	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०
2.	भाटगांव	
3.	कटकोना	
4.	सवांग	सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि०
5.	नन्दिरा	
6.	मूनीडीह	भारत कोकिंग कोल लि०
7.	सुदामडीह	
8.	चिनाकुरी	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०
9.	घेमोमैन	
10.	कोट्टाडीह	
11.	नार्थ सियरसोल	

इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी के कारण मोटे तौर पर निम्नलिखित हैं :—

(1) भूमि के समय से न मिलने के कारण देरी और/या कानून और व्यवस्था सम्बन्धी समस्याएं ।

(2) खानों के विकास के समय मिली अत्यन्त कठिन भू-खनन दशाएं और/या इन भंडारों से कोयला निकालने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध न होना ।

(3) संयंत्र और मशीनरी उपलब्ध न होना ।

दूरदर्शन कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण संस्थान या केन्द्र

2702. **श्री जमीलुर्रहमान** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि : दूरदर्शन कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण संस्थान या केन्द्रों की संख्या कितनी है और तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री बसंत साठे) : एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

दूरदर्शन के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों को दर्शाने वाला विवरण

संस्थान का नाम	दूरदर्शन के लिए प्रदान किये जाने वाले प्रशिक्षण का ब्योरा
1. भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे	यह संस्था पंजिकरण अधिनियम के अन्तर्गत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत स्वायत निकाय है। यह संस्थान, अन्य बातों के साथ-साथ, दूरदर्शन के इंजीनियरी और कार्यक्रम कर्मचारियों (स्टाफ आर्टिस्टों सहित) मिश्रित ग्रुपों के लिए कार्यक्रम निर्माण में प्रशिक्षण के लिए पाठ्क्रमों का सुविधाजनक बैचों में आयोजन करता है। इसके अलावा, इस संस्थान द्वारा विशिष्ट कार्यशालाओं/पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है।
2. कर्मचारी प्रशिक्षण स्कूल (कार्यक्रम), आकाशवाणी	यह संस्थान आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों के कार्यक्रम अधिकारियों को और प्रशासनिक कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण प्रदान करता है।
3. कर्मचारी प्रशिक्षण संथान (तकनीकी), आकाशवाणी	यह संस्थान इंजीनियरी कर्मचारियों की कुछ श्रेणियों अर्थात् सहायक केन्द्र इन्जीनियरों, सहायक इन्जीनियरों, वरिष्ठ इन्जीनियरी सहायकों और इन्जीनियरी सहायकों को प्रशिक्षण प्रदना करता है।
4. जन संचार संस्थान	सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित किए जाने वाला यह एक पंजीकृत स्वायत निकाय है। यह पंत्रकारिता और जन संचार में उन्नत अध्ययन और अनुसंधान का एक राष्ट्रीय केन्द्र है। इस संस्थान में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग दुरदर्शन के कर्मचारियों को सम्बन्धित क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने के लिए भी किया जाता है।

नोट :—इसके अलावा, जब भी विदेशों में प्रशिक्षण के लिए प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, दूरदर्शन के कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए विदेशों में भी भेजा जाता है।

पूर्णिया (बिहार) में उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना

2703. **श्री जमीलुर्रहमान** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला पूर्णिया (बिहार) में उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) केंद्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पूर्णियां और किशनगंज में रेडियो या दूरदर्शन स्टेशन की स्थापना

2704. **श्री जमीलुर्रहमान** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के सीमांत जिले और सब-डिवीजन पूर्णियां या किशनगंज में रेडियो या दूरदर्शन केन्द्र को स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्णियां जिले में डाकघर

2705. **श्री जमीलुर्रहमान** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : पूर्णियां जिले के गांवों में 1980-81 के दौरान खोले गए डाकघरों की संख्या पंचायतवार ब्यौरे सहित, कितनी है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : 1980-81 के दौरान पूर्णियां जिले में पांच शाखा डाकघर खोले गए थे जिनके नाम नीचे दिए जा रहे हैं :—

क्रम संख्या	खोले गए शाखा डाकघर का नाम	ग्राम पंचायत का नाम जिसमें डाकघर स्थित है
1.	दुमारिया बिस्तारिया	दुमारिया
2.	मतीआरी	मतीआरी
3.	फरकिया	फरकिया
4.	पचीरा	पचीरा
5.	ताराहारी	ताराहारी

पूर्वोत्तर क्षेत्र में टेलीफोन प्रणाली का विस्तार

2706. **श्री अजय विश्वास** : क्या **संचार मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में टेलीफोन प्रणाली के विकास के लिए क्या प्रस्ताव है और इस कार्य के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ख) तत्संबंधी राज्य-वार ब्योरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) एवं (ख) अपेक्षित ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं। आवश्यकतानुसार आबंटन वार्षिक आधार पर किया जाता है।

विवरण

उपकरण उपलब्ध हो जाने पर उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए छठी योजना (1980-85) के दौरान टेलीफोन प्रणाली के विकास हेतु प्रस्ताव

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	नए एक्सचेंज	अतिरिक्त टेलीफोन क्षमता (लाइनों की संख्या)	जिला मुख्यालयों में टेलीफोन एक्सचेंजों का स्वचलीकरण
असम	24	9700	डिब्रूगढ़ हालेफ्लांग जोरहट एन लुखीमपुर नवगांव सिलचर तेजपुर
अरुणाचल प्रदेश	8	800	खोन्सा
मणिपुर	7	1200	इम्फाल चूराचन्दपुर
मेघालय	5	2400	7वें पंचवर्षीय योजना में लिया जायेगा।
मिजोरम	5	1100	लंगले (एम.-ए. एक्स-111 एम. ए. एक्स-11 में अंतरण)
नागालैंड	8	2000	7वें पंचवर्षीय योजना में किया जायेगा।
त्रिपुरा	3	1300	अगरतला कैलाशहर आ. के. पुर

राज्य को बिटुमन का आबंटन

2707. **श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों को बिटुमन के आवंटन का निर्धारित मानदण्ड क्या है; और

(ख) 1980-81 और 1981-1982 में विभिन्न राज्यों को आबंटित बिटुमन संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को बिटुमन के वार्षिक आवंटन करने के लिए उत्पाद उपलब्धता, बल्क बिटुमन उठान की क्षमता, औसतन बिक्री और पिछले वर्ष आदि के दौरान सप्लाईज में कमी को विचार में रखा जाता है।

(ख) 1980-81 और 1981-82 के दौरान राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में बिटुमन के वितरण से सम्बन्धित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गये हैं।

विवरण

राज्य/संघ शासित प्रदेश	1980-81	1981-82 (अप्रैल से सितम्बर)
1	2	3
1. आंध्र प्रदेश	57.4	23.9
2. असम	17.8	8.4
3. बिहार	56.7	42.6
4. गुजरात	105.7	48.2
5. केरल	31.2	23.9
6. मध्य प्रदेश	73.5	44.9
7. जम्मू और काश्मीर	15.7	11.0
8. तमिलनाडु	64.7	43.3
9. महाराष्ट्र	145.8	60.3
10. कर्नाटक	35.5	19.4
11. उड़ीसा	20.7	1.7
12. पंजाब	47.8	29.1
13. राजस्थान	56.8	31.0

1	2	3
14. उत्तर प्रदेश	93.2	52.3
15. पश्चिम बंगाल	77.6	34.5
16. हरियाणा	35.4	27.1
17. हिमाचल प्रदेश	12.6	11.1
18. मणिपुर	5.1	0.7
19. मेघालय	2.1	1.2
20. नागालैंड	0.9	1.0
21. त्रिपुरा	1.3	1.2
22. सिक्किम	1.1	0.2
23. अण्डमान निकोबार	2.4	—
24. अरुणाचल प्रदेश	1.7	1.1
25. चण्डीगढ़	9.4	6.2
26. दिल्ली	26.0	15.5
27. गोआ, दमन और दीव	4.7	3.0
25. मिजोरम	0.5	0.7
29. पांडिचेरी	1.5	0.6
योग :	1004.8	597.9

"डेसू अनेबल टू कंट्रोल पॉल्यूशन" शीर्षक समाचार

2708. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (डेसू) अमरीका से आयात किये गए नये उपस्कर के बावजूद भी राख उड़ने से प्रदूषण की घटनाओं को रोकने में असमर्थ है;

(ख) उपस्कर लगाने में हुए विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) दिल्ली में जनजीवन प्रभावित होने से पहले सरकार इस कार्य में सुधार लाने के लिये क्या उपाय करना चाहती है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) इन्द्रप्रस्थ स्टेशन के यूनिट-एक के लिए एक नया इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर प्रतिष्ठापित कर दिए जाने से इस यूनिट से धूल

के निस्सरण को स्वीकार्य स्तरों तक सफलतापूर्वक नियंत्रित कर लिया गया है। यूनिट-दो और चार के लिए इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटरों के सुधार का कार्य पूरा कर लिया गया है और उपस्कर को परीक्षण के तौर पर चलाया जा रहा है। यूनिट तीन और पांच के लिए इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटरों को प्रतिष्ठापित करने का कार्य हाथ में लिया जा रहा है।

(ख) यूनिट-दो, तीन और चार के लिए उपस्कर लगाने में कुछ देरी हुई है। इसका मुख्य कारण है, देश में उपस्कर की ढुलाई में विलम्ब होना और प्रणाली भार संबंधी हालातों के कारण सुधार के लिए यूनिट उपलब्ध न होना।

(ग) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को यह सलाह दी गई है कि यूनिट तीन और पांच के इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटरों में शीघ्र सुधार/बदलाव के लिए वे आवश्यक कदम उठाएं। यद्यपि यूनिट तीन का कार्य मार्च, 1982 तक पूरा हो जाने की संभावना है, किन्तु यूनिट-पांच के लिए इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटरों की प्रतिष्ठापना का कार्य यदि पहले नहीं तो सितम्बर-अक्तूबर, 1982 तक समाप्त हो जाने की आशा है।

जम्मू और काश्मीर में धूल-हस्ती परियोजना

2709. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :**

श्री गुलाम रसूल कोचक :

श्री एच० एन० नन्जे गौडा :

श्री बाला साहिब बिखे पाटिल : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू और काश्मीर में केन्द्र द्वारा प्रायोजित 250 करोड़ रुपये की धूल-हस्ती परियोजना का कार्य अचानक बंद हो गया है क्योंकि राज्य सरकार ने केन्द्र के साथ बिजली में हिस्सेदार बनने से इन्कार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र द्वारा प्रायोजित सभी परियोजनाओं में बिजली में हिस्सेदारी के केन्द्रीय सूत्र को राज्य सरकार द्वारा मानने से इन्कार करने के क्या कारण हैं;

(ग) इस विवाद को किस तरह हल किया जा रहा है; और

(घ) क्या उर्जा मंत्रालय विवाद समाप्त होने तक कार्य को पुनः चालू करने के लिये सहमत हो गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) लाभों के बंटवारे संबंधी केन्द्रीय फार्मूले में जम्मू और काश्मीर सरकार ने कुछ संशोधनों का प्रस्ताव किया है। जम्मू और काश्मीर सरकार के प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

(घ) परियोजना के लिए अवसंरचना संबंधी कार्य चल रहा है।

"डिले इन इक्विपमेंट रिटार्ड्स पावर ग्रोथ"
शीर्षक समाचार

2710. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 नवम्बर, 1981 के इन्डियन एक्सप्रेस में 'डिले इन इक्विपमेंट रिटार्डस पावर ग्रोथ' शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या ऊर्जा मन्त्रालय द्वारा अभी हाल ही में देश में जल तथा तापीय बिजली के बारे में किये गये पुनरीक्षण से पता चला है कि वहुत से मामलों में विलम्ब भारत हैवी इलेक्ट्रानिक्स (भेल) और इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा (एल० के०) की ओर से हुआ है;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप छठी पंचवर्षीय योजना के दो वर्षों के दौरान नई विद्युत उत्पादन परियोजनाएं उलट-पलट हो गई हैं और एक तिहाई परियोजनाएं निर्धारित कार्यक्रम से पिछड़ी हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो किये गये या किये जाने वाले उपचारात्मक उपाय क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) परियोजनाओं को समय पर चालू करने में आने वाली बाधाओं में से एक बाधा सप्लाई में विलम्ब होना है।

(ग) विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करना एक जटिल कार्य है, जिसमें विभिन्न एजेंसियां कार्यरत होती हैं तथा इसके लिए विविध प्रकार के आदानों की सिलसिलेवार व्यवस्था करनी आवश्यक होती है। भारत है० इले० लि० तथा आई० एल० के० द्वारा सप्लाई में किए गए विलम्ब के अतिरिक्त, ऐसे अन्य कारण भी हैं जो परियोजनाओं को चालू करने में विलम्ब के लिए उत्तरदायी हैं।

(घ) विद्युत परियोजनाओं को शीघ्रतापूर्वक चालू करने के लिए परियोजनाओं की विभिन्न गतिविधियों की सख्ती से मानीटरिंग करने हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के० वि० प्रा०) में निर्माण मानीटरिंग निदेशालय वनाए गए हैं। परियोजना प्राधिकारियों, उपस्कर सप्लाई-कर्त्ताओं तथा निर्माताओं, निर्माण एजेंसियों आदि के साथ के० वि० प्रा० में समन्वय तथा समीक्षा बैठकों का आयोजन नियमित रूप से किया जाता है। सभी बाधाओं पर कड़ी निगरानी रखी जाती है ताकि सुधारात्मक कार्यवाही की जा सके। के० वि० प्रा० के वरिष्ठ अधिकारी, परियोजना स्थलों का दौरा करते हैं तथा बाधाओं को दूर करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ मामले उठाते हैं। राज्य सरकारों के साथ तथा केन्द्र सरकार के स्तर पर उपयुक्त कारंवाई करने हेतु विद्युत विभाग में भी समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। ऊर्जा मन्त्री के स्तर पर राज्यों के विद्युत मन्त्रियों के साथ बैठकों का आयोजन भी राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तरों पर किया

गया है जिनमें नई तथा निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं को चालू किए जाने की बारीकी से समीक्षा की गई थी ।

रंगीन दूरदर्शन

2711. **श्री बी० बी० देसाई :**

श्री के० राममूर्ति : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रानिक विभाग द्वारा काले तथा श्वेत दूरदर्शन सेटों के लिये ग्लास रोल बनाने का निर्णय लिये जाने के परिणामस्वरूप देश में रंगीन दूरदर्शन शुरू करने की योजना को धक्का लगा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्यवाही के परिणामस्वरूप निर्णय के लिये सरकार के पास भेजी गई अन्तर-विभागीय समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है;

(ग) क्या समिति ने रंगीन दूरदर्शन चालू करने के लिये मन्त्रालय को सिफारिश भेजी है;

(घ) यदि हां, तो रिपोर्ट की मुख्य बात क्या है; और

(ङ) क्या इलेक्ट्रानिक विभाग के उक्त निर्णय को ध्यान में रखकर सरकार ने रंगीन दूरदर्शन के उत्पादन का विचार अन्तिम रूप से त्याग दिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) अन्तर्विभायीय कार्य दल ने सिफारिश की है कि रंगीन दूरदर्शन कार्यक्रम के उद्देश्य, गुंजाइश और समय ढांचे की औपचारिक नीति घोषणा शीध्र की जाए ताकि सभी प्रारम्भिक गतिविधियों की व्यवस्था की जा सके ।

(ङ) जी, नहीं ।

भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन द्वारा आधार-गत तेल शोधक कारखानों का विस्तार

2712. **श्री बी० बी० देसाई :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन ने छठी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किये जाने वाले दो आधारभूत कारखानों में से एक का विस्तार करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन ने औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इण्डियन आयल कारपोरेशन की 5 लाख की क्षमता की तुलना में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन के पास केवल 5.25 मिलियन टन की क्षमता का केवल एक तेल शोधक कारखाना है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन के विस्तार के प्रस्ताव से सहमत हो गई है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक अन्तिम निर्णय लिये जाने की संभावना है;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन के पास केवल एक मात्र शोधन शाला बम्बई में है और जिसकी क्षमता 5·25 मिलियन मी० टन है। इस समय इण्डियन आयल कारपोरेशन की कुल परिशोधन क्षमता लगभग 14·45 मिलियन मी० टन है। मथुरा शोधनशाला को आरम्भ करने के बाद यह बढ़ कर 20·45 मिलियन मी० टन हो जाएगी।

(घ) और (ङ) सरकार ने वर्तमान शोधनशाला की क्षमता को 6 मिलियन मी० टन प्रति वर्ष तक का विस्तार करने हेतु बी० पी० सी० एल० के प्रस्ताव को पहले से ही अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

मध्य प्रदेश में गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र के लिए स्थापना स्थल

2713. **श्री बी० बी० देसाई :**

श्री केयूर भूषण : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई हाई गैस संयंत्र की स्थान चयन समिति ने मध्य प्रदेश में पांचवें गैस पर आधारित संयंत्र के लिये 4 सम्भावित स्थानों को चुना है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने छठी योजना के दौरान चौथे निर्माणाधीन संयंत्र के अतिरिक्त छठी बम्बई हाई गैस उर्वरक संयंत्र लगाने का निर्णय किया है; और

(ग) क्या पांचवें संयंत्र के लिये स्थान का चयन कर लिया गया है और क्या छठे संयंत्र के लिये स्थान का चयन होना है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी): (क) स्थल चयन समिति, गैस पर आधारित प्रस्तावित 6 अतिरिक्त उर्वरक संयंत्रों की स्थापना के लिये, जिसमें मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाने वाला एक संयंत्र भी सम्मिलित है, राज्य सरकारों द्वारा सुझाये गये विभिन्न सम्भावित स्थानों की जांच कर रही है।

(ख) और (ग) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान गैस पर आधारित सभी 6 अतिरिक्त उर्वरक संयंत्रों पर एक चरणबद्ध तरीके से कार्य प्रारंभ करने का विचार है। इन संयंत्रों

के सही स्थान का निर्णय, स्थल चयन समिति की सिफारिशें उपलब्ध होने के पश्चात ही किया जा सकता है ।

भारतीय प्रतिनिधि मण्डल की रूस यात्रा

2714. **श्री बी० बी० देसाई :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्टूबर, 1981 के अन्तिम सप्ताह में मास्को में संयुक्त कार्यकारी ग्रुप ने भारत और रूस के बीच कोयला उद्योग के नये क्षेत्रों में सहयोग के बारे में बातचीत की;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने रूस की यात्रा की;

(ग) यदि हां, तो क्या भारत ने नये क्षेत्रों में कोयले की खोज के लिये संयुक्त रूप से कार्य करने के बारे में कोई समझौता हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो उपयुक्त समझौते की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां । "आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग संबंधी भारत-सोवियत संयुक्त आयोग" के कोयला उद्योग संबंधी कार्यकारी दल की एक बैठक मास्को में 28 सितम्बर, 1981 से 4 अक्टूबर, 1981 के दौरान हुई थी ।

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ) जी, हां । समझौते में अन्य बातों के साथ-साथ सहयोग के निम्नलिखित नए क्षेत्रों का भी उल्लेख है :—

(1) सिंगरेनी कोलया क्षेत्र के कोयला भण्डारों का विकास ।

(2) तालचेर कोयला क्षेत्र के उपयोग के लिए मास्टर प्लान बनाना ।

(3) झरिया कोयला क्षेत्र के दामुदा ब्लाक के कोककर कोयला भण्डारों के अन्तत: उपयोग के लिए धारणात्मक रिपोर्ट तैयार करना ।

राष्ट्रीयकृत कोयला क्षेत्रों द्वारा "बी हाइव हार्ड कोक" का उत्पादन

2715. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक ओर खुले बाजार में खुली बिक्री के लिए देन हेतु "बी हाइव हार्ड कोक" का उत्पादन करने के लिए भारत कोल कंपनी की पुराने किस्म की भट्टियों में प्राइम कोकिंग कोल के नष्ट होने तथा दूसरी ओर खुद कुकिंग कोल की कमी के कारण 1000 रु० प्रति मीटरी टन की लागत पर कुकिंग कोल के आयात के बारे में इन्डस्ट्रीज एण्ड कोमर्स एसोसिएशन धनबाद द्वारा ऊर्जा मंत्रालय को एक ज्ञापन भेजा गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस्पात संयंत्रों के लिए प्रतिमाह लगभग, 70,000 मीटरी टन बहुमूल्य मटालर्जिकल कोयले की बचत करने हेतु सरकार का विचार राष्ट्रीयंकृत कोयला क्षेत्र अथवा लघु क्षेत्र की इकाइयों अथवा कोयला उत्पादक कंपनियों द्वारा वर्तमान प्रणाली से "वी हाइव हार्ड कोक" के उत्पादन की आवश्यकता की जांच कराने के लिये एक विशेष समिति नियुक्त करने का है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) इस प्रकार का ज्ञापन प्राप्त हुआ है और मामले की जांच हो रही है।

दिल्ली में टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार

2716. **श्री बालकृष्ण वासनिक** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में इस समय के प्रत्येक टेलीफोन ऐक्सचेंज का विस्तार करने के बारे में क्या कार्यक्रम है;

(ख) दिल्ली के उन टेलीफोन एक्सचेंजों के नाम क्या हैं, जो अधिकतम क्षमता का उपयोग कर रहे हैं;

(ग) दिल्ली के उन टेलीफोन ऐक्सचेंजों के नाम क्या हैं जहां अधिक क्षमता अर्थात् 95 प्रतिशत क्षमता तक टेलीफोन कनेक्शनों की मंजूरी नहीं दी गई है;

(घ) क्या सभी ऐक्सचेंजों से ऐक्सचेंज की 95 प्रतिशत क्षमता तक कनेक्शन देने का कोई कार्यक्रम है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं और ऐक्सचेंज की 95 प्रतिशत क्षमता तक कनेक्शन कब तक दिये जायेंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) दिल्ली में मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंजों में से प्रत्येक के विस्तार का कार्यक्रम विवरण-1 में दिया गया है।

(ख) एक्सचेंजों की सूची विवरण-2 में दी गई है।

(ग) उन एक्सचेंजों, जो 94% तक भारित नहीं है, की सूची विवरण-3 में दी गई है। विभागीय मानदंडों के अनुसार एक्सचेंज 94% (न कि 95%) तक की अधिकतम क्षमता तक भारित किए जा सकते हैं।

(घ) एवं (ङ) जी हां। संबंधित एक्सचेंज का विस्तार निर्धारित होने से पहले इन एक्सचेंजों को उत्तरोत्तर 94% तक भारित किया जाएगा।

विवरण-1

दिल्ली में मौजूदा एक्सचेंजों में से प्रत्येक के विस्तार का कार्यक्रम

एक्सचेंज का नाम	लाइनों की संख्या सहित चालू किए जाने का संभावित वर्ष			
	81-82	82-83	83-84	84-85
1	2	3	3	4
नेहरू प्लेस-2	10,000	—	—	—
नेहरू प्लेस-3	—	—	10,000	10,000 विस्तार (10000-2000)
टेलेक्स एक्सचेंज	300 (1800 लाइनों के बराबर)	—	—	—
शाहदरा पूर्व-2	—	1000	1000 विस्तार (1000-2000)	—
शाहदरा दक्षिण एस. पी. सी.	—	—	—	8000 लाइनें
जनपथ-2 विस्तार	—	1000 (विस्तार (3000-4000	2000 विस्तार (4000-6000)	—
फरीदाबाद विस्तार	—	1200 विस्तार (3900-5100)	—	—
गाजियाबाद-2 विस्तार	—	2000 विस्तार (2000-4000)	—	—
करोलबाग-2	—	10,000	—	—
करोलबाग-4 एस. पी. सी.	—	—	10,000	10,000 विस्तार (10,000-20,000)
चाणक्यपुरी-1 विस्तार	—	500 विस्तार (6900-7400)	1000 विस्तार (7400-8400)	—

1	2	3	4	5
चाणक्यपुरी-2	—	5000	5000 विस्तार (5000-10000)	—
ईदगाह-3	—	10,000	—	—
ईदगाह-4	—	—	10,000	—
हौजखास-1 विस्तार	—	1600 विस्तार (5000-6600)	1000 विस्तार (6600-7600)	—
शक्तिनगर विस्तार	—	—	(10000 विस्तार (10,000-20,000)	—
शक्तिनगर एस. पी. सी.	—	—	—	10,000
तीस हजारी विस्तार (लेबल 25)	—	—	10,000 विस्तार (10000-20000)	—
तीस हजारी एस. पी. सी.	—	—	10,000	10,000 विस्तार (10,000-20,000)
किदवई भवन	—	—	10,000	—
सेना भवन	—	—	10,000	—
बहादुरगढ़ मंडी	—	—	900	—
बल्लभगढ़	—	—	1,500	—
नांगलोई (एम.ए. एक्स.-11)	—	—	200	—

विवरण-2

दिल्ली में अधिकतम क्षमता तक काम करने वाले एक्सचेंजों के नाम

1. सचिवालय
2. राजपथ
3. कनाट प्लेस
4. ईदगाह
5. शाहदरा-पूर्व
6. शाहदरा
7. जोरबाग
8. ओखला
9. हौजखास
10. चाणक्यपुरी
11. नेहरू प्लेस
12. फरीदाबाद
13. बल्लभगढ़
14. शक्तिनगर
15. बादली
16. नांगलोई

विवरण-3

उन एक्सचेंजों के नाम जहां क्षमता के 95% तक टेलीफोन कनेक्शन अभी तक मंजूर नहीं किए गए

1. जनपथ
2. तीस हजारी
3. दिल्ली गेट
4. गाजियाबाद-II
5. गाजियाबाद-I
6. प्रगति मैदान
7. बदरपुर
8. दिल्ली कैंट
9. करोलबाग
10. राजौरी गार्डन
11. जनकपुरी
12. अलीपुर
13. बहादुरगढ़
14. नजफगढ़
15. नरेला

दिल्ली के लिए "फ्रीक्वेंसी माड्यूलेशन" प्रसारण व्यवस्था

2717. **श्री कमल नाथ :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अगले वर्ष से 'फ्रीक्वेंसी माड्यूलेशन' प्रसारण व्यवस्था शुरू किए जाने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली में फ्रीक्वेंसी माड्यूलेशन सेवा 1982 के उत्तरार्थ में शुरू होने की संभावना है।

केन्द्रीय सूचना सेवा के काडर पर पुर्नविचार

2718. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय ने कितनी बार केन्द्रीय सूचना सेवा के त्रैवार्षिक काडर पर सरकार की सामान्य नीति के अनुसार पुर्नविचार करने का प्रस्ताव किया तथा उस पर अमल किया और इसके क्या परिणाम निकले;

(ख) इस बारे में नवीनतम प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय सूचना सेवा के मूल नियमों में अब तक कितनी बार संशोधन किए गए; और

(घ) यह संशोधन केन्द्रीय सूचना सेवा की कार्य पद्धति को दक्ष बनाने में कितने सफल रहे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) केन्द्रीय सूचना सेवा का अभी तक कोई त्रैवार्षिक संवर्ग पुनरीक्षण नहीं किया गया है। तथापि, एक प्रस्ताव शुरू किया गया है जिसमें आवश्यक रूप से यह सोचा गया है : --

(1) केन्द्रीय सूचना सेवा के विभिन्न ग्रेडों में पदों की स्वीकृत संख्या को युक्तिसंगत बना कर उक्त सेवा के वर्तमान ढांचे में असंतुलनों को दूर करना ताकि पदधारियों को पदोन्नति, आदि के रूप में पर्याप्त अवसर प्राप्त हो सकें।

(2) दो नये वेतनमान वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (लेवल-1) (2500-2750 रु०) और वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (लेवल-2) (2250-2500 रु०) चालू करना; और

(3) 1500-1800 रुपए और 1800-2000 रुपए के वर्तमान दो वेतनमानों को 1500-2000 रुपए के एक नये वेतनमान में मिला कर वेतन ढांचे को युक्ति संगत बनाना।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सूचना सेवा नियम, 1959 को इस सेवा के बेहतर प्रबन्ध के हि में तथा, जैसा कि नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित हैं, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से अब तक 81 बार संशोधित किया जा चुका है।

एक सौ जिलों के विकास के लिए फिरोजपुर-जिरखा के समान संचार प्रणाली

2719. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने फील्ड पब्लिसिटी निदेशालय के अन्तर्गत देश में एक सौ जिलों के विकास के लिये फिरोजपुर-जिरखा के समान संचार प्रणाली का विस्तार करने के लिए अभियान चलाने का निर्णय लिया है;

(ख) इस अभियान की अब तक की प्रगति क्या है और इस अभियान से लाभान्वित होने वाले जिलों के नाम क्या हैं; और

(ग) पिछले तीन सालों की तुलना में पिछले 12 महीनों में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार के लिये मूल स्तर पर फील्ड पब्लिसिटी के कितने एककों ने निर्धारित मानकों को पूरा किया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (कु० कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी, हां। अगस्त, 1978 में फिरोजपुर जिरखा में चलाए गए एक अभियान की भांति चुनिन्दा क्षेत्रों के लिये गहन प्रचार के एक कार्यक्रम की क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय द्वारा योजना बनाई जा रही है। क्षेत्र पहुंच पद्धति का उपयोग करके देश के विभिन्न भागों में गहन प्रचार अभियान चलाने के लिये अनेक क्षेत्रीय प्रचार यूनिटों को एकजुट किया जायेगा। उद्देश्य देश के लगभग 60 जिलों को वारी-वारी से प्रति मास कवर करना है।

(ख) यह कार्यक्रम इस मास से शुरू हो रहा है। इस मास के दौरान कवर किये जाने वाले 62 जिलों/क्षेत्रों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) वर्ष 1978, 1979 और 1980 तथा वर्ष 1981 के पहले 9 मास के दौरान यात्रा दिवसों, फिल्म शो, गीत और नाटक कार्यक्रमों, मौखिक संचार कार्यक्रमों और फोटो प्रदर्शनियों के बारे में, प्रचार के लिए निर्धारित मानदण्डों की तुलना में किए गये कार्य का ब्यौरा इस प्रकार है :—

1978	:	102·8%
1979	:	95·6%
1980	:	83·0%
1981 (जनवरी-सितम्बर)	:	31·4%

विवरण

दिसम्बर के दौरान कवर किये जाने वाले जिलों/क्षेत्रों के नाम

आंध्र प्रदेश

1. अदिलाबाद
2. विशाखापतनम
3. कुडप्पा

अरुणाचल प्रदेश

4. सुबंसरी

बिहार (उत्तर)

5. मुंगेर
6. फारबेसगंज
7. मोतिहारी

बिहार (दक्षिण)

8. गुमला
9. दुमका
10. डालटन गंज

गुजरात

11. पालनपुर
12. राजकोट
13. बड़ोदा

जम्मू और काश्मीर

14. जम्मू
15. पूंच
16. राजौरी
17. कठुआ

कर्नाटक

18. मंगलोर
19. चिकमंगलूर
20. बेलगांव

केरल

21. विनाड
22. क्वीलोन
23. एर्नाकुलम

मध्य प्रदेश (पूर्व)

24. जगदलपुर
25. सिधी
26. मण्डला

मध्य प्रदेश (पश्चिम)

27. झबुआ
28. गुना
29. दमोह

महाराष्ट्र

30. अहमदनगर
31. रत्नगिरी
32. चन्द्रपुर

नागालैंड और मणिपुर

33. त्यूनसांग
34. इम्फाल

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र

35. तुजपुर
36. दीपू
37. सिल्चर

उत्तर-पश्चिम क्षेत्र

38. हमीरपुर-उना
39. होशियारपुर
40. नारनौल

उड़ीसा

41. फूलबनी
42. क्योंझर
43. म्यूर भंज

राजस्थान

44. बीकानेर
45. सवाईमोधापुर
46. खैर वाड़ा (उदयपुर)
47. जोधपुर

तमिलनाडु

48. सलेम
49. रामनाथपुरम
50. नार्थ अरकोट

उत्तर प्रदेश (उत्तर-पश्चिम)

51. बदायूं
52. मुरादाबाद
53. बिजनौर

उत्तर प्रदेश (मध्य-पूर्व)

54. गोंडा
55. लखीमपुर खेड़ी
56. बांदा

पश्चिम बंगाल (उत्तर)

57. गंगतोक
58. जलपाईगुड़ी
59. रायगंज

पश्चिम बंगाल (दक्षिण)

60. पुरुलिया
61. मिदनापुर
62. चिन्सुरा

स्थानान्तरण और नियुक्ति सम्बन्धी नीति

2720. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के पास स्थानान्तरण और नियुक्ति के बारे में कोई नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय सूचना सेवाओं के श्रेणी-I, ग्रेड-1 कनिष्ठ प्रशासकीय ग्रेड और वरिष्ठ प्रशासकीय ग्रेड के अधिकारियों के हाल में किये गये स्थानान्तरण और नियुक्तियों में इस नीति का कितना अनुपालन किया गया और प्रत्येक स्तर पर ऐसे कितने अधिकारी हैं जो वहीं पर छः साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं; और

(घ) क्या यह सच है कि कुछ अधिकारियों का स्थानान्तरण जल्दी-जल्दी कर दिया है जब कि कई अधिकारी कई सालों तक एक ही आफिस में बने रहते हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) जहां तक केन्द्रीय सूचना सेवा के अधिकारियों के स्थानान्तरण और उनकी तैनाती का संबंध है, नीति का ब्यौरा दर्शाने वाले संबंधित अनुदेशों की प्रतियां परिशिष्ट-1 और 2 पर हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 3038/81]

(ग) और (घ) स्थानान्तरण नीति में निहित मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुसरण किया जाता है सिवाए तब, जैसा कि नीति में ही व्यवस्था है, जब सेवा की आवश्यकताओं के कारण निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले स्थानान्तरण करना आवश्यक हो जाए।

एक विवरण परिशिष्ट-3 पर है जिसमें प्रत्येक माध्यम एकक के उन अधिकारियों की संख्या दी हुई है जो एक ही विशिष्ट ग्रेड में 6 वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-3038/81]

प्रकाशन विभाग द्वारा की गई कुल बिक्री

2721. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रकाशन विभाग ने पिछले वित्त वर्ष में और चालू वित्त वर्ष के पहले छः महीनों में कुल कितनी बिक्री की;

(ख) प्रकाशन विभाग की किताबों की वास्तविक बिक्री कितनी हुई और नेशनल बुक ट्रस्ट, चिल्ड्रन्स बुक ट्रस्ट, साहित्य अकादमी और राष्ट्रीय शैक्षिक और अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद जैसे अन्य प्रकाशन संगठनों की कुल बिक्री कितनी हुई; और

(ग) उनके मंत्रालय ने शीर्षकों और प्रकाशनों की ओवर लेपिंग और डुप्लीकेशन को रोकने के लिए उपाय किए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कु० कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) प्रकाशन विभाग ने पिछले वित्तीय वर्ष में 1,65,62,947.11 रुपए और चालू वित्तीय वर्ष के पहले 6 मास में 1,26,58,211.85 रुपए की बिक्री की थी।

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष में प्रकाशन विभाग की पुस्तकों की वास्तविक बिक्री 56,55,692.61 रुपए हुई थी और राष्ट्रीय बुक ट्रस्ट, साहित्य आकादमी, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद आदि जैसे अन्य संगठनों की बिक्री 1,09,07,254.50 रुपए हुई थी। चालू वित्तीय वर्ष

के पहले 6 मास में प्रकाशन विभाग के प्रकाशनों की बिक्री 21,72,211.25 रुपए और इसी अवधि के दौरान अन्य संगठनों की बिक्री 1,04,86,000.00 रुपए हुई थी।

(ग) प्रकाशनों की डुप्लीकेशन को रोकने के लिए राष्ट्रीय बुक ट्रस्ट, भारतीम कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, साहित्य आकादमी आदि जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के संबंधित संगठनों के साथ आवधिक समन्वय बैठकें की जाती हैं। उक्त संगठनों के प्रकाशन कार्यक्रमों के आदान-प्रदान के माध्यम से भी डुप्लीकेशन को रोकने का प्रयास किया जाता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा गठित सलाहकार समिति भी इस पहलू को देख रही है।

नई परियोजनाओं को शुरू करने के लिए प्रस्तावित और संशोधित तारीखें और परियोजनाओं को देर से शुरू करने के कारण लागत में होने वाली वृद्धि

2722. **श्री अटल बिहारी बाजपेयी :**

श्री सूरज भान :

श्री एन० के० शेजवलकर : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में निर्माणाधीन नई विद्युत परियोजनाओं के शुरू होने की निर्धारित तथा संशोधित तारीखें क्या हैं तथा इन्हें चालू होने में विलम्ब के कारण प्रत्येक मामले में लागत में अनुमानित कितनी वृद्धि हुई है; और

(ख) पिछली 3 पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान चालू की गई प्रत्येक विद्युत परियोजना के विलम्ब से चालू होने के कारण उसकी लागत में कितनी वास्तविक वृद्धि हुई ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) सभी विद्युत परियोजनाओं को चालू करने की गहन मानीटरिंग राज्य स्तर तथा केन्द्रीय स्तर पर की जा रही है। परियोजनाओं को समय पर चालू करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। परियोजनाओं को निर्धारित समय पर चालू करने में हुए विलम्ब के कारण ही लागत में हुई बढ़ोतरी को ठीक-ठीक बता सकना कठिन है क्योंकि यह बहुत से कारणों पर निर्भर करती है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जिन संशोधित अनुमानों पर कार्रवाई की गई है उनसे पता चलता है कि सामग्री तथा मजदूरी की लागतों में प्रतिवर्ष 8% से 12% तक वृद्धि होने की प्रवृत्ति रही है। तथापि, निर्माणधीन ताप-विद्युत तथा जल-विद्युत स्कीमों की यथा उपलब्ध मूल तथा संशोधित अनुमानित लागत संलग्न है (विवरण-एक तथा दो)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-3039/81]

दिल्ली दूरदर्शन से हिन्दी फिल्मों का पुर्नप्रसारण

2723. **श्री एन० ई० होरो :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राजधानी के टेलीविजन प्रसारणों में हिन्दी फिल्मों का पुनर्प्रसारण होने लगा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1980 और 1981 में अब तक ऐसी कितनी फिल्में है जो दुबारा दिखाई गई हैं, और

(ग) तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क), से (ग) सामान्यतया फीचर फिल्मों को तीन वर्ष के अन्दर पुन : टेलीकास्ट नहीं किया जाता। तथापि, कभी-कभी दर्शकों की मांग,

किसी अवसर विशेष के अनुरूप विषय वली फिल्म को दिखाने की आवश्यकता, निर्धारित फिल्म के अंतिम क्षण में न मिलने, आदि के कारण फिल्मों को पुन: टेलीकास्ट किया जाता है।

1980 और 1981 में दूरदर्शन केन्द्र दिल्ली से कोई भी फिल्म पुन: टेलीकास्ट नहीं की गई थी।

भाप बनाने के लिए ईंधन तेल का उपयोग करने वाले बड़े उद्योग

2724. **श्री एन० ई० होरो** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के बड़े उद्योग भाप बनाने के लिए ईंधन तेल का प्रयोग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ऊंचे दाब वाले बायलर लगाने से उसी ईंधन से भाप और बिजली बनाने की कोई संभावना है;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि प्राय: सभी कागज के कारखाने; तेल शोधन के कारखाने, उर्वरक और पेट्रोकेमिकल्स कारखाने भाप और बिजली के उत्पादन के लिए इस पूर्ण ऊर्जा सिद्धांत को उसी ईंधन के उपयोग से उपयोग में ला सकते हैं जो ईंधन इस समय बिजली पैदा करने के लिए अलग से प्रयोग में लाया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) अधिकांश बड़े उद्योग भाप बनाने के लिए प्रमुखतया कोयले का प्रयोग करते हैं। तथापि, उपभोक्ताओं के पास पर्याप्त मात्रा में उचित किस्म के कोयले की उपलब्धता संबंधी कठिनाइयों के कारण, पर्यावरण संबंधी दृष्टिकोण से या वर्तमान बायलरों की डिजाइन केवल तेल को ही ईंधन के रूप में इस्तेमाल किये जाने योग्य बने होने के कारण कुछ उद्योगों में वाष्प बनाने के लिए बायलरों में ईंधन तेल का प्रयोग किया जाता है।

(ख) जी, हां, जिन उद्योगों में अधिक वाष्प की आवश्यकता होती है उनमें उपयुक्त प्रकार के बायलरों और टर्बाइनों को लगाकर विद्युत उत्पन्न की जा सकती है।

(ग) जी, हां।

(घ) सरकार की नीति यह है कि सकल ऊर्जा संकल्पना के अनुसार कैप्टिव उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाय, विशेषकर ऐसे उद्योगों में जहां प्रक्रिया वाष्प की अधिक मात्रा में आवश्यकता है। कोयले पर आधारित कैप्टिव विद्युत संयंत्रों की स्थापना के सम्बन्ध में प्रस्तावों पर उनके गुण-दोषों के आधार पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाता है। बहुत से उद्योगों में इस प्रकार की सुविधा है।

टेलकम फैक्ट्री बम्बई में बोनस के भुगतान के बारे में विवाद

2725. **श्री जार्ज फर्नाण्डीस** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलकम फैक्ट्री बम्बई के अनेक कर्मचारी बोनस के भुगतान के बारे में विवाद के कारण गिरफ्तार किए गए हैं और उन्हें निलम्बित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार विवाद को तुरन्त हल करने पर विचार रही है?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) और (ख) जी, नहीं। दूरसंचार फैक्ट्री बम्बई के कर्मचारियों को बोनस के भुगतान से सम्बन्धित विवाद को लेकर गिरफ्तार नहीं किया गया तथा निलम्बित नहीं किया गया। कुछ कर्मचारी कई महीनों से फैक्ट्री में दुराचार तथा गैर कानूनी हरकतें कर रहे थे। एक घटना के संबंध में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और परिणामस्वरूप उन्हें निलम्बित कर दिया गया।

(ग) चूंकि मामले में अभी पुलिस जांच कर रही है अत: इस स्तर पर इस संबंध में आगे कोई कार्यवाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

कोयले के उत्पादन में सुधार

2726. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इस वर्ष सितम्बर में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कोयले का उत्पादन 14.1% बढ़ा है;

(ख) क्या सभी कंपनियों के उत्पाद में सुधार हुआ है और सेन्ट्रल कोल फील्ड्स के उत्पादन में 16% का सुधार हुआ है;

(ग) क्या यह सच है कि अप्रैल से सितम्बर तक के छः महीने के दौरान संचयी उत्पादन में वृद्धि हुई है, यदि हां तो कितनी;

(घ) सितम्बर के बाद अब तक कोयले के उत्पादन की स्थिति क्या है; और

(ङ) देश में कोयले के बढ़े हुए उत्पान की प्रवृत्ति को बनाये रखने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) सितम्बर 1981 के दौरान देश में कोयला उत्पादन 92.85 लाख टन था जबकि इसके मुकाबले सितम्बर, 1980 के दौरान कोयला उत्पादन 80.81 लाख टन था। इस प्रकार सितम्बर, 1980 के उत्पादन की तुलना मे 14.9% की वृद्धि हुई है।

(ख) जी, हां। कोल फील्ड्स लि० ने अपने सितम्बर, 1980 के उत्पादन के मुकाबले सितम्बर, 1981 में 18.2% की वृद्धि की है।

(ग) अप्रैल-सितम्बर, 1981 के दौरान संचयी उत्पादन 549.80 लाख टन हुआ जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष उत्पादन 500.84 लाख टन था। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में 9.8% की वृद्धि हुई।

(घ) अक्टूबर और नवम्बर, 1981 में कोयला उत्पादन क्रमश: 9.60 मि० टन और 10.68 मि० टन था जो पिछले वर्ष के उन्हीं महीनों की तुलना में 11.3% और 17.3% अधिक रहा। अप्रैल-नवम्बर, 1981 के दौरान कोयला उत्पादन का अनुमान 752.50 लाख टन लगया गया है जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष की इसी अवधि का उत्पादन 677.58 लाख टन था। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में 11.1% की वृद्धि हुई।

(ङ) कोयला उत्पादन में वृद्धि करने और उसे बनाये रखने के लिए उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी है - अनुपस्थिति पर नियंत्रण, आधारभूत सुविधाओं में सुधार, नई खानों की स्वीकृति. बंगाल-बिहार कोयला क्षेत्रों में ग्रहीत विद्युत उत्पादन क्षमता के लिए संयत्र लगाना, संबन्धित राज्य सरकारों से परामर्श करके कोयला खनन के प्रयोजन के लिए भूमि अधिग्रहण में शीघ्रता करना।

जामनगर में प्रधान डाकघर के लिए नये भवन का निर्माण

2727. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में जामनगर के प्रधान डाकघर के लिए नये भवन के निर्माण की प्रगति क्या है;

(ख) पुराना भवन कब गिराया गया था;

(ग) नये भवन का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ;

(घ) निर्माण कार्य के पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) जामनगर शहर के निवासियों के हित में निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) से (ङ) पुरानी इमारत 2-1-1981 को तोड़ दी गई थी। नई इमारत बनाने का निर्णय ले लिया गया है तथा निर्माण

कार्य अगस्त 1981 में शुरू कर दिया गया था। इमारत के जनवरी, 1983 में बनकर तैयार होने की उम्मीद है।

नई इमारत का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने में विलम्ब इस कारण हो रहा है क्योंकि निविदाएं 5 बार आमन्त्रित करनी पड़ीं। पहली निविदा अगस्त 1979 में तथा दो निविदाएं दिसम्बर, 1979 में प्राप्त हुई थीं, इन निविदाओं को इस कारण रद्द करना पड़ा क्योंकि उनमें दी गई दरें बहुत अधिक थीं। इसी दौरान निर्माण कार्य से संबंधित नक्शों में कुछ परिवर्तन किया गया तथा संशोधित नक्शे मार्च 1980 में जारी किए गए। इन परिवर्तनों के कारण जामनगर नगरपालिका की मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक हो गया जो जुलाई 1980 में प्राप्त हुई। पालिका की मंजूरी प्राप्त हो जाने के बाद, 3-9-1980 तथा 14-11-80 को निविदाएं आमंत्रित की गई परन्तु कोई उत्तर नहीं प्राप्त हो सका। तदुपरान्त नियत तारीख सहित प्राप्त करने तथा उसके 10-2-81 को खोलने हेतु खुली निविदाएं मांगी गईं।

रुग्ण तेल के कुएं

2728. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रुग्ण तेल के कुओं की क्षेत्रवार संख्या कितनी है;

(ख) तत्सम्बन्धी कारण क्या है और उन्हें पुनः चालू करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) भविष्य में कोई कुआं अधिक समय तक रुग्ण न रहे, इसके लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) रुग्ण कुओं के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

गुजरात	279-
असम	169.
अरुणाचल प्रदेश	1.
योग :	449.

(ख) प्राकृतिक जलाशयों के क्षीण हो जाने और जल-कटौती के कारण अधिक संख्या में कुओं का कृत्रिम उत्थान किया जा रहा है। शेष कुओं को मुख्यतः मामूली तौर पर मरम्मत करने की आवश्यकता है जो तेल और गैस उत्पादन करने वाले कुओं के लिए आमतौर पर की जाती है। कुओं की मरम्मत करने और इन कुओं को कृत्रिम उत्थान के लिए कार्रवाईयां पहले ही आरम्भ की गई हैं।

(ग) उठाये गये कदम निम्न प्रकार हैं :—

1. कार्य-सम्पन्न करने वाले रिगों की संख्या बढ़ाना।

2. 8 अथवा 16 घंटे कार्य करने के स्थान पर इन रिगों को दिन-रात चलाना।

3. प्रक्रिआओं को तेज करने के लिए आधुनिक उपकरण जोड़े जा रहे हैं।

4. कुओं को उत्तेजित करने की योजना बनाई गई है।

5. स्वदेशी उपकरण विकसित करना।

6. ठेका कार्य सम्पन्न सेवाएं।

उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पद

2729. **श्री बापू साहिब परुलेकर :** क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय सहित भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के कितने पद रिक्त हैं;

(ख) ये पद किन तारीखों से रिक्त हैं; और

(ग) क्या राज्य सरकारों द्वारा पेश किया गया कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार ने जनवरी, 1980 के बाद से नामंजूर किया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा और कारण क्या हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) 1.12.1981 को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के दो पद रिक्त थे। इन रिक्त स्थानों को किन्हीं तारीखों से नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि भारत के मुख्य न्यायाधिपति सहित 16 से अधिक न्यायाधीश कभी भी पदासीन नहीं थे। 1.12.1981 को उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 70 पद भरे जाने थे। उनका उच्च न्यायालयवार ब्यौरा और वे तारीखें, जिनको वे पद रिक्त हुए थे, संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियां संविधान के सुसंगत उपबंधों के अनुसार की जाती हैं।

कुल मामलों में राज्य सरकारों द्वारा भेजे गये प्रस्तावों के सम्बन्ध में सहमति नहीं हुई थी। न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामलों में राज्य सरकारों (और अन्य सांविधानिक प्राधिकारियों) से जो परामर्श किए जाते हैं, वे गोपनीय होते हैं और राज्य सरकारों के प्रस्तावों को स्वीकार न करने के बारे में ब्यौरे और कारण बताना लोकहित में नहीं होगा।

विवरण

1.12.1981 को विभिन्न उच्च न्यायालयों में भरे जाने के लिए न्यायाधीशों के रिक्त स्थान

क्र० सं०	उच्च न्यायालय का नाम	रिक्त स्थान	तारीख जिससे स्तंभ 3 में दर्शित स्थान रिक्त हुए हैं
1	2	3	4
1.	इलाहाबाद	10	26.12.1980
			7.2·1981
			19.4.1981
			5.5.1981
			1.8.1981
			19.8.198
			(शेष 4 पदों के संबंध में पाद टिप्पण देखिए)
2.	आंध्र प्रदेश	3	4.7.1980
			23.7.1980
			29.10.1980
3.	मुम्बई	2	(पाद टिप्पण देखिए)
4.	कलकत्ता	7	23.11.1979
			23.11.1979
			23.11.1979
			1.2.1980
			1.11.1980
			28.1.1981
			29.8.1981
5.	दिल्ली	6	28-5-1980
			21-10-1980
			7-6-1980

1	2	3	4
			7-6-1980
			11-9-1981
			11-9-1981
6.	गौहाटी	2	1-3-1980
			(शेष एक पद के संबंध में पाद टिप्पण देखिए)
7.	गुजरात	4	5-11-1980
			5-1-1981
			8-7-1981
			20-8-1981
8.	हिमाचल प्रदेश	1	11-1-1980
9.	जम्मू-काश्मीर	3	23-2-1980
			(शेष 2 पदों के संबंध में पाद टिप्पण देखिए)
10.	कर्नाटक	1	(पाद टिप्पण देखिए)
11.	केरल	1	1-8-1980
12.	मध्य प्रदेश	8	21-2-1980
			21-7-1980
			10-1-1981
			2-9-1981
			(शेष चार पदों के संबंध में पाद टिप्पण देखिए)
13.	मद्रास	4	10-12-1980
			21-1-1981
			9-7-1981
			8-10-1981
14.	उड़ीसा	1	5-11-1980

1	2	3	4
15.	पटना	10	1-1-1981 15-6-1981 1-9-1981 2-11-1981 (शेष 6 पदों के संबंध में पाद टिप्पण देखिए)
16.	पंजाब और हरियाणा	3	19-3-1980 15-10-1980 25-10-1980
17.	राजस्थान	4	15-6-1980 10-7-1980 25-6-1980 (एक पद के संबंध में पाद टिप्पण देखिए)

योग : 70

(टिप्पण :— ये उन तारीखों से, जिनको वे पहली बार भरे जाएंगे, स्वीकृत नए पद हैं। उन्हें अभी पहली बार भरा जाना है)।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों को तकनीकी प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं

2730. श्री के० पी० सिंह देव : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय ने ड्रिलिंग का काम तो बढ़ा दिया है परन्तु अपने तकनीकी कर्मचारियों को ड्रिलिंग में प्रशिक्षण देने के लिए पर्याप्त सुविधाएं देने पर रुचि नहीं ली जिसके कारण तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के पास तकनीकी कर्मचारियों की कमी है;

(ख) क्या समुद्रतटीय और गैर समुद्रतटीय दोनों प्रकार के ड्रिल क्षेत्रों में कर्मचारियों की कमी के कारण काम नहीं हो पा रहा है;

(ग) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में इस समय कर्मचारियों को सेवाकाल में प्रशिक्षण देने की क्या सुविधाएं हैं ताकि वे अपनी तकनीकी योग्यता को अपने सेवाकाल में उपयोग कर सकें; और

(घ) इस प्रकार की सुविधाएं कहां पर दी जा रही है और इससे कितने कर्मचारी लाभान्वित हुए हैं।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) जी नहीं। वर्तमान में, व्यधन कार्मिकों के प्रशिक्षण की आवश्यकताओं का तेल एकक प्राकृतिक गैस आयोग के दो विभागों अर्थात नये रंगरुट (रिक्रूट) के लिये प्रशिक्षण तथा कार्यकारी विकास प्रभाग तथा पुनश्चर्या कार्यक्रमों के लिये इन्स्टीट्यूट आफ ड्रिलिंग टेक्नोलोजी द्वारा ध्यान रखा जाता है। तथापि, आयोग द्वारा प्रशिक्षण आवश्यकताओं की विस्तृत समीक्षा की जा रही है।

(ख) वर्ष 1981-82 की वार्षिक योजना के अनुसार तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की देश के विभिन्न तटीय क्षेत्रों में 34.2 रिग वर्षों के लगाने की योजना है—पश्चिमी क्षेत्र में 14 रिग वर्ष; पूर्वी क्षेत्र में 13.7 रिग वर्ष, केन्द्रीय क्षेत्र में 7.1 रिग वर्ष तथा अपतटीय क्षेत्र में 6.4 रिग वर्ष। योजना की तुलना में, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा 1981-82 वर्ष के दौरान (28.11-1981 तक) लगाये गये गहरे व्यधन रिगों की वास्तविक संख्या नीचे दी गयी है :—

पश्चिमी क्षेत्र	14 रिग
पूर्वी क्षेत्र	15 रिग
केन्द्रीय क्षेत्र	7 रिग
अपतटीय	6 रिग (एक और रिग का जनवरी 1982 में प्रचालन किया जायेगा।
कुल :	42 रिग

सभी 42 रिग अपेक्षित कर्मीदलों के साथ प्रचालन में हैं। आने वाले वर्षों में और रिग लगाने के लिये योजनाएं तैयार की गयी हैं जिसके लिये स्टाफ भर्ती किया जा रहा है।

(ग) जैसाकि उपरोक्त (क) में उल्लेख किया गया है उपरोक्त दोनों केन्द्र व्यापक तथा गहन प्रशिक्षण देने में कार्यरत हैं। कर्मचारियों की तकनीकी कुशलताओं में सुधार के लिये उन्हें व्यधन के विभिन्न विभागों में 'कार्य पर' प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त कैरियर में/प्रगति के अनुरूप उच्च जिम्मेदारियों को संभालने के लिये उपयुक्त वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को प्रबन्ध प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

(घ) उपरोक्त सुविधाएं देहरादून में स्थित हैं। विभिन्न 'इन हाउस' प्रशिक्षण कार्यक्रमों से लाभ उठाने वाले कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है :—

1976-77 में 292, 1977-78 में 206, 1978-79 में 450, 1979-80 में 780 और 1980-81 में 850 और इस वर्ष लगभग 1050 व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है।

मथुरा तेल शोधक कारखाने का उत्पादन

2731. श्री के० पी० सिंह देव : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मथुरा तेल शोधक कारखाने में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अक्तूबर 1981 में व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो गया है;

(ख) इस तेल शोधक कारखाने के निर्माण में ली गई विदेशी सहायता की प्रतिशतता क्या है और इसमें कितने प्रतिशत देशी साधनों का उपयोग किया गया है; और

(ग) पेट्रोलियम उपभोक्ताओं को इसके उत्पादों से तत्काल क्या लाभ होगा और इसके चालू होने से कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होगी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रायोजना का विदेशी मुद्रा घटक 12.2 प्रतिशत निकाला गया है और देशीय सक्षमताओं का उपयोग अधिकतम संभव सीमा तक किया गया है।

(ग) जब शोधनशाला उत्पादन शुरू कर देगी, उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादों की विपुल आवश्यकताओं को पूरा करने के अतिरिक्त, यह शोधनशाला हैवी फीड स्टाक तथा नेफथा पर आधारित उर्वरक संयंत्रों को फीड स्टाक की सप्लाई करेगी और इसके साथ-साथ घरेलू उपयोग के लिए लगभग 1.8 लाख मी० टन एल० पी० जी० का उत्पादन भी करेगी। खनिज तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के दर्ज मूल्यों और उनके परिवहन लागतों को ध्यान में रखते हुए, विदेशी मुद्रा में लगभग 236 करोड़ रुपये की धनराशि की प्रतिवर्ष बचत होगी।

व्यापक पैमाने पर जाली मतदाताओं के नामों का दर्ज किया जाना

2732. श्री आर० एन० राकेश : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2-11-1981 के 'हिंदुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि कुछ राजनीतिक दलों ने बड़े पैमाने पर नए जाली मतदाताओं के नामों के दर्ज किए जाने के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की है और अनेक मन्त्रियों और कांग्रेस (इ) के विधान सभा सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ करने के आरोप लगाए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में निर्वाचन आयोग की प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) सम्भवतः प्रश्नकर्ता का संकेत उस समाचार की ओर है जो इस विषय में तारीख 2 नवम्बर, 1981 के

'टाइम्स आफ इण्डिया' में प्रकाशित हुआ है। जिसमें भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा यूनिट ने विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र जिनके अन्तर्गत कालका, पानीपत, करनाल, अम्बाला कैंट, फरीदाबाद, गुड़गांव और जीन्द भी हैं, में जाली मतदाताओं के नाम दर्ज किए जाने के अभिकथन के बारे में चिंता व्यक्त की थी। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा राज्य के कुछ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के कुछ भागों में निर्वाचक नामावलियों में जाली नाम दर्ज करने के बारे में विनिर्दिष्ट प्रकार की शिकायतों का अन्वेषण करने के लिए अधिकारियों के एक दल की नियुक्ति की थी। इस अध्ययन दल की रिपोर्ट पर आयोग ने निर्वाचक नामावलियों में भूलों को सुधारने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं।

गोरखपुर उर्वरक संयंत्र का उत्पादन

2733. **श्री अशफाक हुसैन : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोरखपुर उर्वरक संयंत्र का उत्पादन गत दस वर्षों के दौरान, वर्षवार कितना रहा है;

(ख) इन्हीं वर्षों में संयंत्र की उत्पादन की क्षमता कितनी थी; और

(ग) उत्पादन में गिरावट के मुख्य कारण क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) गत 10 वर्षों के दौरान गोरखपुर उर्वरक संयंत्र में उर्वरकों की स्थापित क्षमता और उत्पादन निम्न प्रकार है :—

वर्ष	स्थापित क्षमता टन नाईट्रोजन प्रतिवर्ष	उत्पादन टन नाइट्रोजन प्रतिवर्ष
1971-72	80,000	75,900
1972-73	80,000	69,270
1973-74	80,000	64,176
1974-75	80,000	72,772
1975-76	80,000	59,163
1976-77	131,100	95,173
1977-78	131,100	88,757
1978-79	131,100	88,001
1979-80	131,000	51,066
1980-81	131,100	59,814

(ग) उत्पादन में कमी के मुख्य कारण हैं :—विद्युत कटौती, बिजली की खराबी, वाल्टेज का घटना-बढ़ना, कच्चे मालों की कमी और कम्प्रेशरों तथा वायु पृथकीकरण यूनिटों में अपर्याप्तता के कारण निरन्तर कुशलता/क्षमता उपयोग प्राप्त करने में बाधायें।

उत्तर प्रदेश दूरसंचार सर्किल द्वारा बनाए गए निरीक्षण क्वार्टर्स

2734. **श्री सुशील भट्टाचार्य :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1976-1980 की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश दूरसंचार सर्किल द्वारा बनाए गए निरीक्षण क्वार्टर्स की संख्या कितनी है और इनमें से प्रत्येक पर लगाई जाने वाली लागत और आवर्ती लागत दोनों की औसत क्या है;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान कितने एककों का व्यापक तौर पर नवीनीकरण किया गया और इस तरह का खर्च औसतन कितना है; और

(ग) इस अवधि के दौरान कर्मचारी विश्रामगृहों के रखरखाव पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

लखनऊ में पेट्रोल डीलरशिप देने के लिए विज्ञापन

2735. **श्री जयपाल सिंह कश्यप :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली स्थित पेट्रोलियम कारपोरेशन की लखनऊ शाखा की ओर से, 21 अक्तूबर, 1981 के दैनिक 'जागरण' गोरखपुर में प्रकाशित विज्ञापन संख्या 32600/यू० पी० के अनुसार, पेट्रोल डीलरशिप देने के लिए अनुसूचित जातियों के लोगों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे और इस प्रयोजन से 21 अक्तूबर, 1981 को लखनऊ में साक्षात्कार भी लिए गए थे; और

(ख) यदि हां, तो डीलरशिप देने के लिए अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) जी, हां। उक्त विज्ञापन हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा दिनांक 23/24 अगस्त, 1981 को जारी किया गया था।

(ख) ऐसी आशा है कि एक उपयुक्त उम्मीदवार का चयन करने हेतु प्रयोजन हेतु गठित की गई चयन समिति शीघ्र ही अपनी बैठक करेगी।

राष्ट्रीय उर्वरक प्रौद्योगिकी संस्थान

2736. **श्री ए० के० राय** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय उर्वरक प्रौद्योगिकी संस्थान के नाम से दिल्ली के आस-पास एक नया अनुसंधान और विकास संगठन स्थापित किया जा रहा है और सरकार ने उस पर खर्चा उठाया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना की तारीख, इसके कार्य क्षेत्र और किए गए खर्च बताते हुए विस्तृत तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि फर्टीलाइजर (योजना और विकास) इण्डियन लिमिटेड के अन्तर्गत वैसा ही संगठन पहले से सिंदरी में कार्य कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो एक ही प्रकार के दो संगठनो की स्थापना के आधार क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) उर्वरक प्रौद्योगिकी से संबधित अनुसंधान और विकास कार्यकलापों को सुदृढ़ करने के लिये देश में उर्वरक का एक राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है । संस्थान की स्थापना के लिये एक योजना प्रतिपादित करने हेतु एक परियोजना प्रतिपादन समूह का गठन किया गया है । समूह से कहा गया है कि वे उन सुविधाओं का मूल्यांकन करें जो उर्वरक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश में पहले ही विकसित की जा चुकी है, जिसमें फर्टीलाइजर (प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट) इन्डिया लि०, सिंदरी की अनुसंधान और विकास सुविधाएं भी सम्मिलित हैं, और इन कार्यकलापों को सुदृढ़ और समन्वित करने के लिये साधनों के बारे में सुझाव दें । समूह की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात सरकार कार्य क्षेत्र, निवेश, स्थान आदि सहित संस्थान के कार्यकलापों के बारे में निर्णय लेगी ।

डाक तार महानिदेशालय में बी० पी० ओ० एस० और ई० डी० ओ० एस० का दर्जा बढ़ाए जाने के लिए अधिकारियों की समिति

2737. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या सचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके वी० पी० ओ० और डी० पी० ओ० का दर्जा बढ़ा कर डी० एस० ओ० के स्तर तक करने की स्थितियों की जांच करने के लिए डाक तार महानिदेशालय के अधिकारियों की गठित समिति ने इस बीच अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट पर किस प्रकार का निर्णय लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक दिए जाने की और उन पर सरकार द्वारा निर्णय लिए जाने की संभावना है, क्योंकि कार्यभार के 5 घंटों की शर्त पर जोर दिए जाने अथवा दर्जा बढ़ाए जाने के लिए प्रस्तावित शाखा कार्यालयों के साथ 20 बी० ओ० को

समृद्धि करने के परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सुविधाओं के विस्तार कार्य को भारी धक्का पहुंचा है, विलम्ब के क्या कारण हैं और इस प्रश्न की जांच करने के लिए समिति का गठन किस तारीख को किया गया था ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) सार्वजनिक टेलीफोन घरों वाले विभागेतर शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें विभागेतर उप डाकघर बनाने की नीति का अध्ययन करने के लिए अध्ययन दल का गठन किया गया है । अध्ययन दल को पहाड़ी क्षेत्रों में विभागेतर डाकघरों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें विभागीय डाकघर बनाने के मानदडों की पुनरीक्षा करने को भी कहा गया है । अध्ययन दल ने अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) अध्ययन दल का गठन दिनांक 2.5.81 को किया गया था । पहाड़ी क्षेत्रों में विभागेतर डाकघरों का दर्जा बढ़ाने का अतिरिक्त मामला अध्ययन दल को तारीख 15.9.81 को सौंपा गया । चूकि जांच के दौरान देश के विभिन्न क्षेत्रों से आंकड़े एकत्र करना एवं उनका अध्ययन किया जाना है अतः अध्ययन दल अपनी रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं कर सका है । आशा की जाती है कि चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व ही अध्ययन दल का कार्य पूरा हो जायेगा तथा उसकी सिफारिशों पर निर्णय ले लिए जाएंगे ।

तेल का उत्पादन बढ़ाने की योजना

2738. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय देश में उपलब्ध तेल का केवल 1/5 ही निकाला जा रहा है और ज्ञात भंडार में से शेष 4/5 को बिना निकाले ही छोड़ दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिये कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार के पास इस प्रयोजन के लिए आवश्यक सभी आधारभूत संरचना उपलब्ध हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) से (ख) खोज किये गये तेल क्षेत्र में तेल वसूली की प्रतिशतता, प्राकृतिक ऊर्जा की उपलब्धता, तेल और चट्टान जिसमें तेल पाया गया है, के आकार पर निर्भर होगी और 15% से 30% की श्रेणी के बीच हो सकती है । केवल प्रारंभिक वसूली पद्धतियों का प्रयोग करके तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के क्षेत्र से तेल की वसूली क्षेत्र के तेल के औसतन करीब 20% तेल है । तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तेल की वसूली पहलू को बढ़ाने के लिए कई विकसित वसूली पद्धतियों को कार्यान्वित कर

रहा है । आयल इण्डिया के क्षेत्रों में दोनों प्रारंभिक एवं अनुपूरक वसूली प्रक्रियाओं का प्रयोग करके क्षेत्र के तेल से वसूली 30% से 35% की है ।

(ग) से (ङ) दोनों तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इण्डिया लि० तेल वसूली पहलू को बढ़ाने के लिए उपलब्ध अंततम प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके कई विकसित वसूली परि-योजनाओं के कार्यान्वयन का विचार रखते हैं । अहमदाबाद में रिजर्वायर स्टडीज संस्थान के पास कुछ आवश्यक सुविधाएं हैं जिससे इस संबंध में अध्ययन किये जा सकते हैं । इसके अतिरिक्त जहां आवश्यक होगा, अन्य देशों से सहायता प्राप्त की जायेगी ।

दूर संचार उपकरण का आयात

2739. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूर संचार उपकरण का बड़े पैमाने पर आयात करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उपकरण की अनुमानित लागत निकाली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में निविदाएं आमन्त्रित की हैं;

(ङ) यदि हां, तो किन-किन देशों ने अपनी दरें पेश की हैं;

(च) क्या इस सम्बन्ध में कोई अंतिम निर्णय ले लिया गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) स्वीकृत पंचवर्षीय योजना में किए गए प्रावधानों के अनुरूप दूर संचार सेवाओं के विस्तार कार्यक्रम हेतु दूर संचार उपस्कर के आयात की व्यवस्था की जाती है ।

(ख) जी हां ।

(ग) पंचवर्षीय योजना 1980-85 के दौरान आयात की अनुमानित लागत 386.95 करोड़ रु० लगाई जा रही है ।

(घ) विस्तार कार्यक्रम के अनुसार उत्तरोत्तर निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं ।

(ङ) पहले जारी की गई निविदाओं के प्रत्युत्तर में जापान, पश्चिम जर्मनी, स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, इंग्लैंड, यूगोस्लावीया, हंगरी, फ्रांस, स्पेन, कनाडा आदि देशों से प्रस्ताव आए हैं ।

(च) और (छ) क्रमवार एक इलेक्ट्रोनिक किस्म के स्थानीय टेलीफोन स्विचिंग उपस्कर, इलेक्ट्रोनिक टेलेक्स, इलक्ट्रोनिक ट्रंक सचल एक्सचेंज, सूक्ष्मतरंग उपस्कर, यू० एच० एफ० रेडियो

उपस्कर, मल्टी एक्ससेस रेडियो प्रणाली, डिजीटल रेडियो उपस्कर आदि की कुछ मात्रा के आयात के संबंध में अन्तिम निर्णय लिया गया है।

केन्द्रीय विद्युत इन्जीनियर सेवा

2740. **श्री जनार्दन पुजारी : क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र, देश में एक केन्द्रीय विद्युत इन्जीनियर सेवा स्थापित करने की योजना पर विचार करता रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से परामर्श कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो राज्यों की प्रतिक्रिया क्या रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में विद्युत इन्जीनियरों के लिए पहले से ही एक केन्द्रीय सेवा, नामशः केन्द्रीय विद्युत इन्जीयनिरिंग (समूह-क) सेवा है। यह सेवा 1965 में बनाई गई थी। ऊर्जा मन्त्रालय (विद्युत विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन यह सेवा एक सुव्यवस्थित समूह 'क' सेवा है।) सहायक निदेशक के स्तर के और इससे ऊंचे मुख्य इन्जीनियर स्तर-एक तक के विभिन्न इन्जीनियरी पद इस सेवा के संवर्ग में हैं।

(ग) केन्द्रीय सेवा बनाने के लिए राज्य सरकारों से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं होती।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

तलचेर उर्वरक संयंत्र का क्षमता उपयोग

2741. **श्री अर्जुन सेठी : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तलचेर उर्वरक संयंत्र की कुल निर्धारित क्षमता-उपयोग गत दो वर्षों के दौरान (महीनेवार) कितना है;

(ख) क्या यह सच है कि तलचेर उर्वरक संयंत्र को निर्धारित क्षमता-उपयोग देश में सबसे कम है;

(ग) उसके विशेष कारण क्या हैं; और

(घ) राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के हित में उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या विशेष कदम उठाए हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) तलचेर उर्वरक संयंत्र का, उसके प्रारंभ होने की तिथि अर्थात 1.11.1980 से माह-वार क्षमता उपयोग निम्न प्रकार है :—

माह	प्रतिशत क्षमता उपयोग
नवम्बर, 80	6.7
दिसम्वर, 80	8.0
जनवरी, 81	1.3
फरवरी, 81	6.0
मार्च, 81	0.4
अप्रैल, 81	14.5
मई, 81	13 5
जून, 81	10.8
जुलाई, 81	24.9
अगस्त, 81	14.2
सितम्बर, 81	4.5
अक्टूबर. 81	25.9

(ख) जी. हां।

(ग) तलचेर उर्वरक संयंत्र का क्षमता-उपयोग कम होने के मुख्य कारण हैं—वेस्ट हीट वायलर की बार-बार खराबी, कच्ची गैस के पाइपों और कूलरों में जंग तथा रोध, एयर टर्बो कम्प्रेशर के स्टीम टर्बाइन के ब्लेडों की बार-बार खराबी, वायु पृथक्करण संयंत्र के रिजनरेटरों में रिसाव, विद्युत प्रतिबन्ध/खराबी/वाल्टेज का घटना-बढ़ना और कोयले की घटिया किस्म।

(घ) इन समस्याओं पर काबू पाने के लिये उपचारी कार्यवाही की जा रही है। कच्ची गैस के पाइपों और कूलरों की जंग और रेध से सुरक्षा करने के लिये कोरजि गैस (नाइट्स आक्साइड) के हटाने की सुविधा प्रारंभ की गई है। कुछ उपकरणों/संघटकों को बदला गया है। गैसीयकरण में वेस्ट हीट वायलरों और वायु पृथक्करण यूनिटों में रिजनरेटरों के रिसाव को सुधारने के लिये मरम्मत कार्य चल रहा है। कोयले के किस्म के सम्बन्ध में कोयले के सप्लाई-कर्ता मैं. सेन्ट्रल कोलरीज लि० को किस्म में सुधार करने के लिये कोल लाभप्रदत्ता की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिये अनुरोध किया गया है।

छठी योजना के दौरान बहुप्रयोजनीय विद्युत योजनाएं

2742. श्री अर्जुन सेठी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बहुप्रयोजनीय जल विद्युत प्रयोजनाओं के नाम क्या हैं जिनको छठी योजना अवधि के दौरान शुरू किए जाने के लिए विचार किया गया है;

(ख) वे किन-किन राज्यों में स्थापित की जाएंगी और उनके पूरे होने के बाद उनमें मेगावाट में बिजली के उत्पादन संबंधी आंकड़े क्या हैं;

(ग) उनके कार्यान्वियन में कितनी धनराशि खर्च होगी और कितना समय लगेगा; और

(घ) क्या भीमकुंड पनबिजली परियोजना, उड़ीसा छठी योजना के दौरान कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं में एक है, यदि नहीं, तो उसके विशेष कारण क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) 12 बहुद्देश्यीय विद्युत परियोजनाओं की परियोजना रिपोर्टों की जांच इस समय केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/केन्द्रीय जल आयोग में की जा रही है । इन स्कीमों का ब्योरा विवरण में दिया गया है । विद्यमान प्रक्रिया के अनुसार यह आवश्यक है कि बहुद्देश्यीय परियोजनायें पहले योजना आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत की जायें । उसके बाद केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण विद्युत संबंधी हिस्से पर विचार करेगा । इन परियोजनाओं को कार्यान्वयन के लिए तभी हाथ में लिया जा सकता है जब उनकी तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित हो जाए । तथा स्कीमें योजना में शामिल कर ली जायें ।

(घ) भीमकुंड बहुद्देश्यीय परियोजना की संशोधित परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में अगस्त, 1980 में प्राप्त हुई थी । परियोजना रिपोर्ट की जांच केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/केन्द्रीय जल आयोग में की गई है तथा टिप्पणियां परियोजना प्राधिकारियों को भेज दी गई हैं । इन टिप्पणियों के उत्तरों की प्रतीक्षा है । इस स्कीम की तकनीकी-आर्थिक जीवन क्षमता सुनिश्चित हो जाने तथा योजना में शामिल कर लिये जाने के बाद ही इसे कार्यान्वयन के लिए हाथ में लिया जाएगा ।

विवरण

वे बहुद्देश्यीय विद्युत परियोजनाएं जिनकी जांच केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/केन्द्रीय जल आयोग में की जा रही है

क्र० सं०	स्कीम	राज्य	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	विद्युत के हिस्से की अनुमानित लागत (करोड़ रु० में)	परियोजना रिपोर्ट में यथा परिकलित निर्माण अवधि
1.	शाहपुर मन्डी	पंजाब	94	102.0	5
2.	सरदार सरोवर	गुजरात/महाराष्ट्र/मध्य प्रदेश	1200	524.0	10

1	2	3	4	5	6
3.	हसदेव	मध्य प्रदेश	120	40.97	6
4.	बानसागर (टांज जल विद्युत)	मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश	390	195.82	7
5.	मनन्त आवादी	केरल	240	69.12	7
6.	भीमकुण्ड	उड़ीसा	738	304.10	9
7.	थौबल	मणिपुर	7.5	3.20	10
8.	कारापाड़ा कुरयारकुट्टी	केरल	95	3`.10	10
9.	रेणुका बांध	हिमाचल प्रदेश	40	44.62	9
10.	किशऊ	उत्तर प्रदेश	600	278.74	11
11.	सिध	मध्य प्रदेश	75	39.31	6
12.	ओरछा	मध्य प्रदेश	90	37.48	5

तलचेर उर्वरक संयंत्र में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की पदोन्नति

2743. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री तलचेर उर्वरक संयंत्र में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की पदोन्नति के बारे में 14 अप्रैल, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7459 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उर्वरक निगम के तलचेर एकक में 1975-1980 के वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कितने कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया;

(ख) उन कर्मचारियों की खासकर तृतीय श्रेणी में, संख्या कितनी है जिनके नामों पर, रोस्टर के अनुसार पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया गया;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ मामलों में, इस तरह के पदों को निर्धारित समय के अन्दर अनारक्षित घोषित किए बिना, सामान्य वर्ग से इस तरह के पदों को भर लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो खास तौर पर तृतीय श्रेणी में वर्ष 1980-81 और 1981-82 के लिए इस समय विद्यमान रोस्टर का ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पश्चिम बंगाल को फरक्का तथा बिहार और उड़ीसा की अन्य सुपर ताप बिजली परियोजनाओं से बिजली की सप्लाई

2744. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल स्थित राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की फरक्का सुपर ताप विद्युत परियोजना की योजना के अनुसार पुर्ण क्षमता कितनी है और उससे पश्चिम बंगाल को कितनी मात्रा में बिजली उपलब्ध होगी; और

(ख) राष्ट्रीय ताप बिजली निगम की बिहार और उड़ीसा में प्रस्तावित सुपर ताप विद्युत परियोजनाओं की योजना के अनुसार पूर्ण क्षमता कितनी है और इससे पश्चिम बंगाल को कितनी मात्रा में बिजली उपलब्ध होगी ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम फरक्का सुपर ताप विद्युत परियोजना के 3×200 मेगावाट के यूनिटों वाले 600 मेगावाट के चरण-1 का कार्यान्वियन कर रहा है। इस केन्द्र की आयोजना 2100 मेगावाट की चरम प्रतिष्ठापित क्षमता के लिए की गई है। फरक्का परियोजना के 600 मेगावाट के चरण-1 से पश्चिम बंगाल को 205 मेगावाट विद्युत आबंटित की गई है।

राष्ट्रीय ताप विद्धुत निगम ने कहलगांव और तलचेर में 2800-2800 मेगावाट की चरम क्षमता के सुपर ताप विद्युत केन्द्र प्रतिष्ठापित करने के लिए व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार की हैं। कहलगांव परियोजना के चरण-1 को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति दे दी है।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा जब भी पूर्वी क्षेत्र में केन्द्रीय सेक्टर की ताप विद्युत परियोजनाएं हाथ में ली जायेंगी तब पश्चिम बंगाल समेत इन केन्द्रों से पैदा की जाने वाली विद्युत के आवंटन का निर्धारण केन्द्रीय क्षेत्र के ऐसे ताप विद्युत केन्द्रों से विद्युत के आवंटन के लिये स्वीकृत नीति के अनुसार किया जायेगा।

महात्मा गाँधी पर फिल्म के संबंध में नवजीवन न्यास और इन्डो-ब्रिटिश फिल्म लिमिटेड के बीच विवाद

2745. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर फिल्म निर्माण के मसले पर नवजीवन ट्रस्ट और इण्डो-ब्रिटिश फिल्म लिमिटेड के मध्य एक विवाद उठ खड़ा हुआ था;

(ख) यदि हां, तो विवाद के कारण क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि इस बीच उनके विवाद का निपटारा हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो समझौते का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां ।

(ख) नवजीवन ट्रस्ट ने "गांधी" नामक फिल्म की स्क्रिप्ट में कापीराइट के मसले पर एक विवाद खड़ा कर दिया था ।

(ग) जी, हां ।

(घ) इन्डो-ब्रिटिश फिल्म्स ने नवजीवन ट्रस्ट को उसके क्लेम, जो कापीराइट से संबंधित था, को चुकाने के लिए 3 लाख रुपए की राशि अदा की थी ।

औषध उद्योग के विकास की नीति

2746. श्री रामावतार शास्त्री : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने औषध उद्योग के विकास के लिए एक नई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस नीति से बहुराष्ट्रीय औपध उद्योग को नियंत्रित करने में किस तरह से सहायता मिलेगी ।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सरकार ने औषध और भेपज उद्योग पर गठित (हाथी समिति)की सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों से संबंधित एक विवरण-पत्र 21 3.78 को सभा पटल पर प्रस्तुत किया था । इस विवरण-पत्र के पैरा 11 में नई औपध नीति के व्यापक उद्देश्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है । यह नीति कार्यान्वयन के अन्तर्गत है और जैसा कि बताया गया है कि राष्ट्रीय उद्देश्यों और अग्रताओं के अनुसार विदेशी कंपनियों के कार्यकलापों को सीमित और सरणीकृत करने पर जोर दिया जा रहा है ।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इन्डिया लिमिटेड से तकनीकी व्यक्तियों का बहिर्गमन

2747. श्री जगदीश टाईटलर : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इण्डिया लिमिटेड से बड़े पैमाने पर तकनीकी योग्यता प्राप्त लोगों के बहिर्गमन के क्या कारण हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रौद्योगिकी की तथा तकनीकी लोगों के बाहर जाने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) जबकि इन लोगों ने अधिकतर व्यक्तिगत कारणों से त्यागपत्र दिया है, बाद में यह पता चला है कि इनमें से अधिकांश लोगों ने विदेशों में अधिक लाभप्रद पदों को लेन हेतु त्यागपत्र दिये थे ।

(ख) जबकि उन लोगों को रोकना संभव नहीं है जो त्यागपत्र देना चाहते हैं, परन्तु इन रिक्त स्थानों को स्नातक इन्जीनियर प्रशिक्षणार्थी लेकर तथा अन्य संगठनों से प्रतिनियुक्ति सहित, पदोन्नति द्वारा, सीधी भर्ती करके भरने के लिए कदम उठाये गए हैं ।

डिजिटल इलैक्ट्रोनिक उपकरण बनाने के एकक के लिए स्थान

2748. श्री जगदीश टाईटलर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज द्वारा स्थानीय टेलीफोन केन्द्र स्विचिंग के लिए एक डिजिटल इलैक्ट्रोनिक उपकरण का निर्माण करने के लिए प्रस्तावित एकक के बारे में कोई निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो किस स्थान पर इसकी स्थापना की जाने का सुझाव दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो निर्णय लेने में विलम्ब के कारण क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) से (ग) सरकार ने सिद्धांत रूप से निर्णय लिया है कि संचार मंत्रालय के अधीन, डिजिटल इलेक्ट्रानिक स्विचिंग उपस्कर बनाने के लिए दो कारखाने, एक के बाद दूसरा, स्थापित किए जायें । प्रत्येक कारखाने की वार्षिक उत्पादन क्षमता 5 लाख लाइनें होंगी । यह भी निर्णय लिया गया है कि इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड से भिन्न संगठन के अधीन पहला कारखाना स्थापित किया जाएगा ।

राज्य शासनों, वाणिज्य मण्डलों तथा अन्य संगठनों द्वारा प्रस्तावित विभिन्न स्थानों की जांच कर अत्यन्त उपयुक्त स्थान का सुझाव देने के लिए स्थान चयन समिति गठित की गई थी । इस समिति ने दिनांक 30-11-1981 को सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ।

इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन स्वीचिंग प्रणाली को शुरू किया जाना

2749. श्री जगदीश टाईटलर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन स्वीचिंग प्रणाली की शुरूआत करने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना को कब कार्यान्वित किया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां ।

(ख) योजना की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं :—

1. अन्तर्राष्ट्रीय निविदा के आधार पर विदेशी सहयोग से भारतीय टेलीफोन उद्योग की पालघाट यूनिट की मौजूदा इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज उपस्कर उत्पादन क्षमता को 0.1 लाख लाइन से बढ़ाकर 115 लाख लाइन प्रति वर्ष तक बढ़ाना।

2. अन्तर्राष्ट्रीय निविदा के आधार पर प्रत्येक 5 लाख लाइन वार्षिक उत्पादन क्षमता की दो नई इलेक्ट्रोनिक स्विचिंग उपस्कर फैक्ट्रियों की स्थापना।

3. 5 लाख लाइनें प्रति वर्ष उत्पादन करने वाली फैक्ट्री को स्थापित करने के लिए चुने हुए सहयोगी से परिष्कृत उपस्कर की 2 लाख लाइनों का आयात।

4. पहली नई इलैक्ट्रोनिक स्विचिंग उपस्कर फैक्ट्री के लिए संचार मंत्रालय के अन्तर्गत एक नये निगम का गठन।

(ग) पालघाट फैक्ट्री की क्षमता के विस्तार का कार्यान्वयन तथा पहली नई फैक्ट्री के चालू योजना के दौरान चालू हो जाने की आशा है। चालू योजना के दौरान सहयोगी से 2 लाख लाइनें परिष्कृत उपस्कर प्राप्त किए जाने की योजना है।

अमेरिका द्वारा छिद्रण उपकरणयुक्त जहाज की सप्लाई

2750. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को बिक्री के लिए छिद्रण उपकरणयुक्त दो जहाजों का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो इन जहाजों के यहां भेजे जाने की अवधि सहित बिक्री की शर्तें क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

घाटे में चल रही कोयला कम्पनियां

2751. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र की अधिकांश कोयला कम्पनियां वर्ष प्रति वर्ष लगातार घाटे में चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1980-81 तथा उससे पहले के चार वर्षों में प्रत्येक कम्पनी को कितना घाटा हुआ था और प्रत्येक में कुल कितना निवेश किया गया था;

(ग) लगातार घाटा होने के प्रमुख कारण क्या हैं; और

(घ) उन्हें अर्थक्षम तथा लाभप्रद बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) वर्ष 1976-77 से वर्ष 1980-81 तक के कोल इण्डिया लि० और उसकी सहायक कम्पनियों के लेखा परीक्षा किए गए खातों के अनुसार लाभ और हानि निम्नलिखित है :—

(रु० करोड़ों मे)

कम्पनी का नाम	76-77	77-78	78-79	79-80 *	80-81 *
को० इं० लि०	2.19	2 32	3.29	1.85	1.70
ई० को० लि०	29.92	53.24	102.22	81.17	91.20
वे० को० लि०	23.92	27.03	36.72	+ 5.09≠	+10.78**
भा० को० को० लि०	21.53	37.11	79.18	45.29	43.94
से० को० लि०	+ 2.34	8.46	19.90	+35.06	+83.36
के० खा० आ० और डि० सं०		--	—	+ 0.10	+ 0 36
कुल :	75.22	128.16	241.31	88.06	33.34

वष 1976-77, 1977-78, 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के दौरान सरकार द्वारा कोल इन्डिया लि० और उसकी सहायक कम्पनियों में निवेश क्रमशः लगभग रुपए 191.24 करोड़, 173.99 करोड़, रु० 218.13 करोड़, 235.40 करोड़ और रु० 353.00 करोड़ है ।

(ग) नुकसान के मुख्य कारण हैं—अलाभकारी मूल्य और साथ ही मजदूरी तथा उत्पादन सामग्री की लागत में वृद्धि; और विभिन्न प्रकार की बाधाओं के कारण उत्पादन की हानि जैसे अनुपस्थिति, कानून और व्यवस्था समस्या, पूर्वी क्षेत्र में कुछ वर्षों में अभूतपूर्व वर्षा और बाढ़, विस्फोटक पदार्थों और बिजली की अपर्याप्त सप्लाई और भूतत्व एवं भूखनन संबंधी कठिन परिस्थितियां । फिर भी, वे० को० लि० और से० को० लि० को वर्ष 1979-80 से लाभ होने लगा है ।

(घ) नुकसान को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं और उठाए जा रहे हैं :—

(1) इन उपायों द्वारा उत्पादन बढ़ाना—ओपेनकास्ट खानों का शीघ्रता से विकास,

*पहले के समय के समायोजन को छोड़कर ।

≠निवेश प्रावधान निधि बनाने के लिए रु० 5.82 करोड़ लेने से पहले ।

**निवेश प्रावधान निधि बनाने के लिए रु० 19.50 करोड़ लेने से पहले ।

समुन्नत प्रौद्योगिकी एवं आधुनिक उपकरणों का प्रयोग शुरू करना, बिजली. विस्फोटक पदार्थ, आदि उत्पादन सामग्रियों की बेहतर उपलब्धि को सुनिश्चित करना, भूमि अधिग्रहण में शीघ्रता करना, राज्य सरकार से निकट संपर्क करके कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाना, आदि।

(2) दिनांक 14-2-1981 से कोयले के मूल्यों का उचित स्तर पर निर्धारण।

(3) खनिकों में अनुपस्थिति की प्रवृति को नियंत्रित करना।

(4) जनशक्ति पर नियन्त्रण और उत्पादकता में सुधार।

(5) भंडारों की सूची पर नियंत्रण और उनके प्रयोग में किफायत।

(6) उपकरणों के इस्तेमाल में सुधार।

"पाक स्टेस्ट्स" (पाक जल-डमरु मध्य) के उथले पानी के लिये छिद्रण जहाज

2752. **श्री माधव राव सिंधिया : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु आदि में तेल की खोज के लिये "पाक स्टेस्ट्स" के उथले पानी में छिद्रण के लिये छोटे छिद्रण-जहाज हासिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) किस देश/स्रोत से इसे खरीदने का विचार है तथा प्राप्त करने की संभावित शर्तें क्या होंगी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) 6 मीटर से 35 मीटर की पानी की गहराई में संचालन करने योग्य एक उथले पानी के जैक-अप रिग की मुख्य रूप से पाक जलमडरु-मध्य में प्रयोग में लाने हेतु, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का प्रस्ताव है।

(ख) इस प्रयोजन हेतु अक्तूबर, 1981 को तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा विज्ञापित टैंडर आमंत्रित किये गये थे।

(ग) आमंत्रित किये गए टैंडर आरम्भ में दो वर्ष की अवधि हेतु किराये पर लेने के लिए इस विकल्प सहित थे कि उक्त अवधि को एक वर्ष और बढ़ाया जा सकता है। टैंडरों को निर्धारित तारीख अर्थात् 19-11-81 को खोला गया था और तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा इन पर अभी तक मूल्यांकन किया जा रहा है।

बड़ी औषधि कम्पनियों द्वारा विटामिन पर आधारित औषधियों का उत्पादन स्थापित किया जाना

2753. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी :**

श्री सनत कुमार मंडल : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में बड़ी औषधि निर्माता कंपनियों ने विटामिन पर आधारित औषधियों का निर्माण करना बन्द कर दिया है, यदि हां, तो इन कंपनियों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या इससे औषधियों की कमी हो जाएगी जिससे कि देश के रोगियों पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ सकता है;

(ग) क्या ये कंपनियां ऐसी औषधियों के मूल्यों में वृद्धि करने के बारे में सरकार द्वारा इन्कार किए जाने पर काफी रुष्ट हैं;

(घ) यदि हां, तो रोगियों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ङ) इस समय औषधि निर्माताओं को ऐसी औषधियों पर कितना प्रतिशत लाभ मिल रहा है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ङ) मेरे मंत्रालय को किसी मुख्य औषधि निर्माता द्वारा विटामिन पर आधारित औषधियों के निर्माण को स्थगित करने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

ऐसी कुछ दवाइयों (फार्मूलेशनों) के मूल्य को संशोधित किया गया है । ऐसे मूल्यों को नियत करते समय अन्य बातों के साथ-साथ फार्मुलेशनों के लिए मार्क-अप के अंग के रूप में सम्बन्धित औषध निर्माता के लाभ को ध्यान में रखा जाता है । जैसा कि औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1979 में व्यवस्था की गई है ।

गैस पर आधारित छः उर्वरक संयंत्रों के लिए स्थापना-स्थल

2754. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बम्बई हाई से सप्लाई होने वाली गैस पर आधारित छः उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो वे कौन-कौन से राज्य हैं जहां ऐसे संयंत्र स्थापित किए जाएंगे;

(ग) क्या प्रत्येक संयंत्र के स्थापना-स्थल तथा परिव्यय के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया गया है; और

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये परियोजनाएं कब आरम्भ होंगी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) एक संयंत्र मध्य प्रदेश में, एक संयंत्र राजस्थान में और चार संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थापित किये जायेंगे ।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पेट्रो-रसायन के विकास में भारत और फ्रान्स के बीच सहयोग

2755. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में पेट्रो-रसायन के विकास के संबंध में भारत और फ्रान्स के बीच बेहतर सहयोग के लिए समझौते के एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वे कौन-कौन से नए क्षेत्र हैं जिनमें फ्रान्स से सहयोग प्राप्त होगा और उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें इस सहयोग योजना के अन्तर्गत आरम्भ किया जाएगा?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) से (ग) फ्रांस से एक आई. एफ. पी. दल ने 25 अक्तूबर, 1981 से 31 अक्तूबर, 1981 तक भारत का दौरा किया था तथा आई. एफ. पी. तथा इन्जीनियर्स इन्डिया लिमिटेड के बीच 31 अक्तूबर, 1981 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये थे। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र संस्थानों तथा आई. एफ. पी. के बीच सम्भावित सहयोग के लिये विशेष विषयों तथा क्षेत्रों का पता लगाया जायेगा। इन विषयों तथा क्षेत्रों में पेट्रो-रसायन भी सम्मिलित हैं।

समझौता ज्ञापन के अनुसार भविष्य में निम्नलिखित बातों में रुचि हो सकती है :—

— अनुसंधान एवं विकास में आई. एफ. पी. और उसके सहयोगियों तथा भारतीय संस्थानों में कार्मिकों का आदान-प्रदान।

— सुधरे हुये उपकरणों तथा कार्मिक योग्यता द्वारा भारतीय अनुसंधान एवं अन्वेषणात्मक संस्थानों में उपकरणों तथा सामर्थ्यों में सुधार।

— संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रमों का पता लगाना।

— सभी तेल एवं पेट्रोरसायन कार्यकलापों में सेवाओं एवं उपकरणों की व्यवस्था।

— तीसरे देशों की प्रायोजनाओं में सहयोग।

आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग पर इन्डो-फ्रांस संयुक्त समिति के मानीटरिंग दल की 28, 29 तथा 30 अक्तूबर, 1981 को हुई बैठक में यह नोट किया गया कि अन्य बातों के साथ-साथ फ्रांस की कम्पनियों द्वारा निम्नलिखित तीन प्रायोजनाओं के लिये प्रौद्योगिकी तथा उपकरणों के सप्लाई किये जाने की सम्भावना है।

(क) महाराष्ट्र गैस क्रेकर यूनिट।

(ख) पोलिथिलीन संयंत्र।

(ग) थाल वेशिट उर्वरक संयंत्र।

तेल/गैस की खोज

2756. **श्री मोहम्मद असरार अहमद : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन स्थानों की (राज्यवार) संख्या क्या है जहां वर्ष 1979-80, 1980-81 तथा 1981-82 में (अब तक) पर्याप्त मात्रा में तेल/गैस का पता लगाया गया है;

(ख) उन स्थानों की (राज्यवार) संख्या क्या है जहां तेल/गैस की खोज के लिये छिद्रण कार्य चल रहा है और इन परियोजनाओं में अब तक कितनी धनराशि लगाई गई है; और

(ग) तेल के पुराने कुओं से तेल/गैस की और अधिक सप्लाई प्राप्त करने के लिये क्या तकनीकी जानकारी प्राप्त की गई है और उन देशों के नाम क्या हैं जहां से ये तकनीकी जानकारी प्राप्त की गई है अथवा प्राप्त की जा रही है तथा तत्संबंधी शर्तें क्या हैं और इसमें अन्तर्ग्रस्त स्थान कहां-कहां हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

डाक एवं तार विभाग की लम्बे समय से लंबित पड़ी योजनाओं को पूरा करना

2757. **श्री मोहम्मद असरार अहमद : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक व तार विभाग ने लम्बे समय से लम्बित पड़ी सभी योजनाओं को समयबद्ध कार्यक्रम के आधार पर पूरा करने के लिये एक बड़ा विस्तार कार्य शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या योजनाएं निर्धारित कर ली गई हैं और ये योजनाएं किस अवधि तक पूरी कर ली जायेंगी और प्रत्येक योजना में कुल कितनी धनराशि निहित है, तत्संबधी पूर्ण ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये योजनायें कितनी और कौनसी हैं जिन्हें 1980 तथा 1981 के कलैंडर वर्षों में पूरा करने के लिये आरम्भ किया गया है।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) चालू प्लान योजनाओं, जिनमें बहुत सी प्रायोजनाएं हैं, के अन्तर्गत डाक तार विभाग के प्रमुख विस्तार क्रिया कलाप आरंभ किए गए हैं।

(ख) 1980-85 की छठी पंचवर्षीय योजना में 13.3 लाख नए टेलीफोन कनेक्शन, 3,500 नए टेलीफोन एक्सचेंज, ग्रामीण, पिछड़े, पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में 20,000 नए सार्वजनिक टेलीफोन घर तथा संयुक्त डाक तार घर, रेडियो केबुल अथवा उपग्रह प्रणालियों के रूप में विश्वसनीय पारेषण माध्यम, ग्रामीण क्षेत्रों में 8,000 नए डाकघर, डाक के दैनिक

वितरण की व्यवस्था करने के लिए 10,000 अतिरिक्त विभागेतर वितरण एजेण्टों की नियुक्ति 10,000 अतिरिक्त पत्रपेटियों तथा 10,000 अतिरिक्त ग्रामों में चलते फिरते काउन्टर की सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था है। डाक सेवा के लिए कुल अनुमोदित परिव्यय 172 करोड़ रुपया तथा दूरसंचार के लिए 2336 करोड़ रुपये है।

(ग) वर्ष 1980-81 के दौरान स्थानीय टेलीफोन प्रणाली में 1.33 लाख स्विचिंग क्षमता जोड़ी गई तथा इतने ही टेलीफोन कनेक्शन दिए गए। इस अवधि के दौरान 441 नए टेलीफोन एक्सचेंज तथा 11 नए टेलेक्स एक्सचेंज चालू किए गए। 2298 संयुक्त डाक तार घर, 2251 लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर भी इस अवधि के दौरान खोले गए।

वर्ष 1981-82 के दौरान 2.36 लाख लाइनों की अतिरिक्त स्विचिंग क्षमता स्थापित करने तथा 2 लाख नए कनेक्शन खोलने का प्रस्ताव है। चालू वर्ष के दौरान लगभग 500 नए टेलीफोन एक्सचेंज तथा 18 नए टेलेक्स एक्सचेंज चालू होने की संभावना है। 2800 तार घर तथा 28[illegible] संयुक्त डाकतार घर खोलने का लक्ष्य है।

वर्ष 1980-81 के दौरान नगरीय क्षेत्रों में 333 डाकघर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 188[illegible] डाकघर खोले गए। ग्रामीण वितरण में सुधार लाने के लिए वर्ष के दौरान विभागेतर वितरण एजेन्टों के 3494 पदों का सृजन किया गया। वर्ष के दौरान 2,01 ग्रामों को चलते फिरते डाकघर योजना में शामिल किया गया तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 9,326 अतिरिक्त पत्रपेटियां लगाई गईं।

चालू वर्ष 1982-82 के लिए 1600 डाकघर खोलने का प्रस्ताव है। 31-10-81 तक 691 डाकघर पहले से ही खोले जा चुके हैं। इसी प्रकार ग्रामीण वितरण में सुधार लाने के लिए इस वर्ष के दौरान नियुक्त किये जाने वाले विभागेतर वितरण एजेन्टों के 2,000 पदों में से 633 पदों का पहले ही सृजन किया जा चुका है। इसी तरह 31-10-81 तक 2,000 के लक्ष्य में से चलते फिरते डाकघर योजना में 871 ग्रामों को शामिल कर लिया गया है। तथा 1000 के लक्ष्य में से ग्रामीण क्षेत्रों में 638 पत्रपेटियां स्थापित की जा चुकी हैं।

कोयले के उत्पादन तथा लदान में वृद्धि का प्रतिशत

2758. **श्री मोहम्मद असरार अहमद :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979 तथा 1980 की अपेक्षा वर्ष 1981 (मासवार) में कोयले के उत्पादन तथा लदान में वृद्धि का प्रतिशत क्या है; और

(ख) वर्ष 1981-82 तथा 1982-83 के अगले पांच महीनों में कोयले के उत्पादन तथा लदान में वृद्धि करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) वर्ष 1981-82 के दौरान अप्रैल-नवम्बर, 1981 के बीच कोयले का उत्पादन तथा प्रेषण और अप्रैल-नवम्बर, 1979 एवं अप्रैल-नवम्बर, 1980 के दौरान उत्पादन और प्रेषण पर की तुलना में—वृद्धि के प्रतिशत का महीनेवार ब्यौरा नीचे सारणी में दिया गया है :—

(आंकड़े लाख टनों में)

उत्पादन

महीना	1979-80	1980-81	1981-82 (अनंतिम)	1981 में वृद्धि का प्रतिशत 1979 की तुलना में	1981 में वृद्धि का प्रतिशत 1980 की तुलना में
अप्रैल	79.67	88.80	91.71	15.1	3.3
मई	77.88	88.22	91.43	17.4	3.6
जून	76.03	81.75	91.66	20.6	12.1
जुलाई	80.55	82.44	92 52	14.9	12.2
अगस्त	77.78	78 22	89.63	15.2	14.6
सितम्बर	78.96	80 81	92.78	17.5	14.8
अक्टूबर	78.72	86.32	96.03	22.0	11.2
नवम्बर	86.87	91 02	106 85	23.0	17.4

प्रेषण

महीना	1979-80	1980-81	1981-82 (अनंतिम)	1981 में वृद्धि का प्रतिशत 1979 की तुलना में	1981 में वृद्धि का प्रतिशत 1980 की तुलना में
अप्रैल	82.56	85.47	98.16	18.9	14.8
मई	82.48	84.63	91.08	10.4	7.6
जून	78 93	82.90	91 24	15.6	10.1
जुलाई	81.72	84.22	91.80	12.3	9.0
अगस्त	80.35	79.45	92.59	15.2	16.5
सितम्बर	80.41	78.34	93.21	16.0	19.0
अक्तूबर	80.06	82.40	95.70	19.5	15.9
नवम्बर	80.87	83.62	98.04	21.2	1 .2

(ख) कोयला उत्पादन में सुधार के लिए उठाए गए कदमों में यह उपाय शामिल हैं अनुपस्थिति की प्रवृति को नियंत्रित करना, बिजली की सप्लाई में सुधार, विद्युत उत्पादन की गृहीत क्षमता के लिए संयंत्रों की स्थापना, आवश्यक उपकरणों की खरीद, राज्य सरकारों के

सहयोग से खानों की खुदाई के लिए भूमि अधिग्रहण में शीघ्रता करना और राज्य सरकारों की सहायता से कोयला क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था स्थिति में और सुधार करना। कोयले के लदान के लिए अधिक संख्या में वैगन उपलब्ध कराने की दृष्टि से कोयला कम्पनियां परिचालन स्तर पर रेलवे के साथ निकट सम्पर्क बनाए हुए हैं। रेल वैगनों से कोयले की ढुलाई की निगरानी "औद्योगिक आधारभूत सुविधाओं संबंधी मंत्रिमण्डल की समिति" भी करती है। उपभोक्ताओं को उतना कोयला सड़क से ले जाने की अनुमति दी जाती है जितना रेल से ढुलाई में कम रह जाता है। कुछ निर्दिष्ट खानों से उपभोक्ताओं को बिना किसी प्रतिबंध के भी कोयला दिया जा रहा है।

देश में सभी जिला मुख्यालयों को एस. टी. डी. से जोड़ा जाना

2759. **श्री वृद्धि चंद्र जैन :** क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के सभी जिला मुख्यालयों को "एस. टी. डी." सुविधा से कब तक जो दिया जाएगा; और इसका राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) राजस्थान के उन स्थानों का नाम क्या है जहां छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान "इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों" की स्थापना कर दी जाएगी और प्रत्येक मामले में एक्सचेंजों की स्थापना कब तक हो जाएगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) देश के सभी राज्यों के सभी जिला मुख्यालयों को चालू पंचवर्षीय योजना तथा अगली पंचवर्षीय योजना में उत्तरोत्तर एस. टी. डी. सुविधाएं प्रदान किए जाने की संभावना है।

(ख) राजस्थान में निम्न स्थानों पर इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है :—

(1) अलवर,

(2) पाली मारवाड़,

(3) बेवर।

उपरोक्त प्रस्ताव अभी अपनी आरंभिक अवस्था में हैं तथा इस समय उनका संस्थापना समय बना पाना संभव नहीं है।

कृषि के लिए बिजली की सप्लाई हेतु निर्धारित कार्यक्रम का पालन करने में असमर्थ राज्यों को ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा ऋण का रोका जाना

2760. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में ऊर्जा मंत्रियों के दूसरे सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने (ऊर्जा मन्त्री) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को निदेश दिया था कि वह कृषि प्रयोजनों के लिये

बिजली की आठ घंटे सप्लाई के निर्धारित कार्यक्रम का पालन न करने वाले राज्यों को ऋण तथा सहायता न दें; और

(ख) इसका अनुपालन न करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं और इस संबंध में उन्हें किस कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और इस कठिनाई को दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या विशेष कदम उठाये जा रहे हैं।

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) किसानों को विद्युत सप्लाई किए जाने को भारत सरकार काफी अधिक महत्व देती है तथा राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों को यह सुनिश्चित करने की सलाह देती रही है कि किसानों को नियमित तथा पर्याप्त विद्युत सप्लाई उपलब्ध कराई जाए। इस बात पर जोर देने के लिए ऊर्जा मंत्री ने हाल ही में हुई विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में किसानों को विद्युत की पर्याप्त तथा नियमित सप्लाई सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता को पुन: दोहराया था और इस बात पर जोर दिया था कि जो राज्य बिजली बोर्ड कृषि के लिए कम से कम 8 घंटे, 4 घंटे दिन में और 4 घंटे रात के दौरान, विद्युत दिए जाने के मानदण्ड को लागू नहीं करते, ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा उन राज्य बिजली बोर्डों को ऋण/सहायता नहीं दी जानी चाहिए। यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम विद्युतीकरण के लिए राज्य बिजली बोर्डों को वित्तीय सहायता स्वीकृत करते समय ग्राम विद्युतीकरण निगम यह शर्त रखता है कि विद्युत की कमी के मामले में पम्प सेटों को कम से कम लगभग 6 घंटे की विद्युत सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी। इस समय राज्यों द्वारा तदनुसार ही विद्युत सप्लाई की जा रही है।

सतपुड़ा तापीय विद्युत केन्द्र में राजस्थान को विद्युत की सप्लाई

2761. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सतपुड़ा तापीय विद्युत केन्द्र से राजस्थान को कितनी मात्रा में विद्युत सप्लाई की गई और इस राज्य को कम विद्युत सप्लाई करने के क्या कारण हैं; और

(ख) सतपुड़ा तापीय विद्युत केन्द्र में लगाई गई पूंजी में राजस्थान का कितना अंश है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र के लिये राजस्थान ने 40 प्रतिशत पूंजीगत व्यय का अंशदान किया है और इसलिए सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र से हुए निवल ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान 40 प्रतिशत का हकदार है। इस केन्द्र में 62.5–62.5 मेगावाट के 5 यूनिट हैं। वर्ष 1978-79, 1979-80, 1980-81 और 1981-82 (29वीं तारीख तक) के दौरान सतपुड़ा में राजस्थान का हक और उसे सप्लाई की गई वास्तविक विद्युत नीचे लिखे अनुसार है :—

	(मिलियन यूनिट)			
	1978-79	79-80	80-81	81-82 (नवम्बर, 81 तक)
सतपुड़ा में राजस्थान का हक	591	642	735	411
राजस्थान को वास्तव में सप्लाई की गई विद्युत	278	330	318	142
कम सप्लाई	313	312	417	269

मध्य प्रदेश में बिजली की कमी होने के कारण सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र से राजस्थान को उसका पूरा हिस्सा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।

तेल सम्पन्न चूना-पत्थर भण्डारों का सर्वेक्षण

2662. **श्री तारिक अनवर** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या सरकार का विचार देश के सभी संभावित तेल सम्पन्न चूना-पत्थर भण्डारों का शीघ्र सर्वेक्षण कराने का है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : विद्यमान चूना-पत्थरों सहित समस्त तलछटी खण्ड में हाईड्रो-कार्बन के संचय की खोज के लिए किसी क्षेत्र में खोज कार्य किया जाता है। राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल दोनों में चूने के पत्थरों को अन्वेषण लक्ष्य समझा गया है और इन क्षेत्रों में अन्वेषण कार्यक्रमों में चूना-पत्थर भण्डारों के लिए खोज करना शामिल किया गया है।

"मूर कन्डक्टरों" के लिए चीन की निविदा को न्यूनतम पाया जाना

2663. **श्री तारिक अनवर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगरोली थर्मल पावर परियोजना के द्वितीय चरण के लिए 'मूर कन्डक्टरों' के लिए 24 करोड़ रुपए के ठेके की चीन की निविदा न्यूनतम पाई गई है;

(ख) क्या सरकार ने चीनी संस्था को ठेका देने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो ठेके/करारों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की सिंगरोली सुपर ताप विद्युत परियोजना के दूसरे चरण के लिए विश्व बैंक द्वारा की जाने वाली वित्त-व्यवस्था के अंतर्गत यथा अपेक्षित अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोलियों की प्रक्रियाओं में ए० सी० एस० आर० मूल कन्डक्टरों की सप्लाई के लिए आमन्त्रित की गई विश्वव्यापी निविदाओं के जबाव में प्राप्त प्रस्तावों का इस समय मूल्यांकन किया जा रहा है।

सोवियत संघ द्वारा संकटग्रस्त तेल-कूपों का पुनः चालू किया जाना

2764. **श्री तारिक अनवर** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संकटग्रस्त तेल कूपों से पुन: तेजी से उत्पादन प्राप्त करने के लिये सोवियत संघ की सहायता लेने का निर्णय किया है;

(ख) क्या संकटग्रस्त कूपों की स्थिति का जायजा लेने के लिये सोवियत उच्च शक्ति प्राप्त विशेषज्ञ दल यहां आया था; और

(ग) क्या इन कूपों को पुनः चालू करने के बारे में अन्य देशों द्वारा भी पेशकश की गई है?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) जी, हां। गुजरात में लगभग 120 रुग्ण कूपों में कार्य समाप्ति हेतु तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने दिनांक 16.10.-1981 को सोवियत संघ की वी०/ओ० टेक्नो एक्सपोर्ट के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किये हैं। यह भी प्रस्ताव दिया गया है कि भारत में तटवर्ती तेल क्षेत्रों में विभिन्न तरीकों से कृतिम रूप से तेल की उठान हेतु भारत और सोवितत संघ वर्ष 1982 के अन्दर संयुक्त रूप से एक कार्यक्रम तैयार करेंगे।

(ख) रुग्ण कूपों की मरम्मत करने हेतु समझौते को अन्तिम रूप दिये जाने से पूर्व गुजरात क्षेत्रों में रुग्ण कूपों के कूप आंकड़ों का अध्ययन करने हेतु सोवियत संघ के विशेषज्ञों के एक दल ने तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का दौरा किया था।

(ग) जहां तक गुजरात में लगभग 120 रुग्ण कूपों के कार्य समाप्ति संचालनों का सम्बन्ध हैं केवल सोवियत संघ ने ही तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को प्रस्ताव भेजा था। तथापि, ओ. एन. जी. सी. रोमानिया, कनाडा आदि कुछ अन्य देशों से भी सहायता प्राप्त करने की संभावना का पता लगा रहा है।

राजस्थान में बिजली का गंभीर संकट

2765. श्री अशोक गहलोत : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजस्थान में बिजली के गम्भीर संकट की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या है जिनसे राजस्थान को बिजली की सप्लाई की जाने की व्यवस्था की गई है तथा प्रत्येक राज्य से कितनी बिजली उपलब्ध कराई जानी है और कृषि तथा उद्योग को बचाने के लिए राजस्थान के किन-किन स्थानों को बिजली की सप्लाई की जाएगी; और

(ग) यदि कोई व्यवस्था नहीं की जानी है तो तत्संबंधी कारण क्या हैं?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) राजस्थान अपनी ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को कुल मिलाकर पूर्ण रूप से, राजस्थान परमाणु विद्युत केन्द्र के सामान्य उत्पादन से और भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड, चम्बल काम्पलैक्स के उत्पादन में से अपने हिस्से से एवं सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र से मिलने वाले अपने हिस्से से पूरा कर सकने में समर्थ है। जब

कभी राजस्थान परमाणु विद्युत संयंत्र के यूनिटों में जबरन बंदियां हो जाती हैं, उपलब्धता में तदनुसार ही कमी हो जाती है। जब कभी राजस्थान में ऊर्जा की भारी कमी हो जाती है, तब राजस्थान को, भांखड़ा ब्यास प्रबध बोर्ड काम्पलैक्स से अपने सामान्य हिस्से से अधिक, अतिरिक्त सहायता मिलती है। इस अतिरिक्त सहायता से भी राजस्थान अपनी मांग को पूरा करने में अक्षम रहता है और इस कारण प्रणाली में उपलब्धता पर निर्भर करते हुए, विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को विद्युत की सप्लाई नियंत्रित की जाती है। महत्वपूर्ण उद्योगों और कृषि उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जाती है। प्रत्याशित आशा की जाती है कि दिल्ली की अग्रता प्राप्त आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात जनवरी, 1982 तक बदरपुर/बैरास्यूल प्रणाली से कुछ सहायता राजस्थान को दी जाएगी।

(ग) आगामी महीनों में राजस्थान को सहायता देने के लिए अतिरिक्त व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह वर्तमान टाई लाइनों से सहायता प्राप्त कर सकेगा।

सोडा ऐश कम्पनियों के प्रबन्ध निदेशकों की पुन: नियुक्ति

2766. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ सोडा ऐश कम्पनियों के प्रबन्ध निदेशक के पद पर पुनः नियुक्ति करने हेतु अनुमति के लिए कुछ कम्पनियों के आवेदन-पत्र लम्बित हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) तथा (ख) ऐसी अव धारणा है कि माननीय सदस्य अब उन कम्पनियों को निर्दिष्ट कर रहे हैं जो सोडा ऐश के निर्माण में संलग्न हैं। इस बाबत, विभाग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, सोडा ऐश के निर्माण में चार कम्पनियां संलग्न हैं। इनमें से केवल, मैं० टाटा कैमिकल्स लिमिटेड की बाबत आवेदन-पत्र विभाग में अनिर्णीत हैं।

लोक सभा सचिवालय ने भी विशेष रूप से स्पष्ट किया है कि माननीय सदस्य, मैं० टाटा कैमिकल्स लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक श्री दरबारी सेठ की पुनर्नियुक्ति की बाबत सूचना प्राप्त करने के इच्छुक हैं।

मैं० टाटा कैमिकल्स लिमिटेड ने कुछ समय पूर्व श्री दरबारी सेठ को, 7,500 रु० प्रति मास के वेतन एवं अन्य परिलब्धियों, आदि पर, 1-4-1980 से पांच वर्षों की अवधि के लिये प्रबन्ध निदेशक एवं उपाध्यक्ष के पद की पुनर्नियुक्ति के लिये केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन की मांग की थी। तथापि, कम्पनी के प्रस्ताव पर विभाग में सर्वोच्च न्यायालय के, भारत संघ वि : महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा तथा अन्यों के मामले में दिये गये विनिर्देशनों के अनुसरण में, कार्यवाही नहीं की जा सकी थी, क्योंकि कम्पनी को, सामान्यत: केन्द्रीय सरकार को, दिनांक 4-10-79 के यथा संशोधित, दिनांक 9-11-78 के प्रवन्धकीय पारिश्रमिक पर मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार

पारश्रमिक निश्चित करने के लिए अपनी स्वीकृति देना अपेक्षित था, परन्तु इसने ऐसा करने पर आपत्ति की थी।

पेट्रोल निर्यातक देश संगठन द्वारा तेल के मूल्य वर्तमान स्तर पर स्थिर करना

2767. **श्री कमल नाथ :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जेनेवा में हाल में हुई अपनी बैठक में पेट्रोल निर्यातक देश संगठन के मन्त्रियों ने वर्ष 1982 के अन्त तक के लिये तेल के मूल्य पर वर्तमान स्तर पर स्थिर करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इन निर्णयों का भारत की अर्थ-व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी): (क) और (ख) समाचार पत्रों की सूचना के अनुसार तेल निर्यातक देश संघटन ने मार्करक्रूड के रूप में अरेवियन लाइट क्रूड आयल के 34 डालर प्रति बैरल के अधिकृत मूल्य के साथ एक एकीकृत मूल्य निर्धारण प्रणाली को अपनाने का निर्णय लिया है। जबकि वर्तमान अनुमानों के अनुसार, वर्ष 1982 में आयात किये जाने वाले खनिज तेल की आवश्यकता वर्ष 1981 में आयात किये गये खनिज तेल की तुलना में कम होगी, जिसका कारण बढ़ी मात्रा में देशी उत्पादन है, इस स्थिति में वर्ष 1982 में खनिज तेल के आयात पर विदेशी मुद्रा का बहिर्गमन बताना कठिन है क्योंकि यह विनिमय दर और खनिज तेल की सप्लाई के साधनों जैसे तथ्यों पर निर्भर करता है।

तापीय संयंत्रों में अधिकतम क्षमता के उपयोग में बाधाएं

2768. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्षमता उपयोगिता के बारे में तापीय विद्युत संयंत्रों का कार्य-निष्पादन निराशाजनक रहा है और इन संयंत्रों की क्षमता उपयोगिता उत्पादन क्षमता के 45 प्रतिशत के बराबर भी नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तापीय विद्युत संयन्त्रों द्वारा अधिकतम क्षमता उपयोगिता प्राप्त करने में क्या बाधाएं हैं; और

(ग) इन संयन्त्रों का कार्य-निष्पादन सुधारने के लिए क्या उपाय किये गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) अक्तूबर, 1981 के महीने के दौरान देश में ताप विद्युत संयन्त्रों का क्षमता समुपयोजन 45·3 प्रतिशत था। इसमें और वृद्धि हुई और नवम्बर, 1981 में यह 45·5 प्रतिशत हो गया जबकि 80-81 में यह क्रमशः 41.1% और 45·5% था। इस प्रकार इसमें सुधार हुआ है तथा आगे और सुधार होने की आशा है।

(घ) कुछ ताप विद्युत संयन्त्रों के घटिया कार्य निष्पादन के कुछ एक कारण ये हैं :—

(1) ले-आउट, संयन्त्र और उपस्कर, प्रणाली इन्जीनियरिंग आदि में कमियां;

(2) संयन्त्र के अनुरक्षण के लिए तथा उपस्कर की जबरन बन्दी के लिए अनावश्यक रूप से अधिक अवधि लगना;

(3) नए चालू किये गए यूनिटों के स्थिरीकरण में अपेक्षा से अधिक समय लगना;

(4) प्रचालन और अनुरक्षण के लिए प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध न होना।

(ग) विद्यमान प्रतिष्ठापित क्षमता से अधिकतम उत्पादन करने की दृष्टि से वर्तमान ताप विद्युत संयंत्रों के प्रचालन तथा अनुरक्षण में सुधार करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(क) संयन्त्र सुधार कार्यक्रमों तथा बेहतर सुरक्षात्मक अनुरक्षण कार्यक्रम हाथ में लेने के लिए राज्य बिजली बोर्डों की सहायता करना;

(ख) उपस्कर के डिजाइन में कमियों का पता लगाना तथा उन्हें सुधारने और प्रतिस्थापित करने के कार्यक्रम शुरू करना;

(ग) स्वदेशी तथा विदेशी सप्लाईकर्त्ताओं से फुटकर पुर्जों की समय पर सप्लाई की व्यवस्था करना;

(घ) अधिक गुणवत्ता वाले कोयले की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई;

(ङ) जिन इंजीनियरों तथा तकनीकी कार्मिकों को विद्युत केन्द्रों के प्रचालन और अनुरक्षण का कार्य सौंपा गया है, उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना;

(च) विशेषकर 200 मेगावाट के यूनिटों में कमियों का पता लगाकर इन यूनिटों के शीघ्र स्थिरीकरण के लिए और उनके कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए समयवद्ध कार्यक्रम तैयार करने के लिए कृतिक वल का गठन करना, जिसमें के० वि० प्रा०, भा० है० इले० लि०, इन्स्ट्र० लि० कोटा तथा राज्य बिजली बोर्डों के प्रतिनिधि शामिल हों।

(छ) प्रचालन पद्धतियों को मानीटरिंग करने तथा परामर्श देने आदि के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से प्रचालन विशेषज्ञों के भ्रमणशील दलों के दौरे।

राष्ट्रीय औषधि नियन्त्रण प्राधिकरण

2569. **श्री नवल किशोर शर्मा :**

श्री बाल कृष्ण वासनिक :

श्री अशफाक हुसैन : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय औषधि नियन्त्रण प्राधिकरण के आयोजन, क्रियान्वयन तथा फार्मास्यूटिकल उद्योगों में नीतियों के नियन्त्रण के लिए हाथी समिति के प्रस्तावों को क्रियान्वित करने का है;

(ख) क्या यह सच है कि बहु-राष्ट्रीय कम्पनियां औषधि उद्योग पर अधिकार जमाये हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो देश में औषधियों के निर्माण तथा बिक्री में लगी बहुराष्ट्रीय फर्मों के नाम क्या हैं;

(घ) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि वे फर्में निष्फल तथा आवश्यक औषध फार्मूलेशनो का निर्माण कर रही हैं जबकि वे रोग निरोधी, रोगहर तथा जीवन रक्षक औषधियों की लगातार उपेक्षा करती रही हैं; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) हाथी समिति ने राष्ट्रीय औषध प्राधिकरण गठित करने की सिफारिश की थी जो लाइसेंसिंग, आयात, निर्यात, प्रौद्योगिकी विकास आदि जैसे औषध उद्योग के भावी विस्तार संबंधी सभी मामलों की देख-रेख करेगा। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि समिति द्वारा सुझाई गई दिशा में एकदम स्वतन्त्र प्राधिकरण स्थापित करना सम्भव नहीं होगा। तथापि, औषध नीति को तैयार करने और विस्तार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में निकट समन्वय की आवश्यकता को मान्यता देने के लिए सरकार ने एक वैकल्पिक सलाहकारी प्रशासनिक/संस्थागत ढांचे का अनुमोदन किया जिसके ब्यौरे 29.3.78 को लोक सभा पटल पर प्रस्तुत किए गए औषध नीति सम्बन्धी विवरण पत्र के पैरा 79 में निहित है।

(ख) यह अनुमान है कि वर्ष 1980-81 में बल्क औषधों और औषध फार्मूलेशनों के निर्माण में विदेशी कम्पनियों का शेयर क्रमश: 22 प्रतिशत और 36 प्रतिशत था। इसलिए यह कहना सही नहीं है कि औषध उद्योग पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का एकाधिकार है।

(ग) इस समय औषधों के निर्माण और बिक्री में लगी विदेशी (फेरा) औषध कम्पनियों के नाम दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) जहां तक असंगत औषध मिश्रणों को समाप्त करने का सम्बन्ध है औषध परामर्शदात्री समिति ने जो औषध और प्रसाधन अधिनियम के अन्तर्गत एक कानूनी समिति हैं, देश में विपणन किये जा रहे औषध मिश्रणों की जांच करने के लिए एक उपसमिति गठित की है। इस उपसमिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर पहले ही 19.10.1981 को औषध परामर्शदात्री समिति द्वारा विचार किया गया था। इस रिपोर्ट पर आगामी कार्यवाही करने के लिए औषध नियन्त्रक (भारत) पहल कर रहा है।

विवरण

1. मै. बरोच वेलकम एण्ड कं.
2. मै. मे एण्ड बेकर (आई) लि०
3. मै. रोचे प्रोडक्ट्स .
4. मै. पार्क डेविस
5. मै. ग्लैक्सो लेबोरेटरीज
6. मै. जोनसन एण्ड जोनसन लि०
7. मै. फाइजर लि०
8. मै. सीबा गेगी आफ इण्डिया लि०
9. मै. ई. मर्क (आई) लि०
10. मै. मर्क सार्प एण्ड डोम
11. मै. सेन्डोच (इण्डिया) लि०
12. मै. ब्रूट्स कम्पनी (इण्डिया) लि०
13. मै. होचेस्ट फार्मास्यूटिकल्स
14. मै. कार्नर हिन्दुस्तान लि०
15. मै. आर्गेनन इण्डिया लि०
16. मै. यूनी-सन्क्या
17. मै. वेटा लेबोरेटरीज
18. मै. वेयर (इण्डिया) लि०
19. मै. सायनामाइड इण्डिया लि०
20. मै. एलकली एण्ड कैमिकल्स
21. मै. रिचर्डसन हिन्दुस्तान
22. मै. अबोट्स लेबोरेटरीज
23. मै. सी. ई. कुलफोर्ड
24. मै. स्मिथ क्लाइन एण्ड फ्रेंच (आई) लि०
25. मै. विफन इण्डिया लि०

औषध उद्योग पर राष्ट्रीय सेमिनार

2770. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली सेमिनार फोरम तथा डाक्टरों, चिकित्सा प्रतिनिधियों वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों के पांच अन्य राष्ट्रीय संगठनों द्वारा औषध उद्योग और भारतीय जनता विषय पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सेमिनार के क्या निष्कर्ष निकले और इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) गोष्ठी द्वारा अपनाए गए संकल्प से यह पता चलता है कि निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुंचा गया :—

(1) रोग के रुख और औषध निर्माण तथा उपलब्धता के रुख के बीच अच्छा सहसंबंध नहीं है।

(2) आजकल औषध निर्माण में मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है।

(3) अभी भी औषध उद्योग पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एकाधिकार है।

(4) काफी बड़ी संख्या में असंगत और अनावश्यक औषध फार्मूलेशनों का निर्माण किया जाता है जबकि महत्वपूर्ण और जीवन रक्षक औषधों का निर्माण और उनकी उपलब्धता की बार-बार उपेक्षा की जाती है।

(5) ब्राण्ड नामों को समाप्त किया जाना चाहिए जिसे राष्ट्रीय फार्मूलेरी में परिभाषित सामान्य नामों में बदल देना चाहिए।

(6) समान औषधों को समाप्त करने के बारे में बड़ी संख्या में किए गए दावे वैज्ञानिक परख पर खरे नहीं उतरते और औषधों के विज्ञापन और बिक्री प्रवर्तन पर पर्याप्त नियंत्रण होना चाहिए।

(7) प्रौद्योगिकी नीति स्पष्ट रूप से निर्धारित किए जाने की तत्काल आवश्यकता है जिससे प्रौद्योगिकी के बार-बार आयात को निरुत्साहित किया जा सकेगा और उसके समान स्थानान्तरण को बढ़ावा मिले।

(8) राष्ट्रीय औषध प्राधिकरण के गठन के बारे में हाथी समिति की सिफारिशों का शीघ्र कार्यान्वयन किया जाना चाहिए।

(9) औषध उद्योग में कार्य कर रहे बहुराष्ट्रीय निगमों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए और साथ ही साथ सरकारी क्षेत्रीय औषध कम्पनियों के कार्यकलाप में सुधार किया जाना चाहिए।

(10) परम्परागत पद्धति की दवाइयों के वैज्ञानिक विकास की आवश्यकता है।

उपरोक्त अधिकतर मुद्दों पर औषधों और भेषजों पर गठित उच्च शक्ति प्राप्त समिति (हाथी समिति के नाम से लोकप्रिय) द्वारा जांच की गई थी जिसने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1975 में प्रस्तुत की थी। सरकार ने समिति की सिफारिशों की व्यापक जांच की और इन सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों पर आधारित एक समेकित नीति की घोषणा मार्च/अप्रैल 1978 में की गई थी एक विवरण पत्र जिसमें सरकारी निर्णय निहित थे। 29-3-78 को लोक सभा पटल पर रखा गया था। फिलहाल इस नई औषध नीति का कार्यान्वियन किया जा रहा है।

गोष्ठी द्वारा अपनाए गए संकल्पों से यह भी पाया गया है कि व्यापक अध्ययन करने के लिए सहभागी संगठनों के प्रतिनिधियों की एक समिति गठित की गई है। सरकार जिज्ञासापूर्वक इस समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा करेगी।

औषध उद्योग पर सेमिनार

2771. श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नई दिल्ली में नवम्बर, 1981 में औषध उद्योग पर हुये दो दिवसीय सेमिनार में पारित प्रस्ताव की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सेमिनार में यह बताया गया है कि देश में औषधियों का उत्पादन केवल लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है और इसका बीमारियों तथा उनके इलाज से कोई संबंध नहीं होता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके मुद्दों की ध्यानपूर्वक जांच की है और यदि हां, तो इस पर सरकार की वस्तुत: क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) सरकार द्वारा अपनाई जा रही औषध नीति का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हमारी जनता की सभी स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में औषध मुक्त रूप से और उचित मूल्य पर उपलब्ध हों। इसलिए बल्क औषधों के निर्माण के लिए लाइसेंस जारी करते समय विभिन्न औषधों के लिए प्रायोजित मांग और उनके निर्माण के लिए स्वदेशी क्षमता की वर्तमान उपलब्धता को ध्यान में रखा जाता है। देश में बाजार की मांग की संभावना आम तौर पर रोज के रुख से सम्बद्ध रहती है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव

प्रयास करेगी कि देश की स्वास्थ्य आवश्यकताओं के अनुसार औषधों के निर्माण का लाइसेंस दिया जाता।

भूतपूर्व कोयला बोर्ड के कर्मचारियों के परिवारों के पेंशन के मामले

2772. **श्री रेणुपद दास :**

श्री समर मुखर्जी :

श्री नीरेन घोष :

श्री सुबोध सेन : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : भूतपूर्व कोयला बोर्ड के कर्मचारियों के परिवार पेंशन के मामलों के निपटान के लिए जो 1980 से विचाराधीन पड़े हैं, सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : मामले पर सरकार विचार कर रही है।

मिट्टी के तेल की बिक्री में लाभ

2773. **श्री बापूसाहिब परुलेकर :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिट्टी के तेल की बिक्री पर केवल 3 पैसा प्रति लीटर लाभ की कानून द्वारा अनुमति दी गई है;

(ख) गत 3 वर्षों के दौरान मिट्टी के तेल के प्रति लीटर मूल्य क्या रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार लाभ की इस कम मात्रा पर पुनर्विचार करने का है, और यदि नहीं; तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) जी, नहीं। सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा मिट्टी के तेल की बिक्री पर निर्धारित किये गए लाभ एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न-भिन्न हैं।

(ख) इसके उत्तर में एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) को ध्यान में रखते हुए, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

प्रति लीडर मिट्टी के तेल की दर दर्शाने वाला विवरण

रुपये/लीटर

	बम्बई	दिल्ली	कलकत्ता	मद्रास
1978-79—				
1.3.1979 से पहले	1.18	1.30	1.24	1.31
1.3.1979 से	1.29	1.43	1.38	1.43
1979-80—				
17.8.1979 से पहले	1.29	1.43	1.38	1.43
17.8.1979 से	1.46	1.61	1.56	1.62
19.9.1979 से	1.39	1.54	1.49	1.55
1980-81—				
8.6.1980 से पहले	1.39	1.54	1.49	1.55
8.6.1980 से	1.39	1.54	1.49	1.55
13.1.1981 से	1.49	1.65	1.60	1.67
1981-82 —				
11.7.1981 से पहले	1.49	1.65	1.60	1.67
11.7.1981 से	1.66	1.81	1.76*	1.84

कोरबा क्षेत्र की कोयला खानों में श्रमिक तथा उनसे अनिवार्य जमा योजना की काटी गई राशि

2774. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोरवा क्षेत्र में कितने श्रकिक काम करते हैं तथा उनका कोयला खानवार ब्योरा क्या है; और

(ख) इन श्रमिकों से अनिवार्य जमा योजना की किस-किस अवधि के लिये तथा कुल कितनी राशि की कटौती की गई है, उनका कोयला खानवार ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

*1.11.1981 से 1.80 रुपये

कोरबा क्षेत्र में कोयला खानों के श्रमिकों के वेतन से काटी गई अनिवार्य जमा योजना की राशि का भुगतान

2775. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिलासपुर जिले के कोरबा क्षेत्र के कोयला खान श्रमिकों के वेतन से काटी गई अनिवार्य जमा योजना की कुल राशि अभी तक उन्हें नहीं दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसे कुल कितने श्रमिक हैं जिन्हें कोयला खान-वार अनिवार्य जमा योजना की कुल राशि अब तक वापस की गई है; और

(घ) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

कोरबा कोयला खान क्षेत्र में श्रमिकों को अनिवार्य जमा योजना की राशि का भुगतान

2676. **श्री एम० इस्माइल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोरबा क्षेत्र के श्रमिकों की अनिवार्य जमा योजना संबंधी काटी गई धनराशि का भुगतान न करने के क्या कारण हैं;

(ख) अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत काटी गई धनराशि का श्रमिकों को कब तक भुगतान किया जाएगा; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

अतारांकित प्रश्न संख्या 4349 दिनांक 15.9.81 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (दलबीर सिंह) : महोदय,

मैं सदन का ध्यान दिनांक 15.9.1981 को सदन में दिये गये अतारांकित प्र. सं. 4349 के उत्तर की ओर आकर्षित करता हूं ।

भाग (क) से (ग) तक दिये गये मूल उत्तर की जगह निम्नलिखित परिस्थापित किया जाये :—

(क) हाथी समिति ने सिफारिश की है कि औषधों के ब्रांड नामों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाना चाहिये और उनको समिति द्वारा बताई गई 13 औषधों से शुरू करके सामान्य नामों में बदलने का कार्य शुरू किया जाना चाहिए।

(ख) और (ग) 1978 की औषध नीति के एक भाग के रूप में प्रयोगिक तौर पर 13 में से केवल 5 औषधों के मामलों में ब्रांड नामों को समाप्त करने और यह सुनिश्चित करने का निर्णय किया गया था कि देश में पहली बार उपलब्ध की जा रही एक ही घटक वाली समस्त औषधों का विपणन केवल सामान्य नामों से किया जायेगा। उपरोक्त निर्णय को कार्यान्वित करने के लिये औषध और प्रशाधन नियमों के संबंधित प्रावधानों को संशोधित करते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय ने जनवरी, 1981 में आवश्यक अधिसूचना जारी की थी। कुछ औषध फर्मों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके स्वास्थ्य मंत्रालय की जनवरी, 1981 की अधिसूचना की कानूनी वैधता को चुनौती दी है। अतः इस समय मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

मूल उत्तर में, भूल से प्रश्न के भाग (क) का कोई उत्तर नहीं दिया गया था। इस गलती के लिये मुझे खेद है।

अतः उक्त भूल से सदन को हुई असुविधा के लिये मुझे खेद है।

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : अध्यक्ष जी, प्रधान मन्त्री जी ने आपके नाम का पंजाब की राजनीति से जोड़ा है····

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों ऐसा करते हैं। काम की बात किया करो कभी।

आप इसके बारे में विश्वास क्यों करते हैं? इसका कोई प्रश्न हीं नहीं है। (व्यवधान)* इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : आप इसके बारे में क्यों विश्वास करते हैं। कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। (व्यवधान)*

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष जी, अहमदाबाद में 60,70 जानें आग लगने से चली गयीं और करोड़ों रु० का नुकसान हुआ है। राज्य सभा के अन्दर इसकी चर्चा हुई। सदन जब चलता हो और इतने आदमी मरे हों उसका जिक्र भी न हो।

अध्यक्ष महोदय : गृह मन्त्री सभा में वक्तव्य देने जा रहे हैं।

श्री मनी राम बागड़ी : कब और किस वक्त?

अध्यक्ष महोदय : आज ही कर रहे हैं साढ़े चार बजे।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती है।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : यह त्रिपुरा में खाद्यान्न की कमी के बारे में है। पहले आप मेरी बात सुनिए और फिर इसे अस्वीकार करिए।

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर, आपकी बात सुनने की कोई बात ही नहीं है। यहां कोई वाद-विवाद नहीं होगा।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : यह केन्द्र की जिम्मेदारी है। इस पर यहां कोई चर्चा क्यों नहीं हो सकती ? (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर, आपको यह समस्या हल करनी है। मेरे पास आइए और मैं इस समस्या को हल करूंगा।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : मैंने आपसे पहले ही बात कर ली है।

अध्यक्ष महोदय : तो फिर इसे मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं इसे हल करूंगा।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : अनेक विशेषाधिकार प्रस्ताव लम्बित पड़े हैं। उदाहरण के तौर पर गलाधारी ब्रदर्स के बारे में श्री जेठमलानी का नोटिस है।

अध्यक्ष महोदय : वे मेरे विचाराधीन हैं। श्री जेमठलानी का कोई नोटिस नहीं है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : जी, नहीं। यह समाचार पत्रों में आया है।

अध्यक्ष महोदय : वे कुछ भी हो, ये मेरे विचाराधीन हैं। अपनी संतुष्टि कर लेने के बाद ही मैं सभा में लाऊंगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : गलाधरी ब्रदर्स के मामले पर श्री जेठमलानी का कोई नोटिस नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष जी बन्धुआ मजदूरों का सवाल बड़े जोरों से उठ रहा है···।

अध्यक्ष महोदय : आप कर दीजिये नियम 377 को ऐसे थोड़े ही उठाते हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : बहस होनी चाहिये, अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदय : तो कीजिये। आप मोशन दीजिये। उसको बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी में रख कर तय कर लेंगे। प्रत्येक अच्छी बात पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा परन्तु कार्यमंत्रणा समिति इसके लिए समय दे और तदनुसार प्राथमिकता निर्धारित करे।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : अध्यक्ष जी, अहमदाबाद ट्रेजेडी के बारे में हमने ऐडजर्नमेंट मोशन दिया है। अगर वह उस रूप में मन्जूर नहीं होता तो हम चाहते हैं कि कम से कम काल अटेंशन उस पर आप मन्जूर कीजिये।

अध्यक्ष महोदय : देखेंगे। वह हम कर रहे हैं। माननीय शेजवलकर जी कर रहे हैं।

श्री नीरेन घोष (दमदम) : खड़े हो गए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है। मैंने आपको नहीं देखा। मैंने समझा कि आप बैठे हुए हैं।

श्री नीरेन घोष : बजट मूल्य वृद्धि, मनमानी सरकारी मूल्य वृद्धि पर आधारित होता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप चाहते हैं कि मैं कुछ कहूं ?

एक माननीय सदस्य : कल आप पीठासीन नहीं थे···।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे पढ़ लिया है। मैंने इसका अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है और इसके बारे में पता लगा लिया है।

रेलवे के वित्तीय मामलों के बारे में रेल मन्त्री द्वारा दिए गए वक्तव्य के संबंध में उठाई गई बातों पर विनिर्णय

अध्यक्ष महोदय : 7 दिसम्बर, 1981 को जब रेल मंत्री रेलवे के वित्तीय मामलों के बारे में वक्तव्य दे रहे थे तब कुछ सदस्यों ने व्यवस्था के ये प्रश्न उठाये थे :–

(एक) क्या रेल मंत्री को रेलवे माल भाड़े और किरायों को बढ़ाने के लिए सभा में घोषणा करने का अवसर अतीत में मिला था;

(दो) क्या अनुपूरक बजट पेश किए बिना मंत्री द्वारा वित्तीय मामलों से सम्बन्धित इस तरह का वक्तव्य दिया जाना उचित है।

सदस्यों द्वारा यह निवेदन किये जाने के बाद उपाध्यक्ष ने विनिर्णय दिया कि सदस्यों द्वारा उठाई गई बातों पर विचार किया जाएगा।

मैंने मामले की छानबीन की है। पहले प्रश्न के बारे में मैंने देखा है कि 21 अगस्त, 1974 को रेल मंत्री ने सभा में रेलवे की वित्तीय स्थिति के बारे में एक वक्तव्य दिया था और माल पर एक अनुपूरक प्रभार तथा कुछ यात्री किरायों के लिए अतिरिक्त अनुपूरक प्रभार लगाने

की घोषणा की थी। परन्तु उस मामले में घोषणा करने से पहले मंत्री ने 1674-75 के रेल बजट के बारे में अनुदानों की अनुपूरक मांगें पेश की थीं।

जहां तक दूसरे मुद्दे की बात है, मैं सदस्यों का ध्यान अनुच्छेद 110 (2) के उपबन्धों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जिसमें कहा गया है:—

"कोई विधेयक केवल इस कारण से धन-विधेयक न समझा जायेगा कि वह जुर्मानों या अन्य अर्थ-दण्डों के आरोपण का, अथवा अनुज्ञाप्तियों के लिए फीसों की, अथवा की हुई सेवाओं के लिए फीसों की अभियाचना का या देने का उपबन्ध करता है, अथवा इस कारण से कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के आरोपण, उत्सादन, परिहार, बदलने या विनियमन का उपबंध करता है।"

7 सितम्बर, 1974 को जब ऐसे ही मुद्दे सभा में उठाए गये थे तो अन्य बातों के साथ-साथ अध्यक्षपीठ ने निम्न टिप्पणी की थी :—

" ..... संविधान के वर्तमान उपबन्ध जैसे हैं उनके अनुसार यह रेल मन्त्री की भद्रता है कि वह सभा में आते हैं और यात्री किराये और माल-भाड़े में वृद्धि के विषय पर भी सभा की राय लेते हैं। यह आपकी भद्रता है कि आप इसके लिए यहां आते हैं।

संविधान के उपबन्धों के अनुसार इस मामले में आपको यहां आने की जरूरत नहीं है।

सभा में आने की आवश्यकता नहीं है। रेल यात्रा-किराया और माल भाड़ा एक ऐसी फीस है जिसे रेलवे समाज की कतिपय सेवाओं के बदले मांगती है। अतः इस बारे में हमारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है.........।"

विद्यमान मामले में, बेहतर होता, यदि रेल मन्त्री महोदय ने कल जो वक्तव्य दिया उससे पहले अनुदानों की पूरक मांगें प्रस्तुत कर देते। चूंकि वक्तव्य पहले ही दिया जा चुका है...

डा० सुब्रह्मण्यम (बम्बई उत्तर-पूर्व) : आपने ही तो उन्हें अनुमति दी थी।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय बिना और अधिक विलम्ब के अनुपूरक मांगें पेश करेंगे। इससे संयोगवश सदस्यों को अपना मत भी व्यक्त करने का अवसर प्राप्त होगा।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मुझे बड़ी प्रसन्नता है। आप बधाई के पात्र हैं। क्या मैं एक स्पष्टीकरण की मांग कर सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने तो केवल अपने कर्त्तव्य का पालन किया है।

श्री चन्द्रजीत यादव : कम से कम हमारी बधाईयां तो स्वीकार कीजिए। आप बधाई के पात्र हैं। परन्तु क्या हमें एक स्पष्टीकरण मिल सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपने कर्त्तव्य का पालन किया है। मैं नियमों में बंधा रहना चाहता हूं।

श्री चन्द्रजीत यादव : मुझे एक मामूली सा स्पष्टीकरण चाहिये । कल रेल मन्त्री महोदय ने आपका नाम इसमें घसीटा था । मुझे खेद है कि स्वयं उपाध्यक्ष महोदय ने कहा था कि अध्यक्ष महोदय स्वीकृति दे चुके हैं । उस समय मुझे यह संदेह था कि सम्भवत: आपको यह नहीं बताया गया था कि जो घोषणा की जाने वाली है उसमें वित्तीय उलझनें हैं । सम्भवतया उन्होंने यह कहा होगा कि वे एक वक्तव्य देना चाहते हैं । आमतौर से नियम 372 के अधीन आपने इसकी अनुमति दे दी होगी । अत: यह अधिक अच्छा होगा कि इस मुद्दे को स्पष्ट कर दिया जाए, यद्यपि आपके विनिर्णय के पश्चात सम्भवत: इसका कोई यहां प्रयोजन ही नहीं है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : जब आपने उन्हें अनुमति दी थी तो, क्या आप उस वक्तव्य की विषयवस्तु को जानते थे, जो वह देने जा रहे थे ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बताऊंगा कि यह सब क्या है । मैं कुछ नहीं छिपाता हूं और न ही मेरे पास कुछ छिपाने को है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस प्रकार धीरे-धीरे हर वक्त संसद के अधिकारों को क्षति पहुंचाई जा रही है ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसके बारे में आपको सतर्क रहना होगा ।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपने जो अभी फाइन्डिग दी है, उससे क्या यह साबित नहीं होता है कि मंत्री जान बूझकर पार्लियामेंट की अवहेलना करते हैं ।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड, अलूर, उद्योग मंडल (केरल); हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली, राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, बम्बई की वर्ष और मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड मद्रास की वर्ष 1980-81 की समीक्षाएं और उनके वार्षिक प्रतिवेदन

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड, अलूर, उद्योग मंडल (केरल) के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड, अलूर, उद्योग मंडल (केरल) का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर वार्षिक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०-3027/81]

(ख) (एक) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्स्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०-3028/81]

(ग) (एक) राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०-3029/81]

(घ) (एक) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मद्रास का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०-3030/81]

(ङ) (एक) फर्टिलाइजर्स (योजना तथा विकास) इंडिया लिमिटेड, सिन्दरी (धनबाद) के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) फर्टीलाइजर्स (योजना तथा विकास) इंडिया लिमिटेड सिन्दरी (धनबाद) का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखें तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखें गये। देखिए संख्या एल० टी०-3031/81]

(2) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, 1959 की धारा 31 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (संशोधन) नियम, 1981 (हिन्दी तथा

अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 14 नवम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1010 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-3032/81]

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा लाइसेंस प्रक्रिया के उल्लंघन के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 3053 के 21 अगस्त, 1981 को दिए गए उत्तर को शुद्ध करने वाला विवरण

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया के उल्लंघन के बारे में श्री के० लकप्पा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3053 के 21 अगस्त, 1974 को दिए गए उत्तर को शुद्ध करने तथा उक्त उत्तर को शुद्ध करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-3033/81]

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का वर्ष 1981 का प्रतिवेदन

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बारोट) : संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1981 के प्रतिवेदन—संघ सरकार (वाणिज्यिक) भाग 2—तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति मैं सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3034/81]

— — —

राज्य सभा से संदेश

सचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी है :—

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम संख्या 127 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 7 दिसम्बर, 1981 को अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 31 अगस्त, 1981 को पारित किए गए रंगभेद विरोधी (संयुक्त राष्ट्र कन्वेन्शन) विधेयक, 1981 से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।"

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि अधिग्रहण किए जाने पर मुआवजा देने के बारे में बोट क्लब पर कथित रैलियां और प्रदर्शन

श्री राम स्वरूप राम (नया) : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर निर्माण और आवास मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कुछ किसानों की भूमि का अधिग्रहण किये जाने और उन्हें कम दर पर मुआवजा दिये जाने के विरोध में बोट क्लब, नई दिल्ली पर 30 नवम्बर, 1981 को उन किसानों द्वारा की गई रैलियों और प्रदर्शनों के समाचार।"

निर्माण तथा आवास और संसदीय कार्य मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : अध्यक्ष महोदय, बादली क्षेत्र के गांवों की भूमि भी उस 68,000 एकड़ भूमि में है, जिसके अधिग्रहण की अधिसूचना मास्टर प्लान के उपबन्धों को लागू करने हेतु दिल्ली में भूमि के बड़े पैमाने पर अधिग्रहण, विकास और निपटान योजना के अधीन जारी की गई है। राजधानी की बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए दिल्ली के नियोजित विकास हेतु दिल्ली के गांवों की भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्ति रहिए। एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है।

श्री भीष्म नारायण सिंह : मास्टर प्लान के अधीन जो कि 5वें दशक के अन्तिम वर्षों में तैयार किया गया था और जो 1 सितम्बर, 1962 से लागू किया था उसके अन्तर्गत 1981 तक 1,10,000 एकड़ क्षेत्र को शहरीकरण के लिए लिया जाना था। यह आशा की गई थी कि वर्ष 1981 तक इस क्षेत्र में लगभग 45 लाख लोगों को बसाया जा सकेगा, परन्तु इसके बाद उच्च घनत्व मापदण्ड अपनाकर इस संख्या को संशोधित करके लगभग 53 लाख कर दिया गया था। भारत की 1981 की जनगणना के अनुसार, दिल्ली की वर्तमान जनसंख्या 62 लाख होने का अनुमान लगाया गया है जिसमें लगभग 57.5 लाख की शहरी जनसंख्या है। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए जनसंख्या अनुमान के अनुसार वर्ष 2001 में दिल्ली की जनसंख्या 122 लाख होने की संभावना है।

तेजी से बढ़ती हुई दिल्ली की जनसंख्या को देखते हुए सरकार के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए उचित आश्रय और सेवाएं प्रदान करने के लिए उपाय निकाले।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने गत वर्ष मुख्य रूप से समाज के कमजोर वर्गों के लिए प्लाट / मकान और सेवाओं के विकास के लिए रोहिणी योजना चालू की। इस योजना से लगभग 8.5 लाख लोग लाभान्वित हो सकेंगे···।

—

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री कार्तिक उरांव का निधन

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे उप-मन्त्री श्री मल्लिकार्जुन से, जो कि अभी-अभी सीधे अस्पताल से आए हैं, यह सूचना मिली है कि हमारे माननीय सदस्य और राज्य-मन्त्री श्री कार्तिक उरांव का हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया है। मुझे बड़ा दुःख हुआ है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि शोक-संन्तप्त विह्वल परिवार के सदस्यों को शोक संवेदना प्रेषित करने में सभा मेरे साथ है।

दिवंगत आत्मा की स्मृति में सभा कुछ क्षण के लिए मौन खड़ी रहेगी।

(इसके पश्चात सदस्यगण कुछ क्षण मौन खड़े रहे।)

अध्यक्ष महोदय : सभा अब कल 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित होती है।

12-14 म० पू०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 9 दिसम्बर, 1981/18 अग्रहायण 1903 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।